ज्ञानसागर ग्रंथमाला

भारतीय परम्परा में असहयोग

लेखक

धर्मपाल

अनुवादक

दुर्गा सिंह

इन्दुमति काटदरे

पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट

ज्ञानसागर ग्रंथमाला ७०६

भारतीय परम्परा में असहयोग

लेखक
धर्मपाल

सर्वाधिकार
पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट

प्रकाशक
पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट
ज्ञानम् ९ बी, आनंद पार्क, डॉ. हेडगेवार भवन के सामने,
बलिया काका मार्ग, जूना ढोर बाजार, कांकरिया, अहमदाबाद ३८० ०२८
दूरभाष : ०७९-२५३२२६५५

मुद्रक
नूतन आर्ट, अहमदाबाद

प्रकाशन तिथि
चैत्र कृष्ण दशमी, युगाब्द ५१२५, १५ अप्रैल २०२३

संकल्पना और निर्माण
पुनरुत्थान विद्यापीठ

प्रतियाँ
२५०

मूल्य
रू. २८०

ISBN No. : 978-81-905687-2-2

मंगलाचरण

नमस्ते शारदे देवि
वीणा पुस्तकधारिणि।
विद्यारम्भं करिष्यामि
प्रसन्ना भवसर्वदा।।

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे
फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र।
येन त्वया भारततैलपूर्णः
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः।।

वेदोऽखिलो धर्ममूलम्
वेदोऽखिलो सत्यमूलम्।
वेदोऽखिलो ज्ञानमूलम्
तस्मात् वेदमुपास्महे।।

।। ॐ ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः।।

अर्पणपत्रिका

।। श्री राम ।।

देवर्षि नारद द्वारा प्रेरित होकर
आदि कवि प्राचेतस मुनि वाल्मीकि द्वारा रचित
और
पृथ्वी पट पर
जब तक पर्वत खड़े रहेंगे सरिताओं में जलप्रवाहित होता रहेगा
तब तक
लोकहृदय में प्रतिष्ठित रहेगी ऐसी
आदि काव्यकथा रामायण के
लोकोत्तर नायक,
अपने व्यवहार से ही
संसार के समस्त व्यवहारों में
सत्य, धर्म, शील और भद्रता की
मर्यादा स्थापित करने वाले,
सरयू नदी के तट पर स्थित
पावन नगरी अयोध्या में स्थित
श्री रामजन्मभूमि मंदिर में
रामलला के बालरूप में विराजित
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के
श्री चरणों में
पुनरुत्थान विद्यापीठ द्वारा संकल्पित और निर्मित
ज्ञानसागर महाप्रकल्प के १०५१ ग्रंथ
पुनरुत्थान विद्यापीठ के आचार्य एवं छात्र
सविनय समर्पित कर रहे हैं ।

अयोध्या, उत्तरप्रदेश

आवाहन

आत्मीय पाठक,

सप्रेम नमस्कार ।

१.

आज चैत्र कृष्ण दशमी, युगाब्द ५१२५, १५ अप्रैल २०२३; आज सभी सुज्ञ पाठकों के समक्ष ज्ञानसागर महाप्रकल्प के १०५१ ग्रंथों को अर्पण करते हुए हम संतोष और आनंद का अनुभव कर रहे हैं । जो बिन हेतु स्नेही हैं, जिनके राज्य में प्रजा दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त है और सब जन परस्पर प्रीतिपूर्वक रहते हैं, युगों तक जिन्होंने आदर्श स्नेह का प्रतिमान स्थापित किया है ऐसे अयोध्या के राजा भगवान राम के श्री चरणों में यह ग्रंथमाला पहले समर्पित हुई और उनके प्रसाद के रूप में अब आज सब के माध्यम से लोक को समर्पित हो रही है । भारतीय ज्ञानसंपदा विद्वज्जनों एवं सामान्यजनों की कृति, वाणी, मन, बुद्धि एवं हृदय में प्रतिष्ठित हो यही इस का उद्देश्य है ।

पुनरुत्थान विद्यापीठ के लिए पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट ने इन ग्रंथों का प्रकाशन किया है । पुनरुत्थान विद्यापीठ भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा हो इस उद्देश्य से विगत अठारह वर्षों से कार्यरत है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्ययन, अनुसंधान, संदर्भ ग्रंथों तथा पठनसामग्री का निर्माण, शिक्षा के नये क्षेत्रों का सृजन एवं प्रयोग आदि कर रहा है । भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में कार्यरत लोगों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी कर रहा है । इस दृष्टि से अभ्यास वर्ग, कार्यशाला, अध्ययन यात्रा, अध्ययन योजना, विद्वत् गोष्ठी आदि कार्य भी चलते हैं । इन सभी कार्यों में ग्रंथनिर्माण एवं प्रकाशन का जो कार्य है उसका परिपाक यह ज्ञानसागर महाप्रकल्प है ।

मनीषी जानते हैं कि शिक्षा का संबंध जीवन के साथ है । परीक्षा, प्रमाणपत्र, अर्थार्जन और इन से प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा के लिए नहीं । शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है । जीवनविकास हेतु विद्यालय संस्था एक माध्यम है, एकमात्र नहीं । जीवन जन्मजन्मांतर में निरंतर चलता रहता है । विकसित होता रहता है, हमारे प्रयास इस जन्म के साथ जुड़े रहते हैं । इस जन्म का जीवन गर्भाधान से मृत्यु तक का होता है । यह जीवन

विद्यालय के साथ-साथ घर में, कार्यालय में, समाज में विकसित होता रहता है । इस तथ्य को समझते हुए पुनरुत्थान विद्यापीठ आजीवन शिक्षा और सार्वत्रिक शिक्षा का विचार करता है । विद्यापीठ की समस्त शिक्षायोजना का केन्द्रवर्ती विषय यही है । ऐसी आजीवन और सार्वत्रिक शिक्षा के कारक जो भी हैं उन सबके लिए ज्ञानसागर के ये ग्रंथ हैं । तात्पर्य यह है कि ये ग्रंथ माता-पिता के लिए, शिक्षकों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए धर्माचार्यों के लिए, शिक्षासंस्थाओं के संचालकों के लिए, सरकार के शिक्षाविभाग के लिए, शिक्षा की अर्थव्यवस्था करनेवाले धनवानों के लिए, सर्व आयुवर्गों के छात्रों के लिए और शिक्षा के प्रति रुचि और जिज्ञासा रखने वालो के लिए, सर्वसामान्य प्रबुद्ध और आस्थावान लोगों के लिए है।

२.

शिक्षा का संबंध जीवनविकास के साथ है । जीवन प्रवाह के साथ-साथ शिक्षा का भी प्रवाह बहता रहता है और जीवन के जो चढ़ाव-उतार होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, समस्याएँ होती हैं वैसी शिक्षा की भी समस्यायें होती हैं । इन समस्याओं को समझना और उनका निराकरण करना शिक्षा से जुड़े सभी लोगों का स्वाभाविक काम होता है, जीवनदत्त दायित्व होता है । समस्याओं का कितना भी हल करो, हर काल में, हर बदलती परिस्थिति में कालसापेक्ष, स्थितिसापेक्ष समस्याएँ उत्पन्न होती ही हैं और उनका निराकरण करने का पुरुषार्थ भी चलता ही रहता है ।

वर्तमान भारत की शिक्षा की सबसे गंभीर समस्या मानसिक और बौद्धिक स्वरूप की है । मानसिक दैन्य और बुद्धि विभ्रम ही उसका कारण है । औपनिवेशिकता से भारतीय मानस की मुक्ति और स्थिर स्वतंत्र बुद्धि से अध्ययन इस समस्या के निराकरण का उपाय है ।

औपनिवेशिक मानस और बुद्धि विभ्रम हमारी सर्व स्तर की शिक्षा में दिखाई देते हैं । चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा, चाहे व्यवस्थापन की शिक्षा हो चाहे व्यवहार की, चाहे शास्त्रशिक्षा हो, चाहे मानस प्रबोधन की सर्वत्र अभारतीय दृष्टि अनुस्यूत है । अध्ययन अध्यापन पद्धति, पाठ्यविषय वस्तु, साधन सामग्री, शिक्षा की भौतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएँ सर्वथा अभारतीय, सेमेटिक विचारों से ओतप्रोत है । और ग्रंथालयों में संदर्भ ग्रंथ इसी दृष्टि से लिखे गये दिखाई देते हैं । जीवन के पन्द्रह बीस वर्ष इन्ही को सीखने में व्यतीत होते हैं । ऐसी शिक्षा हमारे व्यक्तिगत और समष्टिगत

जीवन का नियमन करती है । हमारा घर और हमारा देश इसी शिक्षा के द्वारा दी गई व्यवस्था में चलता है । यही दृष्टि और विचार शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है ।

यह संकट गंभीर है, भारत को अभारत बनाने वाला है । यह राष्ट्रीय संकट है । इसे पहचानने की और उस पर नियन्त्रण करने की आवश्यकता है । हमारा सर्व प्रकार का सामर्थ्य उसे दूर करने में लगाने की आवश्यकता है । शिक्षा को भारतीय बनाने से ही यह संकट दूर होगा । शिक्षा को भारतीय बनाने का प्रारंभ कक्षा कक्षों में पढ़ाये जाने वाले विषय वस्तु को भारतीय बनाने से होगा, अध्ययन अध्यापन की पद्धतियों को, व्यवस्थाओं को भारतीय बनाने से होगा । विद्यालय से प्रारंभ होकर शिक्षा कुटुंब में भी दी जाने लगेगी तब शिक्षा प्रभावी होगी । सरकार या शिक्षा संस्था संचालक नहीं अपितु शिक्षक इसे अपने दायित्व में लेंगे तब शिक्षा अपना स्वाभाविक आश्रय प्राप्त करेगी । धर्माचार्य शिक्षा को अपना दायित्व मानेंगे तब शिक्षा धर्मानुसारिणी होगी । यह सब होगा तब शिक्षा भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित और भारतीय जीवन को पुष्ट करने वाली होगी । तब वह केवल भारत ही नहीं तो विश्व के अभ्युदय और निःश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करने वाली होगी ।

ज्ञानसागर महाप्रकल्प के इन ग्रंथों में इन्हीं बातों को प्रस्तुत किया गया है । ये सारे विषय स्पष्ट हों, सुलभ हों, सुकर हों इसका प्रयास इन ग्रंथों में किया गया है ।

३.

वर्तमान समय की यह आवश्यकता है कि शिक्षा में परिवर्तन का कोई भी प्रयास व्यापक और दीर्घावधि का होना चाहिए । ज्ञानसागर के ग्रंथों के निर्माण एवं प्रकाशन में इस मुद्दे का विचार किया गया है । अरुणाचल प्रदेश से गुजरात और कश्मीर से केरल तक के भारत के सभी प्रदेशों के लेखकों की सहभागिता ज्ञानसागर में हुई है । विगत सवा सौ वर्षों में लिखे गये, परंतु वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं ऐसे ग्रंथों का इसमें समावेश है । वर्तमान में अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत और भारतीयता के पक्षधर तथा भारतीयता की समझ रखने वाले विद्वान लेखकों के रचे हुए ग्रंथों का इसमें समावेश है । भारत की विविध भाषाओं में रचे गये उत्तम ग्रंथों का अनुवाद इसमें समाविष्ट है । राष्ट्रनिर्माण के क्षेत्र में कार्यरत महानुभावों के विचारों को इसमें संकलित किया गया है । शोधकार्य, शास्त्र निरूपण, व्यवहार तथा मानसिकता को आधार और दिशा देने

वाली सामग्री इन ग्रंथों में है। भारत के शाश्वत ज्ञानात्मक आधार को समझ कर उसकी युगानुकूल प्रस्तुति करना, विश्व के विविध वर्तमान विचार प्रवाहों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विचार को उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करना और विश्व का वैचारिक मार्गदर्शन करना इन ग्रंथों में प्रस्तुत सामग्री का काम है। इन ग्रंथों के अध्ययन से विद्या केन्द्रों की शिक्षा में परिवर्तन होगा तभी यह कार्य सिद्ध होगा।

हमारी अपेक्षा है कि इन ग्रंथों के आधार पर नये पाठ्य क्रम बनें, जीवनोपयोगी नये विषय अध्ययन के क्रम में आयें, विद्याकेन्द्रों के बाहर भी शिक्षा के नये केन्द्र विकसित हों, वर्तमान सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षा प्रमाणपत्र और पदवी की व्यवस्था के बाहर भी शिक्षा के नये प्रयोग हों, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा के प्रयोग हों, शिक्षाक्षेत्र में ज्ञाननिष्ठा आये, शिक्षक देश की शिक्षा के प्रश्न को अपना दायित्व मानें और शिक्षाक्षेत्र के योगक्षेम को समाज अपना दायित्व माने। भारत हमेशा ज्ञाननिष्ठ राष्ट्र रहा है, अपने सभी प्रश्नों के उत्तर भारत ज्ञान में खोजता है, ज्ञान को पवित्रतम तत्त्व मानता है। भारत अपने आपको पुनः वैसा ही बनाये। भारत के लिए यह आत्मबोध होगा। शिक्षा भारत के लिए आत्मबोध संभव बनाये। ज्ञानसागर के इन ग्रंथों का यही प्रयोजन है।

४.

व्यासपूर्णिमा युगाब्द ५१२० दि. १६ जुलाई २०१९ को, पुनरुत्थान विद्यापीठ के पन्द्रहवें स्थापना दिन के अवसर पर ज्ञानसागर महाप्रकल्प का संकल्प हुआ। आकार, स्वरूप, विषय सूची, लेखक, लेखन, अनुवाद और मुद्रण आदि प्रक्रियाओं से होकर ये ग्रंथ आज साढे तीन वर्षों में प्रकाशन तक पहुँचे हैं। इन ग्रंथों के निर्माण में देशभर से ६४२ लेखकों, अनुवादकों, संपादको का योगदान हुआ है। संपर्क, निरीक्षण परीक्षण आदि में ५० से अधिक कार्यकर्ताओं का सहभाग हुआ है। इतने बड़े प्रकल्प को समाज से ही आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है। विशेष बात यह है कि सभी लेखकों, अनुवादकों और कार्यकर्ताओं ने सेवाभाव से ही इसमें कार्य किया है। अनेक लेखक अनुवादक, संपादक विश्वविद्यालयों और तत्सम संस्थाओं में उच्च पदस्थ हैं और उनका जीवन क्रम अत्यंत व्यस्त रहता है, ८५ वर्ष से अधिक आयुवाले विद्वान लेखकों ने भी स्वयं के उत्साह और दक्षता से हमें प्रेरित किया है, अखिल भारतीय संगठनों के उच्च पदाधिकारी तथा संतवृंद हमारे संरक्षक और मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे मुद्रण विभाग के सभी कार्यकर्ता, चित्रकारबंधु, मुद्रित शोधन करने वाले लोगों ने दक्षता का परिचय दिया है। इन सभी के उत्साहपूर्ण

सहयोग और दक्षतापूर्ण अनुशासन के कारण ही साढे तीन वर्ष की अल्प अवधि में निर्धारित समय पर इन ग्रंथों का प्रकाशन संभव हुआ है । हम इन सभी कार्यकर्ताओं, विद्वान लेखकों, अनुवादकों, संपादकों, संकलनकर्ताओं, मार्गदर्शकों, संरक्षकों के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं । ऐसे कामों में इन सब का सहयोग, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त होती ही रहेगी ऐसा विश्वास है ।

५.

आज इस प्रकाशन समारोह में देशभर से लगभग बारहसौ श्रोता उपस्थित हैं । इस कार्यक्रम के बाद तुरंत एक विद्वत् गोष्ठी होगी । आगामी वर्षभर में देश में अन्यान्य स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन होगा । इन कार्यक्रमों का प्रयोजन होगा इस सामग्री का प्रसार करना । देश के शिक्षासंस्थानों में, ग्रंथालयों में, परिवारों में, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में, शिक्षकों के पास, प्रबुद्धजनों के पास यह सामग्री पहुँचे, इसके पठन और अध्ययन की योजना बने, आवश्यकता के अनुसार अन्य भाषाओं में अनुवाद हो यह हम सबकी आकांक्षा रहेगी । इस कार्य में यहाँ उपस्थित सभी का सहयोग रहेगा ऐसा निवेदन है ।

इस सामग्री का प्रसार हो सके इसकी अनेक कल्पक योजनाएँ आपके पास भी होंगी । आप उन्हें क्रियान्वित करें और हमें भी बतायें ऐसा निवेदन है ।

अंत में, हम सभी के निरंतर प्रयासों से भारतीय ज्ञानसंपदा की पुनःप्रतिष्ठा हो और भारत पुनः विश्वगुरु बने ऐसी प्रार्थना के साथ विराम । इति शुभम् ।

चैत्र कृष्ण दशमी, युगाब्द ५१२५
१५ अप्रैल २०२३

इन्दूमति काटदरे
कुलपति
पुनरुत्थान विद्यापीठ

ज्ञानसागर महाप्रकल्प आशीर्वाद समिति

- **स्वामी संवित विमार्शानंदगिरी महाराज,** बीकानेर अधिष्ठाता, शिवबाड़ी मठ
- **पूजनीय स्वामी परमात्मानंद जी महाराज,** राजकोट - संयोजक एवं महामंत्री, हिन्दू धर्म आचार्य सभा
- **वंदनीय शांताक्का,** नागपूर प्रमुख संचालिका, राष्ट्र सेविका समिति
- **माननीय श्री भैया जी जोशी,** नागपूर अ.भा. कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

ज्ञानसागर महाप्रकल्प मार्गदर्शक समिति

प्रमुख मार्गदर्शक - माननीय श्री सुरेश जी सोनी, दिल्ली
अ.भा. कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व सहसरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

- माननीय सीताक्का, नागपूर, प्रमुख कार्यवाहिका, राष्ट्र सेविका समिति
- माननीय श्री अनिरुद्ध देशपांडे, पुणे, अ. भा. कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व अ.भा. संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
- माननीय डॉ. बजरंगलाल गुप्त, दिल्ली, पूर्व उत्तर क्षेत्र संघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
- माननीय श्री डी. रामकृष्ण राव, गुड्डीलोवा, विशाखापट्टनम, अध्यक्ष, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान
- माननीय श्री जे. नंदकुमार, अखिल भारतीय संयोजक, प्रज्ञा प्रवाह
- पू. श्री जितेंद्र नाथ महाराज, अंजनगाँवसुरजी
- माननीय डॉ. जगदीश प्रसाद सिंघल, जयपुर, अध्यक्ष, अ. भा. राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
- माननीय श्री गीताताई गुंडे, मुंबई, अ. भा. संयोजक (पूर्व), महिला समन्वय
- माननीय डॉ. ईश्वर शरण विश्वकर्मा, प्रयागराज, महामंत्री, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना
- माननीय डॉ. सच्चिदानंद जोशी, दिल्ली, अध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल
- माननीय डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी, निर्माता चाणक्य धारावाहिक

अनुक्रमणिका

मनोगत

सम्पादकीय

विभाग १ : विश्लेषण १

१. विषय प्रवेश ३

२. विवरण १४

विभाग २ : अभिलेख ५१

३. घटनाओं का अधिकृत वृत्तांत ५३

४. नीति से पलायन की पद्धति १३८

५. ईंग्लैण्ड स्थित संचालक अधिकारियों के साथ पत्राचार १४६

धर्मपाल समग्र लेखन

ग्रन्थ सूची

१. भारतीय चित्त, मानस एवं काल

२. १८ वीं शताब्दीमें भारतमें विज्ञान एवं तंत्रज्ञान : कतिपय समकालीन यूरोपीय वृत्तान्त
Indian Science and Technology in the Eighteenth Century : Some Contemporary European Accounts

३. भारतीय परम्परामें असहयोग
Civil Disobedience in Indian Tradition

४. रमणीय वृक्ष : १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा
The Beautiful Tree : Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century

५. पंचायत राज एवं भारतीय राजनीति तंत्र
Panchayat Raj and Indian Polity

६. भारत में गोहत्या का अंग्रेजी मूल
The British Origin of Cow slaughter in India

७. भारतकी लूट एवं बदनामी : १९ वीं शताब्दी की अंग्रेजों की जिहाद
Despoliation and Defaming of India :
The Early Nineteenth Century of British crusade

८. गांधी को समझें
Understanding Gandhi

९. भारत की परम्परा
Eassys in Tradition, Recovery and Freedom

१०. भारत का पुनर्बोध
Rediscovering India

मनोगत

गांधीजी के अगस्त १९४२ के 'अंग्रेजों, भारत छोड़ो' आन्दोलन के कुछ समय पूर्व से ही मैं देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन से पूर्णरूप से प्रभावित हो चुका था। उस समय मैंने जीवन के बीस वर्ष पूरे किए थे। अगस्त १९४२ में, हम दो चार मित्र, जिनमें मित्र श्री जगदीश प्रसाद मित्तल प्रमुख थे, उत्तरप्रदेश से 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के लिए ही कांग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने मुम्बई गए। मैंने उससे पूर्व १९३० का लाहौर का कांग्रेस सम्मेलन देखा था, परन्तु मुम्बई के सम्मेलन का स्वरूप और अपेक्षाएँ हमारे लिए एकदम नई थीं। सम्मेलन में हमें दर्शक के रूप में भाग लेने की अनुमति मिल गई। हमने वहाँ की सम्पूर्ण कार्यवाही देखी, सभी भाषण सुने। ८ अगस्त की सायंकाल का गांधीजी का सवा दो घण्टे का भाषण तो मुझे आज भी कुछ कुछ याद है। उन्होंने प्रथम डेढ़ घण्टा हिन्दी में भाषण दिया, फिर पौन घण्टा अंग्रेजी में। सम्मेलन में ५० हजार से अधिक भीड़ थी। सभी उपस्थित लोगों से, सभी भारतवासियों से तथा विश्व के सभी देशों से गांधीजी का मुख्य निवेदन तो यही था कि वे सभी भारत और अंग्रेजों के वार्तालाप में सहायक हों । हमारे जैसे अधिकांश लोगों ने उस समय विचार किया होगा कि आन्दोलन का प्रारम्भ तो कुछ समय बाद ही होगा।

परन्तु दूसरे ही दिन सवेरे ५-६ बजे से ही पूरे मुम्बई में हलचल शुरू हो गई। मुम्बई से बाहर जानेवाली रेलागाड़ियां दोपहर के बाद तक बन्द रहीं। अंग्रेज और भारतीय पुलिस व्यापक रूप से लोगों की गिरफ्तारी करती रही। अन्ततः ९ अगस्त को शाम तक हमें दिल्ली जाने के लिए गाड़ी मिल गई। परन्तु रास्ते भर हलचल थी और गिरफ्तारियां हो रही थीं। हममें से अधिकांश लोग अपनी अपनी जगह पहुँचकर 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलन शुरू करनेवाले थे।

दिल्ली पहुँचकर मैं अन्य साथियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में चल रहे आन्दोलन में जुड़ गया। कितने महीने तक इसी में ही संलग्न रहा। उस बीच अनेक गाँवों और कसबों में भी गया। वहाँ लोगों के घरों में रहा। वहीं से ही भारत के सामान्य जीवन

के साथ मेरा परिचय प्रारम्भ हुआ। दिसम्बर १९४२ में अनेक घनिष्ठ मित्रों ने सलाह दी की मुझे आन्दोलन के काम के लिए मुम्बई जाना चाहिए। इसलिए फरवरी १९४३ में मैं मुम्बई गया और वहाँ रहा। आन्दोलन का साहित्य लेकर वाराणसी और पटना भी गया। मुम्बई में गांधीजी के निकटस्थ स्वामी आनन्द ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की थी। वे अलग अलग लोगों से मेरा परिचय भी कराते थे। वस्तुत: मेरा मुम्बई के साथ परिचय तो उनके कारण ही हुआ। मुम्बई में ही मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी से भी एक दो बार मिला। उसी प्रकार गिरिधारी कृपलानी से मिलना हुआ। उस समय मैं खादी का धोती कुर्ता पहनता था और स्वामी आनन्द आदि के आग्रह के बाद भी मैंने कभी पतलून आदि नहीं पहना।

मार्च १९४२ में मैं मुंबई से दिल्ली और उत्तरप्रदेश गया। अप्रैल १९४३ में दिल्ली के चाँदनीचौक पुलिस थाने में मेरी गिरफ्तारी हुई और लगभग दो महीने अलगअलग थानों में रहा। वहाँ मेरी गहन पूछताछ हुई, धमकाया भी गया। यद्यपि मारपीट नहीं हुई। जून १९४३ में मुझे सरकार के आदेशानुसार दिल्ली से निष्कासित किया गया। एकाध वर्ष बाद यह निष्कासन समाप्त हुआ।

लम्बे अरसे से मेरा मन गाँव में जाकर रहने और काम करने का था। मेरे एक पारिवारिक मित्र गोरखपुर जिले के एक हजार एकड़ जितने विशाल फार्म के मैनेजर थे। उन्होंने मुझे फार्म पर आकर रहने के लिए निमंत्रण दिया। यह फार्म सुन्दर तो था परन्तु यह तो वहाँ रहनेवालों से कसकर परिश्रम कराने की जगह थी। गाँव जैसा सामूहिकता का वातावरण वहाँ नहीं होता था। वहाँ गाँव के लोगों से मिलने, बात करने का अवसर भी नहीं मिलता था। परन्तु एक बात मैंने देखी कि वहाँ लोग गरीब होने के बाद भी प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे।

एक वर्ष बाद जून अथवा जुलाई १९४४ में यह फार्म छोड़ कर मैं वापस आ गया। तत्काल ही मेरठ के मित्रों ने मुझे श्रीमती मीराबहन के पास जाने की सलाह दी। मीरा बहन रूड़की के निकट एक आश्रम स्थापित करने का विचार कर रही थीं। बात सुनकर मैंने पहले तो मना करने का प्रयास किया परन्तु मित्रों के आग्रह के कारण अक्टूबर १९४४ में मैं मीराबहन के पास गया। रूड़की से हरिद्वार की दिशा में सात-आठ मील दूर गाँव वालों ने मीरा बहन को आश्रम निर्माण के लिए जमीन दी थी। आश्रम हरिद्वार से बारह मील दूर था। आश्रम का नाम दिया गया 'किसान आश्रम'। यहीं से मेरा ग्रामजीवन और उसके रहनसहन के साथ परिचय शुरू हुआ। उनकी कुशलताएँ और अपने व्यवहार, रहन सहन तथा उपाय ढूंढ निकालने की योग्यता मुझे यहीं जानने

को मिली। मैं तीन वर्ष किसान आश्रम में रहा। उसके बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वसन का कार्य चलता था उसमें सहयोग देने के लिए मैं दिल्ली गया। उस दौरान मेरा अनेक लोगों के साथ परिचय हुआ। उसमें मुख्य थीं कमलादेवी चट्टोपाध्याय और डॉ. राममनोहर लोहिया। १९४७ से १९४९ के दौरान श्री रामस्वरूप, श्री सीताराम गोयल, श्री रामकृष्ण चाँदीवाले (उनके घर में मैं महीनों रहा), श्री नरेन्द्र दत्त, श्रीमती स्वर्णा दत्त, श्री लक्ष्मीचन्द जैन, श्री रूपनारायण, श्री एस. के. सक्सेना, श्री ब्रजमोहन तूफ़ान, श्री अमरेश सेन, श्री गोपालकृष्ण आदि के साथ भी मित्रता हुई।

दिल्ली में भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने कहा कि फिलिस्तीन के यहूदी इज़रायल नामक छोटा देश बना रहे हैं। वहाँ सामूहिकता के आधार पर जीवन रचना के महत्त्वपूर्ण प्रयास हो रहे हैं। उन लोगों ने इतने आकर्षक ढंग से उसका वर्णन किया कि मैंने इज़रायल जाकर यह देखकर आने का निर्णय किया। नवम्बर १९४९ में इज़रायल जाने के लिए मैं इंग्लैण्ड गया। वहाँ आठदस महीने रह कर नवम्बर-दिसम्बर में मैं पत्नी फ़िलिस के साथ इज़रायल तथा अन्य अनेक देशों में गया। इज़रायल के लोगों ने जो कर दिखाया था वह तो बहुत प्रशंसनीय और श्रेष्ठ कार्य था परन्तु भारतीय ग्रामरचना और भारतीय व्यवस्थाओं में उस का बहुत उपयोग नहीं है, ऐसा भी लगा।

जनवरी १९५० में मैं और फिलिस हृषीकेश के निकट निर्माणाधीन, मीराबहन के 'पशुलोक' में पहुँच गये। वहाँ मीराबहनने, मेरे अन्य मित्रों, और सविशेष मार्कसवादी मित्र जयप्रकाश शर्मा के साथ मिलकर एक नए छोटे गाँव की रचना की शुरुआत की थी। उसका नाम रखा गया 'बापूग्राम'। गाँव ५० घरों का था। उसमें सभी पहाड़ी और मैदानी जाति के लोग साथ रहेंगे ऐसा प्रयास किया था। यह भी ध्यान रखा गया कि लोग अत्यन्त गरीब हों। परंतु उस के कारण गाँव की रचना का काम अधिक कठिन हो गया। गाँव के लोगों के कष्ट बढ़े। गाँव में ५०० एकड़ जमीन थी, किन्तु अनेक जंगली जानवर भी वहाँ घूमते थे। हाथी भी वहाँ आता-जाता रहता। इस लिए प्रारम्भ में खेती भी बहुत दुष्कर थी। खेती में कुछ बचता ही नहीं था। आज भी यह गाँव जैसे तैसे टिका हुआ है। १९५७ से गाँव के साथ मेरा सम्बन्ध ठीक-ठीक बढ़ा। मैं विभिन्न पंचायतों का अध्ययन करता था। इसलिए गाँव के लोगों की समझदारी और अपने प्रश्नों की ओर देखने और उसे हल करने का उनका दृष्टिकोण भलीभाँति ध्यान में आने लगा। इस बात का भी एहसास होने लगा कि अपने अधिकांश शहरी और समृद्ध लोग गाँव को जानते ही नहीं। राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि राज्यों में तो यह एहसास सविशेष हुआ। इस एहसास के कारण ही मैं १९६४-६५ में सन् १९०० के आसपास के अंग्रेजों

द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के अध्ययन की ओर मुड़ा।

लगभग १७५० से १८५० तक अंग्रेजों ने सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर इंग्लैण्ड में रहने वाले अपने अधिकारियों तथा परिचितों को लिखे पत्रों की संख्या शायद करोड़ों दस्तावेजों में होगी। उसमें ८० से ८५ प्रतिशत की प्रतिलिपियां भारत के कोलकता, मद्रास, मुम्बई, दिल्ली, लखनऊ आदि के अभिलेखागारों में भी हैं। लन्दन की ब्रिटिश इंड़िया ऑफ़िस में और अन्य अनेक अभिलेखागारों में पाँच से सात प्रतिशत ऐसे भी दस्तावेज होंगे जो भारत में नहीं होंगे। उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके अध्ययन से अंग्रेजों ने भारत में क्या किया यह समझ में आता है। उस समय के इंग्लैण्ड के समाज और शासन तंत्र की यदि हमें जानकारी होगी तो अंग्रेजों ने भारत में जो किया उसे समझने में सहायता मिल सकती है।

१९५७ से ही, जब मैं एवार्ड (Association of Voluntary Agencies for Rural Development [AVARD]) का मंत्री बना तब से ही अनेक प्रकार से सीखने का अवसर मिला और अनेक व्यक्तियों की अनेक प्रकार से सहायता भी मिली। उसमें मुख्य थे श्री अण्णासाहब सहस्त्रबुद्धे और श्री जयप्रकाश नारायण। नागपुर के श्री आर. के. पाटिल ने भी १९५८ से १९८० तक इस काम में बहुत रुचि ली और अलग अलग ढंग से सहायता करते रहे। श्री आर. के. पाटिल पुराने आई. सी. एस. थे, योजना आयोग के सदस्य थे, पूर्व मध्यप्रदेश के मंत्री थे और विनोबा जी के निकटवर्ती थे। १९७१ से गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण का सहयोग भी बहुत मूल्यवान था। इसी प्रकार गांधी विद्या संस्थान और पटना की अनुग्रह नारायण सिन्हा इन्स्टीटयूट का भी सहयोग मिला। डॉ. डी. एस. कोठारी भी शुरू से ही उसमें रुचि लेते थे।

१९७१ में 'इंड़ियन सायन्स एण्ड टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी' Indian Science and Technology in the Eighteenth Century और 'सिविल डिसओबिड़ियन्स इन इंड़ियन ट्रेड़िशन' Civil Disobedience in Indian Tradition ऐसी दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उनका विमोचन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉ. दौलतसिंह कोठारी ने किया। पहले ही दिन से उस पुस्तक का परिचय करनेवाले प्रजा समाजवादी पक्ष के नेता और साहित्यकार श्री गंगाशरण सिन्हा, विवेकानंद केन्द्र, कन्याकुमारी के श्री एकनाथ रानडे और अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर यूजिन ईर्शिक थे। ईर्शिक के मतानुसार 'सिविल डिसओबिडियन्स इन ईंड़ियन ट्रेड़िशन' मेरी सबसे उत्तम पुस्तक थी। श्री रामस्वरुप और श्री ए. बी. चटर्जी, जो आई. सी. एस. थे और मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेट्स के सचिव थे, उनके मतानुसार 'इंड़ियन सायन्स एण्ड

टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक थी। १९७१ से १९८५ के दौरान इन दोनों पुस्तकों का अनेक प्रकार से उल्लेख होता रहा। देशभर में इसका उल्लेख करनेवालों में मुख्य थे श्री जयप्रकाश नारायण, श्री रामस्वरुप और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के श्री एकनाथ रानड़े, प्रोफ़ेसर राजेन्द्रसिंह और वर्तमान सरसंघचालक श्री सुदर्शन जी।

अभी तक ये पुस्तकें मुख्य्य रूप से अंग्रेजी में ही हैं। उसका एक विशेष कारण यह है कि उसमें समाविष्ट दस्तावेज सन् १८०० के आसपास अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय लोगों ने अंग्रेजी में ही लिखे हैं। प्रारंभ में ही यह सब हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा में प्रकाशित करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जब तक यह सब भारतीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं होता तब तक सर्वसामान्य लोग दो सौ वर्ष पूर्व के भारत के विषय में न जान सकेंगे, न समझ सकेंगे, और न ही चर्चा कर सकेंगे।

इसलिए इन पुस्तकों का अब हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हो रहा है यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है।[1]

मैं १९६६ तक अधिकांशत: इंग्लैण्ड और सविशेष लन्दन में रहा। उस समय भारत से सम्बन्धित वहाँ स्थित दस्तावेंजों में से पांच अथवा दस प्रतिशत सामग्री का मैंने अवलोकन किया होगा। उनमें से कुछ मैंने ध्यान से देखे, कुछ की हाथ से नकल उतार ली, अनेकों की छायाप्रति बना ली। उस दौरान बीच बीच में भारत आकर कोलकता, लखनऊ, मुम्बई, दिल्ली और चेन्नई के अभिलेखागारों में भी कुछ नए दस्तावेज देखे।

उन दस्तावेजों के आधार पर अभी गुजरात से प्रकाशित हो रही अधिकांश पुस्तकें तैयार की गई हैं। ये पुस्तकें जिस प्रकार सन् १८०० के समय के भारत से सम्बन्धित हैं उसी प्रकार १८८० से १९०३ के दौरान गोहत्या के विरोध में हुए आन्दोलन के और १८८० के बाद के दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई हैं। उनमें एकाध पुस्तक इंग्लैण्ड और अमेरिका के समाज से भी सम्बन्धित है। इसकी सामग्री इंग्लैण्ड में मिली है और यह पढ़ी गई पुस्तकों के आधार पर तैयार की गई है।

१९६० से शुरू हुए इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य दो सौ वर्ष पूर्व के भारतीय समाज को समझना ही था। लेकिन मात्र जानना, समझना पर्याप्त नहीं है। उसका इतना महत्त्व भी नहीं है। महत्त्व तो यह जानने समझने का है कि अंग्रेजों से पूर्व का स्वतंत्र भारत, जहाँ उसकी स्थानिक इकाइयां अपनी अपनी दृष्टि और आवश्यकतानुसार अपना समाज चलाती थीं, वह कैसा रहा होगा। अचानक १९६४-६५ में चेन्नई के एगमोर

अभिलेखागार में ऐसी सामग्री मुझे मिली, और ऐसी ही सामग्री इग्लैण्ड में उससे भी सरलता से मिली। यदि मैं पोर्टुगल और हॉलेण्ड की भाषा जानता तो १६ वीं, १७ वीं सदी में वहाँ भी भारत के विषय में क्या लिखा गया है यह जान पाता। खोजने के बाद भी चालीस वर्ष पूर्व भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के वर्णन नहीं मिले।

हमें तो गत दो तीन हज़ार वर्ष के भारत और उसके समाज को समझने की आवश्यकता है। हम जब उस तरह से समझेंगे तभी भारतीय समाज की पारम्परिक व्यवस्थाओं, तंत्रों, कुशलताओं और आज की अपनी आवश्यकताओं और अपनी क्षमता के अनुसार पुनःस्थापना की रीति भी जान लेंगे और समझ लेंगे।

भारत बहुत विशाल देश है। चार पाँच हज़ार वर्षों में पड़ोसी देश - ब्रह्मदेश, श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, इंड़ोनेशिया, वियतनाम, कम्बोड़िया, मलेशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान आदि के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। भारतीयों का स्वभाव और उनकी मान्यताएँ उन देशों के साथ बहुत मिलती जुलती हैं। सन् १५०० के बाद एशिया पर यूरोप का प्रभाव बढ़ा उसके बाद उन सभी पडोसी देशों के साथ की पारस्परिकता लगभग समाप्त हो गई है। उसे पुन: स्थापित करना ज़रूरी है। इसी प्रकार यूरोप, खासकर इंग्लैण्ड और अमेरिका के साथ तीन सौ चार सौ वर्षों से जो सम्बन्ध बढ़े हैं उनका भी समझ बूझकर फिर से मूल्यांकन करना जरूरी है। यह हमारे लिए और उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा। देशों को बिना जरूरत से एक दूसरे के अधिक निकट लाना अथवा एक देश दूसरे देश की ओर ही देखता रहे यह भविष्य की दृष्टि से भी कष्टदायी साबित हो सकता है।

मकरसंक्राति
१४, जनवरी २००५
पौष शुद ५, युगाब्द ५१०६

धर्मपाल
आश्रम प्रतिष्ठान
सेवाग्राम
जिला वर्धा (महाराष्ट्र)

---

१. यह प्रस्तावना गुजराती अनुवाद के लिये लिखी गई है। हिन्दी अनुवाद के लिये श्री धर्मपालजी की ही सूचना के अनुसार उसे यथावत् रखा है : मूल प्रस्तावना हिन्दी में ही है, गुजराती के लिये उसका अनुवाद किया गया था। - सं.

सम्पादकीय

१.

सन् १९९२ के जनवरी मास में चैन्नई में विद्याभारती का प्रधानाचार्य सम्मेलन था। उस सम्मेलन में श्री धर्मपालजी पधारे थे। उस समय पहली बार The Beautiful Tree के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। दो वर्ष बाद कोईम्बतूर में यह पुस्तक खरीद की और पढ़ी। पढ़कर आश्चर्य और आघात दोनों का अनुभव हुआ। आश्चर्य इस बात का कि हम इतने वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं तो भी इस पुस्तक में निरूपित तथ्यों की लेशमात्र जानकारी हमें नहीं है। आघात इस बात का कि शिक्षा विषयक स्थिति ऐसी दारुण है तो भी हम उस विषय में कुछ कर नहीं रहे हैं। जो चल रहा है उसे सह लेते हैं और उसे स्वीकृत बात ही मान लेते हैं ।

तभी से उस पुस्तक का प्रथम हिन्दी में और बाद में गुजराती में अनुवाद करके अनेकानेक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों तक उसे पहुँचाने का विचार मन में बैठ गया। परन्तु वर्ष के बाद वर्ष बीतते गये। प्रवास की निरन्तरता और अन्यान्य कार्यो में व्यस्तता के कारण मन में स्थित विचार को मूर्त स्वरूप दे पाने का अवसर नहीं आया। इस बीच विद्या भारती विदर्भ ने इसका संक्षिप्त मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। 'भारतीय चित्त, मानस एवं काल', 'भारत का स्वधर्म' जैसी पुस्तिकायें भी पढ़ने में आयीं। अनेक कार्यकर्ता भी इसका अनुवाद होना चाहिये ऐसी बात करते रहे। इस बीच पूजनीय हितरुचि विजय महाराजजी ने गोवा के 'द अदर इंड़िया बुक प्रेस' द्वारा प्रकाशित पांच पुस्तकों का संच दिया और पढ़ने के लिये आग्रह भी किया। इन सभी बातों के निमित्त से अनुवाद भले ही नहीं हुआ परन्तु अनुवाद का विचार मन में जाग्रत ही रहा। उसका निरन्तर पोषण भी होता रहा। चार वर्ष पूर्व मुझे विद्याभारती की राष्ट्रीय विद्वत् परिषद के संयोजक का दायित्व मिला। तब मन में इस अनुवाद के विषय में निश्चय सा हुआ। उस विषय में कुछ ठोस बातें होने लगीं। अन्त में पुनरुत्थान ट्रस्ट इस अनुवाद का प्रकाशन करेगा ऐसा निश्चय युगाब्द ५१०६ की व्यास पूर्णिमा को हुआ। सर्व प्रथम तो यह अनुवाद

हिन्दी में ही होना था। उसके बाद हिन्दी एवं गुजराती दोनों भाषओं में करने का विचार हुआ। परन्तु इस कार्य के व्याप को देखते हुए लगा कि दोनों कार्य एक साथ नहीं हो पायेंगे । एक के बाद एक करने पड़ेंगे।

साथ ही ऐसा भी लगा कि यह केवल प्रकाशन के लिये प्रकाशन, अनुवाद के लिये अनुवाद तो है नहीं। इसका उपयोग विद्वज्ज्ञन करें और हमारे छात्रों तक इन बातों को पहुँचाने की कोई ठोस एवं व्यापक योजना बने इस हेतु से इस सामग्री का भारतीय भाषाओं में होना आवश्यक है। ऐसे ही कार्यों को यदि चालना देनी है तो प्रथम इसका क्षेत्र सीमित करके ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। इस दृष्टिसे प्रथम इसका गुजराती अनुवाद प्रकाशित करना ही अधिक उपयोगी लगा।

निर्णय हुआ और तैयारी प्रारम्भ हुई। सर्व प्रथम श्री धर्मपालजी की अनुमति आवश्यक थी। हम उन्हें जानते थे परन्तु वे हमें नहीं जानते थे। परन्तु हमारे कार्य, हमारी योजना और हमारी तैयारी जब उन्होंने देखी तब उन्होंने अनुमति प्रदान की। साथ ही उन्होंने अपनी और पुस्तकों के विषय में भी बताया। इन सभी पुस्तकों के अनुवाद का सुझाव भी दिया।

हम फिर बैठे। फिर विचार हुआ। अन्त में निर्णय हुआ कि जब कर ही रहे हैं तो काम पूरा ही किया जाय।

इस प्रकार एक से पांच और पांच से ग्यारह पुस्तकों के अनुवाद की योजना आखिर बन गई।

योजना तो बन गई परन्तु आगे का काम बड़ा विस्तृत था। भिन्न भिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित मूल अंग्रेजी पुस्तकें प्राप्त करना, उन्हें पढ़ना, उनमें से चयन करना, अनुवादक निश्चित करना आदि समय लेनेवाला काम था। अनुवादक मिलते गये, कई पक्के अनुवादक खिसकते गये, अनेपक्षित रूप से नये मिलते गये और अन्त में पुस्तक और अनुवादकों की जोड़ी बनकर कार्य प्रारम्भ हुआ और सन २००५ और युगाब्द ५१०६ की वर्ष प्रतिपदा को कार्य सम्पन्न भी हो गया। १६ अप्रैल २००५ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक माननीय सुदर्शनजी एवं स्वयं श्री धर्मपालजी की उपस्थिति में तथा अनेपक्षित रूप से बडी संख्या में उपस्थित श्रोतासमूह के मध्य इन गुजराती पुस्तकों का लोकार्पण हुआ।

प्रकाशन के बाद भी इसे अच्छा प्रतिसाद मिला। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, ग्रन्थालयों में एवं विद्वज्ज्ञनों तक इन पुस्तकों को पहुँचानें में हमें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। साथ ही साथ महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के अध्यापकों एवं

प्रधानाचार्यों के बीच इन पुस्तकों को लेकर गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ।

इसके बाद सभी ओर से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का आग्रह बढने लगा। स्वयं श्री धर्मपालजी भी इस कार्य के लिये प्रेरित करते रहे। अनेक वरिष्ठजन भी पूछताछ करते रहे। अन्त में इन ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन तय हुआ। गुजराती अनुवाद कार्य का अनुभव था इसलिये अनुवादक ढूँढ़ने में इतनी कठिनाई नहीं हुई। सौभाग्य से अच्छे लोग सरलता से मिलते गये और कार्य सम्पन्न होता गया। आज यह आपके सामने है।

इस संच में कुल दस पुस्तकें हैं। (१) भारतीय चित्त, मानस एवं काल (२) १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्रज्ञान (३) भरतीय परम्परा में असहयोग (४) रमणीय वृक्ष : १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा (५) पंचायत राज एवं भारतीय राजनीति तंत्र (६) भारत में गोहत्या का अंग्रेजी मूल (७) भारत की लूट एवं बदनामी (८) गांधी को समझें (९) भारत की परम्परा एवं (१०) भारत का पुनर्बोध। सर्व प्रथम पुस्तक '१८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्रज्ञान' १९७१ में प्रकाशित हुई थी और अन्तिम पुस्तक 'भारत का पुनर्बोध' सन् २००३ में। इनके विषय में तैयारी तो सन् १९६० से ही प्रारम्भ हो गई थी। इस प्रकार यह ग्रंथसमूह चालीस से भी अधिक वर्षों के निरन्तर अध्ययन एवं अनुसन्धान का परिणाम है।

२.

विश्व में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। यह पहचान उसकी जीवनशैली, परम्परा, मान्यताओं, दैनन्दिन व्यवहार आदि के द्वारा निर्मित होती है। उसे ही संस्कृति कहते हैं।

सामान्य रूप से विश्व में दो प्रकार की विचारशैली, व्यवहारशैली दिखती हैं। एक शैली दूसरों को अपने जैसा बनाने की आकांक्षा रखती है। अपने जैसा ही बनाने के लिए यह जबर्दस्ती, शोषण, कत्लेआम आदि करने में भी हिचकिचाती नहीं, यहां तक की ऐसा करने में दूसरा समाप्त हो जाय तो भी उसे परवाह नहीं। दूसरी शैली ऐसी है जो सभी के स्वत्व का समादर करती है, उनके स्वत्व को बनाए रखने में सहायता करती है। ऐसा करने में दोनों एक दूसरे स प्रभावित होती हैं और सहज परिवर्तन होता रहता है फिर भी स्वत्व बना रहता है।

यह तो स्पष्ट है कि इन दोनों में से पहली यूरोपीय अथवा अमेरिकी शैली है तो दूसरी भारतीय। इन दोनों के लिए क्रमश: 'पाश्चात्य' और 'प्राच्य' ऐसी अधिक व्यापक

संज्ञा का प्रयोग हम करते हैं।

यह तो सर्वविदित है कि भारतीय संस्कृति विश्व में अति प्राचीन है। केवल प्राचीन ही नहीं तो समृद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत और विकसित भी है।

परन्तु आज से ५०० वर्ष पूर्व यूरोप ने विस्तार करना शुरू किया। समग्र विश्व में फैल जाने की उसको आकांक्षा थी। विश्व के अन्य देशों के साथ भारत भी उसका लक्ष्य था। इंग्लैण्ड में ईस्ट इंड़िया कम्पनी बनी। वह भारत में आई। समुद्रतटीय प्रदेशों में उसने अपने व्यापारिक केन्द्र बनाए। उन केन्द्रों को किले का नाम और रूप दिया, उनमें सैन्य भी रखा, धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ प्रदेश जीतने और अपने कब्जे में लेने का काम शुरू किया, साथ ही साथ ईसाईकरण भी शुरू किया। सन् १८२० तक लगभग सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के कब्जे में चला गया।

भारत को अपने जैसा बनाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ की सभी व्यवस्थाओं-प्रशासकीय और शासकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यावसायिक, शैक्षणिक और नागरिक को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने नए कायदे कानून बनाए, नई व्यवस्थाएँ बनाईं, संरचनाओं का निर्माण किया, नई सामग्री और नई पद्धति की रचना की और जबरदस्ती से उसका अमल भी किया। यह भी सच है कि उन्होंने भारत में आकर जो कुछ किया उसमें से अधिकांश तो इंग्लैण्डमें अस्तित्व में था। इसके कारण भारत दरिद्र होता गया। भारत में वर्ग संघर्ष पैदा हुए। लोंगो का आत्मसम्मान और गौरव नष्ट हो गया। मौलिकता और सृजनशीलता कुंठित हो गई, मूल्यों का ह्रास हुआ। मानवीयता का स्थान यांत्रिकता ने लिया और सर्वत्र दीनता व्याप्त हो गई। लोग स्वामी के स्थान पर दास बन गए। एक ऐसे विराट, राक्षसी, अमानुषी व्यवस्था के पुर्जे बन गये जिसे वे बिल्कुल मानते नहीं, समझते नहीं और स्वीकार भी करते नहीं थे, क्योंकि यह उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था।

भारत की शिक्षाव्यवस्था की उपेक्षा करते करते उसे नष्ट कर उसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा लागू करने, प्रतिष्ठित करने का कार्य भारत को तोडने की प्रक्रिया में सिरमौर था। क्योंकि यूरोपीय शिक्षाप्राप्त लोगों के विचार, मानस, व्यवहार, दृष्टिकोण सभी कुछ बदलने लगा। उसका परिणाम सर्वाधिक शोचनीय और घातक हुआ। हमें गुलामी रास आने लगी। दैन्य अखरना बन्द हो गया। अंग्रेजों का दास बनने में ही हमें गौरव का अनुभव होने लगा। जो भी यूरोपीय है वह विकसित है, आधुनिक है, श्रेष्ठ है और जो भी अपना है वह निकृष्ट है, हीन है और लज्ज्ञास्पद है, गया बीता है ऐसा हमें लगने लगा। अपनी शिक्षण संस्थाओं में हम यही मानसिकता और यही विचार एक के

बाद एक आनेवाली पीढ़ी को देते गए। इस गुलामी की मानसिकता के आगे अपनी विवेकशील और तेजस्वी बुद्धि भी दब गई। यूरोपीय, या यूरोपीय जैसा बनना ही हमारी आकांक्षा बन गई। देश को वैसा ही बनाने का प्रयास हम करने लगे। अपनी संरचनाएँ, पद्धतियां, संस्थाएँ वैसी ही बन गईं।

गांधीजी १९१५ में दक्षिण अफ्रिका से भारत आए तब भारत ऐसा था। उन्होंने जनमानस को जगाया, उसमें प्राण फूंके, उसकी भावनाओं को अपने वाणी और व्यवहार में अभिव्यक्त कर, भारत के लिए योग्य हज़ारों वर्षों की परम्परा के अनुसार व्यवस्थाओं, गतिविधियों और पद्धतियों को प्रतिष्ठित किया और भारत को फिर से भारत बनाने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के साथ साथ स्वराज को भी लाने के लिए वे जूझे।

परंतु स्वतंत्रता मात्र सत्ता का हस्तान्तरण (Transfer of Power) ही बन कर रह गया। उसके साथ स्वराज नहीं आया। सुराज्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकते।

आज की अपनी सारी अनवस्था का मूल यह है। हम अपनी जीवनशैली चाहते ही नहीं हैं। स्वतंत्र भारत में भी हम यूरोप अमेरिका की ओर मुँह लगाये बेठे हैं। यूरोप के अनुयायी बनना ही हमें अच्छा लगता है।

परन्तु, यह क्या समग्र भारत का सच है ? नहीं, भारत की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या यूरोपीय विचार और शैली जानती भी नहीं और मानती भी नहीं है। उसका उसके साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। उनके रीतिरिवाज, मान्यताएं, पद्धतियां, सब वैसी की वैसी ही हैं। केवल शिक्षित लोग उन्हें पिछड़े और अंधविश्वासी कहकर आलोचना करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और अपने जैसा बनाना चाहते हैं। यही उनकी विकास और आधुनिकताकी कल्पना है।

भारत वस्तुत: तो उन लोगों का बना हुआ है, उन का है। परन्तु जो बीस प्रतिशत लोग हैं वे भारत पर शासन करते हैं। वे ही कायदे-कानून बनाते हैं और न्याय करते हैं, वे ही उद्योग चलाते हैं और कर योजना करते हैं। वे ही पढ़ाते हैं और नौकरी देते हैं, वे ही खानपान, वेशभूषा, भाषा और कला अपनाते हैं (जो यूरोपीय हैं) और उनको विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ के अस्सी प्रतिशत लोगों को वे पराये मानते हैं, बोझ मानते हैं, उनमें सुधार लाना चाहते हैं और वे सुधरते नहीं इसलिए उनकी आलोचना करते हैं। वे लोग स्वयं तो यूरोपीय जैसे बन ही गए हैं, दूसरों को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। वे जैसे कि भारत को यूरोप के हाथों बेचना ही चाहते हैं, जिन लोगों का भारत है वे तो उनकी गिनती में ही नहीं हैं।

इस परिस्थिति को हम यदि बदलना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना होगा -

स्वयं का, अपने इतिहास का और अपने समाज का। भारत को तोड़ने की प्रक्रिया को जानना और समझना पड़ेगा। भारत का भारतीयत्व क्या है, किसमें है, किस प्रकार बना हुआ है यह सब जानना और समझना पड़ेगा। मूल बातों को पहचानना होगा। देश के अस्सी प्रतिशत लोगों का स्वभाव, उनकी आकांक्षाएँ, उनकी व्यवहारशैली को जानना और समझना पड़ेगा। उनका मूल्यांकन पश्चिमी मापदण्डों से नहीं अपितु अपने मापदण्डों से करना पड़ेगा। उसका रक्षण, पोषण और संवर्धन कैसे हो यह देखना पड़ेगा। भारत के लोगों में साहस, सम्मान, आत्मगौरव जाग्रत करना पड़ेगा। भारत के पुनरुत्थान में उनकी बुद्धि, भावना, कर्तृत्वशक्ति और कुशलताओं का उपयोग कर उन्हें सच्चे अर्थ में सहभागी बनाना पड़ेगा। यह सब हमें पाश्चात्य प्रकार की युनिवर्सिटियों से नहीं अपितु सामान्य, 'अशिक्षित', 'अर्धशिक्षित' लोगों से सीखना होगा।

आज भी यूरोप बनने की इच्छा करनेवाला भारत जोरों से प्रयास कर रहा है और कुंठाओं का शिकार बन रहा है। भारतीय भारत उलझ रहा है, छटपटा रहा है, और शोषित हो रहा है। भाग्य केवल इतना है कि क्षीणप्राण होने पर भी भारतीय भारत गतप्राण नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी आशा है - उसे सही अर्थ में स्वाधीन बनाकर समृद्ध और सुसंस्कृत बनाने की।

३.

धर्मपालजी की इन पुस्तकों में इन सभी प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध, विस्तृत निरूपण किया गया है। अंग्रेज भारत में आए उसके बाद उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए किन चालबाजियों को अपनाया, कैसा छल और कपट किया, कितने अत्याचार किए और किस प्रकार धीरे धीरे भारत टूटता गया, किस प्रकार बदलती परिस्थितियों का अवशता से स्वीकार होता गया उसका अभिलेखों के प्रमाणों सहित विवरण इन ग्रंथों में मिलता है। इंग्लैण्ड के और भारत के अभिलेखागारों में बैठकर, रात दिन उसकी नकल उतार लेने का परिश्रम कर धर्मपालजी ने अंग्रेज क्लेक्टरों, गवर्नरों, वाइसरायों ने लिखे पत्रों, सूचनाओं और आदेशों को एकत्रित किया है, उनका अध्ययन कर के निष्कर्ष निकाले हैं और एक अध्ययनशील और विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है ऐसे साहस से स्पष्ट भाषा में हमारे लिये प्रस्तुत किया है। लगभग चालीस वर्ष के अध्ययन और शोध का यह प्रतिफल है।

परन्तु इसके फलस्वरूप हमारे लिए एक बड़ी चुनौती निर्माण होती है, क्योंकि -

- आजकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से यह इतिहास भिन्न

है। हम तो अंग्रेजों द्वारा तैयार किए और कराए गए इतिहास को पढ़ते हैं। यहाँ अंग्रेजों ने ही लिखे लेखों के आधार पर निरूपित इतिहास है।

- विज्ञान और तंत्रज्ञान की जो जानकारी उसमें है वह आज पढ़ाई ही नहीं जाती।
- कृषि, अर्थव्यवस्था, करपद्धति, व्यवसाय, कारीगरी आदि की अत्यंत आश्चर्यकारक जानकारियां उसमें है। भारत को आर्थिक रूप में बेहाल और परावलम्बी बनानेवाला अर्थशास्त्र आज हम पढ़ते हैं। यहाँ दी गई जानकारियों में स्वाधीन भारत को स्वावलम्बन के मार्ग पर चल कर समृद्धि की ओर ले जानेवाले अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों की सामग्री हमें प्राप्त होती है।
- व्यक्ति को किस प्रकार गौरवहीन बनाकर दीनहीन बना दिया जाता है इसका निरूपण है, साथ ही उस संकट से कैसे निकला जा सकता है उसके संकेत भी हैं।
- संस्कृति और समाजव्यवस्था के मानवीय स्वरूप पर किस प्रकार आक्रमण होता है, किस प्रकार उसे यंत्र के अधीन कर दिया जाता है इसका विश्लेषण यहाँ है। साथ ही उसके शिकार बनने से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए दृढता किस प्रकार प्राप्त होती है इसका विचार भी प्राप्त होता है।

यह सब अपने लिए चुनौती इस रूप में है कि आज हम अनेक प्रकार से अज्ञान से ग्रस्त हैं।

हमारा अज्ञान कैसा है ?

- शिक्षण विषय के वरिष्ठ अध्यापक सहजरूप से मानते हैं कि अंग्रेज आए और अपने देश में शिक्षा आई। उन्हें जब यह कहा गया कि १८ वीं शती में भारत में लाखों की संख्या में प्राथमिक विद्यालय थे, और चार सौ की जनसंख्या पर एक विद्यालय था, तो वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जब 'The Beautiful Tree' दिखाया गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ (परन्तु रोमांच अथवा आनन्द नहीं हुआ।)
- शिक्षाधिकारी, शिक्षासचिव, शिक्षा महाविद्यालय के अध्यापक अधिकांशत: इन बातों से अनभिज्ञ हैं। कुछ जानते भी हैं तो यह जानकारी बहुत ही सतही है।

यह अज्ञान सार्वत्रिक है, केवल शिक्षा विषयक ही नहीं अपितु सभी विषयों में है।

इसका अर्थ यह हुआ कि हम स्वयं को ही नहीं जानते, अपने इतिहास को नहीं जानते, स्वयं को हुई हानि को नहीं जानते और अज्ञानियों के स्वर्ग में रहते हैं। यह स्वर्ग भी अपना नहीं है। उस स्वर्ग में भी हम गुलाम हैं और पश्चिममुखापेक्षी, पराधीन बनकर रह रहे हैं।

४.

इस संकट से मुक्त होना है तो मार्ग है अध्ययन का। धर्मपालजी की पुस्तकें अपने पास अध्ययन की सामग्री लेकर आई हैं, हम सो रहे हैं तो हमें जगाने के लिए आई हैं, जाग्रत हैं तो झकझोरने के लिए आई हैं, दुर्बल हैं तो सबल बनाने के लिए आई हैं, क्षीणप्राण हुए हैं तो प्राणवान बनाने के लिए आई हैं।

ये पुस्तकें किसके लिए हैं ?

ये पुस्तकें इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, जिसे आज की भाषा में ह्यूमेनिटीज़ कहते हैं, उसके विद्वानों, चिन्तकों, शोधकों, अध्यापकों और छात्रों के लिए हैं।

ये पुस्तकें भारत को सही मायने में स्वाधीन, समृद्ध, सुसंस्कृत, बुद्धिमान और कर्तृत्ववान बनाने की आकांक्षा रखने वाले बौद्धिकों, सामान्यजनों, संस्थाओं, संगठनों और कार्यकर्ताओं के लिए हैं।

ये पुस्तकें शोध करने वाले विद्वानों और शोधछात्रों के लिए हैं।

प्रश्न यह है कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद क्या करें ?

धर्मपालजी स्वयं कहते हैं कि पढ़कर केवल प्रशंसा के उद्गार, अथवा पुस्तकों की सामग्री एकत्रित करने के परिश्रम के लिए लेखक को शाबाशी देना पर्याप्त नहीं है। उससे अपना संकट दूर नहीं होगा।

आवश्यकता है इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने की, भारत की १८ वीं, १९ वीं शताब्दी से सम्बन्धित दस्तावेजों में से कदाचित पांच सात प्रतिशत का ही अध्ययन इस में हुआ है। अभी भी लन्दन के, भारत की केन्द्र सरकार के तथा राज्यों के अभिलेखागारों में ऐसे असंख्य दस्तावेज अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं। उन सभी का अध्ययन और शोध करने की योजना महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संगठनों और सरकार ने करना आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार इस कार्य के लिए अध्ययन और शोध की स्थानीय और देशी प्रकार की संस्थाएं भी बनाई जा सकती हैं।

इसके लिए ऐसे अध्ययनशील छात्रों की आवश्यकता है। इन छात्रों को मार्गदर्शन तथा संरक्षण प्राप्त हो यह देखना चाहिये।

साथ ही एक साहसपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। विश्वविद्यालयों, और महाविद्यालयों के इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों के अध्ययन मण्डल (बोर्ड ऑफ़ स्टडीज़) और विद्वत् परिषदों (एकेडमिक काउन्सिल) में इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, और पाठ्यक्रमों में इसके आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। युनिवर्सिटी ग्रन्थ निर्माण बोर्ड इसके आधार पर सन्दर्भ पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। ऐसा होगा तभी आनेवाली पीढ़ी को यह जानकारी प्राप्त होगी। यह केवल जानकारी का विषय नहीं है, यह परिवर्तन का आधार भी बनना चाहिए। आवश्यकता पडने पर इसके लिए व्यापक चर्चा जहां सम्भव है ऐसी गोष्ठियों एवं चर्चा सत्रों का आोयजन करना चाहिए।

इसके आधार पर रूपान्तरण कर के जनसामान्य तक ये बातें पहुँचानी चाहिए। कथाएँ, नाटक, चित्र, प्रदर्शनी तैयार कर उस सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। इससे जनसामान्य के मन में स्थित सुषुप्त भावनाओं और अनुभूतियों का यथार्थ प्रतिभाव प्राप्त होगा।

माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले किशोर और बाल छात्रों के लिए उपयोगी वाचनसामग्री इसके आधर पर तैयार की जा सकती है।

ऐसा एक प्रबल बौद्धिक जनमत तैयार करने की आवश्यकता है जो इसके आधार पर संस्थाएँ निर्माण करे, चलाये, व्यवस्था का निर्माण करे। या तो सरकार के या सार्वजनिक स्तर पर व्यवस्था बदलने की, और नहीं तो सभी व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण से मुक्त कर जनसामान्यके अधीन करने की अनिवार्यता निर्माण करे। सच्चा लोकतंत्र तो यही होगा।

बन्धन और जकड़न से जन सामान्य की बुद्धि को मुक्त करनेवाली, लोगों के मानस, कौशल, उत्साह और मौलिकता को मार्ग देने वाली, उनमें आत्मविश्वास का निर्माण करनेवाली और उनके आधार पर देश को फिर से उठाया और खड़ा किया जा सके इस हेतु उसका स्वत्व और सामर्थ्य जगानेवाली व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है।

इन पुस्तकों के प्रकाशन का यह प्रयोजन है।

५.

श्री धर्मपालजी गांधीयुग में जन्मे, पले। गांधीयुग के आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया, रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया, मीराबहन के साथ बापूग्राम के निर्माण में वे सहभागी बने।

महात्मा गांधी के देशव्यापी ही नहीं, तो विश्वव्यापी प्रभाव के बाद भी गांधीजी के अतिनिकट के, अतिविश्वसनीय, गांधीभक्त कहे जाने वाले लोग भी उन्हें नहीं समझ सके, कुछ ने तो उन्हें समझने का प्रयास भी नहीं किया, कुछ ने उन्हें समझा फिर भी उन्हें दरकिनार कर सत्ता का स्वीकार कर भारत को यूरोप के तंत्रानुरूप ही चलाया। उन नेताओं के जैसे ही विचार के लगभग दो चार लाख लोग १९४७ में भारत में थे (आज उनकी संख्या शायद पाँच दस करोड़ हो गई है)। यह स्थिति देखकर उनके मन में जो मंथन जागा उसने उन्हें इस अध्ययन के लिये प्रेरित किया। लन्दन के और भारत के अभिलेखागारों में से उन्होंने असंख्य दस्तावेज एकत्रित किए, पढ़े, उनका अध्ययन किया, विश्लेषण किया और १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दी के भारत का यथार्थ चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जीवन के पचास साठ वर्ष वे इस साधना में रत रहे।

ये पुस्तकें मूल अंग्रेजी में हैं। उनका व्यापक अध्ययन होने के लिए ये भारतीय भाषाओं में हों यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। कुछ लेख हिन्दी में हैं और 'जनसत्ता' आदि दैनिक में और 'मंथन' आदि सामयिकों में प्रकाशित हुए हैं । मराठी, तेलुगु, कन्नड आदि भाषाओं में कुछ अनुवाद भी हुआ है परन्तु संपूर्ण और समग्र प्रयास तो गुजराती में ही प्रथम हुआ है। और अब हिन्दी में हो रहा है।

इस व्यापक शैक्षिक प्रयास का यह अनुवाद एक प्रथम चरण है।

६.

इस ग्रन्थ श्रेणी में विविध विषय हैं। इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान है; शासन और प्रशासन है; लोकव्यवहार और राज्य व्यवहार है; कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र भी है। इसमें भारत, इंग्लैंड़ और अमेरिका है। परन्तु सभी का केन्द्रबिन्दु हैं गांधीजी, कोंग्रेस, सर्वसामान्य प्रजा और ब्रिटिश शासन।

और उनके भी केन्द्र में है भारत।

अत: एक ही विषय विभिन्न रूपों में, विभिन्न संदर्भो के साथ चर्चा में आता रहता है। और फिर विभिन्न समय में, विभिन्न स्थान पर, भिन्न भिन्न प्रकार के श्रोताओं के सम्मुख और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के लिये भाषण और लेख भी यहां समाविष्ट हैं। अत: एक साथ पढ़ने पर उसमें पुनरावृत्ति दिखाई देती है-विचारोंकी, घटनाओं की, दृष्टान्तों की। सम्पादन करते समय पुनरावृत्ति को यथासम्भव कम करने का प्रयास किया है। इसीके परिणाम स्वरुप गुजराती प्रकाशन में ११ पुस्तकें थीं और हिन्दी में १० हुई हैं। परंतु विषय प्रतिपादन की आवश्यकता देखते हुए पुनरावृत्ति कम करना हमेशा संभव नहीं हुआ है।

फिर, सर्वथा पुनरावृत्ति दूर कर उसे नये ढ़ंग से पुनर्व्यवस्थित करना तो वेदव्यास

का कार्य हुआ। हमारे जैसे अल्प क्षमतावान लोगों के लिये यह अधिकारक्षेत्र के बाहर का कार्य है।

अत: सुधी पाठकों के नीरक्षीर विवेक पर भरोसा करके सामग्री यथातथ स्वरूप में ही प्रस्तुत की है।

यहां दो प्रकार की सामग्री है। एक है प्रस्तुत विषय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित यूरोप के अधिकारियों और बौद्धिकोंने प्रत्यक्षदर्शी प्रमाणों एवं स्वानुभव के आधार पर, विभिन्न प्रयोजन से प्रेरित होकर प्रस्तुत की हुई भारत विषयक जानकारी, और दूसरी है धर्मपालजीने इस सामग्री का किया हुआ विश्लेषण, उससे प्राप्त निष्कर्ष और उससे प्रकाशित ब्रिटिशरों के कार्यकलापों का, कारनामों का अन्तरंग।

इसमें प्रयुक्त भाषा दो सौ वर्ष पूर्व की अंग्रेजी भाषा है, सरकारी तंत्र की है, गैर साहित्यिक अफसरों की है, उन्होंने भारत को जैसा जाना और समझा वैसा उसका निरूपण करनेवाली है। और धर्मपालजी की स्वयं की भाषा भी उससे पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है।

फलत: पढ़ते समय कहीं कहीं अनावश्यक रूप से लम्बी खींचनेवाली शैली का अनुभव आता है तो आश्चर्य नहीं।

और एक बात।

अंग्रेजो ने भारत के विषय में जो लिखा वह हमारे मन मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गया है कि उससे अलग अथवा उससे विपरीत कुछ भी लिखे जाने पर कोई उसे मानेगा ही नहीं यह भी सम्भव है। इसलिए यहाँ छोटी से छोटी बात का भी पूरा पूरा प्रमाण देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इतिहास लेखन का तो यह सूत्र ही है कि नामूलं लिख्यते किञ्चित् – बिना प्रमाण तो कुछ भी लिखा ही नहीं जाता। परिणामतः यहाँ शैली आज की भाषा में कहा जाए तो सरकारी छापवाली और पांडित्यपूर्ण है, शोध करनेवाले अध्येता की है।

प्रमाणों के विषयमें तो आज भी स्थिति यह है कि इसमें ब्रिटिशरों के स्वयं के द्वारा दिये गये प्रमाण हैं इसलिये पाठकों को मानना ही पडेगा इस विषय में हम आश्वस्त रह सकते हैं। (आज भी उसका तो इलाज करना जरूरी है।)

साथ ही, पाठकों का एक वर्ग ऐसा है जो भारत के विषय में भावात्मक, या भक्तिभाव पूर्ण बातें पढ़ने का आदी है, अथवा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, अर्थात् अमेरिका के दृष्टिकोण से लिखा गया विचार पढ़ने का आदी है। इस परिप्रेक्ष्य में विषय सम्बन्धी पारदर्शी, ठोस, तर्कनिष्ठ प्रस्तुति हमें इस ग्रंथवाली में प्राप्त है। अनेक विषयों

में अनेक प्रकार से हमें बुद्धिनिष्ठ होने की आवश्यकता है इसकी प्रतीति भी हमें इसमें होती है।

७.

अनुवादकों तथा जिन जिन लोगों ने ये पुस्तकें मूल अंग्रेजी में पढ़ी हैं अथवा अनुवाद के विषय में जाना है उन सभी का सामान्य प्रतिभाव है कि इस काम में बहुत विलम्ब हुआ है। यह बहुत पहले होना चाहिये था। अर्थात् सभी को यह कार्य अतिमहत्त्वपूर्ण लगा है। सभी पाठकों को भी ऐसा ही लगेगा ऐसा विश्वास है।

अनुवाद का यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। एक तो दो सौ वर्ष पूर्व की अंग्रेज अधिकारियों की भाषा, फिर भारतीय परिवेश और परिप्रेक्ष्य को अंग्रेजीं में उतारने और अपने तरीके से कहने के आयास को व्यक्त करने वाली भाषा और उसके ही रंग में रंगी श्री धर्मपालजी की भी कुछ जटिल शैली पाठक और अनुवादक दोनों की परीक्षा लेनेवाली है।

साथ ही यह भी सच है कि यह उपन्यास नहीं है, गम्भीर वाचन है।

संक्षेप में कहा जाय तो यह १८ वीं और १९ वीं शताब्दी का दो सौ वर्ष का भारत का केवल राजकीय नहीं अपितु सांस्कृतिक इतिहास है ।

८.

इस ग्रंथावलि के गुजराती अनुवाद कार्य के श्री धर्मपालजी साक्षी रहे। उसका हिन्दी अनुवाद चल रहा था तब वे समय समय पर पृच्छा करते रहे। परन्तु अचानक ही दि. २४ अक्टूबर २००६ को उनका स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास के आठ दिन पूर्व तो उनके साथ बात हुई थी। आज हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के अवसर पर वे अपने बीच में विद्यमान नहीं हैं। उनकी स्मृति को अभिवादन करके ही यह कार्य सम्पन्न हो रहा है।

९.

इस ग्रंथावलि के प्रकाशन में अनेकानेक व्यक्तियों का सहयोग एवं प्रेरणा रहे हैं। उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हमारा सुखद कर्तव्य है।

अनेकानेक कार्यकर्ता एवं विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकार्यवाह माननीय सुरेशजी सोनी की प्रेरणा, मार्गदर्शन, आग्रह एवं सहयोग के कारण से ही इस ग्रंथावलि का प्रकाशन सम्भव हुआ है। अत: प्रथमत: हम उनके आभारी हैं।

सभी अनुवादकों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी समय सीमा में अनुवाद कार्य पूर्ण किया तभी समय से प्रकाशन सम्भव हो पाया। उनके परिश्रम के लिये हम उनके आभारी हैं।

यह ग्रंथावलि गुजरात में प्रकाशित हो रही है। इसकी भाषा हिन्दी है। हिन्दी भाषी लोगों पर भी गुजराती का प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसका परिष्कार करने के लिये हमें हिन्दीभाषी क्षेत्र के व्यक्तियों की आवश्यकता थी। जोधपुर के श्री भूपालजी और इन्दौर के श्री अरविंद जावडेकरजी ने इन पुस्तकों को साद्यन्त पढ़कर परिष्कार किया इसलिये हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

अच्छे मुद्रण के लिये साधना मुद्रणालय ट्रस्ट के श्री भरतभाई पटेल और श्री धर्मेश पटेल ने भी जो परिश्रम किया है इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

'पुनरुत्थान' के सभी कार्यकर्ता तो तनमन से इसमें लगे ही हैं। इन सभी के सहयोग से ही इस ग्रन्थावलि का प्रकाशन हो रहा है।

१०.

सुधी पाठक देश की वर्तमान समस्याओं के निराकरण की दिशा में विचार विमर्श करते समय, नई पीढ़ी को इस देश के इतिहास में अंग्रेजों की भूमिका का सही आकलन करना सिखाते समय इस ग्रंथावलि की सामग्री का उपयोग कर सकेंगे तो हमारा यह प्रयास सार्थक होगा।

साथ ही निवेदन है कि इस ग्रंथावलि में अनुवाद या मुद्रण के दोषों की ओर हमारा ध्यान अवश्य आकर्षित करें। हम उनके बहुत आभारी होंगे।

इति शुभम् ।

सम्पादक

वसन्त पंचमी
युगाब्द ५१०८
२३, जनवरी २००७

विभाग १
विश्लेषण

१. विषय प्रवेश
२. विवरण

१. विषय प्रवेश

परम्परागत रूप से भारतीयों का राजसत्ता अथवा सरकार के प्रति सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से कैसा भाव होता है ? कुछ अपवादों को छोडकर भारत के लोग विनम्र, ढीले और सरल होते हैं। कोई बालक अपने माता पिता की ओर देखता है उस तरह वे सरकार की ओर देखते हैं। भारतीय इतिहास की पाठ्यपुस्तकें ऐसे ही उदाहरणों से भरी पडी हैं।

यद्यपि विगत अर्धशतक में नम्रता और सरलता की इस छवि के सत्य होने के प्रमाण नहीं मिलते। बहुतों को तो वास्तव में उस कथित परिवर्तन को देखकर दुःख होता है, किन्तु उस परिवर्तन को स्वीकारें या उसकी निन्दा करें, वे इस परिवर्तन के लिए यूरोप के भावशून्य विचारों के प्रसार और भारत के आम जीवन में महात्मा गांधी की भूमिका को कारण मानते हैं। उनके मतानुसार, भारत के लोगों को महात्मा गांधी अथवा यूरोप के प्रभाव से दूर रखा होता तो वे पहले जैसे ही सरल और नम्र बने रहते।

२०वीं शताब्दी में सरकार के अन्याय, निर्दयता और क्रूरता का भारतीयों का विरोध दो प्रकार से व्यक्त हुआ है। एक तो अनेक शस्त्रों की सहायता से और दूसरा निःशस्त्र। सशस्त्र विरोध कुछ व्यक्तियों अथवा अत्यधिक अनुशासित कार्यकर्ताओं के छोटे समूहों तक ही सीमित है। अरविंद, सावरकर, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद जैसे कुछ क्रांतिकारी उनके समय में ऐसे सशस्त्र विरोध के साक्षात प्रतीक रहे हैं। निःशस्त्र विरोध और प्रतिकार असहयोग, सविनय कानूनभंग और सत्याग्रह के नाम से भलीभांति परिचित है। इस दूसरे प्रकार के विरोध का मूल २०वीं शताब्दी में दिखाई देता है और उसका श्रेय महात्मा गांधी को प्राप्त है।

मुख्यतः, असहयोग और सविनय कानूनभंग के मूल के संबंध में दो मत दिखाई देते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि गांधीजी ने इन शस्त्रों का उपयोग पहले दक्षिण अफ्रिका में और फिर भारत में किया। विद्वानों के एक समूह के अनुसार, गांधीजी को इन हथियारों की प्रेरणा थोरो, टोलस्टोय, रस्किन से मिली। जब कि दूसरे समूह के

अनुसार असहयोग और सविनय कानूनभंग गांधीजी की स्वयं की खोज थी। यह उनकी सृजनशील प्रतिभा तथा उच्च आध्यात्मिकता का परिणाम था।

महात्मा गांधी के सविनय कानूनभंग के यूरोपीय अथवा अमेरिकी उद्‌भव के संबंध में अनेक निवेदन हुए हैं। एक विद्वान के मतानुसार, सरकार की अन्यायपूर्ण सत्ता के विरुद्ध प्रतिकार के कर्तव्य का स्वनिवेदन थोरो के निबन्ध 'रेजिस्टेन्स टु सिविल गवर्नमेन्ट' : Resistence to Civil Government में मिलता है। यह निबंध भारत की सविनय कानूनभंग की क्रांति का आधार बना था।[१] एक आधुनिक लेखक के मतानुसार गांधीजी को थोरो से असहयोग और रस्किन से सहयोग की प्रेरणा मिली थी।[२] एक अन्य लेखक के मतानुसार गांधीजी थोरो, विलियम लॉयड गेरिसन और टॉलस्टॉय से प्राप्त हुए पाठ को क्रियान्वित करने के लिए सीली के साथ सहमत हुए थे।' पाठ यह था कि यदि ब्रिटिश सत्ता को प्राप्त भारतीयों का सहयोग वापस खींच लिया जायेगा तो उनकी सत्ता का पतन होगा।[३]

दूसरे मत के प्रचारकों की संख्या भी कम नहीं थी। उसमें अनेकों विद्वान गांधीजी की प्रेरणा को प्रह्लाद अथवा अन्य प्राचीन महानुभावों के उदाहरणो में देखते हैं। आर.आर. दिवाकर के अनुसार प्रह्लाद, सोक्रेटिस आदि से प्रेरणा लेकर गांधीजी ने नित्यप्रति की समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक, अर्ध धार्मिक सिद्धान्त अपनाया और उस प्रकार दुष्टता और अन्याय के विरुद्ध अहिंसक रूप से लडने के लिए लोगों को एक नया शस्त्र दिया। धरना, हडताल और देशत्याग (तमाम सम्पत्ति के साथ जमीन छोड देना) की भारतीय परंपरा का ध्यान रखते हुए दिवाकर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनकी मुख्य चिन्ता समुदाय अथवा समूह की नहीं, अपितु व्यक्तियों की और सांसारिक जीवन की थी। और दिवाकर बताते हैं कि भारत के इतिहास में आधुनिक हडताल जैसी दीर्घ समय तक चलनेवाली हडताल का कोई उदाहरण नहीं है।[४] महात्मा गांधी के राजकीय दर्शन के एक विश्लेषक के मतानुसर, असहयोगपूर्ण प्रतिकार की गांधीजी की पद्धति मानवीय स्वतंत्रता पर आक्रमण के प्रतिकार के लिए हुई सामूहिक क्रांति के इतिहास में नई थी।[५] महात्मा गांधी के अन्य एक हाल ही के विद्यार्थी के अनुसार, गांधीजी की असहयोग एवं सविनय कानूनभंग की पद्धति सहज रूप से विकसित हुई थी। उनके सामाजिक जीवन में यह व्यावहारिक दर्शन था।[६]

थोरो के उपर्युक्त निबंध 'ऑन द ड्युटी ऑफ सिविल डिसओबिडियन्स' On the Duty of Civil Disobedience संबंधी एक अद्यतन प्रस्तावना में इन दोनों मंतव्यो को सम्मिलित किया गया है। इस प्रस्तावना के लेखक लिखते हैं :

'सविनय कानूनभंग संबंधी थोरो का निबंध असिंहक आंदोलन के विकास में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है। थोरो से पूर्व के समय में, दुष्ट दुनिया में अपनी सही मान्यता पर अडिग रहना चाहनेवाले व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा अधिकांशतः यह सविनय कानूनभंग का अमल होता था, किन्तु राजकीय अथवा सामाजिक परिवर्तन के लिए सविनय कानूनभंग का बहुत कम अथवा नहीं के बराबर विचार हुआ था। ६० वर्ष बाद, महात्मा गांधी के लिये सविनय कानूनभंग राजकीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक क्रांति का एक साधन बन गया था। उस समय भले ही थोरो के इस विचार के प्रति असहमति रही हो अथवा उसे मान्यता न मिली हो, लेकिन थोरो ने इन दो हेतुओं के बीच के संक्रमण में सहायता की यह सत्य है।'

काका कालेलकर[८] और आर. पेयने[९] आदि अन्य लेखक भले ही गांधीजी के असहयोग तथा सविनय कानूनभंग के शस्त्रों का भारत की प्राचीनता के साथ कुछ संबंध होना मानते हों, किन्तु कालेलकर को लगता है कि, यह महात्मा गांधी का विश्व समुदाय को दिया गया अद्वितीय प्रदान था। यद्यपि कालेलकर को लगता है कि गांधीजी के वतन सौराष्ट्र में त्रागा, धरना और बहारवटिया आदि बातें अमल में थीं और सम्भवतः उनका प्रभाव गांधीजी पर रहा हो।

प्राचीन भारतीय राजनीति तथा राजाओं के कर्तव्य तथा उनके अधिकारों पर हुए नवीन कार्य भी भारत के लोगों की सरलता के विचार के साथ असहमति का स्वर निकालते दिखाई देते हैं। अधिकांश मानते हैं कि, राजा का अर्थ होता है, जो खुश रखता है वह। राजा का प्रत्येक अधिकार कर्तव्य से ही आता था। यह कर्तव्य पूरा न करने पर वह अधिकार से वंचित रहता था। महाभारत का एक श्लोक जो अनेक बार उद्धृत किया जाता है, स्पष्ट कहता है,

'लोगों को एकत्रित होकर ऐसे क्रूर राजा को मार देना चाहिए जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता। जो कर वसूलता है और प्रजा की सम्पत्ति लूटता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। ऐसा राजा कलि का अवतार है। 'मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा' ऐसी घोषणा करने के बाद जो राजा उसकी प्रजा का रक्षण नहीं करता उसे, जैसे पागल कुत्ते को मार दिया जाता है, उसी प्रकार लोगों ने संघ बनाकर मार देना चाहिए।'[११]

प्राचीन समय में अथवा तुर्क या मुगलकाल में राजाप्रजा का जो भी संबंध रहा हो, जेम्स मिल के मतानुसार, सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा अठाहवीं शताब्दी में, भारत में राजा को उसकी प्रजा भययुक्त आदर देती थी।[१२] और गांधीजी भी मानते

थे कि, अपने नियम खराब हों या अच्छे उनका पालन करना ही चाहिए, ऐसी एक नई विचारधारा थी। ऐसा पहले के समय में कभी भी नहीं था। लोग नापसंद कानून नहीं मानते थे।[१३] शांतिपूर्ण प्रतिकार के विचार पर सूक्ष्म अवलोकन करते हुए गांधीजी ने कहा था,

’वास्तविकता यह है कि भारत में जीवन के तमाम क्षेत्रों में शांतिपूर्ण प्रतिकार होता रहा है। जब अपने शासक हमें नाखुश करते हैं तब हम उन्हें सहयोग देना बंद कर देते हैं। यह शांतिपूर्ण अथवा परोक्ष प्रतिकार है।[१४]

ऐसे असहयोग का स्वयं का प्रचलित उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा,

‘एक छोटे से राज्य में राजा के किसी आदेश से ग्रामवासी अन्याय की भावना का अनुभव करते थे। उस कारण से ग्रामवासी गाँव खाली करके जाने लगे। राजा हताश हो गया। उसने प्रजा से माफी मांगी और आदेश वापस ले लिया। भारत में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलेगें।[१५]

उसका उल्लेख आवश्यक नहीं कि सविनय कानूनभंग की गांधीजी की खोज मात्र उनके स्वयं में से ही उदभूत हुई है। यूरोप और अमेरिका में वकालत के उनके ज्ञान ने उन्हे बहुत शक्ति प्रदान की ऐसी संभावना है। किन्तु असहयोग और सविनय कानूनभंग भारत की ऐतिहासिक परम्परा होने के कारण से ही उनके नेतृत्व में अधिकांशतः उसका व्यापक प्रयोग किया जा सका।

ऐसा लगता है कि भारत के परंपरागत इतिहासकारों की अपेक्षा अधिक महात्मा गांधी तथा मिल को भारत में प्रवर्तमान राजा प्रजा के बीच के संबंध की सही जानकारी थी। भारत के इतिहास में बहुत पीछे गए बिना अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी से संबंधित भारत और ब्रिटन के सूत्रों एवं सामग्री की सुव्यवस्थित खोज से महात्मा गाँधी और मिल के मंतव्य की सच्चाई के पर्याप्त प्रमाण मिल सकते हैं। उससे ये भी संकेत मिलते हैं कि सरकार के दमनकारी और अत्याचारी कदम के सामने भारतीयों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सविनय कानूनभंग और असहयोग की पद्धतियाँ प्रमुख थीं। सनदी अन्वेषण से भी सविनय कानूनभंग तथा असहयोग के अनेकों उदाहरण मुखर रूप से बाहर आते हैं। ब्रिटेन के शासन में हुए पत्रव्यवहार में विशेष रूप से अधोरेखांकित किया गया है। उदाः नवम्बर १८८० के ब्रिटिश गर्वनर और कौन्सिल मद्रास (अब चेन्नई) के बीच हुई कार्यवाही में ब्रिटिश शासकों के तानाशाही कदम के विरुद्ध मद्रास पटनम शहर में क्रांतिकारियों ने जो प्रतिकार किया उसको इस प्रकार लिखा गया है :

'शहर में जनता की एक जाति ने अनेक पत्र लिखे, फिर चित्रकार एवं अन्य सेन्ट टॉमस के पास एकत्रित हुए। पत्र जिन्हें लिखे गए उनमें कम्पनी में नौकरी करने वाले दुभाषियों जैसे अनेको को जो उनके समर्थन में बाहर नहीं आए, हत्या की धमकी दी गई थी। फिर उन्होने बैलों पर से कपडा फेंफ कर, दरी बिछाकर उन पर शहर में आने वाला सामान धूल में मिलाकर शहर में उन सभी चीजों का आना बंद कर दिया। फिर समग्र शहर को पेट्टा वेंकटाद्रि द्वारा पर ढोल नगाडे बजा बजा कर सूचना दी गई जिसमें चेनपटनम उर्फ मद्रास पटनम् में अनाज अथवा लकडी लाने पर मनाही की गई थी। जो लोग हमारे लिए चूल्हा जलाते थे उनके घर का बहिष्कार किया जाता और उन्हें चूल्हा जलाने के लिए अथवा उसके लिए चंदा एकत्र करने पर मनाही की गई थी।[१६]'

यह झगडा कुछ समय तक चला। ब्रिटिशरों ने काले पुर्तगालियों (ब्लैक पोर्टुगीझ - Block Portuguese) के अधिकदल की भर्ती की और कम विरोधी और अधिक विरोधी समूहों को एक दूसरे के सामने कर दिया। विरोधियों के पत्नी, बच्चों आदि की गिरफ्तारी की और विरोधियों से प्रमुख सौ जितने लोगों को भयानक सजा की धमकी दी। अंत में यह झगडा कुछ समझौते के बाद समाप्त हुआ।

उसके बहुत समय बाद १८३०-३१ में कनारा (कर्नाटक) में एक आंदोलन की घटना हुई। जिले के सहायक समाहर्ता ने लिखा :

'यहाँ परिस्थिति बिगडी जा रही है। पिछले कुछ दिनों तक लोग शांत थे। दिन प्रतिदिन उनके एकत्र होने का क्रम बढता जा रहा है। कल पैनूर में लगभग ११,००० लोग एकत्रित हो गए थे। लगभग एक घण्टा पूर्व ३०० लोग यहाँ आए थे, वे तहसीलदार की कचहरी में प्रविष्ट हुए और एक भी पैसा न देने की प्रतिबद्धता उन्होंने व्यक्त की, और कहा कि उन्हें दण्ड से पूर्ण माफी चाहिए। तहसीलदार ने उन्हें कहा कि जमा बंदी हल्की है और उन की फसल अच्छी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उस के बारे में कोई शिकायत नहीं है, उन्हें सरकार से शिकायत है कि उनपर कार्य, स्टेम्प नियंत्रण, नमक और तम्बाकू का एकाधिकार लगाया गया है उसे वापस लेना चाहिए।'[१७]

तदसीलदार को दी हुई सूचना के संदर्भ में सहायक समाहर्ता ने लिखा :

'मैंने उन्हें सभी लोगों को सूचना देने के लिए कहा है कि उनका प्रतिदिन इकट्ठा होना रोका जाए और सम्भव हो तो विभिन्न तालुकों में वितरित किए जाने वाले उत्तेजक पत्रों को भी रोका जाए।'[१८]

उसने आगे लिखा :

'किसानों ने कहा कि उन सभी को 'सजा' नहीं दी जा सकती। एक षडयंत्रकारी ने एक मोगनी को बहिष्कृत कर दिया क्यों कि उसने किस्त चुकाना शुरू किया। वरुर तक रोष फैल गया है और कुंदापुर में भी शीघ्र ही फैल जाएगा। असंतोष सरकार के विरुद्ध है, भारी जमाबंदी के विरुद्ध नहीं। मैं मानता हूँ कि रोष की ज्वाला को शांत करने के लिए शीघ्र उपाय करने चाहिए, किन्तु उस जिले में एक भी कुली उपलब्ध नहीं है। कल तहसीलदार को भी यहाँ आने में बहुत कठिनाई का अनुभव हुआ।'[१९]

बहुत से स्थानों पर उस विरोध ने हिंसक रूप लिया। जिसको हिंसा कहा गया वह त्रागा, कूर आदि का अवलम्बन था। उसे लोगों ने विरोध के साधन के रूप में अपनाया था। वस्तुतः जिस घटना को लेकर लोग हिंसा पर उतर आते थे, वह लगभग सरकार के आंतक का प्रतिकार था। जैसे कि महाराष्ट्र में १८२० से ४० के समय में विभिन्न प्रकार के 'बंद' हुए थे।[२०] (किस अवसर पर लोगों ने आतंक की प्रतिक्रिया हिंसक बनकर दी यह स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है।)

समग्रतया, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध कानूनभंग के अभियान, जिसमें से एक को इस पुस्तक में दस्तावेज के रूपमें निरूपित किया गया है, सफल नहीं रहा। इसके अनेक कारण होने चाहिए। अंशतः ऐसे विरोधों की प्रभावक्षमता शासकों ओर शासितों के बीच मूल्यों की समानता के ऊपर आधारित होती है। भारतीय शासकों के स्थान पर ब्रिटिश शासन करने लगे (फिर वह कानून के अनुसार हो अथवा पर्दे के पीछे) तभी से मूल्यों की ऐसी समानता नष्ट हो गई। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटीश शासकों की नैतिक अथवा मानसिक दुनिया शासितों की दुनिया से सर्वथा विपरीत थी। ब्रिटिश शासन स्थापित होने तक प्रवर्तित 'दमन के विरुद्ध विद्रोह' को जेम्स मिल 'सामान्य चलन' कहता है वह क्रमशः 'सत्ता के समक्ष बिनाशर्त शरणागति' में परिवर्तित होता गया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गोपालकृष्ण गोखले के अनुसार 'ऐसा लगता था कि लोग केवल आज्ञा पालन करने के लिए ही जीते थे'।[२२]

२.

आगे बढने से पहले, अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत का शासन जिस प्रकार गठित हुआ उसका संक्षिप्त संदर्भ देना उपयोगी होगा।

प्रचलित अभिप्राय से विरुद्ध १७८४ के बाद (यदि उससे पूर्व नहीं है तो) इस्ट इन्डिया कम्पनी ने भारत संबंधी इंग्लेन्ड में होने वाले निर्णयो में शायद ही कोई बडी भूमिका निभाई थी। बहुत से किस्सों में, भारत के लिए १७८४ के बाद से अति महत्त्वपूर्ण विस्तृत सूचनाओं का प्रथम मसौदा तैयार करने की जवाबदारी बोर्ड ऑव् कमिश्नर्स की हो गई। यह बोर्ड ब्रिटिश संसद में कानून पारित कर बनाया गया था। यह सरकार के सदस्यों द्वारा निर्मित था। यह बोर्ड १८५८ तक सावधानी से जवाबदारी निभाता रहा। १८५८ में इतना ही परिवर्तन आया कि कम्पनी की बाबूगीरी प्रकार की भूमिका का भी अन्त हो गया और उसका काम अब भारत के लिये राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑव् स्टेट फॉर इण्डिया) के विभाग को हस्तान्तरित किया गया।

बंगाल राज्य में ब्रिटिश प्रशासन तंत्र का सर्वोच्च प्रमुख गवर्नर जनरल इन काउन्सिल था जो सरकार के अनेक विभागों की सहायता से काम करता था। १७५० में उसकी रचना भारत के लिए बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की सूचना के आधार पर की गई थी। रहस्य, राजकीय, सेना, लोक, कर और न्यायिक विभाग ये सभी प्रमुख विभाग थे, जिनका संचालन फोर्ट विलियम (अर्थात् कोलकता) से होता था। (प्रमुख के रूप में काम करनेवाले कमान्डर इन चीफ गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में) गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की बैठक सप्ताह में एक निश्चित दिन किसी निश्चित विभाग की कार्यवाही के लिए होती थी और बेठक में उपस्थित उन विभागों के सचिव के द्वारा संबंधित संस्था को बैठक में लिए गए निर्णयों तथा आदेशों की जानकारी दी जाती थी। और वह सचिव उसका रेकॉर्ड रखता था। उन विभागों के अतिरिक्त, १७८५ में सूचनाओं द्वारा गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के सहायक ऐसे अनेक बोर्ड की रचना की गई थी। सामान्य रूप से इन सभी संस्थाओं का प्रमुख काउन्सिल का एक सदस्य रहता था जो सरकार की अनेक व्यापक गतिविधियों का निदेशन और निरीक्षण करता था। उप संस्थाओ में मिलिट्री बोर्ड और बोर्ड ऑव् रेवेन्यू (क्रमशः सेना और राजस्व विभाग) अधिक महत्त्वपूर्ण थे। (ऐसी ही व्यवस्था १७८५ में चेन्नाई और बॉम्बे राज्य में भी बनाई गई।)

उस समय (बंगाल, बिहार, बनारस आदि में) जिला समाहर्ता का कार्य मुख्य रूप से राजस्व लगाने और वसूलने से संबंधित ही था। जब कि पुलिस निरीक्षण (सुपरिन्टेन्डन्ट्स ऑफ पुलिस) तथा कानून और व्यवस्था के निश्चित कार्य जिला न्यायाधीश के रूप में पहचाने जाने वाले एक अलग अधिकारी के पास थे। सामान्य रूप से, समाहर्ता को बोर्ड ऑव् रेवेन्यू सूचना देता था तथा पत्र व्यवहार करता था ।

दूसरी और, न्यायाधीश को गर्वनर जनरल इन कॉउन्सिल के न्यायिक विभाग द्वारा सूचना तथा पत्र प्राप्त होते थे। समाहर्ता तथा न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर अपने संबंधित कार्य में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च थे। यद्यपि, सर्वोच्च राज्य सत्ता के साथ संबंधित रहने के प्रकार के आधार पर ऐसा लगता है कि उस समय न्यायाधीश समाहर्ता से कुछ अधिक सत्ता का उपभोग करते थे। बनारस और संभवतः अन्य जिलों में दो अन्य स्वतंत्र और उच्च सत्ताएँ थीं। कोर्ट ऑव् अपील और सर्किट तथा सेना संस्था। उनके आपसी संबंध और अनेक अभिगमों में निहित भेद इस पुस्तक में समाविष्ट अभिलेखों में स्पष्ट दिखाई देते हैं।

विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच हुए पत्रव्यवहार से सम्बन्धित अभिलेख इस पुस्तक में दिए गए हैं। ये बनारस, पटना, सरन, मुर्शिदाबाद तथा भागलपुर में १८१० और ११ में लोगों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध चलाए गये नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जो आज अधिकांश भूले जा चुके हैं, निरूपण हैं। आज वे लगभग भुलाए गए हैं। समाविष्ट किए गए सभी अभिलेख गांधीजी के पहले के असहयोग तथा नागरिक अवज्ञा के आंदोलन के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इसी कारण से यहां उनकी विस्तार से चर्चा की गई है।

१८१० में इग्लैंण्ड की सत्ता की सूचना पर बंगाल (फोर्ट विलियम) की सरकार ने बंगाल, बिहार, उडीसा, बनारस के प्रांतो में नए कर लादने का निर्णय किया और प्रदेशों को जप्त किया अथवा उन्हें अपने शासन में सम्मिलित कर दिया। (ये प्रदेश आज उत्तर प्रदेश के भाग हैं। इससे संबंधित एक कर, जिसका सुझाव आर्थिक समिति ने दिया था, वह घर और दूकानों का कर था। यह कर विनियम १५, १८१० द्वारा छह अक्टूबर, १८१० को लागू किया गया। उस के आमुख के अनुसार, यह विनियम 'जनता से प्राप्त स्रोतों में सुधार के विचार से' लागू किया गया था और बंगाल, बिहार, उडीसा, तथा बनारस के प्रांतो में अनेक बडे तथा छोटे नगरों तक विस्तरित किया गया था'। यह कर अरसे से कोलकता नगर के मकानों पर लगाया हुआ था'। इस विनियम के अनुसार निवास के सभी मकानों (मुक्तिप्राप्त श्रेणी के अतिरिक्त) पर वार्षिक किराये के ५ प्रतिशत तथा सभी दूकानों पर वार्षिक किराये का १० प्रतिशत कर लेने की व्यवस्था थी। मकान किन सामग्रियों के बने हैं इसके साथ कर का कोई लेना देना नहीं था। जो मकान और दूकान किराये पर दिया गया नहीं है अपितु मालिक स्वयं ही रहते हैं, उन पर कर उसी प्रकार के पडोस के अन्य मकानों (अथवा दूकानों) के लिए चुकाए जाने वाले किराये से निश्चित किया जाना था।

जिन मकानों अथवा दूकानों को करमुक्ति दी गई थी उनमें सेना के जवानों के मकान, बंगले तथा अन्य इमारतें तथा धार्मिक निवासों तथा खाली मकानों अथवा दूकानों का समावेश होता था। कर प्रति माह एकत्रित किया जाना था। ऐसा आदेश था कि यदि चुकाया न जाए तो प्रथम उपाय के रूप में चढे हुए कर की वसूली के लिए मकान (दूकान) अथवा मालिक की व्यक्तिगत चीजें बेच दी जाएँ। फिर भी, यदि कुछ रकम बाकी रह जाए तो उस बाकी रकम को मालिक के स्थायी (अचल)सम्पति तथा चीजें बेचकर वसूला जाए। वसूली के विरुद्ध न्यायालय में अपील अवश्य हो सकती थी किन्तु ऐसी अपील को हतोत्साहित करने के लिए न्यायाधीशों को अपील आधारहीन लगने पर अपीलकर्ताओं को दंडित करने का अधिकार दिया गया था और उस दण्ड की राशि अपील करनेवाले की स्थिति के अनुसार होनी थी।

समाहर्ता को 'शुद्ध आय पर ५ प्रतिशत कमिशन' मिलता था। योगानुयोग उस समय समाहर्ताओं को मिलनेवाला ऐसा कमिशन असाधारण नहीं माना जाता था। समाहर्ताओं को भू राजस्व की शुद्ध आय पर भी ऐसा ही कमिशन मिलता था।

इस कर से कुल अनुमानित आय एक पूरे वर्ष में रु. ३ लाख थी। तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाए तो यह बहुत बडी आय नहीं थी। उस समय लादे गए विभिन्न नए अथवा अधिक कर से प्राप्त होने वाली कुल अपेक्षित आय में यह कर १० प्रतिशत हो ऐसी ही अपेक्षा थी। १८१०-११ की बंगाल राज्य की कुल कर आय (रु. १०.६८ करोड) के अनुपात में - जिसका अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होता था - मकान कर की राशि नगण्य थी। किन्तु उस समय लादे गए अन्य करों के अनुपात में - जिसका अधिकांश भार नगरीय क्षेत्र पर पडनेवाला था - यह कर व्यापक विरोध का मुद्दा बन गया।

संदर्भ

१. एन्सईक्लोपीडिया ऑफ द सोश्यल सायन्सेस (Encyclopaedia of the Social Sciences) (१९६३), थॉरो पर आलेख, मेक्स लर्नर

२. अतुलानन्द चक्रवर्ती, 'द लोनसम पिल्ग्रिम (The Lonesome Pilgrim)' (१९६९) पृ. ३२

३. सी.ड़ी. एस. देवानेसन, 'द मेकिंग ऑफ द महात्मा (The making of the 'Mahatma) (१९६९) पृ. ३६८-९

४. आर. आर. दिवाकर, 'सागा ऑफ सत्याग्रह (Saga of Satyagraha)' (१९६९) पृ. ८-११

५. बुद्धदेव भट्टाचार्य, 'इवोल्ययूशन ऑव् द पोलिटिकल फिलोसोफी ऑफ गांधी (Evolution of the Political Philosopy of Gandhi) (१९६९) पृ. २८६

६. वी.वी. रमणमूर्ति, 'नोन वोयलन्स इन पोलिटिक्स (Non Violence in Politics)' (१९५८) पृ. १४८ हठ के संदर्भ 'त्रागा' के जानकार आधुनिक लेखकों में एक मात्र काका कालेलकर लगते हैं।

७. जीन शोर्प, थोरो : ऑन द ड्यूटी ऑव् सिविल डिस ओबिडियन्स (Thoreau, On the Duty of Civil Disobedience) (१९६३) पृ. १

८. काका कालेलकर, 'इवोल्यूशन ऑव् द फिलॉसोफी ऑव् सत्याग्रह (Evolation of the Philosophy of Satyagrah) (१९६९), गांधी दर्शन' (१८६९-१९६९) में प्रकाशित, अक्टूबर २, १९६९, फरवरी २, १९७०, एक स्मृतिग्रन्थ

९. आर. पेयने, 'द लाइफ एन्ड डेथ ऑव् महात्मा गांधी (The Life and Death of Mahatma Gandhi)' (१९६९), पृ. २१७

१०. काका कालेलकर : वही

११. अरक्षितारं हर्तारं विलोप्तारमनायकम्। तं वै राजकलिं हन्युः प्रजाः सन्नह्य निर्धृणम॥ अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः। स संहत्य निहन्तव्य : श्वेव सोन्माद आतुरः॥ अनुशासन ६१.३२-३३, असत्वापिष्ठ सचिवो वध्यो लोकस्य धर्महा। शान्ति ९२.१९ महाभारत, पी.वी. काणे द्वारा उद्धृत, 'हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र (History of Dharmashastra) भाग -३ (१९४६) पृ. २६४२

१२. जेम्स मिल, एविडन्स टु हाउस ऑव् कॉमन्स कमिटी (Evidence to House of Commons Committee), हॉउस ऑफ कॉमन्स पेपर्स (House of Commons Papers)', १८३१-३२, भाग १४, पृष्ठ ६-७

१३. हिन्द स्वराज (१९४६) पृष्ठ ५८

१४. वही, पृ. ६०

संभव है कि गांधी जी द्वारा उलिखित गाँव, शहर खाली किए जाने के ऐसे कदम तथा १८१०-११ में मुर्शिदाबाद में दिए गए प्रतिकार के ऐलान के मूल में इस विभाग में वर्णित असहयोग तथा नागरिक अवज्ञा के विभिन्न अन्य रूपों से भी बहुत आगे हों। गाँव खाली कर जाने जैसे अंतिम कदम सूचित करते हैं कि शासकों और प्रजा के बीच अंतर बढता गया था और शासक कमजोर पडते गए थे। राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सिद्ध रहता था, उस स्थिति से यह स्थिति बिल्कुल विरुद्ध दिखती है। गांधीजी की युवावस्था में भारत के राजा प्रजा से सम्पूर्ण रूप से अलग नहीं होने की सम्भावना है, किन्तु ब्रिटिश जैसे पूर्ण रूप से अलग शासकों के सामने उसका उपयोग सफलता के सन्दर्भ में वस्तुतः बहुत निष्प्रभावी बन गया होना चाहिए।

१५. वही, पृ. ६१

१६. फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज : 'डायरी एण्ड कन्सल्टेशन्स Diary and Consultations)', नवम्बर १६८०

१७. इन्डिया ऑफिस रेकॉड्स (आई.ओ.आर.) 'बोर्डस कलेक्शन्स' (Board's Collections); एफ/४/खण्ड १४१५ नं. ५५८४४-ए, सहायक समाहर्ता प्रधान समाहर्ता के प्रति, कनारा, जनवरी १७, १८३१, पृ. १५८-६१

१८. वही

✲ नगारिक अवज्ञा के आधुनिक आंदोलन में हुई हिंसा तथा उसके विरुद्ध काम लेने वाली सत्ता द्वारा हुई प्रतिहिंसा गहन जाँच की अपेक्षा करती है। 'कलेक्टिव वायलन्स, इन यूरोपियन पर्स्पेक्टिव (Collective Violence in European Perspective) में चार्ल्स टिलि के अनुसार, 'अधिकांश दंगे उस समय हिंसक बन गये जब शासकों ने गैरकानूनी किन्तु अहिंसक आंदोलन को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया... आन्दोलन कर्ताओं की अपेक्षा सैन्य अथवा पुलिस द्वारा हत्या और पिटाई अधिक हुई थी। उस पर टिप्पणी करते हुए माइकल वाल्झर मानते हैं कि 'अमेरिका में भी ऐसा ही होता है'। (सौजन्य : एसेज ऑन डिसओबिडियन्स, वॉर एन्ड सिटीजनशिप (Essays on Disobedience, War and Citizenship, १९७०, पृ. ३२)

१९. वही

२०. महाराष्ट्र में लोगों ने ब्रिटिशों के विरुद्ध किए असंख्य 'बंध' के विषय में प्रेसिडेन्सी के राजकीय और न्यायिक अभिलेखों में बहुत सी सामग्री १८२०-४० के समय में मिलती है। उनमें एक 'पुरन्दर बंद' है जो रामोशीओं ने १८२६-२८ में बडे पैमाने पर आयोजित किया था।

२१. जे. मिल, वही

२२. एम. रामचन्द्रराव, बी.ए., बी.एल., एम.एल.सी. (चेन्नाई, १८१७) 'द डेवलपमेन्ट ऑफ इन्डियन पोलिटी'पृ. २९१ पर गोपालकृष्ण गोखले को उद्धृत किया है।

२. विवरण

बनारस की घटनाएं

विरोध बनारस से शुरू हुआ। बनारस उस समय उत्तर भारत का सबसे बडा शहर था। परम्परागत संस्थाए तथा कार्यवाही वहाँ सबसे अधिक विद्यमान थी। यह स्वाभाविक भी था। उस शहर में सरकारी सत्ताधीशों ने इस कारण वहाँ मकान कर लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाया यह संभव है। और उस कारण से वहाँ इसका विरोध भी उतना ही त्वरित गति से होना संभव है।

उस कर के विरुद्ध जनसामान्य का तर्क निम्नानुरूप था। उसकी जानकारी दस्तावेज के रुप में सुरक्षित पत्रव्यवहारों और बनारसवासियों द्वारा कोर्ट में किए गए आवेदन से भी मिलती है। (जो कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट कोर्टो द्वारा निरस्त की गई थी। इसके लिए एक ऐसा कारण भी दिया गया था कि उन आवेदनों का प्रारूप और उसमें निहित जानकारी अनादरयुक्त और क्षोभ जनक है।)

१. भूतपूर्व मुल्तानो ने (सामान्यतः मालगुजारी कहेजानेवाले) सरकार के अधिकारों को उसकी प्रजा द्वारा, वंशपरम्परागत रूप से अथवा हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त निवास स्थानों पर लागू नहीं किया था। उसका कारण यह है कि निवास स्थान के रूप में संपत्ति रखनेवाला उसे बेचता है तो उस बिक्री को सामान्य प्रकार की ब्रिकी में से मुक्त माना गया है। इसलिए, इस प्रकार का कर समग्र समाज के अधिकारों पर आक्रमण के समान है, जो न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

२. साथ ही, यह भी स्पष्ट हो गया कि मकान कर पुलिस के लिए खर्च पूरा करने के लिए ही लगाया गया है। बंगाल और बिहार प्रांतो में तो, पुलिस के लिए खर्च स्टैम्प ड्यूटी और अन्य करों में से किया जाता है, और बनारस में वह भू राजस्व से किया जाता है, तो फिर यह घर कर लागू करने का उद्देश क्या है ?

३. यदि, शास्त्रों का आधार लिया जाए तो, बनारस शहर और उसके आसपास के पाँच कोस का क्षेत्र धार्मिक स्थल माना जाता है और सरकार के

अधिनियम १५ १८१० अनुसार धार्मिक स्थलों को कर से मुक्ति दी गई है।

४. बनारस में लगभग ५०,००० मकान होगें, जिनमें से १/३ जितने तो हिन्दुओं और मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं। तथा ये मकान मुसलमानों और हिन्दुओं द्वारा दिए गए दान से बने हैं। इसलिए शेष मकानों पर का कर तो फाटकबंदी के खर्च को पूरा करने में अपर्याप्त होगा। इसलिए इस प्रकार कर अनेक लोगों को मुश्किल में डालने के लिए ही लागू किया गया है, जो ठीक नहीं है और सरकार की शुभ भावना के अनुरूप भी नहीं है।

५. अनेक मकानमालिक तो ऐसे हैं कि, वे अपने मकानों का जीर्णोद्धार भी नहीं करा सकते या फिर से चिनवा नहीं सकते। इसलिए ये मकान जीर्णशीर्ण हालत में पडे हैं। परिणाम स्वरूप जो मकान के किराए पर जी रहे हैं, उनके लिए तो बहुत भारी मुसीबत खडी होती है। अतः ऐसे लोग कर कहां से भर सकेंगे?

६. आपको तो आपके गरीब आवेदकों का कल्याण और सुख में वृद्धि हो ऐसा करना चाहिए, इसके स्थान पर हमें फायदा होना या लाभ मिलना तो एक ओर रहा, उसके विरुद्ध हमारे सर पर सतत एक या दूसरा बोझ लादा जा रहा है।

७. अभी तो बने रहना भी मुश्किल है। उसके लिए कोई साधन भी नहीं मिलता। उस पर स्टेम्प ड्यूटी, कोर्ट फीस, वाहन-व्यवहार और नगर-उपकर दोनों को असर हुआ है। दोनों त्रस्त हैं। उस पर यह नया कर तो, घाव पर नमक छिडकने के समान है। परिणाम स्वरूप हिन्दु और मुसलमान दोनों को वेदना और हताशा हो रही है। उसके साथ आपका उस ओर भी ध्यान खींचना जरूरी है कि उस प्रकार के सतत बढते बोझ के कारण पिछले १० वर्ष में चीज वस्तुओं का भाव १६ गुना बढ गया है। उस स्थिति में जिनके पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं, उनके लिए यह अतिरिक्त कर, भरना किस प्रकार संभव है।

कर लागू करने में सर्वप्रथम बनारस के ही सत्ताधीश थे। इसका कारण यह था कि, उनके पास प्रशासनिक तथा सैन्य सहारा भी पर्याप्त मात्रा में था और उस दृष्टि से वे बहुत अधिक सुव्यवस्थित और सबल थे। संभवतः इस कारण से ही अथवा किसी अन्य कारण से बनारस के समाहर्ता ने मकान का कर निश्चित करने के लिए, उस कर के लागू होने के सात ही सप्ताह में उसे वसूलने के लिए शीघ्रता से और सूक्ष्मता से जाँच के साथ कदम उठाने शुरू कर दिये थे। दिनांक २६ नवम्बर को तो बनारस के समाहर्ता ने, बनारस के न्यायाधीश को मकान कर वसूल करने के लिए उनके निश्चय तथा उस हेतु प्रारम्भ किए गए अंकन के बारे में जानकारी भी दे दी और

साथ ही उन्होंने प्रार्थना की कि उस कर के संबंध में सूचना देनेवाली नकलों को अलग अलग थानों में लगा दिया जाए। साथ ही उन्होंने न्यायाधीश से यह भी प्रार्थना की कि कर का निर्धारण (अंकन) हो तब, निर्धारण करनेवालों को संभवित सहायता करने के लिए मोहल्लों में पुलिस को भी भेजें। दिनांक ६ दिसम्बर को समाहर्ता ने न्यायाधीश को अनेक सूचनाएँ भेजी थीं और थानेदारों आदि के द्वारा तत्काल सहायता प्राप्त हो इसके लिए भी प्रार्थना की थी। समाहर्ता के उस पत्र की, दिनांक ११ दिसम्बर को ही न्यायाधीश ने उत्तर भिजवा दिया था और सूचित किया था कि उस प्रकार की सूचनाएँ दी जा चुकी हैं। साथ ही यह भी बताया था कि उस समय तो निर्धारकों के साथ पुलिस भेजना पडे ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। फिर भी उन्होंने क्लेक्टर को यह भी आश्वासन दिया था कि जिस किसी मकानमालिक के द्वारा आपके अधिकारियों को नियमानुसार कर्तव्यपालन में कोई अवरोध उपस्थित किया जाएगा तो ऐसी सूचना आपसे प्राप्त होते ही मैं पुलिसदल के अधिकारियों को आदेश का अमल कराने में सहायक बनने के लिए निश्चित सूचना तत्काल ही दे दूँगा।

इस प्रकार अंकन प्रारम्भ हो गया, किन्तु उसका उतना ही विरोध भी होता रहा। अतः कार्यवाहक न्यायाधीश ने दिनांक २५ दिसम्बर को कोलकता में सरकार को सूचित किया कि :

'मुझे सरकार के माननीय गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को जानकारी देनी है कि विनियम १५,१८१० अनुसार कर लागू करने की व्यवस्था के प्रति नगर के सभी लोगों में अत्यधिक उत्तेजना और विरोध फैलने से स्थिति गंभीर बनी है।'

भूमिका प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा था,

'लोगों में भारी जोशखरोशी, रोष और हंगामा प्रवर्तित है; वे दूकानें बंद कर अपने दैनिक व्यापार धंधे को छोड कर भारी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं और अपनी मांग तत्काल पूरी करने के लिए मुझ पर दबाव बढा रहे हैं। साथ ही मुझे कर निर्धारण करनेवाले कर्मचारियों को सरकार से आदेश मिलने तक रोके रखने के लिए समाहर्ता को निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। मैंने लोगों को समझा दिया है कि उनके आवेदन सरकार को भेज दिए जाएगें। परन्तु सरकार की ओर से कोई आदेश न मिलने तक यह विनियम यथावत लागू रहेगा। इसलिए उस संबंध में किसी भी प्रकार का अवरोध अथवा ऐसी अन्य किसी कार्यवाही का मैं विरोध ही करूँगा। प्रवर्तमान अशांति को स्वीकार कर के मैंने उनके मन में अपेक्षा निर्माण की है जो निराशा में परिवर्तित हो कर करनिर्धारण से जो कठिनाई निर्माण हुई है उसे और बढा देगी।'

उसके तीन दिन बाद उन्होंने दिनांक २८ को एक और पत्र भेजा,

गत दिनांक २५ की शाम उपद्रवी लोगों की भीड नगर के विभिन्न स्थानों और सिकरोल के बीच एकत्रित हो गई थी और उन्होंने उपद्रव शुरू किया था। यद्यपि अपने रक्षक दल को तत्काल जमा होते देखकर ही उपद्रव थमने लगा था। पुनः २६ की सुबह भीड इकट्ठी नहीं हुई। और मेरी धारणा बनी कि लोग बिखरकर शांत होने लगे थे और नियंत्रण में रहे थे।

परन्तु दोपहर के बाद संघर्ष की स्थिति फिर से निर्माण हुई। पूरे नगर में सभी वर्गों के हिन्दू और मुसलमान एकत्रित हुए और जबतक मैं समाहर्ता को सीधे मिलकर सभी कर निर्धारक कर्मचारियों को वापस न ले लूं और कर समाप्त होगा ऐसा पक्का आश्वासन न ला दूं तब तक अपने सभी व्यवसाय बन्द रखने का निर्णय किया। उनकी ऐसी धारणा थी कि ऐसे सर्वसामान्य विवाद की व्यापक स्थिति के अंत में वे उनकी इच्छानुसार राहत मेरे पास से लेकर ही रहेंगे। बनारस नगर के लगभग सभी वर्ग के कारीगर लोग अर्थात् लोहार, मिस्त्री, दर्जी, नाई, जुलाहे, कहार आदि एकमत होकर उस संघर्ष में साथ थे और यह संघर्ष ऐसा जोर पकडता गया कि दिनांक २६ को तो अन्तिम संस्कार करनेवाले लोगोंने भी अपना काम बन्द करने के कारण कई शव बिना दाह संस्कार किए गंगा में बहाए जा चुके थे। उसमें से अनेक वर्ग के लोग बडी संख्या में अन्य लोगों के समूह के साथ नगर के एक निकट के स्थान पर एकत्रित हो गए थे और उन्होंने घोषित किया कि जब तक मैं उनके संघर्ष का मुद्दा स्वीकार न कर लूँ तब तक सैन्य बल के सिवाय उन्हें कोई हटा नहीं सकेगा।'

३१ दिसम्बर को कार्यवाहक न्यायाधीश ने अपने सूचना संदेश में यह भी बताया था कि,

'कुछ हजार लोग तो रातदिन नगर में किसी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, अपने अपने वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और संघर्ष में जुडने में झिझकने वाले लोगों को दण्डित करते हैं। इस प्रकार इस विनियम के प्रति एक व्यापक विरोध और तिरस्कार दिखाई दे रहा है और यदि किसी भी व्यक्ति की ओर से इस साजिश से वापस लौटने का तनिक भी संकेत होने पर उसकी सार्वजनिक निन्दा और तिरस्कार किया जाता है, यही नहीं, तो उसे उसकी जाति से निष्कासित कर देने तक की स्थिति उत्पन्न हुई है।'

अधिकारियों के ऐसे अनेकों प्रयासों के बावजूद षडयंत्र, कायम था। उसी बीच कार्यवाहक समाहर्ता को न्यायाधीश ने, कोर्ट ऑव् अपील और कोर्ट ऑव् सर्किट के

वरिष्ठ न्यायाधीश को अपने प्रवास से तत्काल वापस मुख्यालय में लौटने को कहा। कोर्ट ऑव् अपील और कोर्ट ऑव् सर्किट के न्यायाधीश का बनारस के राजा और स्थानीय समाज के अग्रणियों पर अच्छा प्रभुत्व था। समाहर्ता दिनांक १ जनवरी १८११ के दिन वापस आ गया और दूसरे ही दिन उसने कोलकता में सरकार को लिखा। कार्यवाहक न्यायाधीश ने भी लिखा,

'मकान कर लागू होते ही विरोध दिनों दिन बढता जा रहा है और उसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। सरकार का आदेश नहीं आता तब तक लोगों ने नगर छोड कर किसी एक स्थान पर इकट्ठा होकर वहीं बने रहने का निर्णय कर लिया है, मेरे या स्थानीय अधिकारियों की ओर से दिए जानेवाले किसी भी आश्वासन का जरा भी असर नहीं दिखता है। उन्हें केवल सरकार की ओर से करमाफी के आदेश की प्रतीक्षा है। किसी भी स्थिति में कर नहीं भरने का उनका निर्णय है। उनका निर्णय बदलवाने के लिये कोई उन्हें नहीं समझा सकेगा ऐसा मेरा विश्वास हो गया है।

समग्र प्रांत में इस तरह लोग संगठित हो रहे हैं ऐसा मानने के लिए एक से अधिक कारण हैं। किसी अन्य कारण से एकत्रित हुए लोहारोंने, तुरन्त ही इस षडयन्त्र में प्रमुख भूमिका स्वीकार कर ली और पूरे प्रान्त से बडी संख्या में यहां आ पहुंचे है। इससे प्रजा की कठिनाई बढ गई है। खेती पर इसका गम्भीर परिणाम होगा और असन्तुष्टों की संख्या बढेगी। साथ ही लोगों में यह धारणा भी बनी है कि आसपास के अन्य नगर के लोग भी बनारस के इस संघर्ष को समर्थन दे रहे हैं।'

उसी दिन बनारस के समाहर्ता ने इस घटना के विषय में विस्तृत जानकारी दी और लिखा,

'मुझे बताया गया कि लगभग २०,००० से भी अधिक लोग धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग थी कि कर समाप्त नहीं होता तब तक वे हटेंगे नहीं। उनकी संख्या दिनप्रतिदिन बढ रही है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय के अग्रणियों ने अपने बंधुओं को इसके लिए एकत्रित और एक होने के लिए कहा था। उसमें कोई एक पक्ष अथवा वर्ग अधिक उत्साही अथवा अधिक दृढ था तो वे लोहार ही थे। वे बहुत उत्तेजित थे और अपने बांधवो को उत्तेजित कर रहे थे। इतना ही नहीं तो दूर सुदूर से बांधवों को काम छोड कर आने के लिए आह्वान दिया जाता था ताकि खेतीबाडी और जमीनदारी रूक जाने से वे भी इस संघर्ष में जुडने के लिए बाध्य हो जाएँ और पूरा देश इस कर को वापिस लेने के विषय में दृढ निश्चय हो जाए।

इन लोहारों के साथ अन्य जाति, पंथ और विचार के लोग जुड गये हैं और

आपस में सौगंध ले दे रहे हैं एसी मेरी जानकारी है।

अभी तत्काल तो कोई प्रत्यक्ष हिंसा करने का उनका उद्देश्य नहीं लगता। बिना हथियार के रहने में ही उन्हें अपनी सुरक्षा लगती है। क्योंकि (उन्हे पक्का विश्वास है) ऐसे शांत अनाक्रामक दुश्मनों के विरुद्ध घातक शस्त्रों का उपयोग नहीं होगा। इन लोगों का ऐसा विश्वास ही अधिकाधिक लोगों को एकत्रित कर रहा है। वे समझते हैं कि नागरिक सत्ता उन्हें हटा नहीं सकती और सेना इसके लिए जाएगी नहीं।'

उस विद्रोह के अन्य शहरो के साथ के संबंध का निर्देश करते हुए उसने बताया कि,

मुझे कुछ विश्वसनीय अधिकार सूत्रों से पता चला है कि पटना के निवासियों ने बनारस के निवासियों को ऐसा लिख भेजा है कि इन से उन्हें बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। अर्थात बडी संख्या में इकट्ठे होकर बनारस के लोग उस कर का अच्छा विरोध दिखा सके हैं और यदि वे लोग अमीनाबाद के लिये माफी प्राप्त करने में सफल होंगे तो पटना भी इस पद्धति का अनुसरण करेगा।'

दिनांक ४ जनवरी तक परिस्थिति शांत होती गई और कार्यवाहक न्यायाधीश अपने द्वारा उठाए गये कदमों से जैसे कि, लोहारों को वापस बुलाने के लिये जमीदारों पर डाले गये दबाव और अन्य 'अग्रगण्य नागरिकों की ओर से मदद' से खुश था। फिर भी, उसे लगता था कि,

'परन्तु सानुकूल लगनेवाली इस स्थिति पर अधिक विश्वास रखना उचित नहीं है, क्योंकि धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग अभी भी अपने इरादे में अविचल लगते हैं। ये लोग जनमानस को भ्रमित कर, समझाकर उकसा रहे हैं। प्रत्येक जाति के अग्रणी को उनके समूह से कोई भी इस संगठन से पीछे हटता दिखाई देने पर उसे जाति से निष्कासित करने के लिये बाध्य किया जाता है। वे लोग नगर के सभी क्षेत्रों में अपने गुप्तचरों को दोषी को पकडने के लिए भेज रहे हैं। मैने उस काम के लिए भेजे गए लोगों को पकडा भी है। यद्यपि उससे दूसरे लोगों को यह कृत्य करने से रोका नहीं जा सकता।'

दिनांक ४ जनवरी तक परिस्थिति इस हद तक सुधर गई कि कार्यवाहक न्यायाधीश बहुत संतोषपूर्वक स्पष्ट कर सका कि 'इस शहर के निवासी अब सरकार की सत्ता के सामने उच्छृंखलता की स्थिति बनाए रखने के खतरों और आंदोलन की अनुपयोगिता को समझ गए हैं' इसके साथ किस भयावह स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण पाया है इसका निरूपण करते हुए उसने लिखा,

'नगर के सभी प्रकार के लोग अपने अपने वर्गों में नगर के किसी स्थान पर इकट्ठे हो गए थे, अपने अपने वर्गों में विभाजित हो गए थे, उद्देश्य सिद्ध नहीं होने तक वहां से न हटने की सौगंध उन्होंने खाई थी और दिनप्रतिदिन उनकी संख्या बढ रही थी और संकल्प दृढ होता जा रहा था। उन्होंने प्रान्त के हर गांव में धर्मपत्री पहुँचाने के लिए खास दूतों की नियुक्ति की, और प्रत्येक परिवार से एकएक व्यक्ति को बनारस भेजने का सन्देश दिया। हजारों लोहार, कुणबी, कोरी आवेश में आकर अपना घरबार छोड कर यहाँ इकट्ठे हुए । उसी समय नगरजन नगर छोडने लगे थे। जो लोग अनिच्छुक थे उन लोगों को गृहत्याग करने के लिये बाध्य किया जाता था और जो लोग उस संघर्ष में जुडने में ढीलापन दिखाते थे उन को दण्डित किया जाता था। प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्तिने अपने अपने स्रोतों के अनुसार योगदान दिया और आवश्यक धनराशि भी जमा की। इस प्रकार जो लोग दैनिक कमाकर खाते थे ऐसे लोगों को मदद करने की व्यवस्था भी की जाती थी।'

उसने आगे खुलासा किया,

इस प्रकार इकट्ठे हुए लोगों के लिए ईंधन, तेल और अन्य उपयोगी सामग्री पहुंचाई जाती रही थी, परन्तु तब नगर में अनाज के अतिरिक्त कोई वस्तु उपलब्ध नहीं थी। धार्मिक नेता धर्मभीरू लोगों पर के अपने प्रभाव से उन्हें एकजुट रखने का प्रयास करते थे। इस प्रकार पूरा संगठन व्यापक बन रहा था। इसलिए पुलिस कर्मियों के लिए जो लोग संगठन में जुडना नहीं चाहते थे ऐसे कुछ लोगों को अलग कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल होता था।

नाव चलानेवाले मुस्लिमों के संदर्भ में उन्होंने बताया कि,

'इधर मल्लाहों के उस संघर्ष में जुडते ही नदी पार करने में दोनों ओर के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पडता था। जल व्यवहार लगभग ठप्प हो गया था। उसलिए मुझे ढिंढोरा पिटवाने की जरूरत पडी कि नाववाले यदि नाव बंद रखेंगे तो सरकार नावों को जप्त कर लेगी। यह सुन कर नाव वाले अपने काम पर आ गए। दूसरी और आन्दोलन में सम्मलित विभिन्न वर्गों के कुछ लोगों को पुलिस ने पकडकर अत्यन्त कठोर दण्ड दिया। ऐसा दण्ड बार बार दिया गया जिसे देखकर शेष लोगोंने अपराध करना छोड दिया।

उसके अतिरिक्त, कठिनाइयों और थकान के अनुभवों और उस संबंध में उन्हें दी गई सीख के बारे में उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा था कि,

'वे समझते हैं कि बिखर जाने के बाद ही सरकार के हस्तक्षेप की आशा की

जा सकती है। अतः उन्होंने इसलिए आन्दोलन के सभी वर्ग के लोगों को दैनन्दिन व्यवसायों में वापस लग जाने के लिये समझाने हेतु सबकुछ करने की सिद्धता प्रदर्शित की। परिणाम स्वरूप बहुत बडा बदलाव दिखाई दिया। कल और आज नगर की कई दूकानें खुल गईं और दैनन्दिन उपयोग की चीज वस्तुएँ मिलने लगीं। बडी संख्या में लोग अपने व्यवसायों में वापस लौटे हैं और विद्रोह लगभग शांत सा हो गया है। मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में तो जमाव टूटने लगेगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।'

इस बीच, उससे पूर्व की स्थिति विषयक रिपोर्ट कोलकता सरकार को पहुँच गया था। इस घटना के संबंध में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को ५ जनवरी को सबसे पहली सूचना मिली। उस समय दिनांक ३१ दिसम्बर के दस्तावेज मिलने की स्वीकृति देने के साथ, तथा बनारस से प्राप्त आवेदनों की भी स्वीकृति देते हुए सरकार ने सूचित किया कि कर दूर करने के लिए कोई ठोस कारण उन्हें नहीं दिखता है। सरकार का मानना था कि कर हटाने के लिए होनेवाले दंगे और आंदोलन के सामने घुटने टेकना सामान्य नीति के सिद्धान्त की दृष्टि से बहुत ही बेतुका माना जाएगा। इसलिए कार्यवाहक न्यायाधीश द्वारा उठाए गए कदम को उचित मानते हुए सरकार द्वारा पत्र में और भी स्पष्टता की गई कि,

'यद्यपि इस प्रसिद्धि के साथ लोगों को यह भी बता देना चाहिए कि सरकार के निर्णय अथवा आदेशों का अब इसके बाद कोई भी विरोध करेगा तो गंभीर खतरा या आपत्ति को निमंत्रण देगा। साथ ही यह भी बताया जाए कि (सरकार) अपने विवेक से उचित लाभ या माफी देने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करेगी, परन्तु गवर्नर जनरल उन काउन्सिल गैरकानूनी जमावों के दबाव अथवा उनके आवेदनों अथवा दंगों अथवा शोर मचानेवाली सभाओं या कार्यक्रमों के सामने झुकनेवाली नहीं है।'

इसके लिए उचित संलग्नता तो यही हो सकती है कि लोगों को फाटकबंदी से 'मुक्त किया जाए' क्योंकि यह फाटकबंदी के लिए चौकीदारों का वेतन, उनके दरवाजों की मरम्मत के लिए स्वैच्छिक दान दिया है और उसकी व्यवस्था में भी योगदान दिया है, इसलिए उस संबंध में उसके बाद के खर्चे-सरकार के सामान्य कोष से ही आवंटित किये जाएँ। सरकार के इस कदम के समाचार सेना के अधिकारियों के साथ मंत्रणा करने के बाद और उचित व्यवस्था करने के उपरान्त लोगों को पहुँचाए जाएँ। साथ ही, पूर्व के अनुच्छेद में दर्शाए हुए सरकार के विचार भी उन्हें पहुंचाये जाएँ।

स्थिति की गंभीरता विषयक २ जनवरी का रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकारने ७ जनवरी को सैन्यबल का किस प्रकार उपयोग किया जाए इस संबंध में सूचनाएँ भेजीं।

सरकार को लगता था कि ‘सरकार के सत्ताधीशों द्वारा सीधी घोषणा होते ही लोग सही मार्ग पर आ जाएँगे’ अथवा तो उन्हें ‘ऐसे गैरकानूनी कृत्य जारी रखने से उनपर वे कितनी कठिनाई आ सकती है इसकी समझ आयेगी‘। इसके साथ, सरकार द्वारा तैयार किया गया घोषणापत्र भी जोडा गया था, जिसका किस समय उपयोग करना वह बनारस के सत्ताधीशो के विवेक पर निर्भर था। इसके साथ ही सरकार ने घोषित कर दिया कि उसे ‘इस विनियम को वापस लेने का कोई ठोस कारण नहीं दिखाई देता था। इसके साथ सरकार के घोषणापत्र में बताया गया था कि न्यायाधीश और समाहर्ता को कर्तव्यपालन में सहायता करने के लिए सेना के ऑफिसर कमान्डिंग को आदेश दे दिया गया है। समापन में लिखा गया,

’गवर्नर जनरल इन काउन्सिल पूरी संवेदना और सहानुभूति के साथ, कानून का उल्लंघन करने वाले हठी या जिद्दी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि उनका ऐसा व्यवहार जारी रहेगा तो वह राजद्रोह माना जाएगा और वे अपने लिए गंभीर स्थिति को निमंत्रित करेंगे। सरकार प्रत्येक आवेदन पर पर्याप्त ध्यान दे रही है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए प्रयत्नशील है यह बात सर्वज्ञात है, परन्तु यह नहीं चलाया जा सकता कि अधिकारियों के सभी उचित प्रयासों की अवमानना कर लोग ऐसे गैर कानूनी जमाव निर्माण करके उपद्रव मचाएं।’

जनवरी ७, इस घोषणापत्र के प्रसिद्ध करने की तारीख, से जनवरी ११ के बीच (इंग्लैण्ड के निदेशक सत्ताधीशों को १२ जनवरी १८११ को लिखे गये राजस्व पत्र के अनुसार) गंभीरता से विचारणा करने पर गवर्नर जनरल उन काउन्सिल को लगता था कि इस कर में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जो सुधार उस कर के अमल से, जिन पर इस कर का सर्वाधिक असर पड सकता है ऐसे लोगों की स्थिति का विचार कर इस सुधार के संबंध में सोचा गया है।‘ परिणाम स्वरूप, दिनांक ४ जनवरी को न्यायाधीश की ओर से कुछ उत्साह प्रेरक रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने उसके दिनांक ११ के दो पत्रों द्वारा बनारस के सत्ताधीशो का धार्मिक स्थानों से संबंधित कानून की धारा के प्रति ध्यान आकर्षित किया था और एकदम निचली कक्षा के लोगों के निवास स्थानों को, उस कर से मुक्ति देने का निर्णय भी स्पष्ट कर दिया था । और जिसकी कीमत लगभग न के बराबर है, ऐसे निवास स्थानों से सरकार का आय प्राप्त करने का हेतु हो ही नहीं सकता।

सरकार के इस मनोभाव को जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उसमें जोडा गया,

’वर्तमान आदेशों की सूचना के साथ विभिन्न वर्गों के लोग, जिन्हें उस व्यवस्था से लाभ होने वाला है, उन्हें यह किस प्रकार पहुँचे उसका आपको ध्यान रखना है। उसके लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ कोई ढीलापन न हो और लोगों की भावना और स्वमान को ठेस न पहुँचे यह भी देखें, क्योंकि इस समय सरकार के लिए यह अधिक महत्त्वपूर्ण है।

मान्यवर यह अवश्य चाहते हैं कि यदि लोग उनके राजद्रोह अथवा अपराधी कृत्यों को स्थानीय अधिकारियों के समक्ष कबूल करने अथवा मान लेने के लिए राजी होते हैं तो उचित करमुक्ति दे दें।’

बनारस की जनता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन को सरकार के दिनांक ५ जनवरी के आदेश द्वारा सर्वथा अस्वीकृत कर दिया गया है, यह समाचार बनारस की जनता को दिनांक १३ जनवरी को प्राप्त हुआ। इसके बाद १४ जनवरी से जनता फिर एकत्रित होने लगी। इस बीच, दिनांक ७ को सरकार द्वारा प्रकाशित घोषणापत्र भी बनारस की जनता तक पहुँच गया था और जनता अपनी अन्यायपूर्ण कार्यवाही से वापस लोटेगी एसा मानकर कार्यवाहक न्यायाधीश ने सरकार को बताया कि वह घोषणापत्र दिनांक १८ के दिन वे प्रकाशित करना चाहते हैं। परन्तु (बनारस के) सेना के ऑफिसर कमान्डिंग ने बताया था कि जब तक लखनउ से ज्यादा सैन्य उन्हें प्राप्त नहीं होता तब तक (प्रशासन तंत्र को) आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए वे असमर्थ हैं। उस बीच दिनांक ११ के (धार्मिक संस्थानो को कर मुक्ति देने संबंधी) सरकार के आदेश बनारस के सत्ताधीशों तक पहुँच गए थे, परन्तु कार्यवाहक न्यायाधीश को लगा कि

’जो लोग इस प्रकार के अनुचित और अन्यायी कार्यकलापों में लगे हैं, वे प्रसन्न तो नहीं ही हैं। फिर भी ऐसे लोगों को सरकार का सदाशय क्या है यह भी समझाने की संभावना भी नहीं है।’

दो दिन बाद दिनांक २० को न्यायाधीश ने बताया कि परिस्थिति में ‘विशेष अन्तर नहीं आया‘ है इसलिए ‘बहुत सुधार की उन्हें बहुत कम आशा‘ है। उन्हें तो, सबसे अधिक चिन्ता, अधिक दलों के आने की थी ‘जिससे वे सरकार के आदेशों का अमल कर सके‘। विशेष में उन्हें लगता था कि दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों को बिखेरने का महत्त्व भी बढता जा रहा है और साथ ही उन्हें उनकी राजद्रोही और अनावश्यक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए बाध्य करने की जरूरत भी बढती जा रही’ है। उसने आगे कहा,

'मेरा दृढ मत है कि राज्यसत्ता की अवमानना करने की यही स्थिति यदि बनी रहती है तो प्रजा को देश की सरकार के प्रति जो आदर की भावना होनी चाहिये वह दिनप्रतिदिन कम होती जाएगी। (अभी भी वह कम हुई ही है।)'

इसी पत्र में उन्होंने और भी स्पष्ट किया किः

सरकार के विनियम १५,१८१० को चालू रखने के प्रस्ताव की जानकारी होते ही अत्यन्त आपत्तिजनक और उत्तेजनापूर्ण पर्चे मुहल्लों में वितरित होने लगे। एसे दो पर्चों की नकल सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको भेज रहा हूं। मैंने ऐसे पर्चे प्राप्त कर देने वाले लोगों को ५०० रूपये का इनाम घोषित किया है। मैं आशा करता हूँ कि पर्चे की सामग्री और प्रयोजन देखते हुए यह इनाम ज्यादा नहीं लगेगा।'

इस प्रकार सत्ताधीशों के द्वारा किए गए अमाप प्रयासों के कारण जनता की एकता और विश्वास क्रमशः टूटते गए। ऐसा लगा कि न्यायाधीश की हताशा ही थी। उस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के कुछ ही दिनों में बनारस के सत्ताधीशों के प्रयासों का प्रभाव दिखने लगा था। इसके बाद न्यायाधीश ने बताया कि (बनारस के) लोगों ने एक समूह में मिलकर कोलकता जाने का विचार किया है और मार्ग में उन शहरों को शामिल कर लेने की योजना है जहाँ मकान कर लागू किया गया है। तथा, इस समूह में प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को जुडने के लिए बता दिया गया है अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजने के लिए कहा गया है। जो यह भी नहीं कर सकते उन्हें अपनी शक्ति के अनुरूप इस अभियान के लिए योगदान देने के लिए बताया गया है जिससे जो (कोलकता) जाना चाहते हैं उन के खर्च में सहायता हो।

बात जब मुद्दे पर आई तब बहुत कम लोग जाने के लिए तैयार हुए क्यों कि रास्ते में विघ्न थे। दूसरे उस योजना में योगदान देने के लिये भी तैयार नहीं थे क्यों कि वे समझ गए थे कि उनका उद्देश्य कभी पूरा होनेवाला नहीं था।

इसी बीच कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट समक्ष प्रस्तुत की गई एक अन्य अपील के बारे में भी निर्णय आ गया,

'यह आवेदन ऐसे लोगों ने प्रस्तुत किये हैं जो (देश के) विनियम के विरोध में दृढतापूर्वक संघ की रचना कर एकत्रित हुए हैं, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। इस आवेदन की शैली और मायना अवमानना युक्त है। यह भी उसे मान्य न करने का एक कारण है।'

न्यायाधीश के अनुसार, 'इन सभी घटनाओं के कारण (जनता में) मतभेद और विरोध शुरू हुए। बहुतों ने समर्थन वापस ले लिया। परिणामस्वरूप जनता की

नैतिक ताकत टूट गई। इस स्थिति में कुछ पुराने और निष्ठावान सरकारी कर्मचारियों ने अद्‌भुत सेवा निभाई, जिससे प्रजा की उलझन बढती ही चली और अंततः उन्होंने बनारस के राजा की सहायता से सरकार की कृपा की मांग की। यद्यपि जनता झुक अवश्य गई थी, फिर भी परिस्थिति सामान्य से कहीं भिन्न थी। उसके बाद भी कार्यवाहक न्यायाधीश ने अपने दिनांक २८ जनवरी के रिपोर्ट में, उस सामान्य माफी के बारे में सुझाव दिया था, क्योंकि नगर में रहनेवाले प्रत्येक नागरिक का हृदय उसके साथ जुडा है और 'सत्ता को पुष्टि प्रदान करनेवाला कदम तो शायद, बहुत पहले ही लिया जा चुका है'।

कार्यवाहक न्यायाधीश की रिपोर्ट को ध्यानमें रखते हुए, सरकार दिनांक ८ फरवरी को, जनता द्वारा स्वीकार की गई ताबेदारी का अत्यन्त संतोषपूर्वक स्वीकार करती है और न्यायाधीश की कार्यवाही का समर्थन करती है। साथ ही जिन लोगों ने सरकार को समर्थन दिया था उन्हें खिलावत देने का निर्णय किया गया है। साथ ही फाटकबन्दी को समाप्त न करने के सरकार के पूर्व के निर्णय को यथावत् रखने का न्यायाधीश का सुझाव भी स्वीकार्य मानती है, तथा घरों और दूकानों पर लिये जानेवाली कर के समान राशि जिन्होंने फाटकबंधी में भी दी है उन्हें, उस राशि से माफी कर देने के लिए भी तैयार है। फिर भी सामान्य माफी विषयक न्यायाधीश के सुझाव को अस्वीकार्य करते हुए सरकार ने बताया था कि,

'राजद्रोही और अन्यायपूर्ण आचरण करनेवाले बनारस के लोगों को आम माफी देना मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को उचित नहीं लगता है। उल्टे उनका तो मत ऐसा है कि इस प्रकार का आचरण भविष्य में फिर से न हो इसलिये इन अपराधियों को ऐसा उदाहरण रूप दण्ड देना चाहिये कि और कोई इस प्रकार का आचरण करने का साहस न करे। उनके उपर सीधा सीधा मुकद्दमा चलाना चाहिये। परन्तु मान्यवर का मानना है कि ऐसे मुकद्दमे संख्या में अधिक नहीं होने चाहिये। मान्यवर का यह आशय ध्यान में रखते हुए आप ऐसे लोगों के नाम दें जिनके विरुद्ध आप मुकद्दमा दायर कर सकते हैं, साथ ही इन लोगों के नाम देने के लिये कौन से आधार है उसकी भी विस्तृत जानकारी दें।'

परन्तु साथ ही, न्यायाधीश को यह भी बताना जरूरी है कि उस प्रकार की कानूनी कार्यवाही मर्यादित संख्या में ही होनी चाहिए।

उस बीच जनता को झुकाने के लिए बनारस के राजा ने और अन्य वफादार सरकारी नौकरों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही उससे भी आगे निकल गई थी। दिनांक

७ फरवरी के दिन बनारस के राजा द्वारा बनारस के निवासियों ने प्रस्तुत किया हुआ आवेदन न्यायाधीश को दिया गया जो उसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस आवेदन को अंतिम आवेदन बताते हुए आवेदन के शब्दों में ही आवेदकों ने हिझ लोर्डशिप इन काउन्सिल को अति नम्रतापूर्वक बताया कि कानूनभंग करने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 'इसके स्थान पर दिनांक १३ जनवरी को न्यायाधीश द्वारा प्रकाशित घोषणापत्र को पूर्ण रूप से शिरोमान्य मानकर उसे ईश्वरीय आदेश की तरह स्वीकृत करके सरकार की महेरबानी में सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ हम उठ खडे हुए थे और अपने निवास स्थान पर चले गए थे'।

फिर भी सरकार ने अपने जनवरी ११ के आदेश की मर्यादा से जरा भी न हटते हुए (बनारस के) निवासियों के आवेदन की ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। पहले के सुधार के साथ यह आदेश, एक सप्ताह बाद, दिनांक २३ फरवरी को न्यायाधीश ने बनारस के राजा और अग्रगण्य निवासियों को भेज दिया था। न्यायाधीश ने उसी दिन एक घोषणापत्र प्रकाशित करते हुए बताया कि 'अब शिकायत अथवा असंतोष का कोई कारण नहीं बचा है।'

बनारस के अग्रगण्य निवासियों ने सरकार के इस निर्णय को भाग्य का फल मानकर स्वीकृत किया और उस के विषयमें जो आवेदन उन लोगों ने बनारस के राजा के माध्यम से सरकार को भेजा था तथापि वे न्यायाधीश के अभिप्राय के साथ सहमत नहीं थे। उसके लगभग एक वर्ष बीतने के बाद दिनांक २८ दिसम्बर, १८११ के दिन समाहर्ता ने रिपोर्ट दिया,

'प्रारंभ में मैने मेरे अधिकारियों को सभी मालिक तथा किराएदारों, जिनके मकान का निधरिण हो चुका है, उसकी विस्तृत जानकारी लाने के लिए कहा। इसके लिए एक नोट भेजा जिसमें प्रत्येक मकान के किराए की दर और निश्चित की गई कर की राशि की जानकारी का पत्रक तैयार करने के लिए कहा। साथ ही एक घोषणा करवाई कि यदि किसी व्यक्ति को किराए की दर अथवा उसमें दर्शाए कर के संबंध में कोई विरोघ है तो उसकी जानकारी दी जाए। ऐसा भी विचार किया गया कि उनसे जरूरी पूछताछ कर उसका हल निकालने का प्रयास किया जाए। घोषणा में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए और उसके निवारण के लिए नगर में सप्ताह का एक दिन निश्चित करके बताया गया। किसी भी मकान मालिक अथवा किराएदार ने इसकी ओर न तो कोई ध्यान दिया अथवा न तो किसी ने कोई आवेदन दिया या विरोध किया। अधिकांश लोग चिढ़े हुए थे और चुप रहे और उन्होंने निर्धारकों को अपना

काम करने दिया। हाँ, किन्तु वे कर संबंधी जरूरी किसी भी प्रश्न का उत्तर देना टालते रहे। वे इस नियम से खुश नहीं थे यह दर्शाने के लिए ऐसा करते थे। उनकी धारणा थी कि निर्धारक और कार्यकारी अधिकारी सम्पत्ति आदि सब देखकर, समझकर करनिर्धारण करेंगे। सीधा विरोध नहीं कर सके तो सहमत भी नहीं लगे।'

फिर भी, अधिकारियों की सांत्वना के लिये समाहर्ता ने कहा,

'यद्यपि नगर के कुछ रिहायशी इलाकों में कुछ अपवाद रूप घटना तो ऐसी घटी कि सरकार के कुछ कर्मचारी और बाद में अन्य किसी प्रकार से सरकार से सम्बन्धित अथवा तो स्वेच्छा से ही निष्ठा दर्शाने के इच्छुक कुछ लोग अपने मकानों की जानकारी का तैयार किया गया पत्रक और किराए की जानकारी कर निर्धारण के लिए प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए।'

फिर भी ऐसे अपवाद बहुत सांत्वना नहीं दे सकते थे। उसलिए उसके बाद के रिपोर्ट में समाहर्ता ने आग्रहपूर्वक बताया कि सावधानी के अनिवार्य कदम के रूप में यहां स्थित सैन्य दल से अतिरिक्त दल नहीं आने तक कर की वसूली शुरू नहीं की जा सकती।

उस प्रकार, सहयोग न देने की मनोवृत्ति (जनता की) तो फरवरी के प्रारम्भ में ही स्पष्ट हो गई थी। निवासियों का अंतिम आवेदन सरकार को भेजते हुए न्यायाधीश ने बताया,

'मुझे लगता है कि वे लोग जिस मुद्दे और उसके लिए उठाए गए कदम के संबंध में आपत्ति कर रहे हैं वह सरकार के व्यवहार के बारे में है, कर निर्धारण या उसकी वसूली से संबंधित नहीं है। नगर के लोग तो मानते हैं कि यह तो एक नए प्रकार का परिवर्तन है। देश और प्रांत के हित में किसी भी सरकार को इस प्रकार का लागू करने का अधिकार नहीं हैं और यदि लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो कर बढ़ता ही जाएगा और फिर तो लोग जिसे अपना समझते हैं उसे भी धीरे धीरे कर के दायरे में सम्मलित कर लिया जाएगा। इसलिए मुझे संदेह है कि ये लोग अपने कदम के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं होंगे।'

पटना की घटनाएँ

अब दूसरे शहरों की और देखें। बनारस के समाहर्ता ने, दिनांक २ जनवरी के पत्र में बताया था कि अन्य शहरों के निवासी भी बनारस की घटनाओं को देख रहे थे। पटना के न्यायाधीश ने भी दिनांक २ जनवरी को नगर के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किये

गये कर के विरुद्ध के आवेदनों को सरकार के प्रति भेज दिया था। सरकार ने दिनांक ८ जनवरी को (न्यायाधीश को) लिखित उत्तर दिया कि ये आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। लेकिन साथ ही न्यायाधीश को सावधान करते हुए लिखा था कि, बनारस जैसी सभाएँ अथवा आवेदनों को अन्य नगरों के (पटना के) निवासियों तक फैलने से रोकने के लिए नरम और समाधानकारी कदम उठाए जाएँ, क्यों कि इससे संबंधित आगे की चर्चाओं का आधार बनारस ही होगा। उस के साथ सरकार ने उसे यह भी बताया कि ऐसी किसी भी कार्यवाही को रोकने के लिए उनकी सत्ता एवं संसाधनों का समझदारी से पूरा उपयोग करें, परन्तु किसी भी प्रकार की 'विक्षोभक बैठक अथवा गैरकानूनी गुप्तता' के विषय में सरकार को तत्काल जानकारी दें।

सरन की घटनाएँ

एक सप्ताह बाद ९ जनवरी को सरन के न्यायाधीश द्वारा सरकार को लिखकर बताने का अवसर आया, जिसमें उसने शहर के निवासियों का आवेदन प्रस्तुत करने के साथ बताया,

'जब समाहर्ता ने निर्धारण कर्मचारियों को भेजा तब इतनी भयानक संकटमय स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें सचेत हो जाना पडा और मेरे लिये सम्भव था वह सब करने के बाद भी सभी दुकानें बंद करा दी गईं। कुछ गंभीर घटना घटने के संकेत प्राप्त होने लगे ।'

इस प्रकार का आकलन करने के लिए अपनी आशंकाओं के बारे में उसने बताया,

'यहाँ सैन्य बल नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी को शोभा न देनेवाला या अपमानजनक कुछ भी नहीं कर सकता था। अंततः मुझे समाहर्ता को कहना पडा कि सरकार की ओर से मुझे आदेश प्राप्त नहीं होता तब तक निर्धारण का कार्य रोक दें।'

इस संबंध में सरकार की और से सूचना मिली कि सरन के निवासियों को ऐसा कोई भी संकेत न दें कि उन्हें कर से, दिनांक ११ जनवरी को किए गए सुधार जो दिनांक १८ जनवरी के दिन प्रकाशित हुए उसके सिवाय, सामान्य माफी मिलेगी । इसके साथ सरकार ने और भी स्पष्ट किया कि,

'गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को नहीं लगता है कि विशेष रूप से यदि ऊपरि निर्दिष्ट पद्धति से कर लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो सरन के लोग उसका

खुला विरोध करेंगे।'

ऐसा मंतव्य रखने के बावजूद सरकार ने इस प्रकार के निर्देश दिये,

'फिर भी वास्तव में ऐसी आत्यंतिक स्थिति का निर्माण होता है (अथवा सेना को बुलानी पडती है) तो आवश्यकतानुसार दीनापुर से सैन्य सहायता प्राप्त करें, ताकि स्थानीय अधिकारियों को विनियम के अनुसार अपनी कार्यवाही निभाने में सहायता प्राप्त हो।

मुर्शिदाबाद की घटनाएँ

इसी प्रकार के अत्याचार, उसके विरुद्ध मनोभाव, और उसके लिए सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं का मुर्शिदाबाद में दिनांक २ मार्च को पुनरावर्तन हुआ था, परन्तु यहाँ की स्थिति अधिक गम्भीर थी। दिनांक २५ फरवरी को ही निवासियों के दो आवेदनों के साथ, न्यायाधीश ने लिखा,

'एकत्रित लोगों में अग्रणी व्यापारी इस कर का विरोध करने के स्थान पर अपने घर और दूकान से निकल कर मेरे पास आए थे। उनमें से कुछ लोगों ने योजना के अनुसार किया भी परन्तु मुझे खुशी है कि मैं उन्हें अपने अपने स्थानों पर वापस लौटने के लिए समझा सका हूँ।'

शहर छोड देने की उनकी मनोवृत्ति प्रबल बनती दिखी इसलिये उसने लिखा, 'इस आवेदन की भाषा आपत्तिजनक लगने पर भी उन्हें आपके पास पहुँचाना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं' और 'इसके बदले में, जो महाजन अपने मकान छोडकर खेतो में रहने चले गए हैं, उन्होंने निवास स्थानों में वापस लौटने का वचन दिया है'। आपत्तिजनक शब्दों से युक्त आवेदन इस प्रकार था'

'ईश्वर की कृपा से एक अंग्रेज सज्ञन जानता है कि दुनिया के किसी भी राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया नहीं है। (क्योंकि) सर्वशक्तिमान अपने सृजनों को यातना से बचाता रहता है... विगत कुछ वर्षों में हमारे दुर्भाग्य से हम पर आक्रमण और अत्याचार हो रहे हैं। एक तो सतत महामारी के कारण शहर के लोग मर रहे हैं और संभवतः आधे लोग ही बचें हैं। दूसरा टाउनड्यूटी और कस्टम के कर इतने अधिक हैं कि सौ रूपए कीमत की सम्पत्ति दो सौ रूपए के भाव से खरीदनी पड़ती है। कर का दर दुगुना और संभवतः चार गुना हो गया है और यदि कोई अपनी सम्पत्ति शहर से दूर आसपास के प्रदेश में ले जाना चाहे तो उस पर और कर चुकाए बिना नहीं ले जा सकता। साथ ही मकान कर और दूकान कर के रूप में एक नया अत्याचार आ

पडा है। वास्तव में सरकार का यह आदेश वज्राघात ही है...

अपने रिपोर्ट के समापन में न्यायाधीश ने बताया कि, 'उस मकान कर से उत्पन्न असंतोष के संबंध में, मुझे कहना ही पडेगा कि यह बहुत गहरा और बहुत ही व्यापक है। समाज के प्रत्येक वर्ग के और प्रत्येक प्रकार के लोगों में यह व्याप्त हो रहा है। इस के कारण कोई दंगा भडक उठता है तो, इस स्थिति में क्या कदम उठाया जाए इस संबंध में सरकार से सूचनाएँ भी मांगी थीं।'

यद्यपि, वास्तव में तो, मुर्शिदाबाद के न्यायाधीश को डर था ऐसा कोई दंगा भडका नहीं था, परन्तु भागलपुर की घटनाओं के दौरान भी देखा गया था उस प्रकार ७ महीने बाद भी कर वसूल नहीं किया जा सकता था। न्यायिक और राजस्व विभाग के सचिव के रूप में दायित्व निभानेवाले बोर्ड ऑव् रेवन्यू के एक वरिष्ठ सदस्य, जो सेवा निवृत्त होने वाले थे, उन्होंने निवृत्ति पूर्व दिनांक १९ अक्टूबर को एक अन्य संदर्भ में यह प्रश्न फिर से उठाया था। यह अधिकारी ही पहले दिए गए (मकान कर से संबंधित) आदेश और सूचनाएँ तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे तथा वे आदेश और सूचनाएँ उनके हस्ताक्षर से ही प्रसिद्ध हुए थे । उन्होंने स्वयं ही, मकान कर के संबंध में लिखा है कि,

'पूर्वानुभव से ऐसा लगता है कि कोलकता और आसपास के उपनगरों के अलावा अन्य स्थानों पर कर, सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता। अन्य स्थानों में (विशेष रूप से शहरों में), मैंने जो कुछ सुना है उससे मैं मानता हूँ कि कर के बारे में तीव्र रोष प्रवर्तमान है। अतः यह रोष थमने तक, यह वर्ष बीत जाने देना ही चाहिए।'

परिणाम स्वरूप, 'उसका असर अधिकतम इतना हो सकता है कि सरकार को केवल २ या ३ लाख रुपए की बलि देनी पडेगी', इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि 'जनता के विशाल वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखकर उसे शांत करने के लिए' इस कर को चालू नहीं रखना चाहिए। इस सुझाव को सरकार ने दिनांक २२ अक्टूबर को स्वीकार किया था और बोर्ड ऑव् रेवन्यू को बताया भी गया था कि,

'वाइस प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल, विनियम १५, १८१० की व्यवस्था से मकान पर कर लागू करने का उपाय रोक देने के लिए तैयार हुए हैं और इस संदर्भ में वे सूचना देने के लिए भी सहमत हुए हैं कि प्रथम तो जहाँ भी मकान कर का काम पूरा नहीं हुआ है वहाँ इसे रोक दें। जहां भी यह कर लागू हो चुका है उसे रोक दें और अपवादस्वरूप जहाँ भी इस कर के विरोध में हो-हल्ला हुआ है वहाँ, मान्यवर की

इच्छा है कि इसे रोकने की पुष्टि के लिए आप आवश्यक आदेश प्रकाशित करें।'

साथ ही इस आदेश में जिला समाहर्ताओं को अपने जिलों की स्थिति के विषय में सरकार को त्वरित सूचित कर देने के लिये बताया गया ताकि 'उनके प्राप्त होते ही जहां बल प्रयोग कर के समग्र या अंश रूप में कर वसूलने को बाध्यता न हो वहां उस कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देने के अन्तिम आदेश प्रसारित किये जा सकें'।

भागलपुर की घटनाएँ

भागलपुर में तो इस कर के विरुद्ध असाधारण विरोध हुआ था। दिनांक २ अक्टूबर को भागलपुर के समाहर्ता ने बताया,

'परसों ३० सितम्बर और सोमवार होने से, कर वसूली का काम शुरू करना था, किन्तु तहसीलदार के आते ही सभी ने दूकानें और घर बंद कर दिये। कल सरकारी अधिकारी कुछ प्रगति नहीं कर सके और उसी शाम मैं जब मेरे केरेज में निकला तब कुछ हज़ार लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े दिखाई दिए, यद्यपि ये लोक किसी भी प्रकार के उत्पात अथवा उधम नही मचाते थे, किन्तु अपनी परिस्थिति का वर्णन कर जोर शोर से कर भरने के संबंध में अपनी असमर्थता दर्शा रहे थे।

दूसरे दिन न्यायाधीश ने भी सरकार को एक पत्र भेजकर इस वास्तविकता की पुष्टि की थी। दूकानें बंद करने की घटना का विवरण देते हुए न्यायाधीश ने बताया,

'अंततः कल सुबह मैंने कई अग्रणियों को बुलाकर उन्हें समझाया कि उनका यह व्यवहार कितना गलत था और सरकार के आदेशों का इस प्रकार विरोध करना कितना निरर्थक था। उन लोगों ने एक आवाज़ में बताया कि सब घरबार और शहर छोड़ देंगे। किन्तु जिस के विषय में वे कुछ भी नहीं समझते हैं ऐसा कर स्वैच्छिक रूप से नहीं भरेंगे ।'

न्यायाधीश ने और भी बताया कि उनका विरोध होने पर भी, 'मुर्शिदाबाद में अथवा किसी नजदीक के जिले में यदि कर की वसूली शुरू होगी तो वे कर भरने के लिए तैयार हैं'। इससे कुछ समय के लिए कर वसूली स्थगित करने के लिए समाहर्ता को सूचना देना उन्हें अधिक उचित लगा। समाहर्ता को न्यायाधीश की यह सूचना अपने कार्य में हस्तक्षेप के समान लगी और ऐसा लगा कि कुछ गैरकानूनी तत्त्वों के एकत्रित होने से ही, वे सत्ता के मूल में प्रहार करने के लिए तैयार हुए हैं। सरकार को उसकी रैयत पर सत्ता जमानी ही चाहिए, इसलिए उन्होंने सरकार का मार्गदर्शन भी

मांगा। सरकार को दिनांक ११ अक्टूबर को उस संबंध में विचार कर न्यायाधीश की कार्यवाही को अस्वीकार्य बताते हुए समाहर्ता के मंतव्य के साथ सहमति बताई और कहा कि कर वसूल करना स्थगित करने की कार्यवाही भागलपुर की जनता को और मुर्शिदाबाद तथा पटना की और अन्य स्थानों की जनता को समूह बनाने के लिए उत्तेजना देने जैसी है। इसलिए उन्होंने न्यायाधीश को आदेश दिया कि उन्हें दिए गए आदेश तत्काल निरस्त करें और वह भी पूर्णतः सार्वजनिक रूप में बताएँ। इतना ही नहीं तो मकान कर वसूलने में समाहर्ता को सर्व प्रकार की सहायता और समर्थन दें।

सरकार का यह आदेश दिनांक २० अक्टूबर के आसपास भागलपुर पहुँचा। दिनांक २१ अक्टूबर रात्रि के १० बजे समाहर्ता ने सरकार को बताया,

'मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि मकान कर वसूल करने की कार्यवाही हाथ में लेते ही कल शाम मुझ पर भारी हमला हुआ। इंट, पत्थर और फेंकी जा सकने वाली सभी वस्तुएं मेरे (सिर) ऊपर फेंकी गईं।

मुझे मुंह और सिर पर घाव लगे हैं और यदि मैं मि. ग्लास के मकान में भाग नहीं गया होता तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं था।'

इस घटना के संबंध में न्यायाधीश और उसके सहायक (जो बाद में सहायक न्यायाधीश बना) ने जो रिर्पोट दी है- वह उससे सर्वथा अलग थी। न्यायाधीश ने अपने १५ नवम्बर के पत्र में लिखा था कि यह मानने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण हैं कि (इन कारणों की बाद में शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने पुष्टि की थी) उसने (समाहर्ता) यदि भीड को उकसाया न होता, तो इस प्रकार का हमला नहीं होता। समाहर्ता बताते हैं कि वे मकान कर वसूलने का काम कर रहे थे तब उनके उपर हमला हुआ था, परन्तु वे सत्य से परे बात प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय किया गया यह निवदेन सरकार को 'जल्दबाजी में तत्काल तैयार किए गए निवेदन में होने वाली क्षतियों का लाभ उठाने के बराबर' लगा था।

तो भी कथित तथ्य की साहजिक अस्पष्टता कोलकता स्थित सरकार को स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने तो, कर वसूली के समय उनके उपर हुए हमले के संबंध में समाहर्ता ने जो जानकारी दी थी उसे ही सही मान लिया और दिनांक ११ अक्टूबर को उन्हें पहले भेजे गए आदेश को अपनाते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव बना लिया, और न्यायाधीश को निलम्बित कर दिया क्योंकि सरकार को लगा कि यदि न्यायाधीश ने मकान कर वसूलने में व्यस्त समाहर्ता को पर्याप्त सहायता भेजी होती और आम शांति बनी रहे इस हेतु से सावधानीपूर्वक कदम पहले से ही उठाये गये होते तो, भागलपुर

के स्थानीय निवासियों ने समाहर्ता के प्रति ऐसा अपमानजनक और आक्रामक कृत्य, जो उन्होंने अपने पत्र में बताया था, किया ही न होता,' इतना ही नहीं, तो सरकार ने दिनांक २९ अक्टूबर, १८११ को इंग्लैन्ड को लिख भेजा कि न्यायाधीश के पद को संभालने के लिए वहां से, एक अधिक समर्थ और कार्यप्रवण व्यक्ति को भेज दें, साथ ही ऐसी भी इच्छा व्यक्त की कि 'वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कर वसूली के लिए कृतनिश्चयी हो'।

इस समय यह उल्लेखनीय है कि यह निवेदन भेजने के केवल चार दिन पूर्व ही इस कर को पूर्ण रूप से नाबूद करने की अनिवार्यता समझ में आ गई थी। अंततः सरकार ने उस समय, भागलपुर में कर वसूल करने में समाहर्ता और उनके अधिकारियों को सहायता करने के लिए तथा पुलिस को भी सहायता करने के लिए, अतिरिक्त सेना की पलटन भेजना उचित माना।

सरकार का यह प्रस्ताव सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि भागलपुर में इस आदेश को पहुंचने से पूर्व वहाँ शांति स्थापित हो गई थी। फिर भी विरोध को कैसे समाप्त करें या कुचल डालें यह प्रश्न तो स्थानीय सत्ताधीशों के लिये निरन्तर सिरदर्द और चिन्ता का विषय बना हुआ था। इसका एक कारण, स्थिति को संभालने के विषय में न्यायाधीश और समाहर्ता के अलग अलग मंतव्य भी थे। समाहर्ता सरकार की सत्ता को प्रभावी रूप में स्थापित करने के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता है ऐसा मानते थे जब कि न्यायाधीश, जो वास्तव में पुलिस और सेना के कार्य के लिए उत्तरदायी थे वे शांतिमय और अपेक्षाकृत कम उग्र मार्ग पसंद करते थे।

भागलपुर की जनता की दिनांक २२ को हुई सभा के विषय में न्यायाधीश ने दिनांक २४ को रिपोर्ट भेजा,

'यद्यपि इतने से काम न चलने से मैं हिल हाउस पहुंचा और शाहजंगी पर एकत्रित लोगों को बिखेरने के लिए अधिक ट्रुप भेजा। वहाँ मैंने कुछ समय रुककर उन लोगों के आने की प्रतीक्षा की। लगभग आठ हजार लोग वहाँ आ गए, उनके हाथ में हथियार जैसा कुछ नहीं था। इन लोगों के अग्रणी भीड़ के बीच होने से तत्काल उन लोगों को पकड़ना संभव नहीं था। तब बताया गया कि वे वहाँ पर किसी अन्त्येष्टि के लिए एकत्रित हुए थे। फिर उन्हें बार बार चेतावनी दिये जाने पर कि अधिक समय इकट्ठा रहेंगे तो गोली चलाई जाएगी, वे बिखर गए। फिर उन्होंने मुझे एक आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की जिसके लिए मैंने मकान कर वसूलना रोका नहीं जाएगा इस शर्त पर अनुमति दी। यह आवेदन उन्हें मुझे पूर्ण सम्मान के साथ कोर्ट में देना

होगा यह भी बताया। सब चले गए फिर भी उसमें से तीन लोग रुके। कुछ बुनकर और कारीगर के अतिरिक्त वृद्ध महिला और बालक भी रुके। मैंने उनमें से कुछ के साथ बात की। उसमें उन्होंने बताया कि यदि वे लोग चले जाएंगे तो जो रुके हैं वे उन पर गुस्सा होंगे। मैंने उन्हें ऐसा नहीं होने देने का आश्वासन देते ही वे वहाँ से चले गए और अपने अपने घर वापस लौट गए।'

इस संबंध में हिल रेन्जर्स के कमाडिंग अफरसर ने लिखा,

'जब प्रमुख लोग, कल शाम को वहाँ से वापस लौट गये तब महिलाएँ और बच्चे वहीं खडे रहे। उन्हें गोली चलने का कोई डर नहीं था। उसके विपरीत वे चाहते थे कि उन पर भले ही गोली चले। इसलिए उन्होंने न्यायाधीश को सलाह दी कि जब वे लोग आपको आवेदन देने आएँ तो आवश्यक पूरा सैन्य दल उस समय वहाँ उपस्थित ही रखें, अथवा इन लोगों को वहाँ आने ही न दें। साथ ही यह भी न भूलें कि, उनका आवेदन तभी स्वीकार करें जब आप उसके अनुरूप कार्यवाही कर सकें, अन्यथा अस्वीकार करें।'

दूसरे दिन न्यायाधीश ने सरकार को लिखा कि इस प्रकार का आवेदन देने के लिये कल तक तो कोई नहीं आया था। दिनांक २३ की शाम को सैन्य सहायता भी ली गई और उसके २४ घंटे बाद समाहर्ता ने लिखा कि 'कल रात जो घटना घटी उसने समग्र चित्र पलट दिया है।' इसके साथ ही उन्होंने आसपास के जिलों के न्यायाधीशों को लिखा कि 'उनके जिलों से भागलपुर की ओर आनेवाले १० से अधिक लोगों के समूह को रोकें और सन्देहास्पद लगनेवाले स्थानीय लोगों के प्रत्येक संदेश व्यवहार को भी रोककर वापस भेजें'। इस शांति स्थापना के तत्काल बाद ही कुछ गलतफहमी फैलने लगी थी। सरकार के, दिनांक २२ अक्टूबर के इस कर वसूली को स्थगित करने के आशय के प्रस्ताव के बाद, बोर्ड ऑव रेवन्यू ने भागलपुर के समाहर्ता को कर वसूली बंद करने को कहा। भागलपुर को दी गई इस सूचना की सरकार द्वारा उग्र आलोचना की गई और कर वसूली पुनः शुरू की गई।

जनवरी १८१२ में जानकारी दी गई कि भागलपुर में निवास करनेवाले, यूरोपीयों ने यह कर भरने से इन्कार किया था। सरकार को भी लगा कि यूरोपीयों से इस प्रकार का कर वसूलना उचित नहीं है इसलिए सरकार ने जिले में रहनेवाले यूरोपीयों से कर वसूल न करने की बात कही। इससे पूर्व भी कोलकता के बाहरी इलाकों में रहनेवाले यूरोपीयों ने कर भरने से इन्कार किया ही था। और एडवोकेट जनरल ने भी बताया था कि संपत्ति जप्त करके भी यह कर वसूल किया जा सकता

है या नहीं इस विषय में उन्हें सन्देह है। परिणामस्वरूप, अन्य शहरों से कर की वसूली बंद करने के बाद भी कोलकता के बाहरी इलाकों में हो रही वसूली भी स्थगित करने का निर्णय सरकार ने लिया। जनवरी २१,१८१२ के दिन यह आदेश निकालने के साथ ही सरकार ने बोर्ड ऑव् रेवन्यू को बताया कि गवर्नर जनरल इन काउन्सिल द्वारा उस संबंध में विचार विमर्श किये जाने के बाद विनियम १५, १८१० को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करने का विचार बना है। यह निरस्त करने वाला विनियम दिनांक ८ मई, १८१२ को विनियम ७, १८१२ के रूप में पारित किया गया था।

मकान कर के विरोध के विषय में इंग्लैण्ड को सर्व प्रथम जानकारी बंगाल सरकार ने अपने राजस्व पत्र, दिनांक १२ फरवरी १८११ द्वारा भेजी थी। उसकी रसीद और उस पर विचार के परिणाम स्वरूप, क्रमांक २१८, १८११-१२, दिनांक २३ मई,१८१२ का मसौदा तैयार किया गया था। (जिसे बोर्ड ऑव् कमिश्नर्स फॉर अफेयर्स ऑव् इन्डिया, द्वारा अंतिम रूप देने से पूर्व ही हटा दिया गया था, इसका कारण यह था कि मकान कर समाप्त करना है तो उससे संबंधित परिच्छेद निरर्थक होंगे।) यह मूल मसौदा इस प्रकार है,

'समग्र विषय पर बहुत विमर्श एवं गंभीर विचार के बाद सब को विश्वास हो गया होगा कि हम मकान कर समाप्त करने की सूचना देना उचित मानते हैं किन्तु संभवतः यह मानकर कि उससे यह भी मान लेने की गलती हो सकती है कि अपनी सरकार अशांति और विद्रोह की स्थिति के सामने झुक गई है। और इससे स्थानीय लोगों को और अधिक छूट मांगने की प्रेरणा मिल सकती है। हम कर विषयक पूरे सिद्धान्त को छोडने की स्थिति में आ सकते हैं। जिन वस्तुओं से स्थायी और अधिक कर मिल सकता है ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने का एक विस्तृत ढांचा बना सकते हैं। यह ढांचा ऐसा हो कि स्थानीय लोगों को अत्याचारी न लगे। हम आशा कर सकते हैं कि आपने जिन बदल के विषय में विचार किया था और जिस मकानकर के विरुद्ध शिकायत दूर करने की योजना कर रहे थे वह मकान कर आपके १२ फरवरी १८११ के पत्र के दिन से ही शांतिपूर्ण रूप में वसूल किया जा रहा है।'

इस परिच्छेद में और भी बताया गया था,

'परन्तु यदि बदल नहीं किए जाते तो यह कर स्थानीय प्रजा में अत्यन्त विपरीत भाव और पूर्वाग्रह निर्माण कर देता। और भविष्य में अत्यन्त असन्तोष और संघर्ष निर्माण कर देता। अतः आपने यथाशीघ्र उसे वापस लेने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह काम सरकार की सत्ता के साथ बिना समझौता किए करना चाहिए।'

परन्तु कोलकता स्थित सरकार को इन भावनाओं को बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। कोलकता की सरकार भी समान रूप से विचार करती थी और चाहती थी कि 'करनाबूदी सरकार की सत्ता के साथ बहुत स्पष्ट रूप से समझौता किये बिना ही होनी चाहिये।'

लन्दन की सरकार के इस आशय के खरीते से महीनों पूर्व, बंगाल का दि. १४ दिसम्बर, १८११ का राजस्व पत्र दर्ज करता है,

'इन सभी तर्कों के निष्कर्ष स्वरूप कर चालू रखना उचित नहीं था। क्योंकि (वह कर) सरकार की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों के विरोध की भावना को दबाकर सरकार का आधिपत्य मान्य करवाने जैसा था। इस विषय में लोगों ने तो बिना शर्त समर्थन किया ही था। उसे ध्यान में ले कर ही हमने तत्काल ही कर समाप्त न कर के रेवन्यू बोर्ड को प्रस्ताव भेजने के बाद भी कोई छूट या लाभ देने की बात भी स्थगित की। इससे विपरीत जहाँ विरोध था वहाँ उनका आदेश होने तक कर वसूलना चालू रहा।

३.

अभिलेखों में जिसका स्पष्ट निरूपण मिलता है उस बनारस और अन्य स्थानों के सन १८१०-११ के विरोध की कथा सन् १९२० और १९३० के दशकों के नागरिक अवज्ञा और अन्य स्थानों के सन् १८१०-११ के विरोध के मुख्य तत्त्वों को ध्यान में लेना उपयोगी रहेगा।

विरोध का तात्कालिक कारण मकान पर लागू किया गया कर था। परन्तु असन्तोष और घृणा इस कर के लागू होने से बहुत वर्षों पूर्व से उभर रही थी। सन् १८१० में तो ये इलाके ५० से भी अधिक वर्षों से ब्रिटिश आधिपत्य में थे। बनारस, भागलपुर, मुर्शिदाबाद आदि स्थानों का जनसमाज सरकार के करतूतों के प्रति आशंकित होने लगा था। बनारस के लोगों ने कहा उस प्रकार मकान कर 'घाव के ऊपर नमक छिडकने' के बराबर था। मुर्शिदाबाद के लोगों को यह एक 'नया अत्याचार' लगा था। उन्होंने कहा था कि 'इसने हमारे ऊपर विनाशक स्फोट बनकर आघात किया था।'

बनारस के नागरिक अवज्ञा संगठन के प्रमुख तत्त्व इस प्रकार थे :

१. दुकानों आदि का बन्द होना और समस्त गतिविधियां ठप्प हो जाना इतनी हद तक पहुंचा था कि 'मृतदेहों को भी गंगा में बहा दिया जाता था क्योंकि अन्तिम

संस्कार करने हेतु मनुष्य मिलना असंभव था।'

२. लोग हजारों की संख्या में 'धरना' के लिये निरन्तर इकट्ठे होते थे। (एक अनुमान से तो कई दिनों तक यह संख्या २,००,००० थी) 'उन्होंने घोषित किया था कि जब तक कर वापस नहीं लिया जाएगा, वे हटेंगे नहीं।'

३. विभिन्न कारीगरों और दस्तकारों ने अपने अपने व्यावसायिक संगठनों का संकलन कर प्रतिरोध की योजना बनाई थी।

४. लोहार उस समय शक्तिशाली और सुसंगठित समूह था। इस आन्दोलन का नेतृत्व उनके पास था। उन्होंने अन्य प्रदेशों से भी लोहारों को इस आन्दोलन में जुडने के लिये बुलाया था।

५. मल्लाहों ने भी अपना काम पूर्ण रूप से बन्द कर दिया था।

६. लक्ष्य सिद्ध होने से पूर्व हटेंगे नहीं ऐसी शपथ लेकर ही लोग एकत्रित हो रहे थे।

७. 'बनारस के सम्मेलन में शामिल होने के लिये परिवार से कम से कम एक व्यक्तिने आना चाहिये ऐसी धर्मपत्री का प्रदेश के सभी गांवों में वितरण करने के लिये दूत भेजे गये थे।'

८. 'आन्दोलन जारी रखने के लिये और जिनका निर्वाह दैनन्दिन रोजगारी पर चलता था उनके परिवारों की सहायता के लिये हर जाति के हर व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया था।'

९. लोगों की एकमति बनाये रखने के लिये संतों ने भी अपने प्रभाव का उपयोग किया था।

१०. समूह इतना सर्वसमावेशी था कि उससे अलग होने की इच्छा करनेवाले को अपमान और डांटडपट होने से पुलिस भी बचा नहीं सकती थी।

११. बनारस के गली मोहल्लों में विरोध प्रदर्शित करनेवाले फलक लगे थे। न्यायाधीश के मतानुसार ये फलक 'अत्यन्त आक्षेपार्ह और भडकाऊ थे।' 'जो भी ऐसा फलक या पत्रक खोज कर लायेगा उसे ५०० रूपए का पुरस्कार' उसने घोषित किया था।

अपने अशस्त्र प्रतिरोध में स्वयं लोग क्या कहते थे इसका ब्यौरा देते हुए समाहर्ता ने कहा,

'ऐसा करना उनके लिये बहुत स्वाभाविक था। इस पद्धति से विरोध करना इस बात का संकेत था कि उनमें और राज्य को सत्ता में कोई दुश्मनी नहीं थी।' इसी

सन्दर्भ में नकारे गये आवेदन में इस उक्ति को उद्घृत किया गया था, 'आपके द्वारा जिसका पोषण हुआ है उससे मुक्ति पाने के लिये मैं किससे निवेदन करूं ! आप ही से, जिन्होंने मुझ पर यह लादा है।,' शासक और शासित के सम्बन्धों की जिस संकल्पना को लेकर वे जी रहे हैं, और आज भी उनके मानस में अवस्थित है वह तो दोनों के बीच में निरन्तर आदानप्रदान की थी। इस विरोध में भी बनारस के लोग जो कुछ भी कर रहे थे उसका प्ररिप्रेक्ष्य इस प्रकार के सम्बन्ध ही थे, जो विरोध की पद्धति और परिणाम को भी प्रभावित करते थे।

बहुत विलम्ब से भारत के लोगों को समझ में आया की विरोध की इस पारंपरकि पद्धति का अवलम्बन करना व्यर्थ है क्यों कि जिन के प्रति यह विरोध किया जा रहा है वे सर्वथा भिन्न और अपरिचित मूल्यों के लोग हैं और भारत के लोगों और इन में कोई समानता नहीं है। यह साक्षात्कार या तो उन्हें हिंसा की ओर मोड सकता था या फिर वे अधिकाधिक निष्क्रिय और अन्तर्मुख बन जाते थे ।

पटना, सरन, मुर्शिदाबाद (भले ही कम तीव्र) और भागलपुर की घटनाओं और बनारस की घटनाओं में पूर्ण समानता है। भागलपुर में भी, जहां समाहर्ता स्थान और समय का होश गंवाकर ब्रिटिश 'जस्टिस ऑव् पीस' जैसा ही व्यवहार करने लगा तब बहुत आक्रोशपूर्ण होने पर भी लोग शान्त रहे। हजारों की संख्या में वे पूर्ण अशस्त्र रूप में इकट्ठे होते रहे। 'बच्चों और महिलाओं को भी गोली चलने का भय नहीं था, यही नहीं वे चाहते थे कि गोली चले'।

समयांकन (१८१०-१२) को यदि एक सौ या एक सौ दस वर्ष आगे बढाया जाए, कर का अभिधान बदल दिया जाए और जरा कुछ वाचिक बदल किये जाएँ तो यह निरूपण आज भी जो लोगों के स्मरण में है उन १९२०-३० के नागरिक अवज्ञा आन्दोलन को लागू हो सकता है। जिस प्रकार लोगों ने अपने आप को संगठित किया, जिन उपायों का उन्होंने अवलम्बन किया,अपनी एकता बनाये रखने के लिये जो योजना बनाई और जिस आधारभूत तर्क से आन्दोलन का जन्म हुआ - वह सब दोनों समय में एक ही था।

फिर भी एक महत्वपूर्ण अन्तर है। सन् १८१०-११ में लोग स्वयं प्रेरणा से व्यवहार करते थे परन्तु एक शतक के बाद भारत के लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। दोनों के बीच जो एक शतक गुजरा था (अन्य स्थानों पर कुछ वर्ष कम या अधिक) उसने लोगों के साहस और विश्वास को सोंख लिया था। कम से कम सतह पर तो यही दिखता था। लोग अत्यधिक भीरू, अन्तर्मुख और दब्बू बन गये थे। महात्मा गांधी ने

इस स्थिति से लोगों को बाहर निकाल कर उनमें साहस और विश्वास पैदा किये थे।

महात्मा गांधी ने जब विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों को उठाया तब उनके असहयोग और नागरिक अवज्ञा का व्यापक प्रसार और आत्यन्तिक सफलता का एक कारण तो यह हो सकता है कि बीसवीं शताब्दी के अंग्रेज शासक अपेक्षाकृत सहृदय और विचारशील हुए थे। स्वयं गांधीजी के व्यक्तित्व का प्रभाव भी एक कारण हो सकता है जिससे प्रेरित होकर अनेक अंग्रेज अधिकारी सोचने लगे थे और निजी वार्तालापों में बोलने लगे थे कि उनके शासन ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया था। उनकी तुलना में अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटिश शासक अत्यन्त आसुरी और अमानवीय शासन प्रणाली के दूत थे, इतना ही नहीं तो व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर उनका आचरण भी उतना ही बर्बर और नृशंस था। किस कारण से यह परिवर्तन हुआ यह एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है।

४.

सन् १८१०-११ में बनारस और अन्य नगरों में हुए विरोधों की कथा में भारत के लोगों द्वारा सरकार अथवा अन्य सत्ताधीशों के किये जानेवाले विरोधों के सभी प्रकारों का समावेश नहीं होता है। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के (और यदि उससे भी पूर्व के अस्तित्व में हों और प्राप्य भी हों) अभिलेखों का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने पर विरोध के अन्य स्वरूप और उसके प्रमुख लक्षणों की जानकारी मिल सकती है। परन्तु निस्सन्देह रूप से एक बात तो प्रस्थापित होती ही है कि अन्याय के विरुद्ध असहयोग और नागरिक अवज्ञा का अवलम्बन करना भारत की परम्परा में है। इससे गांधीजी के इस कथन की सत्यता भी सिद्ध होती है कि 'जीवन की प्रत्येक बात में भारत के लोग अक्रिय प्रतिरोध का ही अवलम्बन करते हैं। शासक जब हमें नाराज करते हैं तब हम उन्हें सहयोग करना बन्द कर देते हैं।' यह इस बात को भी सूचित करता है कि कुछ निश्चित घटनाओं की जानकारी के परिणाम स्वरूप अथवा अन्तर्दृष्टि से गांधीजी को यह परम्परा अच्छी तरह से ज्ञात थी।

असहयोग और नागरिक अवज्ञा भारत की परम्परा में हैं इसका वर्तमान भारत में क्या कोई प्रयोजन है ? लेखक का मंतव्य है कि इसका लोगों और सरकार अथवा अन्य सत्ताधीश दोनों के लिये प्रयोजन है। प्रजा और सरकार के आपसी सम्बन्धों के क्षेत्र में तो इसकी निर्णायक भूमिका है और आज भी भारतीय राजनीतितन्त्र निर्विघ्न और निर्बाध चलने के लिये तथा उसके स्वास्थ्य के लिये इन दोनों तत्त्वों की विधायक

अनिवार्यता है।

आगे बढने से पूर्व, दो शताब्दियों के ब्रिटिश शासन की ओर से विरासत में प्राप्त हुए वर्तमान राजनीतितन्त्र के दो प्रमुख लक्षणों का निर्देश करना उपयोगी होगा।

प्रथम है सरकार के सन्दर्भ में लोगों का स्थान क्या है इस विषय में अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी की ब्रिटिशों की धारणा और अभिगमों का ही स्वीकार और प्रचलन।

अभिलेखों में स्पष्ट दिखता है कि १८१०-११ में सत्ताधीश बार बार कह रहे हैं कि लोगों ने 'जन अधिकारियों के प्रति बिना शर्त अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिये', 'सरकार ने लोगों की मांग या आपत्ति के प्रभाव में आकर झुकना नहीं चाहिये', सरकार को यदि झुकना ही पडता है तो वह 'सरकार की सत्ताशीलता के साथ अत्यन्त स्पष्ट रूप से समझौता किये बिना' होना चाहिये। भागलपुर के समाहर्ता के लिये भी कर वसूली स्थगित इसलिये करनी है कि 'अनियन्त्रित भीड सरकार की प्रजा के ऊपर जो सत्ता होनी चाहिये उसके मूल में ही आघात कर रही है'। २० जनवरी १८११ को स्थिति की जानकारी देते हुए बनारस का न्यायाधीश भी यही बात अधिक वेदना से कर रहा है। वह लिखता है,

'मेरा दृढ मत है कि राज्यसत्ता की अवमानना करने की यही स्थिति यदि बनी रहती है तो प्रजा को देश की सरकार के प्रति जो आदर की भावना होनी चाहिये वह दिनप्रतिदिन कम होती जाएगी। (अभी भी वह कम हुई ही है।)' भारत सरकार के वर्तमान नियम, अधिनियम और कानूनों में यही भावनाएँ और धारणाएँ प्रतिष्ठित हैं।

दूसरा, महात्मा गांधी के प्रयासों के बावजूद भारत के सर्वजनसमाज में साहस और विश्वास समान रूप से परिलक्षित नहीं होता है। बहुतांश को तो इसका स्पर्श तक नहीं हुआ है। अथवा कदाचित बनारस के लोगों की तरह एक बार दबा दिये जाने के बाद प्रज्वलित ज्योति पुन: शान्त हो जाती है उसी तरह 'उदास शान्ति' में डूब जाते हैं क्यों कि उन्हें लगता है कि भले ही वे 'प्रतिरोध नहीं कर सके तो भी वे सम्मत नहीं होंगे।'

सन् १९४७ से ही स्वतंत्र भारत में असहयोग और नागरिक अवज्ञा का क्या प्रयोजन है इस विषय पर विवाद चल रहा है। सामाजिक और राजकीय रूपान्तरण रखनेवाले तेज रफ्तारवाले परिवर्तन के पक्षधर सहित भारतीय राजनीतितन्त्र से सरोकार रखनेवाले सभी को यह प्रश्न उद्वेलित कर रहा है। एक पक्ष का मत है कि लोगों के प्रतिनिधियों से बनी धारासभाएँ हैं ऐसे स्वतन्त्र देश में असहयोग और नागरिक

अवज्ञा का कोई स्थान नहीं है। दूसरा पक्ष मानता है कि कुछ निश्चित स्थितियों में इनका अवलम्बन किया जा सकता है। परन्तु उन स्थितियों के विषय में भी विवाद है। कुछ का मत है कि सर्वस्वीकृत प्रतिमानों के सन्दर्भ में ही इनका अवलम्बन मान्य करना चाहिये। अन्य कुछ लोगों का मत है कि इस प्रकार के सर्वस्वीकृत प्रतिमानों को बदलने के लिये भी असहयोग और नागरिक अवज्ञा का अवलम्बन किया जा सकता है।

परन्तु यह विवाद नया नहीं है। इस शताब्दी (बीसवीं शताब्दी) के प्रारम्भ में जब असहयोग और नागरिक अवज्ञा की कल्पना पुनर्जागृत की गई तभी से यह विवाद चल रहा है। सरकार के तन्त्र में जुडे हुए लोगों के अतिरिक्त इसका विरोध करनेवालों में प्रमुख व्यक्ति थे श्रीनिवास शास्त्री और रवीन्द्रनाथ ठाकुर। उखाड फैंकने की, विस्थापित करने की, देश में अराजक की स्थिति निर्माण करने की, कानून की अवमानना करने की, व्यवस्था और नियुक्त सरकार को नष्ट करने की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति के प्रति श्रीनिवास शास्त्री आशंकित थे।[२५] रवीन्द्रनाथ ठाकुर को उसके आचरण में जो खतरा निहित था उसका भय था। उन्हें लगता था कि यह भारत के गौरव के अनुरूप नहीं है।[२६]

इसका अत्यधिक उग्र और बहुचर्चित विरोध श्री आर. पी. परांजपे ने दिसम्बर २६, १९२४ के लखनऊ के इण्डियन नेशनल लिबरल फैडरेशन के अध्यक्षीय भाषण में किया। असहयोग और नागरिक अवज्ञा के विरोधियों के विचारों और अभिगमों को परिलक्षित करनेवाला होने के कारण से उसे यहां कुछ विस्तार से उद्धृत करना उचित होगा। श्री परांजपे ने कहा,

'अर्धशिक्षित लोगों के मानस में राष्ट्रभक्ति के श्रेष्ठ प्रकार के रूप में जिस नागरिक अवज्ञा की संकल्पना प्रस्थापित की जा रही है वह वर्तमान अन्तिमवादी प्रचार का अत्यन्त उत्पाती स्वरूप है। सत्याग्रह, असहयोग, नागरिक अवज्ञा आदि के नाम से उसकी अत्यन्त परिश्रमपूर्वक स्थापना की जा रही है। उसका विनाशक प्रभाव अभी से दिखने लगा है... पक्ष या प्रतिपक्ष में अनिवार्य रूप से हिंसा भडक उठती है... यह सम्भव है कि कभी कभी वह सरकार के विरुद्ध उपयोगी साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, परन्तु जनमानस पर उसका सार्वकालिक परिणाम होता है। कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव हमेशा के लिये नष्ट हो जाता है, और प्रजा में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको लगने लगता है कि तथाकथित देशभक्तों का अनुकरण कर वे भी अपने आप को देशभक्त कहलवा सकते हैं। यह

स्मरण में रखना आवश्यक है कि 'महात्माओं', 'मौलवियों' और 'देशबन्धुओं' की कल्पनाएँ साकार हो जाने के बाद भी जनमानस में कानून और व्यवस्था के प्रति अनादर का भाव बना ही रहेगा। उन्हें (प्रणेताओं को) समझ में आयेगा कि सरकार के लिये उनकी ही जिम्मेदारी होने के बावजूद आज जो बीज उन्होंने बोये हैं वे कल ऐसे दीमक बन जाएँगे जिससे छुटकारा पाना असम्भव हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्षणिक समस्याग्रस्त लाभ प्राप्त करने के लिये अपने ही लिये अनवरत अनन्त परेशानियों का मार्ग प्रशस्त करने की इससे अधिक अदूरदृष्टि युक्त नीति की कोई मिसाल नहीं है। कर नहीं चुकाने के आन्दोलन से अन्तिमवादी नेताओं को रोमांच होता होगा... तो भी किसी भी सरकार में कर तो डालने ही पडेंगे और लोगों ने चुकाने ही पडेंगे। परन्तु लोगों को यदि सिखाया गया है कि कर चुकाने का निषेध करना ही श्रेष्ठ देशभक्ति है तो भविष्य की सरकार का काम चलना असमभ्व हो जाएगा।'[२७]

परन्तु जैसे जैसे समय बीतता गया और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद के एक मात्र प्रतीक बन गये, इस प्रकार के विरोधों की मुखरता कम होती गई। कुछ व्यक्तियों के कुछ विशेष रूप में होनेवाली इन तत्त्वों की अभिव्यक्ति के लिये असहमति होने पर भी १९३० के मध्य से असहयोग और नागरिक अवज्ञा अन्याय का प्रतिकार करने की भारतीय पद्धति के रूप में प्रस्थापित हो गये। परन्तु भारत में ब्रिटिश शासन के अन्त के साथ शास्त्री, ठाकुर, परांजपे आदि के दृष्टिकोण फिर से उभर कर सामने आ गए। और जैसे कि स्वाभाविक अपेक्षा की जा सकती है विरोध या असहमति ऐसे लोगों के द्वारा जताई जाती है जो शासनतन्त्र से जुडे होते हैं। इसका एक विचित्र पहलू यह है कि विरोध या असहमति जतानेवाले अनेक लोग स्वयं पूर्वकाल में गांधीजी के असहयोग और नागरिक अवज्ञा के आन्दोलनों के सहभागी थे। साथ ही इस नये परिवर्तित अभिगम को चुनौती देनेवाले जननेताओं की भी कमी नहीं थी। इस चुनौती के स्वरूप का सार जे.बी. कृपलानी के निम्नलिखित उद्धरण में देखा जा सकता है। दिसम्बर १९५३ में कृपलानी ने कहा,

'कोंग्रेस के मांधाताओं के इस नये से विकसित विचार का मैं खंडन करूँगा कि लोकतन्त्र में सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं है। गांधीजी के द्वारा प्रवर्तित सत्याग्रह कोई राजनीतिक शस्त्र मात्र नहीं है। उसका प्रयोग आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकता है और मित्रों और परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी हो सकता है। गांधीजी ने उसे जीवन के सिद्धान्त के रूप में पुरस्कृत किया है। अत: इसका लोकतन्त्र में कोई स्थान नहीं है यह कहना हास्यास्पद होगा। हमारे जैसे नौकरशाही और केन्द्रीकृत

लोकतन्त्र के सन्दर्भ में तो यह विशेष रूप से हास्यास्पद होगा।'

उन्होंने आगे कहा,

'सारे के सारे प्रश्न अगले चुनाव तक रोके नहीं रखे जा सकते। उन्हें स्थानीय आपत्तियां मानकर उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्यों कि लोगों के एक वर्ग के लिये ये प्रश्न जीवन मरण के हो सकते हैं। सत्याग्रह को नकारने का अर्थ होगा दीर्घकाल तक आपखुदी की अप्रतिरोधात्मक अधीनता।'[२८]

यह नये प्रकार का विरोध और असहमति अधिक जटिल और कम उग्र है। इनमें से अधिकांश लोग असहयोग और नागरिक अवज्ञा को पूर्ण रूप से नकारते नहीं हैं। श्री के. सन्तानम् कहते हैं उस प्रकार से वे लोकतान्त्रिक सरकार में इन्हें अप्रासंगिक और हानिकारक मानते हैं।[२९] के. सन्तानम् के अनुसार कुछ खास अपवादात्मक किस्सों को छोड 'लोकतान्त्रिक सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह न्यायोचित नहीं है।'[३०] सन् १९५५ में श्री यु.एन. ढेबर ने कहा था (उस समय वे भारतीय राष्ट्रीय कोंग्रेस के अध्यक्ष थे) उसके अनुसार 'लोकतंत्र या लोकतांत्रिक पद्धति से चलनेवाली संस्थाओं के सन्दर्भ में सामान्य रूप से सत्याग्रह का बहुत कम वजूद है।'[३१] परन्तु सन्तानम् जैसे लोगों को भी अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा हेतु विशिष्ट परिस्थिति में व्यक्तियों द्वारा सत्याग्रह का अवलम्बन करने की आवश्यकता महसूस होती है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.बी. गजेन्द्रगडकर भी इसी मत के लगते हैं। अभी अभी मार्च १९६७ में ही उन्होंने कहा,

'लोकतन्त्र में भी सत्याग्रह और असहयोग को विधिसम्मत शस्त्र माना जाना चाहिये बशर्ते उनका प्रयोग शेष सारे उपाय नाकाम हो जाने के बाद अन्तिम आलम्बन के रूप में हो।'[३२]

इस प्रकार, १९२० के दशक से वर्तमान विरोध तत्त्वत: भिन्न स्वरूप का है। एक ओर अधिकार के पदों पर और जिम्मेदारी निभानेवाले लोग असहयोग और नागरिक अवज्ञा को बहुत पसंद नहीं करते हैं तो दूसरी ओर भारत में इसे व्यापक मान्यता प्राप्त होने लगी है। मान्यता यह है कि ये लोकतन्त्र के लिये घातक नहीं अपितु सहायक हैं। श्री के. सन्तानम् का विचार है कि 'लोकतांत्रिक शासकों को समझना चाहिये कि सही रूप में सत्याग्रह सही रूप के लोकतन्त्र के लिये पूरक है।[३३]' आज कदाचित् ही कोई इस विचार का विरोध करेगा। फिर भी शासन तंत्र को चलानेवाले या अन्य अधिकार के पदों का निर्वाह करनेवाले लोगों के मानस में अभी यह उतरना बाकी है। विचित्र लग सकता है परन्तु इसी दुमत के कारण से आज असहयोग और

नागरिक अवज्ञा तुच्छ बातों के साथ उलझ गये हैं।

अपने अवलोकनों का निहितार्थ क्या हो सकता है इसकी पूर्ण जानकारी के बिना ही यु. एन. ढेबर और के. सन्तानम् ने केन्द्रवर्ती मुद्दे की ओर संकेत किया है। श्री ढेबर के अनुसार, '(लोकतन्त्र के सन्दर्भ में) राज्य या संविधान के मूल को नष्ट करनेवाले कानून अथवा गतिविधि स्थायी होने लगती हैं तभी सत्याग्रह का प्रश्न खडा होता है'[३४] सन्तानम् के अनुसार लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा हेतु सत्याग्रह त्वरित उपलब्ध शस्त्र है।[३५] इन लोगों की गलती यह हुई है कि उन्होंने 'राज्य अथवा संविधान के आधार' और 'मूलभूत अधिकार' किसे कहते हैं इसकी बहुत ही यांत्रिक व्याख्या की है।

राज्य का कौन सा आचरण राज्य को ही नष्ट करता है ? मूलभूत अधिकारों का नकार किसे कहते हैं ? केवल कानूनी तौर पर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जा सकते। एक ही स्पष्ट उदाहरण लें: व्यापक भुखमरी और असुरक्षा राज्य और संविधान के मूल में आघात कर रही है, साथ ही संविधान प्रदत्त अत्यन्त मूलभूत मानवीय अधिकारों पर भी आघात कर रही है। देश के लगभग ४० प्रतिशत लोगों के लिये भुखमरी, जीना दुश्वार कर देनेवाली परिस्थिति और असुरक्षा राज्य या राज्य के संविधान का करतूत नहीं है। वह तो विगत दोसौ वर्षों की उपज है। फिर भी इन संकटों को और कोई नहीं तो उनको सारे जनसमाज में बांट देने का भी उपाय करके नाबूद करने को राज्य की अनिच्छा या असंवेदनशीलता भारत के राज्य और संविधान के मूल में ही आघात कर रही है। भुखमरी और असुरक्षा को नाबूद करने में असहयोग और नागरिक अवज्ञा का प्रयोग (काम करने के अधिकार का प्रभावी प्रावधान और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रूग्णावस्था और पंगुता में सार्वजनिक सहायता की संविधान सम्मत मांग कर के) वर्तमान विध्वंस को रोक सकता था। समय रहते आज भी उसका प्रयोग करके लाभान्वित हुआ जा सकता है।

ब्रिटिश इस प्रकार के विरोध की ओर ध्यान नहीं देते थे इसका मुख्य कारण यह है कि लगभग यहां से जाने तक भी अपने भारत के शासन की वैधता के बारे में उनका मानस निश्चित नहीं था। उनसे पूर्व के शासकों के मन में अपने शासन की वैधता के बारे में पूर्ण निश्चितता थी। अत: लोगों के विरोध या मांग के समक्ष झुकना या उसके अनुसार अपनी व्यवस्था को बदलना यो छोडना अपने शासन की वैधता के प्रति चुनौती है ऐसा वे नहीं मानते थे। उल्टे इस प्रकार प्रजा की मांग या विरोध का स्वीकार करके उसके अनुरूप बदल करना उनकी स्वयं की और प्रजा की दृष्टि में

शासन को अधिक न्यायोचित सिद्ध करता था। केवल प्रजा के द्वारा स्वीकृति और प्रस्थापित न्यायपूर्ण अधिकारयुक्त शासक ही इस प्रकार से प्रजा के प्रति अधीनता दर्शा सकता था या अपनी नीति को वापस ले सकता था।

दूसरी ओर भारत के कुछ हिस्सों में शासितों ने भले ही ब्रिटिशों के शासन का स्वीकार किया हो तो भी स्वयं ब्रिटिशों को शासन करने का अपना न्यायिक अधिकार है ऐसा नहीं लगता था। सैन्य बल से प्रजा पर विजय प्राप्त करने के सिवाय और किसी प्रकार की वैधता या मान्यता उनके पास नहीं थी। यह सच है कि उनकी विजय अत्यन्त चतुरता और सैन्यबल का कम से कम उपयोग करके प्राप्त हुई थी। परन्तु यह कम से कम भी उतना कम नहीं था।

पूरे के पूरे ब्रिटिश शासनकाल में यह अवैधता की भावना प्रवर्तमान रही। रोबर्ट क्लाईव, टॉमस मनरो, ज्हॉन माल्कम और चार्ल्स मेटकाफ जैसे एकदूसरे से अलग अलग प्रवृत्ति के और अलग अलग समय में भारत में रहनेवाले व्यक्तियों के मनमें यही भावना अवस्थित थी। १८५७ के वर्ष ने इसे और स्पष्ट कर दिया। रोबर्ट क्लाईव के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन का मूल सिद्धान्त ' हमारा स्वामित्व और हमारा प्रभाव हमने प्राप्त किया हुआ है अत: उसे बल प्रयोग के द्वारा बनाए रखना चाहिये, देश के राजाओं को भय दिखाकर वश में रखना चाहिये।'[३७] ५७ वर्ष बाद मेटकाफ का भी इससे अलग मंतव्य नहीं था। उल्टे वह और भी मुखर था। सन् १८२९ की एक टिप्पणी में उसने लिखा,

'पूर्व में कभी नहीं थे इतने आज हम भारत में शक्तिशाली दिख रहे हैं। फिर भी पतन कभी भी हो सकता है। जब वह शुरू होगा, अत्यन्त त्वरित होगा। और हमने इस विशाल भारतीय साम्राज्य की विजय के बारे में जितना आश्चर्य नहीं हुआ था उतना, या उससे अधिक आश्चर्य कितनी शीघ्रता से उसका अन्त हो जाएगा यह देखकर होगा।'[३८]

मैटकाफ आगे लिखता है,

'इतनी क्षणभंगुरता का कारण यह है कि हमारा आधिपत्य वास्तविक ताकत पर नहीं अपितु केवल धारणा पर आधारित है। हमारी समग्र वास्तविक ताकत तो अधीन किये गये भारत में यत्र तत्र अवस्थित सेना की यूरोपीय पलटन में है। उन्हीं लोगों के हृदय हमारे साथ हैं। संकट के समय में केवल उन्हीं पर भरोसा किया जा सकता है।

हमारी सारी सैनिकी या नागरिक देशी संस्थाएँ केवल भाग्य के अधीन है। वे

अपना जीवनयापन करने के लिये हमारी चाकरी कर रहे हैं। सामान्यत: वे चाकरी अच्छी करते हैं। जिनसे उन्हें पोषण मिलता है उनकी चाकरी अच्छे से करनी चाहिये यह उनका जीवनमूल्य है इसलिये संकटपूर्ण स्थिति में वे निष्ठापूर्ण आचरण भी करते हैं। परन्तु अपने अन्तर्मन में वे हमारे प्रति व्यापक असन्तोष का भाव पाले हुए हैं। यह भाव हमारे खराब शासन के कारण से नहीं है अपितु स्वाभाविक अदम्य घृणा के कारण है। उनका ही शब्दप्रयोग किया जाए तो हवा का जरा सा रुख बदलते ही और अपने विरुद्ध स्थिर होते ही हम उनसे सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते। भले ही हमारे प्रति समर्पण के कुछ भव्य परन्तु अपवाद स्वरूप उदाहरण हों, उत्तर से दक्षिण तक पूरे के पूरे भारत में लोग हमारे विरुद्ध संगठित हो जाएँगे।'[३९]

मेटकाफ ने आगे लिखा,

'हमारे लिये सब से बडा भय रूसी आक्रमण का नहीं है। भारत के लोगों के मन से हमारी अजेयता का भाव शिथिल होने का भय सब से बडा है। हमारे प्रति उनके मनमें अत्यधिक द्वेष है। वह द्वेष ही हमें निर्मूल करेगा। जो घटनाएँ घट रही हैं उनके परिणाम स्वरूप ऐसा क्षण कभी भी आ सकता है।'[४०]

कुछ मास पूर्व मैटकाफ ने परामर्श दिया था, 'भारतीय जनसमाज का प्रभावशील तबका समान हित और समान भावनाओं के साथ हमारी सरकार में नहीं जुडता तब तक भारत में हम जडें नहीं जमा सकते, परिणामत: हमारा शासन अत्यन्त असुरक्षित ही रहेगा ऐसा मेरा निश्चित मत है' और उसने 'हमारे देशवासियों को भारत में स्थिरतापूर्वक स्थापित करने में सहूलियत हो इस हेतु से योजनाबद्ध पद्धति से' जो भी हो सकता है वह सब करने का आग्रह किया था।

स्थिति का इस प्रकार का आकलन भारत में अवस्थित सभी अंग्रेज समान रूप से करते थे इसलिये वह सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में परिलक्षित होता था। परिणाम यह था कि 'यूरोपीय पलटन' और 'अजेयता की छाप' को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार की मान्यता या वैधता नहीं होने से ब्रिटिश किसी भी प्रकार के लोगों के विरोध के सम्मुख झुक भी नहीं सकते थे या कोई राहत भी नहीं दे सकते थे। उनको लगता था कि किसी भी प्रकार की राहत देने से और अधिक राहत की अपेक्षा जाग्रत होगी और उससे तो उनकी सरकार के सारे सिद्धान्त छिन्नविच्छिन्न हो जाएँगे। इसलिये जहां भी व्यूहरचना के तहत या परिस्थिति की विवशता से राहत देना अनिवार्य था वहां भी 'सरकार की सत्ता के साथ स्पष्ट समझौता न लगे इस प्रकार से' व्यवहार करना था।

राज्य का ढांचा गलत नहीं हो सकता (इसी प्रकार सत्ता और प्रभाव के अन्य केन्द्र भी) यह सिद्धान्त ब्रिटिशरों द्वारा प्रस्थापित किया गया और ब्रिटिश सत्ता के जाने के बाद भारत में आज भी उसी प्रकार से प्रस्थापित है। यह सच है कि अपने आप को अत्यन्त असुरक्षित मानने के कारण यह ढांचा विरोध करनेवालों की शिकायतें सुनने के लिये प्रस्तुत हो जाता है। परन्तु ऐसा वह तब करता है जब विरोध करनेवाले अपना विरोध छोडने या स्थगित करने के लिये प्रस्तुत हो जाएँ। इस प्रकार राज्य की कभी गलती नहीं होती इस सिद्धान्त का वास्तव में त्याग करने के बाद भी उसे ऐसा बनानेवाले नियम, विनियम और कानून उसी रूप में अभी भी अवस्थित हैं। ये नियम, विनियम और कानून ही राज्य को वैधता और पवित्रता प्रदान करते हैं। इस सारी रचना ने राज्य को अत्यन्त भयावह स्थिति में पहुंचा दिया है। वह न केवल राज्य और प्रजा के बीच अविश्वास, दुश्मनी और अपरिचय बनाए रखता है अपितु प्रजा को यह मानने के लिये प्रेरित करता है कि बिना हिंसा पर उतर आए उन्हें कोई सुनेगा नहीं। विद्रोह, विरोध, हत्या और पुलीस गोलीबारी की अनेक घटनाओं से भरेपूरे विगत कुछ वर्षों का कालखण्ड इसी बात को सत्य सिद्ध करता है।

१९४७ से पूर्व का परांजपे, रवीन्द्रनाथ और श्रीनिवास शास्त्री जैसे लोगों का अथवा राज्य के ढांचे से जुडे लोगों के असहयोग और नागरिक अवज्ञा के विरोध और सैद्धान्तिक निषेध के मूल राज्य का ढांचा गलत न होने के ब्रिटिश सिद्धान्त में हैं। कितना ही क्षीण और हास्यास्पद मानें तो भी यह सिद्धान्त अभी मरा हुआ मानकर दफनाया नहीं गया है। इसकी जडें भले ही हिल रही हों तो भी बनी हुई हैं। राज्यसंस्था के साथ जुडे हुए अनेक लोग और वर्तमान भारतीय राज्यतंत्र के विषय में सिद्धान्त निरूपण करनेवाले विद्वान इन जडों को पोषण दे रहे हैं।

अत: यह स्वीकार किया जाता है कि विदेशी शासन के विरुद्ध में प्रयोग किये जाने के लिये असहयोग और नागरिक अवज्ञा न्यायोचित और तर्कसंगत साधन हैं परन्तु स्वदेशी शासन के विरुद्ध प्रयुक्त किये जाएँ तब वे ऐसे नहीं हैं। इसी सन्दर्भ में भारत के विभिन्न नेता (इतिहास, राजनीतिशास्त्र आदि का उल्लेख न करें तो भी) सामान्य रूप से वर्गविहीन और समतावादी समाज और कल्याण राज्य के पक्षधर होते हैं तो भी वर्तमान राज्यव्यवस्था की कोई गलती नहीं होती इसी सिद्धान्त के पुरस्कर्ता जैसा व्यवहार करते हैं।

इस प्रकार का सिद्धान्त और उसका समर्थन गांधीजी ने अपने सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन में जो भी कहा उसके विरुद्ध जाता है। इतना ही नहीं पारंपरिक रूप

में असहयोग और नागरिक अवज्ञा के आचरण को बनाए रखनेवाले भारतीय जन के मानस के भी पूर्ण रूप से विरोधी है।

यहां जो कुछ कहा इसका अर्थ यह नहीं है कि असहयोग और नागरिक अवज्ञा का प्रयोग हमेशा ही करते रहना है। कुछ समकालीन सिद्धान्त 'क्रान्ति' के विषय में ऐसा कहते हैं। उनका उपयोग आवश्यकता पडने पर करना होता है। शासक और शासित में जितना अधिक सुसंवाद होता है उतनी ही इनके प्रयोग की आवश्यकता कम होती है।

इस बात का भी स्वीकार करना चाहिये कि अन्य अनेक उपायों के समान, असहयोग और नागरिक अवज्ञा सब कुछ सुलझा नहीं सकते। ऐसी कोई सामाजिक और राजकीय परिस्थितियां होगी जहां उनका प्रयोग उपयुक्त नहीं होता। पूर्व में बताया गया है उस प्रकार से इन दो को यशस्वी होने के लिये दो विरोधी पक्षों में मूल्यों की कुछ समानता होनी चाहिये। दोनों पक्षों में भले ही कुछ समय के लिये-सामाजिक, राजकीय, धार्मिक मूल्य समान होने चाहिये। सभी परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं हो सकता। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी का कालखण्ड ही उसका उदाहरण है जहां शासक और शासितों के मूल्य समान नहीं थे। अधिकांश यूरोप जब हिटलर का, और शतकों पूर्व,उत्तर भारत जब तिमूर का सामना कर रहा था तब भी ऐसी ही परिस्थिति थी। केवल महात्मा गांधी की प्रतिभा, अप्रतिहत साहस और अतुलनीय संगठनात्मक कुशलता का ही जादू था कि मूलत: आन्तरिक परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिये बने साधनों का प्रयोग उन्होंने विदेशी सत्ता से सामने भी किया। परिस्थिति (बीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश कुछ नरम हुए थे) और उनके व्यक्तित्व के प्रभाव ने ब्रिटिशरों को कुछ समय के लिये मानने को विवश किया कि भारतीयों का पक्ष सही और न्यायपूर्ण है। एक के बाद एक कदम (भूराजस्व के मुद्दे से लेकर विदेशी चीजों के बहिष्कार तक, नमक कर की वापसी से लेकर दारूबंदी तक और भारत को युद्ध में धसीटने के विरोध तक) उठाते हुए वे अन्तत: 'भारत छोडो' आन्दोलन तक आ पहुंचे। झेकोस्लोवाकिया और पोलेण्ड के नागरिकों को भी हिटलर के विरुद्ध प्रयोग करने के लिये इन उपायों का परामर्श दिया। परन्तु विदेशी शासन के विरुद्ध इसका सफल उपयोग करने का विचार यह नहीं सिद्ध करता कि लोगों द्वारा निर्वाचित स्वदेशी सरकार के सन्दर्भ में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।

स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के स्वस्थ व्यवहार और सुरक्षा की दृष्टि से भी असहयोग और नागरिक अवज्ञा की उपयोगिता है। कानून की अदालतों, स्थानीय से

लेकर केन्द्रीय स्तर तक के चुनावों और निर्वाचित संस्थाओं के आपसी वादविवादों से भी इनका प्रभाव अधिक है। आपखुदशाही, संवेदनहीनता और अन्याय के विरुद्ध जो लोग असहयोग और नागरिक अवज्ञा का अवलम्बन करते हैं वे वास्तव में अपने समाज और राज्य के रक्षक होते हैं। उनके बिना समाज एक यांत्रिक विधिविधान में ही नहीं तो तानाशाही में फंस जाएगा जिसका अनिवार्य परिणाम अराजकता और सशस्त्र विद्रोह होगा।

संदर्भ

१. पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकृत अभिलेख : बंगाल ज्यूडिशियल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज फरवरी ८,१८११, ओरिजिनल कन्सल्टेशन्स नं.६

२. जे. मिल और एच. एच. विल्सन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश उन्डिया - ग्रंथ ७, पृष्ठ ८६७

उसका अर्थ ऐसा तो नहीं ही हो सकता है कि असहकार और सविनय कानूनभंग की जो घटनाएँ १८१०-११ में घटी थीं और जिन्हें हम सत्याग्रह कहते हैं, उन दोनों के बीच कोई ंतर ही नहीं था। वास्तव में तो महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया सत्याग्रह और उसका विचार समय बीतने के साथ अधिकाधिक संकलित होता रहा। बहुत लोगों के मतानुसार तो जिन का जीवन आश्रम से तालीमबद्ध न हुआ उनके द्वारा तो किया ही नहीं जा सकता, परन्तु समान्यतः बनारस के १८१०-११ के कार्यक्रमों की दृष्टि से तो, सत्याग्रह का सर्वमान्य अर्थ, असहयोग और सविनय कानूनभंग हो सकता है और जब गांधीजी ने जेक्स और पोल्स को सत्याग्रह करने के लिए बताया तो उनकी समान्य योजना बनारस जैसै ही विरोध की (जो वे उनकी बुद्धि के अनुरूप कर सकें ऐसा था) थी।

३. पी. कोदंडराव, वी.एस.शास्त्री, अ पॉलिटिकल बायोग्राफी (१८६३) पृष्ठ १८५

४. डी.डी. तेन्दुलकर, 'द महात्मा' (१८५१-५८) खण्ड २, पृष्ठ ६०

५. आर.पी. परांजपे, 'सिलेक्टेड स्पीचेझ एन्ड राइटींग्झ' (१८८०) पृष्ठ १६७-१७७

६. जनता (साप्ताहिक) के जनवरी २६, १८५८ के अंक के लेख में जे.बी. कृपलानी का दिया गया संदर्भ। सम्पूर्ण प्रवचन जनवरी १७, १८५८ के अंक में पृष्ठ ३

७. के. संतानम, 'सत्याग्रह एन्ड स्टेट' (१८६०) पृष्ठ ६२

८. वही

९. टाइम्स ऑव इन्डिया, सितम्बर, २२ १८५५ यू.एन. ढेबर का 'द रेशनाल ऑव सत्याग्रह नामक लेख

१०. फ्री प्रेस जर्नल, मार्च ३, १८६८ प्रवचन का प्रेस रिपोर्ट

११. के. संतानम 'सत्याग्रह एन्ड द स्टेट', १८६०, पृष्ठ ६२

१२. द टाइम्स औफ इन्डिया, सितम्बर २१, १८५५, यू.एन. ढेबर का लेख : ’द रेशनाल ऑव् सत्याग्रह’

१३. के. सन्तानम, ‘सत्याग्रह एन्ड द स्टेट,’ १८६०, पृ. ६७

१४. भारत का संविधान अनुच्छेद ८२

विनोबा भावे जैसे जिम्मेदार और कानून के शासन का सम्मान करने वाले व्यक्तियों के मतानुसार भी जिस स्थिति में कानून द्वारा किसी कार्य को उचित ठहराया गया हो अथवा जनसामान्य का अभिप्राय भी उस और हो, परन्तु उसका अमल न होता हो, तब सत्याग्रह का आश्रय लेना उचित कहा जा सकता है। (‘सत्याग्रह विचार’ पृष्ठ ६५) अभी तो, देश में निहित व्यापक भुखमरी और असुरक्षा से अधिक कोई दूसरी स्थिति विवादास्पद ही नहीं है। उसे दूर करने के लिए कानून की सम्मति और तरफदारी तो गणतंत्र के संविधान में ही दी गई है।

१८५७ तक तो ऐसी परिस्थिति थी कि प्रति चार भारतीय एक यूरोपीय था। कभी कभी तो प्रति छ भारतीय एक यूरोपियन सेना में था, परन्तु १८५७ बाद परिस्थिति में ऐसा परिवर्तन आया कि प्रति दो भारतीय एक यूरोपियन सेना में था और यह परिस्थिति १८०० तक चालू रही। १८५७ में ४५, १०८ जितने यूरोपीय सैनिक थे। १८०८ में यह संख्या बढकर ८२, ८६६ हो गई। १८०२ में ७५, ७०२ जबकि १८५६ में, २, ३५, ७११ भारतीय थे। १८०२ में १,४८,८२६ भारतीय थे। (ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी पेपर्स, १८०८, ग्रंथ ७४)

१५. आई. ओ. आर. फ्रान्सिस पेपर्स एम.एल. युर.ई. १२ पृष्ठ ३७, ‘हिन्टस ऑव् ए पोलिटिकल सिस्टम फोर द गवर्नमेन्ट ऑव् इन्डिया’ (सन १७७२)

१६. लंडन पब्लिक रेकोर्ड ओफिस : एलनबरो पेपर्स : पी. आर. ओ. ३८-८-८१ भाग २-२ कार्यवाही दि. १८ अक्टूबर १८२८ सी. जे . मेटकाफ

१७. लंडन पब्लिक रेकोर्ड ऑफिस : एलनबरो पेपर्स : पी.आर.ओ. ३०-८-८१, भाग १-२ कार्यवाही दि. ११, अक्टूबर, १८२९ चार्ल्स जे. मेटकाफ

१८. वही

१९. डरहाम, डिपार्टमेन्ट ऑव् पेलियोग्राफी एन्ड डिप्लोमेटिक : अर्ल ग्रे पेपर्सः बोक्स ३६ फाईल १, कार्यवाही दि. १८ फरवरी, १८२८ सी.जे. मेटकाफ

विभाग २
अभिलेख

३.	घटनाओं का अधिकृत वृत्तांत

क. बनारस की घटनाएं

ख. पटना की घटनाएं

ग. सरन की घटनाएं

च. भागलपुर की घटनाएं

४.	नीति से पलायन के कदमों की रीतरसम

५.	ईंग्लैण्ड में रहनेवाले संचालक अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार

३. घटनाओं का अधिकृत वृत्तांत

क. बनारस की घटनाएं

१. क. १ बनारस के समाहर्ता का कार्यवाहक न्यायाधीश को पत्र

२६-११-१८१०

डबल्यू. डबल्यू. बर्ड एस्क.
कार्यवाहक न्यायाधीश, बनारस

महोदय,

विनियम १५, १८१० के तहत बनारस के मकानों और दूकानों पर कर लागू किया गया है उसकी वसूली के लिये आपके सहयोग की अपेक्षा है, जिससे इस कर के विषय में यथासंभव अधिक मात्रा में प्रचार किया जा सके। ऐसा करने से जिन्होंने कर चुकाना है उनको इस विनियम की जानकारी मिलेगी और कर निर्धारण के बाद जब उनसे वह मांगा जाएगा तब उसे चुकाने में अनुकूलता रहेगी। वे जब मुझसे कर के दर के विषय में पूछेंगे तब उत्तर देने में सहूलियत रहेगी। इस हेतु से घरों के किराये कितने हैं और उस पर कर लगाने का प्रतिशत क्या है यह जानना भी मेरे लिये आवश्यक है, जिससे मैं कर की राशि निर्धारित कर सकूं और इसके प्रति जगनेवाली संभवित घृणा या शिकायतों से यथासंभव बच सकूं।

उस हेतु से मेरा प्रस्ताव है कि और एक या दो सम्माननीय व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त किया जाए जो प्रत्येक मोहल्ले के घरों और दूकानों का अंकन करें और ऐसी व्यवस्थित जानकारी एकत्रित करें जिसमें प्रत्येक के किराए की दरों की जानकारी शामिल की जा चुकी हो।

मकानमालिक और उसमें रहनेवालों को प्रवर्तमान विनियम लागू करने के संबंध में जरूरी नोटिस पहुँचाने के बाद दिए जाने वाले और वसूल किए गए किराए के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उसके बाद मेरी धारणा है कि मेरे अधिकारियों

को वसूल करने योग्य कर की मात्रा निश्चित करने हेतु उन क्षेत्रो में व्यक्तिगत सर्वेक्षण के लिए बारबार जाना नहीं पडेगा।

यदि कोई मकानमालिक की ओर से कोई अवरोध या बाधा उत्पन्न करने की कोई घटना घटेगी तो मैं स्वयं मेरे अधिकारियों के साथ जुड जाउँगा, जिससे मेरी पूर्व सम्मति के बिना वे कोई कदम न उठा लें। फिर भी यदि स्थिति बिगडेगी तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से निवेदन करते हुए उस घटना के संबंध में आपकी संमति भी प्राप्त कर लूंगा।

यदि इस काम के लिए भेजे गए अधिकारियों के साथ एक पुलिस अधिकारी भी प्रत्येक मोहल्ले और विस्तार के लिए भेजा जाता है तो मकानों और दूकानों की संख्या लेते समय किसी भी प्रकार के विवाद अथवा विरोध के समय उनकी उपस्थिति से सहायता मिलेगी और उस कर को लागू करने की समग्र प्रकिया के लिए वे उपयोगी सिद्ध होंगे।

उसके साथ नगर और उपनगर के कुछ थानों के लिए पूर्वोक्त विनियम की लगभग दस भाषांतरित प्रतियां भेजना चाहता हूँ। उससे अधिक प्रतियां बाद में आवश्यकतानुसार भेजी जा सकती हैं। उससे करदाता उसका अपने तरीके से अध्ययन कर सकेंगे जो हमें भी उपयोगी होगा।

उसी प्रकार मैं आपको प्रत्येक मोहल्ले में मूल्य निर्धारण के लिए भेजे गए अधिकारियों के और जिन मोहल्लो में भेजना चाहता हूँ उन मोहल्लों के नाम भी भेज दूंगा।

सूचित विनियम की धारा ४ जो इस कर के लिए रची गई है और विनियम १०,१८१० के द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण हुआ है उस सन्दर्भ में आपसे टाउन ड्यूटी के समाहर्ता द्वारा किये गये सीमांकन से भी मुझे अवगत किया जाए जो अंतिम विनियम की धारा ७ के अनुसार सम्बन्धित सभी को मान्य है।

आपका आज्ञाकारी

बनारस समाहर्ता कार्यालय डबल्यू. ओ. सेलमन

नवम्बर २६, १८१० समाहर्ता

१ क. २ बनारस के समाहर्ता का कार्यवाहक न्यायाधीश को पत्र

६–१२–१८१०

डब्लयू. डबल्यू. बर्ड एस्क.
कार्यवाहक न्यायाधीश, बनारस

महोदय,

गत दिनांक २६ के मेरे पत्र के संदर्भ में आपको सूचित कर रहा हूं कि मकानों को क्रमांक देने का काम शुरू कर दिया गया है। (यह काम केवल संख्या गिनने के लिए शुरू किया गया है, क्रमांक उस मकान पर लगाना उचित नहीं माना है, क्योंकि ऐसा करने से शायद मकानमालिकों को आपत्तिजनक लगेगा) बनारस नगर में यह काम श्रीमान मुहम्मद तकी खान नामक एक स्थानिक सज्ज्न को सौंपा गया है जो कुशल और गणमान्य व्यक्ति है, और विश्वास है कि वह यह काम पूर्ण ईमानदारी पूर्वक तथा सरकार तथा स्थानिक निवासियों को ध्यान में रखकर कर सकेगा।

मुझे आपसे अतिशीघ्र एक सहायता की आवश्यकता है। आप मुझे नगर तथा उपनगर के थानेदारों के लिए अनुमति भेज दें कि वे सभी समय आने पर मुहम्मद तकी खान तथा उसके साथियों को सहायता तथा सहयोग दें। यह परवाना मैं मुहम्मद तकी खान को देना चाहता हूं। वह जब उनके विभाग में जाएगा तब यह परवाना प्रत्येक थानेदार को भेज देगा। उसके साथ ही वह प्रत्येक मोहल्ले में भेजे जाने वाले मुसुदियों (सहायक कर्मचारियों) के नाम भी उन्हें भेज देगा। मुझे लगता है कि वह तलुआ नाला से काम शुरू करेगा।

आपका आज्ञाकारी
डब्लयू.ओ. सेलमन,
समाहर्ता

बनारस समाहर्ता कार्यालय
दिसम्बर ६, १८१०

१. क. ३ कार्यवाहक न्यायाधीश का बनारस के समाहर्ता को पत्र

११–१२–१८१०

डब्लयू. ओ. सेलमन एस्क.
समाहर्ता, बनारस

महोदय

मुझे आपका गत दिनांक २६ तथा अभी दि. ६ के पत्र मिले हैं, जिसकी रसीद सादर भेज रहा हूं।

२. विनियम १५,१८१० की प्रति नगर के सभी थानों में भेज दी है और थानेदारों को आदेश भी है कि जो कोई भी इस प्रति को पढने समझने के लिए मांगे उसे दें।

३. थानेदारों को ऐसा आदेश भी दिया गया है कि वे मकान के कर का निर्धारण करने के लिए जानेवाले कर्मचारी को अपने अपने वार्डमें अपने स्थानिक अनुभवों के आधार पर जानकारी एकत्रित कर के दें और उन सभी कर्मचारियों को यह भी बता दें कि वे विनियम १५,१८१० के अनुरूप सरकार के अधिकृत अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य करें।

४. आपको बता दूँ कि उन स्थानिक पुलिस अधिकारियों को उस काम में नियुक्त अधिकारियों के साथ तैनात करने का विचार नहीं किया है क्योंकि उस काम में उन लोगों का हस्तक्षेप नगर के निवासियों को कदाचित पसंद न आए अथवा उसका विरोध भी हो। यद्यपि स्थानिक निवासियों अथवा मकान मालिकों की ओर से आपके अधिकारियों के कानूनी कर्तव्य निभाने के कार्य में अवरोध निर्माण किया जाएगा अथवा विरोध किया जाएगा। तब स्वाभाविक रूप से ही, आपकी ओर से जानकारी मिलने के साथ ही मैं पुलिस अधिकारियों को आपको आवश्यक सहायता करने के लिये स्पष्ट आदेश दूँगा।

५. उसके साथ ही मैं आपको टाउन ड्यूटी समाहर्ता द्वारा विनियम १०,१८१० की धारा ८ की जो नकल मुझे मिली है, वह आपको भेज रहा हूं।

आपका

बनारस — डब्लयू. डब्लयू. बर्ड

दिसम्बर ११, १८१० — कार्यवाहक न्यायाधीश

१.क. ४ कार्यवाहक न्यायाधीश, बनारस का सरकार को पत्र

२५-१२-१८१०

जी. डोड्स्वेल एस्क.
सरकार के सचिव
न्याय विभाग,
फोर्ट विलियम

महोदय,

मुझे सरकार के माननीय गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को जानकारी देनी है

कि विनियम १५,१८१० के अनुसार कर लागू करने की व्यवस्था के प्रति नगर के सभी लोगों में अत्यधिक उत्तेजना और विरोध फैलने से स्थिति गंभीर बनी है।

२. स्थानीय निवासियों ने मुझे सामूहिक रूप से आवेदन दिए हैं। (आवेदनों की प्रतिलिपि आज की डाक में अलग से भेज रहा हूं) लोगों की भीड ने मुझे घेर कर स्थिति से सरकार को अवगत कराने के लिए बाध्य किया था।

३. ये सभी आवेदन बनारस को उपर्युक्त विनियम द्वारा लागू किए गए मकानकर से माफी देने के संबंध में दिए गए हैं। उसमें आवेदकों ने कर सह पाने की अपनी असमर्थता का उल्लेख किया है। आवेदन में उन्होंने यह भी बताया है कि व्यापार में गतिरोधि की स्थिति निर्माण होने से रोजगार भी कम हुआ है। उसके अतिरिक्त विनियम १०, १८१० अनुसार नगर कर के कारण कुछ उपयोगी वस्तुओं की कीमतें बढ गई हैं। नगरवासियों के मकानों का पुलिस सहायता के लिए (निधि एकत्रित करने) हेतु तो मूल्य निर्धारण होता ही है, जो कदाचित हिन्दुस्तान में बनारस को छोड और कहीं नहीं हो रहा है।

४. उस संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रोजगार मिलना मुश्किल होने और उपयोगी वस्तुओं के भाव गिर जाने के साथ उस नगर के लोगों पर लागू किए गए कर से विशेष रूप में माफी देने का कोई उचित कारण न होने पर भी उस विनियम से अन्य नगरों को दी गई माफी को सम्मुख रखकर समान न्याय के अनुरूप माफी चाहने का आवेदन भी आ सकता है।

५. उस संबंध में ऐसा लगता है कि आवेदकों को कुछ छूट या माफी दी जा सकती है, क्योंकि उनके मकानों पर पुलिस निधि के निमित्त से कर तो लागू है ही। नगर में अनेक फाटकों पर स्थानिक पहरेदार का निभाव उस वोर्ड के स्थानिक निवासियों द्वारा ही होता है। उसका खर्च वॉर्ड के प्रत्येक घर द्वारा समान हिस्से से दिया जा रहा है। लगभग १०,२४१ मकानों का अंकन हुआ है। इस व्यवस्था के अनुसार उनसे १,३३४-६-१० $^{१}/_{२}$ की राशि एकत्रित होती है। यह राशि बहुत बडी लगती है और मकानमालिकों पर इसका बहुत ही बोज पड रहा है ऐसा लगता है। इसके अतिरिक्त कर की प्रस्तावित राशि तो है ही, जिससे वे माफी चाहते हैं।

६. लोगों में भारी जोशखरोशी, रोष और हंगामा प्रवर्तित है; वे दूकानें बंद कर अपने दैनिक व्यापार धंधे को छोड कर भारी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं और अपनी मांग तत्काल पूरी करने के लिए मुझ पर दबाव बढा रहे हैं। साथ ही मुझे कर निर्धारण करनेवाले कर्मचारियों को सरकार से आदेश मिलने तक रोके रखने के लिए समाहर्ता

को निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। मैंने लोगों को समझा दिया है कि उनके आवेदन सरकार को भेज दिए जाएगें। परन्तु सरकार की ओर से कोई आदेश न मिलने तक यह विनियम यथावत लागू रहेगा। इसलिए उस संबंध में किसी भी प्रकार का अवरोध अथवा ऐसी अन्य किसी कार्यवाही का मैं विरोध ही करूंगा। प्रवर्तमान अशांति को स्वीकार कर के मैंने उनके मन में अपेक्षा निर्माण की है जो निराशा में परिवर्तित हो कर करनिर्धारण से जो कठिनाई निर्माण हुई है उसे और बढा देगी।

७. आज सायंकाल के संघर्ष और विरोध की स्थिति इतनी खराब थी कि मुझे लगा कि मुझे सैन्य सहायता के लिए मेजर जनरल मेक्डोनाल्ड को सूचना देनी ही पडेगी। यद्यपि रात्रि तक लोग बिखरने लगे और मुझे लगता है कि मैं उन्हें संघर्ष का रास्ता छोड कर अपने अपने कामकाज और व्यवसाय पर वापस लौट जाने के लिए समझा सकूंगा।

आपका आज्ञाकारी

बनारस — डबल्यू. डबल्यू. बर्ड

दिसम्बर २५,१८१०, सायं ८.०० — कार्यवाहक न्यायाधीश

१. क. ५. कार्यवाहक न्यायाधीश, बनारस का सरकार को पत्र

२८-१२-१८१०

महोदय,

दिनांक २५ को मैंने आपको बनारस के निवासियों द्वारा छिडे संघर्ष और सभी निवासियों में उठे आक्रोश की स्थिति के संबंध में सूचना देते हुए पत्र लिखा था जिसमें उसे शांत करने के लिए मैंने जो उपाय सोचे थे उस का भी उल्लेख किया था।

२. गत दिनांक २५ की शाम उपद्रवी लोगों की भीड नगर के विभिन्न स्थानों और सिकरोल के बीच एकत्रित हो गई थी और उन्होंने उपद्रव शुरू किया था। यद्यपि अपने रक्षक दल को तत्काल जमा होते देखकर ही उपद्रव थमने लगा था। पुनः २६ की सुबह भीड इकट्ठी नहीं हुई। और मेरी धारणा बनी कि लोग बिखरकर शांत होने लगे थे और नियंत्रण में रहे थे।

३. परन्तु दोपहर के बाद संघर्ष की स्थिति फिर से निर्माण हुई। पूरे नगर में सभी वर्गों के हिन्दू और मुसलमान एकत्रित हुए और जबतक मैं समाहर्ता को सीधे मिलकर सभी कर निर्धारक कर्मचारियों को वापस न ले लूं और कर समाप्त होगा ऐसा पक्का आश्वासन न ला दूं तब तक अपने सभी व्यवसाय बन्ध रखने का निर्णय किया।

उनकी ऐसी धारणा थी कि ऐसे सर्वसामान्य विवाद की व्यापक स्थिति के अंत में वे उनकी इच्छानुसार राहत मेरे से लेकर ही रहेंगे। बनारस नगर के लगभग सभी वर्ग के कारीगर लोग अर्थात् लोहार, मिस्त्री, दर्जी, नाई, जुलाहे, कहार आदि एकमत होकर उस संघर्ष में साथ थे और यह संघर्ष ऐसा जोर पकडता गया कि दिनांक २६ को तो अन्तिम संस्कार करनेवाले लोगोंने भी अपना काम बन्द करने के कारण कई शव बिना दाह संस्कार किए गंगा में बहाए जा चुके थे। उसमें से अनेक वर्ग के लोग बडी संख्या में अन्य लोगों के समूह के साथ नगर के एक निकट के स्थान पर एकत्रित हो गए थे और उन्होंने घोषित किया कि जब तक मैं उनके संघर्ष का मुद्दा स्वीकार न कर लूँ तब तक सैन्य बल के सिवाय उन्हें कोई हटा नहीं सकेगा।

४. मुझे समाहर्ता के पास भेज कर सरकार का आदेश आने से पूर्व कर निर्धारक कर्मचारियों को वापस बुलाना तो उनका केवल पहला ही उद्देश्य था। उन्होंने निर्धार किया है कि सरकार का आदेश कुछ भी हो, बलप्रयोग के बिना वे कर नहीं भरेंगे। मैंने उन लोगों को स्पष्ट बता दिया कि जैसा वे चाहते हैं उस प्रकार से हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और सरकार का निर्णय आने तक उन्होंने शांति और धैर्य रखना ही होगा। परन्तु वे लोग ऐसा मानते थे कि यदि निर्धारण करने वाले कर्मचारी अभी नहीं तो बाद में कभी भी नहीं हटाए जायेंगे और यदि ऐसा विरोध चालू नहीं रहेगा तो फिर कर में कोई राहत प्राप्त नहीं की जा सकेगी। वे कर भरना तो स्वीकार नहीं कर सकते थे।

५. यदि मैं ऐसे एकत्रित हो गए लोगों के जोर से संघर्ष कर्ताओं द्वारा की गई मांगों के सामने झुकूंगा तो मुझे लगता है कि सरकार की सत्ता से समझौता कर रहा हूँ और ऐसा करने से मैं ऐसे लोगों को भविष्य में अन्य किसी भी असन्तोष के मुद्दे पर ऐसा कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। इसलिए मेरा मंतव्य है कि मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं ऐसी मांगों को मान्य न करूं और सरकार की सूचना न मिलने तक स्थिति का सामना करता रहूं। तब तक मैं इस रोष को शांत करने के लिए समझाने के यथासंभव प्रयास करूंगा। सैन्य बल का तब तक प्रयोग करना टालता रहूँगा, जब तक मेरे उपरी अधिकारी ऐसा करने का समर्थन देते रहेंगे।

६. भीड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर मैंने उनको मेरे आदेशों को समझाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि इनका पालन हो। मैंने यह भी कहा कि वे अपने काम पर वापस लौटें और सरकार का निर्णय आने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। मैने विभिन्न वर्ग के चौधरियों को बुलाकर उनके लोंगो को उस भीडबाजी से

वापस लौटने के संबंध में एक आचारसंहिता बना कर उस पर हस्ताक्षर करने को कहा और अपने अपने घर वापस जाकर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। ऐसी ही एक आचार संहिता बनाकर विभिन्न वर्ग के अग्रणियों को भेजने का भी इरादा है और जो कोई उस पर हस्ताक्षर नहीं करता उसे दण्ड देने का भी प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से अवश्य कोई लाभ होगा, और कुछ दिनों में लोगों को जब ऐसा लगने लगेगा कि उनका विरोध और झगडा अनुचित था, सब अलग हो जाएँगे और अपने व्यवसाय में वापस लौटकर कानून से रहकर सब बातें मानने लगेंगे।

७. जिले के समाहर्ता अभी अनुपस्थित होने से मुझे ऐसा लगा है कि मैं उन्हें जल्दी से वापस लौटने का परामर्श दूं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय कर निर्धारकों को इस संवेदनशील स्थिति में उनके विवेक के आधार पर मुक्त नहीं छोड देना चाहिए। इस संबंध में उन्हें लिखे हुए मेरे एक पत्र की प्रति तथा उससे पूर्व हमारे बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रति भी भेज रहा हूँ।

८. इसके साथ मेजर जनरल मेक्डोनाल और मेरे बीच दिनांक २५ तथा २६ को हुए पत्रव्यवहार की प्रति भी भेज रहा हूँ, जिसमें आवश्यकता पडने पर सैन्य सहायता की मांग भी मैं करूंगा उसकी पूर्व सूचना है।

९. दिनांक २५ की मेरी भागदौड के बीच मैं आपको आवेदनों का अनुवाद नहीं भेज सका और उसके लिये क्षमा प्रार्थना करना भी चूक गया हूँ। यद्यपि तत्पश्चात् जरूरी अनुवाद मैंने सरकार को भेज दिया है।

१०. अब उस विषय में तीन आवेदनों का अनुवाद और शेष आवेदनों का भावानुवाद भेज रहा हूँ। मेरे मतानुसार यह पर्याप्त है। मुझे आशा है कि अनुवाद विषयक मेरी गलती को मेरे अन्य कर्तव्यों के बोज को ध्यान में रखते हुए सरकार मुझे क्षमा करेंगे।

आपका आज्ञाकारी
बनारस डब्ल्यू. डब्ल्यू. बर्ड
दिसम्बर २८, १८१० कार्यवाहक न्यायाधीश

१. क. ६. कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस का सरकार को पत्र

३१-१२-१८१०

महोदय,

आपको भेजे मेरे विगत पत्र के बाद मैंने मेरा समग्र ध्यान जरा भी शिथिल न

होकर बनारस के निवासियों कें रोष को शांत करने पर और उन्हें सरकार की ओर से उनके इस विषय संबंधी आवेदनों के प्रति कोई निर्णय आने तक अपने अपने दैनन्दिन व्यवसायों में लग जाने के लिए समझाने पर केन्द्रित किया है।

२. परन्तु मेरे सभी प्रयास विफल रहे हैं। सभी वर्ग के लोग अपने धंधे बंद करके बैठ गए हैं। उससे लोगों में भारी असुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। उपयोग की प्रत्येक चीज वस्तु की प्राप्ति अत्यन्त मुश्किल बन गई है और उनकी कीमते भी खूब बढी हैं। उससे गरीब प्रजा बहुत दुखी हो गई है। कुछ हजार लोग तो रातदिन नगर में किसी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, अपने अपने वर्गो में विभाजित हो जाते हैं और संघर्ष में जुडने में झिझकने वाले लोगों को दण्डित करते हैं। इस प्रकार इस विनियम के प्रति एक व्यापक विरोध और तिरस्कार दिखाई दे रहा है और यदि किसी भी व्यक्ति की ओर से इस साजिश से वापस लौटने का तनिक भी संकेत होने पर उसकी सार्वजनिक निन्दा और तिरस्कार किया जाता है, यही नहीं, तो उसे उसकी जाति से निष्कासित कर देने तक की स्थिति उत्पन्न हुई है।

३. इस स्थिति में ऐसा लगता है कि लोगों ने तब तक संघर्ष चालू रखने का निर्णय ले लिया है, जब तक सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आता। उनको आशा है कि (सरकार को) यह विनियम समाप्त करना ही पडेगा। मैंने उनका विरोध शान्त करने के लिए अत्यन्त सुलहकारी व्यवहार करने का प्रयास किया है। लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं अनेक बार गया हूँ और मेरे अधिकार के अनुरूप हर तरह से सभी को अपने अपने काम धंधे पर लग जाने के लिए समझाने का प्रयास करता रहा हूँ। मैंने बनारस के राजा को, अग्रणी व्यापारियों को और यहाँ के गणमान्य निवासियों को पत्र लिखकर व्यक्तिगत रूपसे प्रार्थना की है कि वे अपने पद का उपयोग कर लोगों को शांत होकर बिखर जाने के लिए समझाएँ।

४. परन्तु जब सभी प्रयत्न विफल हो रहे हैं, तब घनी आबादीवाले तथा विशाल नगर में निरन्तर रूप से बनी इस प्रकार की सार्वजनिक अशान्तिपूर्ण स्थिति को ध्यान में लेना अनिवार्य है। मैंने अब निर्णय किया और मैंने स्वयं मेजर जनरल मेक्डोनाल्ड से मिलकर लोगों की मानसिकता के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया और किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति निर्माण होते ही तैयार रहने के लिए सूचित किया। हमने नामदार की रेजिमेन्ट को भेजने का निर्णय किया और मैं आशा करता हूं

कि इसे सरकार की मान्यता प्राप्त होगी। हमारे पत्रव्यवहार की प्रतियां सादर भेज रहा हूँ।

आपका

बनारस डब्ल्यू. डब्ल्यू. बर्ड

दिसम्बर ३१,१८१० कार्यवाहक न्यायाधीश

१.क. ६ (क) मेजर जनरल मेक्डोनाल्ड का बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को पत्र

३१-१२-१८१०

महोदय,

आज सुबह अपने बीच हुई बातचीत में आपने बनारस नगर के निवासियों में जो रोष व्याप्त है उसकी सूचना दी तथा अपना अभिप्राय भी बताया कि लोगों का रोष और अधिक भडक सकता है और संभवतः हिंसा पर उतर आ सकता है। उस विषय में मैं मानता हूँ कि स्थल पर अभी तैनात दल अपर्याप्त और असक्षम है। अतः आप यदि अब भी वैसा ही सोच रहे हैं तो, इस पत्रका आपकी ओर से प्रत्युत्तर मिलते ही सरकारी रेजिमेन्ट की ६७वीं टुकडी भेजने का आदेश दूँगा। उस विषय में आपको अपनी आवश्यकता के विषय में सभी सूचनाएँ देनी होंगी जिससे प्रस्थान करनेवाले सैनिक बल को आवश्यक सामग्री के साथ भेजने की व्यवस्था करा सकूँ।

बनारस आपका आज्ञाकारी

दोपहर १२.३० जे. मेक्डोनाल्ड

दिसम्बर ३१,१८१० मेजर जनरल

१.क. ७ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

२-१-१८११

महोदय,

गत दिनांक ३१ के आपको भेजे गए मेरे द्रुतगति पत्र से मान्यवर गर्वनर जनरल इन काउन्सिल यहाँ प्रवर्तमान उस स्थिति से वाकिफ हुए होंगे जिस से तत्काल उस नगर में मुझे नामदार की ६७वीं रेजिमेन्ट मंगवाने की तत्काल आवश्यकता पडी थी।

२. मैं बहुत ही चिन्तित हो कर कहता हूं कि मकान कर लागू होते ही विरोध दिनों दिन बढता जा रहा है और उसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। सरकार का

आदेश नहीं आता तब तक लोगों ने नगर छोड कर किसी एक स्थान पर इकट्ठा होकर वहीं बने रहने का निर्णय कर लिया है, मेरे या स्थानीय अधिकारियों की ओर से दिए जानेवाले किसी भी आश्वासन का जरा भी असर नहीं दिखता है। उन्हें केवल सरकार की ओर से करमाफी के आदेश की प्रतीक्षा है। किसी भी स्थिति में कर नहीं भरने का उनका निर्णय है। उनका निर्णय बदलवाने के लिये कोई उन्हें नहीं समझा सकेगा ऐसा मेरा विश्वास हो गया है।

३. समग्र प्रांत में इस तरह लोग संगठित हो रहे हैं ऐसा मानने के लिए एक से अधिक कारण हैं। किसी अन्य कारण से एकत्रित हुए लोहारों ने, तुरन्त ही इस षडयन्त्र में प्रमुख भूमिका स्वीकार कर ली और वे पूरे प्रान्त से बडी संख्या में यहां आ पहुंचे हैं। इससे प्रजा की कठिनाई बढ गई है। खेती पर इसका गम्भीर परिणाम होगा और असन्तुष्टों की संख्या बढेगी। साथ ही लोगों में यह धारणा भी बनी है कि आसपास के अन्य नगर के लोग भी बनारस के इस संघर्ष को समर्थन दे रहे हैं।

४. इस स्थिति को देखते हुए स्पष्ट लगता है कि अब यह विनियम लागू करवाने का काम केवल सैन्य बल ही करा सकता है। उस करके प्रति लोगों की घृणा इतनी तीव्र है कि लोगों को इस कर को संपूर्ण वापस लिये बिना संतोष नहीं होगा। लोगों के मन में इस बात को लेकर जरा भी संदेह नहीं है कि कर प्रस्ताव को कुछ परिवर्तन और सुधार के साथ लागू किया जाएगा तो गंभीर स्थिति निर्माण होगी।

५. जिन लोगो का यहाँ के लोगों पर प्रभाव है ऐसे अग्रणियों का सहयोग भी मुझे नहीं मिल रहा है क्यों कि उनकी ऐसी इच्छा नहीं है। उन सभी को इस आन्दोलन की सफलता की चाह होने के कारण वे ऐसा कुछ करेंगे नहीं। गवर्नर जनरल के वैयक्तिक सचिव ब्रुक का व्यक्तिगत प्रभाव संभवतः सफल हो सकता है। अतः मैंने उन्हें सर्किट से यथाशीघ्र वापस लौटने के लिये बता दिया है, और मुझे आशा है कि लोगों में उनके पद और व्यक्तित्व के प्रति आदर होने के कारण लोग ध्यानपूर्वक उन्हें सुनेंगे।

आपका आज्ञाकारी

बनारस — डब्ल्यू. डब्ल्यू. बर्ड

जनवरी २, १८११ — कार्यवाहक न्यायाधीश

१. क. ८. बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

४-१-१८११

महोदय,

महामहिम गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को आदरपूर्वक सूचित कर रहा हूं कि गत दिनांक २ के मेरे पत्र के बाद नगर की स्थिति में लगभग कोई अन्तर नहीं है।

२. मुझे बताते हुए आनन्द हो रहा है कि समग्र प्रान्त में फैले हुइ इस षडयन्त्र का कोई विपरीत परिणाम हो उससे पूर्व ही उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। मुझे जैसी खबर मिली कि आसपास के परगनों से लुहार एकत्रित हो रहे हैं, तत्काल ही मैंने जमीनदारों को, उनके ही उपर आपत्ति आनेवाली है यह समझकर अपने अधिकार का उस उत्पात के विरुद्ध उपयोग करने के लिये बताया। मैंने उनसे अपेक्षा की कि वे सभी लोहारों को अपने अपने स्थान पर जाकर काम शुरू करने के लिए बाध्य करें और लोगों को बहकाने वाली गलत सूचनाओं का प्रतिरोध करें। मैंने जितने भी जमींदारों के साथ बात की वे सभी मुझसे सहमत हुए और उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग किया। मुझे इस मामले में, सईदपुर के जागीरदार बाबू शिवनारायण सिंह की जो सहायता मिली है उसके लिए मैं उनका ऋण स्वीकार करता हूँ। उनके प्रभाव से नगर के बाजार को बचाने में जो सहयोग मिला है उस के लिए मैं उनका ऋणी हूँ। पुलिस को प्राप्त उनके समर्थन से ही नगर की अनाज मंडी बिल्कुल ही बच गई है। उससे नगर में अनाज का भण्डार सामान्य भाव पर ही मिलता रहा है, जब कि दूसरी चीज वस्तुएँ मिलती ही नहीं थीं।

३. सरकार की ओर से कुछ आदेश आने की अपेक्षा से एकत्रित हुए लोगों में अब थोडी निराशा फैलने लगी है और वे दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ तो कभी कभार अपने निवासों पर वापस लौटने लगे हैं। मेरा मानना है कि अब तक इन लोगों को नगर के कुछ प्रमुख लोगों का समर्थन था जो उन लोगों को ईंधन और अनाज किराना (घर गृहस्थी का सामान) प्रदान करते रहे, किन्तु उन लोगों का स्रोत भी खाली होने का आभास होते ही नुकसान के प्रति चिन्तित होने लगे हैं और इस प्रकार के व्यवहार से उनके परिवारों को कितना नुकसान होगा यह उनकी समझ में आने लगा है।

४. परन्तु सानुकूल लगनेवाली इस स्थिति पर अधिक विश्वास रखना उचित नहीं है, क्योंकि धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग अभी भी अपने इरादे में

अविचल लगते हैं। ये लोग जनमानस को भ्रमित कर, समझाकर उकसा रहे हैं। प्रत्येक जाति के अग्रणी को उनके समूह से कोई भी इस संगठन से पीछे हटता दिखाई देने पर उसे जाति से निष्कासित करने के लिये बाध्य किया जाता है। वे लोग नगर के सभी क्षेत्रों में अपने गुप्तचरों को दोषी को पकडने के लिए भेज रहे हैं। मैने उस काम के लिए भेजे गए लोगों को पकडा भी है। यद्यपि उससे दूसरे लोगों को यह कृत्य करने से रोका नहीं जा सकता।

५. सरकार की ओर से किसी निर्णय के आने तक पुलिस की सहायता से मैं मेरे अधिकार से बहुत कुछ कर लूंगा। इसमें अभी तक तो मैं सफल रहा हूँ। यह संघर्ष जिस तरह चल रहा है वह देखते हुए लगता है कि बल प्रयोग से अभी भी दूर रहा जा सकता है। इस तरह हमें अधिक कुछ गंवाना भी नहीं है तथा ऐसा कर के मैं सरकार जो और जैसा चाहती है वह सरलता से कर सकूंगा।

आपका आज्ञाकारी

बनारस — डब्ल्यू. डब्ल्यू. बर्ड

जनवरी ४, १८११ — कार्यवाहक न्यायाधीश

१. क. ९. बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

८-१-१८११

महोदय,

अत्यंत संतोषपूर्वक मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को सूचित कर रहा हूं कि नगरवासियों को अब सरकार की सत्ता का अनादर और अवमानना करना चालू रखने की निरर्थकता और भयावहता समझ में आने लगी है।

२. वांछित परिणाम प्राप्त होने की स्थिति अब निर्माण हुई है उसे समझाने के लिए इस मास के प्रारम्भ से जो संकटपूर्ण स्थिति निर्माण हुई थी उसका अधिक सूक्ष्मतापूर्वक वर्णन करूंगा, जो अभी तक मैंने नहीं किया है। नगर के सभी प्रकार के लोग अपने अपने वर्गो में नगर के किसी स्थान पर इकट्ठे हो गए थे, अपने अपने वर्गो में विभाजित हो गए थे, उद्देश्य सिद्ध नहीं होने तक वहां से न हटने की सौगंध उन्होंने खाई थी और दिनप्रतिदिन उनकी संख्या बढ रही थी और संकल्प दृढ होता जा रहा था। उन्होंने प्रान्त के हर गांव में धर्मपत्री पहुँचाने के लिए खास दूतों की नियुक्ति की, और प्रत्येक परिवार से एक-एक व्यक्ति को बनारस भेजने का सन्देश दिया। हजारों लोहार, कुणबी, कोरी आवेश में आकर अपना घरबार छोड कर यहाँ इकट्ठे

हुए । उसी समय नगरजन नगर छोडने लगे थे। जो लोग अनिच्छुक थे उन लोगों को गृहत्याग करने के लिये बाध्य किया जाता था और जो लोग उस संघर्ष में जुडने में ढीलापन दिखाते थे उन को दण्डित किया जाता था। प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्तिने अपने अपने स्रोतों के अनुसार योगदान दिया और आवश्यक धनराशि भी जमा की। इस प्रकार जो लोग दैनिक कमाकर खाते थे ऐसे लोगों को मदद करने की व्यवस्था भी की जाती थी।

३. इस प्रकार इकट्ठे हुए लोगों के लिए ईंधन, तेल और अन्य उपयोगी सामग्री पहुंचाई जाती रही थी, परन्तु तब नगर में अनाज के अतिरिक्त कोई वस्तु उपलब्ध नहीं थी। धार्मिक नेता धर्मभीरू लोगों पर के अपने प्रभाव से उन्हें एकजुट रखने का प्रयास करते थे। इस प्रकार पूरा संगठन व्यापक बन रहा था। इसलिए पुलिस कर्मियों के लिए जो लोग संगठन में जुडना नहीं चाहते थे ऐसे कुछ लोगों को अलग कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल होता था। जो स्थिति चल रही थी और गत दिनांक ३ तक रही उसमें क्षणिक उन्माद दिखाई देता था।

४. दिनांक ३ से राजद्रोह की गतिविधियों के विरुद्ध होते हैं ऐसे जो कदम उठाए गए उनका प्रभाव दिखाई देने लगा। जमीनदार सावधान हो गए और उन्होंने तत्काल ढिंढोरा पिटवाया, अपने लोग बुलवाकर अपने बहुत से कोरी, कुणबी और लोहारों को अपने अपने स्थान पर वापस बुला लिया। दूसरी ओर धर्मपत्री पहुँचाने वालों में से कई लोगों को पुलिस ने पकड लिया और उस प्रकार के उपद्रव नियंत्रण में लेने के लिए उन्हें बंदी बनाने का दौर जारी रखा।

५. जैसे ही मुझे लगा कि नगर के कुछ इलाकों में एकत्र होनेवाले लोगों में नामी और उच्च कहलाने वाले लोग आ रहे हैं, मैंने मेरे लोगों को उस रास्ते पर तैनात कर ऐसे लोगों का नाम लिखना शुरू करवाया और फिर उन्हें बताया कि वे मेरे आदेश की अवमानना कर रहे हैं। इससे उनमें से अनेक लोग कम होने लगे। उसी प्रकार रास्ते पर पुलिस के अधिकारियों को रख दिया और सामग्री की आपूर्ति कौन और कहाँ से कर रहा है उस पर नजर रखना शुरू किया। परिणाम स्वरूप बहुत से अग्रणी अपना योगदान धीरे धीरे घटाने लगे।

६. इधर मल्लाहों के उस संघर्ष में जुडते ही नदी पार करने में दोनों ओर के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पडता था। जल व्यवहार लगभग ठप्प हो गया था। उसलिए मुझे ढिंढोरा पिटवाने की जरूरत पडी कि नाववाले यदि नाव बंद रखेंगे तो सरकार नावों को जप्त कर लेगी। यह सुन कर नाव वाले अपने काम पर आ

गए। दूसरी और आन्दोलन में सम्मिलित विभिन्न वर्गो के कुछ लोगों को पुलिस ने पकडकर अत्यन्त कठोर दण्ड दिया। ऐसा दण्ड बार बार दिया गया जिसे देखकर शेष लोगों ने अपराध करना छोड दिया।

७. इन दण्डों से तथा घर से दूर रहने से, चीजवस्तुओं के अभाव से लोग थकने लगे और उन्हें अपने प्रयासों की निरर्थकता समझ में आने लगी और संख्या कम होने लगी। इस स्थिति का लाभ उठाकर मैंने आन्दोलन के प्रणेताओं के रूप में मैं जिनको जानता था उन अग्रणियों को प्रत्यक्ष बुलाकर, उन्हें बिखर जाने के लिये समझाने का निश्चय किया।

८. उनमें अधिकांश समझदार हैं। वे समझते हैं कि बिखर जाने के बाद ही सरकार के हस्तक्षेप की आशा की जा सकती है। अतः उन्होंने आन्दोलन के सभी वर्ग के लोगों को दैनन्दिन व्यवसायों में वापस लग जाने के लिये समझाने हेतु सब कुछ करने की सिद्धता प्रदर्शित की। परिणाम स्वरूप बहुत बडा बदलाव दिखाई दिया। कल और आज नगर की कई दूकानें खुल गईं और दैनन्दिन उपयोग की चीज वस्तुएँ मिलने लगीं। बडी संख्या में लोग अपने व्यवसायों में वापस लौटे हैं और विद्रोह लगभग शांत सा हो गया है। मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में तो जमाव टूटने लगेगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।

आपका आज्ञाकारी

बनारस
डब्ल्यू. डब्ल्यू. बर्ड

जनवरी ८, १८११
कार्यवाहक न्यायाधीश

१. क. १०. बनारस के समाहर्ता का सरकार को पत्र

२-१-१८११

सचिव,

बंगाल सरकार, राजस्व विभाग

फोर्ट विलियम

महोदय,

नगर के कार्यवाहक न्यायाधीश ने सरकार को पत्र लिखा है जो विनियम १५,१८१० लागू करने के विरोध में लोगों द्वारा किये गये निश्चय और उस निश्चय की तर्कहीनता एवं निरर्थकता विषयक जानकारी देनेवाला पत्र लिखा है।

मकानकर लागू करते समय नर्मी, सावधानी और विचार पूर्वक कौन सी पद्धति

अपनाई जाए इस विषय में मेरे विचार प्रदर्शित करनेवाले कार्यवाहक न्यायाधीश और मेरे बीच में हुए पत्रव्यवहार की प्रति साथ में सादर भेज रहा हूं।

न्यायाधीश के बुलाने पर जिले के अन्दरूनी किसी स्थान से मैं कल सायंकाल वापस आया। मुझे बताया गया कि लगभग २०,००० से भी अधिक लोग धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग थी कि कर समाप्त नहीं होता तब तक वे हटेंगे नहीं। उनकी संख्या दिनप्रतिदिन बढ रही है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय के अग्रणियों ने अपने बंधुओं को इसके लिए एकत्रित और एक होने के लिए कहा था। उसमें कोई एक पक्ष अथवा वर्ग अधिक उत्साही अथवा अधिक दृढ था तो वे लोहार ही थे। वे बहुत उत्तेजित थे और अपने बांधवो को उत्तेजित कर रहे थे। इतना ही नहीं तो दूर सुदूर से बांधवों को काम छोड कर आने के लिए आह्वान दिया जाता था ताकि खेतीबाडी और जमीनदारी रुक जाने से वे भी इस संघर्ष में जुडने के लिए बाध्य हो जाएँ और पूरा देश इस कर को वापिस लेने के विषय में दृढ निश्चय हो जाए।

इन लोहारों के साथ अन्य जाति, पंथ और विचार के लोग जुड गये हैं और आपस में सौगंध ले दे रहे हैं ऐसी मेरी जानकारी है।

अभी तत्काल तो कोई प्रत्यक्ष हिंसा करने का उनका उद्देश्य नहीं लगता। बिना हथियार के रहने में ही उन्हें अपनी सुरक्षा लगती है। क्योंकि (उन्हें पक्का विश्वास है) ऐसे शांत अनाक्रामक दुश्मनों के विरुद्ध घातक शस्त्रों का उपयोग नहीं होगा। इन लोगों का ऐसा विश्वास ही अधिकाधिक लोगों को एकत्रित कर रहा है। वे समझते हैं कि नागरिक सत्ता उन्हे हटा नहीं सकती और सेना इसके लिए जाएगी नहीं।

समस्त नागरिक अधिकारियों ने चेतावनी देने और समझाने का प्रयास किया है। कार्यवाहक न्यायाधीश ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति और समझ को तनिक भी चूक किए बिना लगा दिया है लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। लोग कहते हैं कि वे सरकार के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार से झुकने का उनका मानस नहीं है।

यदि लोग नहीं झुकते हैं तो उनके पास दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक हथियार के बल पर प्रतिरोध और दूसरा देश छोड देना। देश छोडने की बार बार धमकी तो वे दे रहे हैं फिर भी मुझे नहीं लगता है कि वैसा होगा। क्यों कि जैसे ही जमाव बिखरता है, आन्दोलन का जादू समाप्त हो जाएगा। उन लोगों की पारस्परिक सहयोग की शपथ और मर मिटने की जुबान भी भूल जाएगी और सब कोई अपने स्वार्थ का

विचार करने लग जाएँगे। लेकिन कुछ लोगों के घातक बलिदान के बिना उस भीड को बिखेरना अत्यन्त मुश्किल लगता है। जैसा मैंने पहले बताया है ये लोग प्रतिरोध की संज्ञा या संकेत के प्रति बधिर ही हैं। आज मेरे साथ बहुत से लोहार थे और मैंने उन्हें समझाया कि सूचित कर उन्हें भारी नहीं पडेगा। यह भी समझाया कि उन लोगों पर फाटकबंदी और मकानकर दोनों का बोझ नहीं आएगा। यदि वे अपनी मजलिस छोडकर अपने अपने घर जाएँगे तो मैं प्रत्येक व्यक्ति की कर अधिक होने की शिकायत स्वयं सुनूंगा और यथा संभव उनके लाभ का विचार करूँगा। उत्तर में उन लोगों ने कहा कि वे सब एक और अटूट हैं और यदि उन्हे पंच कहेगा तो वे फिर दूसरे दिन मुझे मिलेंगे ।

अभी तो वे शांत हैं और कुछ कर नहीं रहै हैं परन्तु सरकार का आदेश आने से पूर्व उन्हें यदि बिखेरा नहीं गया तो उनकी निराशा उनसे क्या करवाएगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही व्यवसाय और कारीगरी के पूर्ण रूप से रुक जाने से, और पूरे देश में उस बंदी का प्रसार होने से आज तक जिनका इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसे जमीनधारकों में भी हलचल पैदा हो जाएगी।

दुःख की बात तो यह है कि अश्वसेना सुलभ नहीं थी जो बिना किसी भी प्रकार के कत्लेआम के भीड को बिखेर सके अथवा जहां भीड इकट्ठी हो उसे खदेड सके क्यों कि उनका कोई सरदार या नेता नजर नहीं आता था जिसे बुलाकर व्यक्तिगत रूप से पटाया जा सके। यद्यपि इन्हें अत्यन्त गुप्त रूप से मदद मिलती होगी, और ये मदद करनेवाले लोग नगर में प्रभावी एवं प्रतिष्ठित होंगे परन्तु उनमें कोई भी खतरा उठाकर अपने व्यक्तिगत चरित्र को नुकसान पहुँचाकर कुछ नहीं करना चाहता था जिससे संघर्ष के बाद किसी भी तरह से परेशानी हो। सरकार ने भीड के इस व्यवहार को ध्यान में रखकर पूरे देश के लिये बने कानून को वापस लेना या शिथिल करना अनपेक्षित होगा इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि निरर्थक आवेदनों को अमान्य करें और उस संदर्भ में जो जरूरी है वह सब करें।

मुझे कुछ विश्वसनीय अधिकार सूत्रों से पता चला है कि पटना के निवासियों ने बनारस के निवासियों को लिख भेजा है कि से उन्हें बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। अर्थात बडी संख्या में इकट्ठे होकर बनारस के लोग उस कर का अच्छा विरोध दिखा सके हैं और यदि वे लोग अमीनाबाद के लिये माफी प्राप्त करने में सफल होंगे तो पटना भी इस पद्धति का अनुसरण करेगा।

उससे समझा जा सकता है कि यह संघबल कितना व्यापक है। बनारस एक नींव का पत्थर बनेगा जिस पर दूसरे नगर खडे होंगे।

आपका आज्ञाकारी

बनारस डब्ल्यू. ओ. सेलमन

जनवरी २, १८११ समार्हता

१.क. ११. सरकार का कार्यवाहक न्यायाधीश, बनारस को पत्र

५-१-१८११

महोदय,

मुझे मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की ओर से आप से प्राप्त गत दिनांक २५, २८ तथा ३१ के पत्रों तथा उसके साथ के संलग्नकों की रसीद भेजने की सूचना मिली है।

२. गर्वनर जनरल उन काउन्सिल को विनियम १५,१८१० के तहत नगरों के मकान पर लागू किए गए कर हटाने के लिए कोई उचित कारण नहीं लगता है। उसके साथ काउन्सिलीय महोदय को ऐसा लगता है कि ऐसे दंगे और भीड के सामने कर का बली देना उचित कदम नहीं होगा क्योंकि उसे हटाने की कोई सामान्य नीति नहीं बनी है।

३. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल प्रवर्तमान स्थिति में आपके द्वारा लिए गए कदमों का अनुमोदन करते हैं । मान्यवर चाहते हैं कि आप दृढता और धैर्यपूर्वक अब तक जैसे करते रहे हैं वैसे ही करते रहें और समाहर्ता को यह विनियम लागू करने के लिए अपना इस तरह का समर्थन चालू रखें।

४. आवेदकों ने अपने विरोध में बताया है कि उन लोगों को चौकीदारों और फाटकबंदी के सुधार कार्य के खर्च के लिए धन तो देना ही पडता है जो अन्य नगरो में निवासियों को नहीं देना पडता। सरकार को लगता है कि विनियम १५,१८१० के तहत लगाया गया मकान कर कुछ लोगों के लिए भारी पडेगा । इसलिए सरकार का आशय है कि उन्हें पूर्व के कर से मुक्ति देकर, फाटकबंदी कर सरकार के अन्य स्रोत से चुकाया जाए। उस संबंध में आप, यह कर चालू रखने के लिए राजी हैं ऐसे लोगों को समझाएँ और आपको शांति के लिए जो उचित लगे उस प्रकार बनारस के लोगों के दंगों को रोकने और स्थानीय अधिकारियों के प्रति विरोध को शांत करने के लिए

प्रयास करें। सरकार को लगता है कि प्रवर्तमान स्थिति में मेजर जनरल मेक्डोनाल्ड को भी सरकार के अभिप्राय से अवगत कराया जाए जिससे आपके अथवा समाहर्ता के अधिकार के प्रति किसी भी प्रकार के विरोध पर दबाव डाला जाए अथवा शांति से जीनेवाले लोगों के समुदाय को हिंसा द्वारा कष्ट पहुँचाने के प्रयास को निष्प्रभावी बनाने के लिए जो भी आवश्यक है किया जाए अथवा भीड को बिखेरने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए या उनके नेताओं को बन्दी बनाया जाए, अपराधियों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया जाए या जनता को, सरकार के कर वसूलने के पक्के इरादे की जानकारी दी जाए या फाटकबंदी से मुक्ति की जानकारी देते समय जो कुछ भी व्यवस्था करना आवश्यक हो वह की जाए। यद्यपि इस प्रसिद्धि के साथ लोगों को यह भी बता देना चाहिए कि सरकार के निर्णय अथवा आदेशों का अब इसके बाद कोई भी विरोध करेगा तो गंभीर खतरा या आपत्ति को निमंत्रण देगा। साथ ही यह भी बताया जाए कि (सरकार) अपने विवेक से उचित लाभ या माफी देने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करेगी, परन्तु गवर्नर जनरल उन काउन्सिल गैरकानूनी जमावों के दबाव अथवा उनके आवेदनों अथवा दंगों अथवा शोर मचानेवाली सभाओं या कार्यक्रमों के सामने झुकनेवाली नहीं है।

५. आप बनारस के राजा अथवा अन्य अग्रणियों के वर्चस्व एवं प्रभाव का अपने तरीके से अवश्य उपयोग कर सकतें है और लोग जिसमें प्रवृत्त हैं ऐसे दंगे फसाद अथवा राजद्रोह की घटना रोकने या दबा देने के लिए उनकी सहायता ले सकते हैं।

आपका आज्ञाकारी

काउन्सिल कक्ष — जी. डोडस्वेल

जनवरी ५,१८११ — सरकार के सचिव

१.क. १२ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार का पत्र

७-११-१८११

महोदय,

मुझे मान्यवर गर्वनर जनरल इन काउन्सिल ने आपके गत दिनांक २ के पत्र की रसीद भेजने की सूचना दी है।

२. मेरा गत दिनांक ५ का पत्र आपको अवगत कराएगा कि विनियम १५,१८१० की व्यवस्था निरस्त न करने का सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है। उस पत्र में आपको सरकार की उस भावना का भी उल्लेख मिलेगा जिसमें सरकार अनुचित

आवेदन देकर उसके निर्णय में अवरोध उत्पन्न करनेवाली भीड (आवश्यकतानुसार बल प्रयोग द्वारा भी) तितर बितर करना बिल्कुल उचित समझती है और जरूरत पडने पर उसके (भीड के) नेताओं को बन्दी बना कर उस अपराध के लिए मुकद्दमा चला सकती है। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की इच्छा है कि आप ठीक से समझ लें कि उपरोक्त आदेश का प्रयोजन यही है कि आप सेना की मदद लेकर ऐसे लोगों को खास गिरफ्तार कर लें जो बिखर जाने के आपके अनुरोध के प्रति ध्यान नहीं देते हैं और राजद्रोह जैसी स्थिति निर्माण करने में आगे रह कर भाग ले रहे हैं।

३. सरकार के आदेशों एवं विनियमों का पालन करवाने के लिये और स्थानीय अधिकारियों की प्रतिष्ठा सुरक्षित करने के लिये अत्यन्त अनिच्छा से गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को देश के सैन्य बल का प्रयोग करने की विवशता निर्माण हुई है। अतः नामदार गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की सलाह है कि आप तथा समाहर्ता ने मिलकर लोगों को समझाकर या धमकाकर वर्तमान राजद्रोह की गतिविधियों से परावृत्त करने के लिये जो भी सम्भव है वह सब कुछ करना चाहिए और जब तक प्रत्यक्ष हिंसा का आचरण नहीं होता और सेना अथवा नागरिक अधिकारियों पर हमला नहीं होता तब तक सेना ने शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिये। आपसे अपेक्षा है कि आप मेजर जनल मैकडोनाल्ड को पूर्व आदेश की सूचना दें ताकि वर्तमान स्थिति में आवश्यकता पडने पर तुरन्त उचित कार्यवाही के लिये वे अपनी सेना के साथ तैयार रहें।

४. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने आपने मि.ब्रुक को अपने मुख्यालय में वापस लौटने की प्रार्थना की उसे मान्य रखते हुए अनुमोदन किया है, जिससे वे अपने सम्पूर्ण प्रभाव का उपयोग कर बनारस के राजा और अन्य अग्रणियों को वर्तमान बिगड रही स्थिति को शांत करने के लिए मदद करने के लिए समझाएँ। उसके लिए गवर्नर जनरल स्वयं राजा को भी अलग एक पत्र भेजनेवाले हैं।

५. सरकार द्वारा गत दिनांक ५ को सूचित आदेश से बनारस के समाहर्ता को अवगत कराएँ। साथ ही आज वहाँ के विभिन्न सरकारी अधिकारियों को भी सरकार के इस प्रस्ताव की जानकारी देना जरूरी है कि मकान कर की व्यवस्था लागू करने का निर्णय हो चुका है।

६. मान्यवर काउन्सिल को यह भी लग रहा है कि स्वयं सरकार के अधिकारियों के द्वारा कर के सम्बन्ध में की गई घोषणा ही शायद लोंगों के अपने अन्यायी आचरण से परावृत करेगी अथवा इतना तो जरूर उनकी समझ में आएगा कि उसके बाद भी यदि लोग कानून की अवमानना चालू रखेगें तो अपने ही अहित को

निमंत्रण देंगे। घोषणा की अंग्रेजी, पर्शियन और हिन्दुस्तानी भाषा में नकल भेजने की भी मुझे सूचना मिली है। अब घोषणा प्रकाशित करने तक में जनरल मैकडोनाल्ड ने सैन्यबल कितने समय अथवा अवधि तक रखना उस बात का निर्णय आप अपने विवेक से करेगें।

आपका आज्ञाकारी
जी.डोडस्वेल
सरकार के सचिव
न्यायतंत्र विभाग

काउन्सिल कक्ष
जनवरी ७,१८११

१.क. १२ (क) फोर्ट विलियम का ऐलान

जनवरी ७,१८११

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल द्वारा प्रकाशित ऐलान

बंगाल, बिहार, उडीसा और बनारस के प्रांत और जीते अथवा समर्पित प्रांतों के अनेक शहरों तथा नगरों के मकानों तथा दूकानों पर हल्का और सामान्य कर निर्धारित किया गया है, जो विनियम १५,१८१० से लागू किया जा रहा है। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के ध्यान में आया है कि बनारस नगर के कुछ लोग इकट्ठे मिलकर भीड जैसे उपद्रव मचाकर उस विनियम का गैरकानूनी रीति से विरोध कर रहे हैं। दूसरी और गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने उस संबंधमें उन्हें प्राप्त आवेदनों पर पूरा विचार करने के बाद बताया है कि इस विनियम को वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण उन्होंने बताया नहीं है। इसलिए ऐसे आवेदन करनेवाले विभिन्न वर्ग के लोग तथा बनारस की समस्त प्रजा को सूचित किया जाता है कि उस विषय में न्यायाधीश तथा समाहर्ता को आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं कि वे विनियम को वास्तव में अमली बनाएँ। इसके साथ ही उस प्रांत के ट्रूप कमान्डर को भी जरूरी आदेश अलग से दिया गया है कि वे न्यायाधीश तथा समाहर्ता को उनका कर्तव्य निभाने के लिये आवश्यक सहायता करें, खासकर उन्हें उपद्रव करनेवाली अथवा दंगा करनेवाली गैरकानूनी सभाओं को बिखेरने, सभा में भाग लेनेवाले अथवा ऐसे समूहों को मददकर्ता लोगों को गिरफ्तार कर न्यायाधीश के समक्ष खडा करें, और इस प्रकार उन्हें पर्याप्त सहायता करें।

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल पूरी संवेदना और सहानुभूति के साथ, कानून का उल्लंघन करने वाले हठी या जिद्दी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि उनका ऐसा व्यवहार जारी रहेगा तो वह राजद्रोह माना जाएगा और वे अपने लिए गंभीर स्थिति को

निमंत्रित करेंगे। सरकार प्रत्येक आवेदन पर पर्याप्त ध्यान दे रही है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए प्रयत्नशील है यह बात सर्वज्ञात है, परन्तु यह नहीं बर्दाश्त किया जा सकता कि अधिकारियों के सभी उचित प्रयासों की अवमानना कर लोग ऐसे गैरकानूनी जमाव निर्माण करके उपद्रव मचाएं।

गर्वनर जनरल उन काउन्सिल के आदेश से ।

१. क. १३ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार का पत्र

११-१-१८११

महोदय,

मुझे आपके गत दिनांक ४ के पत्र की रसीद के साथ ही यह भी बताने की सूचना दी गई है कि बनारस का विद्रोह और विरोध अब शान्त हो रहा है यह जानकर मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को अत्यधिक संतोष हुआ है।

२. आपके पत्र के चौथे अनुच्छेद में आपने बताया है कि 'परन्तु सानुकूल लगनेवाली वर्तमान स्थिति पर अधिक विश्वास करना उचित नहीं है क्योंकि लोगों के धार्मिक नेता अभी भी उनके इरादे में अविचल लग रहे हैं।'

३. विनियम १५,१८१० अनुच्छेद १ के खण्ड ६ में घोषित किया गया है कि सभी धार्मिक भवनों को उस मकान कर से मुक्त रखा गया है। इस व्यवस्था के संदर्भ में भविष्य में घोषित होने वाले विनियम में अधिक स्पष्ट रूप से बताना जरूरी हो जाता है। परन्तु इस दौरान मान्यवर नामदार चाहते हैं कि उस विनियम को लागू करते समय उस करमुक्ति का लाभ व्यापक और उदारतापूर्वक दें जिससे उस से पूर्व दिए गए आदेशों का उचित रूप से पालन किया जा सकेगा। मान्वयर यह भी चाहते हैं कि आप, संबंधित समाहर्ता की संमति से करमुक्ति दी गई है ऐसे देवालयों की सूचना भेजें, जिससे आगामी विनियम में उस बात का विस्तार पूर्वक उल्लेख और स्पष्टीकरण किया जा सके।

४. गवर्नर इन काउन्सिल को प्रवर्तमान स्थिति में श्रीमान बाबू शिवनारायण सिंह की प्रशंसनीय सेवा से अत्यधिक प्रसन्नता और संतोष हुआ है। आप उन्हें अवश्य बताएँ कि गवर्नर जनरल ने शिवनारायणसिंह को खिलावत देने का निश्चय किया है, जो कि उन्होंने बाजार में आपूर्ति चालू रखने में और सार्वजनिक शांति की स्थिति बनाए रखने में जो प्रशंसनीय योगदान दिया है उसके पुरस्कार के स्वरूप सरकार की ओर से दिया जाएगा।

५. मुझे यह भी बताने की सूचना मिली है कि गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने प्रवर्तमान स्थिति में आपने जो भी कदम उठाया है उसका समग्ररूप से अनुमोदन किया है। मान्यवर इन काउन्सिल को गलत मार्ग पर जाने वाले लोगों के प्रति आपकी कार्यवाही दृढ फिर भी बहुत ही समझदारी और सुरक्षापूर्वक की थी ऐसा भी लगता है।

आपका आज्ञाकारी

जी. डोडस्वेल

काउन्सिल कक्ष — सरकार के सचिव

जनवरी ११,१८११ — न्यायतंत्र विभाग

१. क. १४ कार्यवाहक न्यायाधीश, बनारस को सरकार का पत्र

१-१-१८११

महोदय,

आज की तारीख को मेरे अगले पत्र के संधान में मुझे आप को यह बताने की सूचना मिली है कि विनियम १५,१८१० की व्यवस्था लागू करते समय ध्यान में रखना है कि उपर्युक्त विनियम की व्यवस्था लागू करने में सरकार का आशय यह नहीं है कि निचले स्तर के लोग उस मकान कर के प्रभाव में आएँ। अर्थात् ऐसे वर्ग के लोग इस कर को भरने के कारण ही संकट में आ जाएँ क्योंकि उनके मकानों की कीमत ही शायद उतनी बडी न हो। ऐसे लोग सरकार की गिनती में हैं ही नहीं।

२. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल अभी तुरंत तो किराये की वार्षिक उपज निश्चित करने के मत के नहीं हैं, इसलिए उपर्युक्त मकानों को करमुक्ति देने की निश्चित पद्धति भी निर्धारित नहीं हो सकती है। परन्तु मान्यवर ने अभी तक इस बारे में सरकार का दृष्टिकोण सभी को समझाने के लिए कहा है। वर्तमान आदेशों की सूचना के साथ विभिन्न वर्गों के लोग, जिन्हें उस व्यवस्था से लाभ होनेवाला है, उन्हें यह किस प्रकार पहुँचे उसका आपको ध्यान रखना है। उसके लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ कोई ढीलापन न हो और लोगों की भावना और स्वमान को ठेस न पहुँचे यह भी देखें, क्योंकि इस समय सरकार के लिए यह अधिक महत्त्वपूर्ण है। अब शायद स्थिति बदलेगी अथवा बदल चुकी हो किन्तु जब सरकारी आदेश हुए हैं तब गवर्नर जनरल इन काउन्सिल आपको कोई विशेष अनुदेश देने की स्थिति में नहीं है। परन्तु मान्यवर यह अवश्य चाहते हैं कि यदि लोग उनके राजद्रोह अथवा अपराधी कृत्यों को स्थानीय अधिकारियों के समक्ष कबूल करने अथवा मान लेने के लिए राजी होते हैं तो उचित करमुक्ति दे दें।

३. उसके साथ आपको यह पत्र समाहर्ता को भी पहुंचाने की सलाह है, जिससे उन्हें निर्धारण के कामकाज के लिए जरुरी मार्गदर्शन मिलेगा। यद्यपि उन्हें उस विषय की अन्य आवश्यक सूचनाएँ यथास्थिति सामान्य प्रणाली के अनुसार बोर्ड ऑव कमिश्नर के द्वारा भेज दी जाएगी।

आपका आज्ञाकारी
जी.डोडस्वेल
सरकार के सचिव
न्यायतंत्र विभाग

काउन्सिल कक्ष
जनवरी ११,१८११

१.क. १५. बनारस के समाहर्ता को सरकार का पत्र

७-१-१८११

महोदय,

मुझे माननीय गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की ओर से गत दिनांक २ का आपका पत्र मिलने की सूचना देने को कहा गया है और विनियम १५,१८१० की व्यवस्था लागू करने के संबंध में बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को आदेश भेजा जा चुका है।

कार्यवाहक न्यायाधीश ने इच्छा व्यक्त की है कि सरकार की ओर से जो कुछ अनुदेश हैं वे आपको भेज दिये जाए। प्राप्ति की पुष्टि करने की कृपा करें।

आपका आज्ञाकारी
जी. डोडस्वेल
सरकार के सचिव
राजस्व विभाग

काउन्सिल कक्ष
जनवरी ७,१८११

१.क. १६. कार्यवाहक न्यायाधीश, बनारस का सरकार को पत्र

१८-१-१८११

महोदय,

सरकार के विचारार्थ इसके साथ जरूरी दस्तावेज शीघ्र भेज रहा हूँ।

२. मेरे गत दिनांक ८ के पत्र में मैंने संतोष के साथ रिपोर्ट किया था कि नगर की प्रजा का रोष और संघर्ष की स्थिति पर्याप्त मात्रा में शांत हो रही है। मैंने यह भी विश्वास व्यक्त किया था कि सरकार के आदेश के विरोध में संगठित हुए लोग शीघ्र ही अलग हो जाएँगे। इसके लिए लोगों के साथ जो व्यवहार और बर्ताव किया उसके

आधार पर मैंने गत दिनांक १३ तक सब ठीक कर लेने का निश्चय किया था। मैंने जब विनियम १५,१८१० को वापस न लेने के बारे में सरकार के प्रस्ताव की जानकारी बनारस के अग्रणी नागरिकों को दी तब मेरा विचार था कि लोगों को मनाने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की स्थिति नहीं आएगी।

(उनको वितरित की गई घोषित प्रचार पत्र की नकल इसके साथ संलग्न है)

३. सरकार का प्रस्ताव लोगों में पहुंचाने के दूसरे दिन से ही लोग एकत्रित होने लगे। प्रत्यक्ष रूप से ही एक समूह में प्रेसिडेन्सी तक आवेदन पहुँचाने हेतु वे एकत्रित हो गए थे। इस स्थिति में मुझे सरकार का प्रचारपत्र मिला, तब मुझे लगा कि उससे लोगों को गलत तरीके अपनाने से परावृत्त किया जा सकेगा। मेरे विचार में उसे प्रकाशित किया जाए। दूसरी ओर मेजर जनरल मेक्डोनाल्ड मुझे आवश्यकतानुसार समर्थन देने की स्थिति में नहीं हैं ऐसा सोचते थे। यह बात उन्हें श्री ब्रुक के साथ हुई बैठक में समझायी गयी। मैंने सरकार के अनुदेश के अनुसार उनका अभिमत बनाना जरूरी समझा, यद्यपि लोग विरोध करेंगे ऐसा मानने का कोई कारण भी नहीं था। वे हिंसा का आचरण करेंगे अथवा सरकारी अधिकारियों पर हमला करेंगे इसकी भी संभावना नहीं थी।

४. मेजर जनरल मैक्डोनाल्ड की धारणा थी कि लखनऊ से कोई सहायता आ जाएगी परन्तु मुझे जानकारी थी कि छह अथवा आठ दिन में यह संभव नहीं था। यद्यपि इस बीच मैं मेरे अधिकार से यथासंभव सब कुछ करूंगा और सार्वजनिक सेवाओं का जो नुकसान हुआ है, उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा।

५. जो लोग इस प्रकार के अनुचित और अन्यायी कार्यकलापों में लगे हैं, वे प्रसन्न तो नहीं ही हैं। फिर भी ऐसे लोगों को सरकार का सदाशय क्या है यह समझाने की संभावना भी नहीं है। मैंने समाहर्ता को कर निर्धारण करने के लिए तत्काल मार्गदर्शक जरूरी सूचनाएँ दी हैं। फिर भी मैंने सरकारी अधिकारियों को समझाया कि समझौते के बिना ऐसा करना संभव नहीं लगता है। जब तक लोगों को सरकार की ओर से जानकारी नहीं मिलती और लोगों को उनके राजद्रोही और अपराधी कृत्यों को सरकार द्वारा माफ किये जाने के विषय में जानकारी नहीं मिलती तब तक लोग सहयोग न भी दें।

आपका आज्ञाकारी

बनारस, डब्ल्यू. डब्ल्यू. बर्ड

जनवरी १८,१८११ कार्यवाहक न्यायाधीश

१.क. १६. (क) मेजर जनरल मैकडोनाल्ड का कार्यवाहक न्यायाधीश, बनारस को पत्र

१२-१-१८११

महोदय,

आपके आज के ही पत्र की रसीद सादर भेज रहा हूं। साथ ही मुझे सरकार के न्यायतंत्र विभाग के सचिव के आपके नाम भेजे गए पत्र की नकल भी प्राप्त हुई है जिसमें मकान कर लागू करने की सरकार की इच्छा व्यक्त की गई है और मुझे बताया गया है कि आपकी या समाहर्ता की सत्ता के विरोध को दबा देने के लिये आवश्यक व्यवस्था करनी है और आपकी इच्छा और सुविधा के अनुसार आपके साथ प्रत्यक्ष भेंट करके इस योजना को क्रियान्वित करना है। आपसे भेंट करने हेतु मैं कल सुबह ८.०० बजे श्री ब्रूक के निवासस्थान पर उपस्थित रहूंगा। उचित व्यवस्था करने से पूर्व कुछ विषयों की स्पष्ट और पूर्ण जानकारी आवश्यक होगी।

जनमानस का वर्तमान मिजाज कैसा है; सरकार के निर्णय की घोषणा होने पर भीड क्या करेगी; हमें उसका प्रतिरोध करना चाहिये या भीड को बिखेरना चाहिये और सरकार को पुनः निवेदन करना चाहिये; फाटकबंदी निरस्त होने की जानकारी मिलने पर आपके अभिप्राय में स्थिति कैसी बनेगी; हो सकता है कि फाटकबन्दी निरस्त होने से नगर और उपनगर के अलग पडने की स्थिति न रहने से लोग बिखर कर अपने अपने घर चले जाएँ; या ऐसा न भी हो; घोषणा से पूर्व इसकी जानकारी देना उचित है या नहीं; जो जमाव के छुपे सूत्रधार हैं उनके नाम, वर्णन और अन्य जानकारी चाहिये; क्या उनमें गोसाईं भी हैं; हैं तो किस सम्प्रदाय के; क्या राजपूत होंगे; वे अगर होंगे तो गोसाइयों के साथ मिल जाएँगे; इस भीड में मराठे भी होंगे; मुसलमानों की तरह ये भी लडाकू होते हैं और जल्दी हथियार उठा लेते हैं क्या; हो सकता है वे महाराजा अमृतसिंहजी के कहने से निष्क्रिय रहें; सरकार के आदेश के अनुपालन के विषय में बनारस के राजा का रूख कैसा रहेगा; इस विषय में आपकी क्या राय है।

इस प्रकार के विभिन्न बिन्दुओं पर आपसे कुछ लिखित विचार प्राप्त होने पर मुझे खुशी होगी।

आपका आज्ञाकारी

जे. मैकडोनाल्ड

मेजर जनरल

बनारस

जनवरी १२,१८११, सायं ५.००

१. क . १६ (ख) मि. ब्रुक्स के निवासस्थान पर दिनांक १३ जनवरी, १८११ को श्री बर्ड, कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस तथा मेजर जनरल मैक्डोनाल्ड, नगर के कमान्डिग अधिकारी के बीच हुए विचार विमर्श का सारांश

जनमानस का सरकार के प्रति मिजाज विधायक नहीं लग रहा है। नगरीय और ग्रामीण लोग एकमत और एकजूट हैं। वे जिसका विरोध कर रहे हैं उसे हटाने के लिए दृढसंकल्प हैं। सभी वर्ग के लोग, उच्च या नीच, हिन्दु या मुसलमान, जुलाहे, राजपूत, गोसाई आदि सभी एकमत हैं एक ही उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्होंने सौगंध खाई है। कार्यवाहक न्यायाधीश का मत था कि इन लोगों की विरोध प्रदर्शन के लिए कोई हिंसक गतिविधि अपनाने की पूर्वयोजना नहीं है, परन्तु संभवतः वे सरकार को दमन या हिंसा के लिए उत्तेजित करने का इरादा रखते हैं ताकि सरकार पर अत्याचार करने का आरोप कोलकता उच्च न्यायालय के समक्ष किया जा सके। ऐसी किसी स्थिति का निर्माण नहीं होने देना चाहिये। लोगों को मुक्त छोड कर सरकार के आदेश को बेरोकटोक (निर्विरोध) लागू करें। लोग निःशस्त्र होंगे इसलिए सरकारी आदेशों का असर उनके मन पर पडेगा। किसी भी स्थिति में उपद्रव या अशांति का निर्माण होने पर चौथे ट्रुप को बुलाया जा सकता है।

कार्यवाहक न्यायाधीश का ऐसा भी अभिप्राय था कि महाराजा अमृतराव के आश्रित तटस्थ रहेंगे और स्वयं महाराजा को भी आमंत्रित किया जाएगा तो वे सरकार की मदद करेंगे। परन्तु बनारस के राजा से सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। श्री बर्ड द्वारा यह वार्तालाप लिखा गया और श्री ब्रूक द्वारा मेजर जनरल मैकडोनाल्ड को पहुंचाया गया।

डब्ल्यू. डब्लयू. बर्ड
कार्यवाहक न्यायाधीश

१. क. १६(सी) दिनांक १८ जनवरी,१८११, शुक्रवार को मेजर जनरल मैक्डोनाल्ड और श्री डब्ल्यू. डब्ल्यू. बर्ड के बीच आयोजित बैठक में श्री बर्ड अगली सुबह सरकार के गत दिनांक, ७ के ऐलान को घोषित करने के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति से प्रस्ताव रख रहे हैं।

मेजर जनरल मैक्डोनाल्ड अपना विरोध व्यक्त करते हुए बतातें है कि चौथी रेजिमेण्ट नेटिव इन्फण्ट्री की चौथी कुमक न पहुंचे तब तक सरकार का आदेश जल्दबाजी में लागू न करें जबतक मि. बर्ड आश्वासन न दें कि सेना उस संबंध में आपत्ति

नहीं उठाएगी और वे खुद (मि. बर्ड) अपनी जवाबदारी पर, मेजर जनरल के पास अभी जो है वह सब तैनात करने के लिए कहे तब तक आदेश लागू न करें। मेजर जनरल मि. बर्ड को बताते हैं कि उनके पास अभी स्वयंसेवकों की चार कंपनी सहित, ५०० से अधिक बंदूकधारी नहीं हैं। न्यायाधीश की ७वीं रेजिमेन्ट तो लाई ही नहीं जा सकती सिवाय इसके कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। मेजर जनरल के मतानुसार खतरा तो बहुत अधिक था क्योंकि यदि ब्राह्मण धार्मिक अग्रणी का रक्त बहता है तो परिणाम गम्भीर हो सकता है। मेजर जनरल ने पहले की बैंठक में जो कहा वही दोहराया कि लोग खुद ढीले पडे हुए लगें और स्वयं बिखर जाएँ तो उन्हें जाने दें।

मेजर जनरल जो कहते हैं उसके विपरीत ही श्री बर्ड बताते हैं। उनके मतानुसार यदि लोग वापस लौटने लगे हैं तो स्पष्ट आशय यही होगा कि लोग घरों में वापस लौट रहे हैं। उसका अर्थ यह भी निकलता है कि लोग राजीखुशी से सरकार के प्रस्थापित आदेश को सिर माथे चढा रहे हैं। किन्तु मेजर जनरल का यदि यही अभिप्राय है तो मि. बर्ड को खेद है, कि वे उनके साथ सहमत नहीं हैं। मि. बर्ड के मतानुसार तो ये लोग वापस लौट कर, कलकत्ता जाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। मिस्टर बर्ड,स्वयं गत दिनांक १६ के मेजर जनरल को लिखे पत्र में व्यक्त मंतव्य का पुनः उच्चारण करना उचित समझते हैं। (मूल में उस पत्र की तरीख १६ दर्शाई गई है।) जैसा कहा गया है कि राजपूत और दूसरे लडाकू जाति के लोग सरकार का आदेश लागू होते ही संघर्ष में आएँ, फिर भी मेजर जनरल जो कह रहे हैं उसके साथ मि. बर्ड अपने मतानुसार किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए अधिकार न होने से सरकार का ऐलान धोषित नहीं किया जा सकता।

उत्तर में मेजर जनरल को कहना पडा कि लोग वापस जा रहे हैं यह कहने का अर्थ यह नहीं है कि वे कहाँ जाते हैं, अपने घर अथवा और कहीं।

जे. मेक्डोनाल्ड, मेजर जनरल

डब्ल्यू. डब्ल्यू. बर्ड, कार्यवाहक न्यायाधीश

बातचीत लिखी गई और निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर कराए गए।

डब्ल्यू. ब्रुक

जे. डी. एरस्किन

डब्ल्यू. ओ. सेलमन

हस्ताक्षर करने के बाद मेजर जनरल ने बताया कि फिर भी श्री बर्ड ऐसा सोचते हैं कि मेजर जनरल के पास जो कुछ बल है वह जब जरूरत हो तब बुलाना

है, तो श्री बर्ड ऐसा करें और मेजर जनरल को बुला लें। मेजर जनरल मैक्डोनाल्ड उनकी इच्छा के अनुकूल होंगे।

जे. मेक्डोनाल्ड
मेजर जनरल
(साक्षी, उपरि लिखित)

१. क. १७ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

२०-१-१८११

महोदय,

मैंने विगत दिनों में एक्सप्रेस पत्र भेजा, उसके बाद नगर की स्थिति में शायद ही कोई अन्तर आया है। लोग अभी भी जैसे मिलते थे वैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं। और वे थक नहीं जाते या निराश नहीं हो जाते हैं तब तक स्थिति अनुकूल बनने के और सरकार के आदेश का क्रियान्वयन करने के कोई आसार नहीं लगते हैं।

२. सरकार के विनियम १५,१८१० को चालू रखने के प्रस्ताव की जानकारी होते ही अत्यन्त आपत्तिजनक और उत्तेजनापूर्ण पर्चे मुहल्लों में वितरित होने लगे। एसे दो पर्चों की सात नकल सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको भेज रहा हूं। मैंने ऐसे पर्चे प्राप्त कर देने वाले लोगों को ५०० रूपये का इनाम घोषित किया है। मैं आशा करता हूँ कि पर्चे की सामग्री और प्रयोजन देखते हुए यह इनाम ज्यादा नहीं लगेगा।

३. वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्वाभाविक ही है कि कर निर्धारण कार्य में नहीं के बराबर प्रगति हो सकती है। प्रतिदिन लोगों को बिखेरना और अपने राजद्रोही और अन्यायपूर्ण व्यवहार को छोडने के लिये विवश करना ही महत्त्वपूर्ण कर्तव्य बनता जा रहा है। जैसा कि मेजर जनरल मैक्डोनाल्ड मानते हैं कि इसके लिए अतिरिक्त मदद अनिवार्य हो गई है अब मुझे भी इस बात की जल्दी है कि यह मदद आ जाए और मैं सरकार का आदेश लागू कर दूँ। मेरा दृढ मत है कि राज्यसत्ता की अवमानना करने की यही स्थिति यदि बनी रहती है तो प्रजा को देश की सरकार के प्रति जो आदर की भावना होनी चाहिये वह दिनप्रतिदिन कम होती जाएगी। (अभी भी वह कम हुई ही है।)

आपका आज्ञाकारी
डब्ल्यू. डब्ल्यू. बर्ड
कार्यवाहक न्यायाधीश

बनारस
जनवरी २०,१८११

१. क. १८. कार्यवाहक न्यायाधीश, बनारस का सरकार को पत्र

२८-१-१८११

महोदय,

गत दिनांक १८ तथा २० के मेरे पत्र से मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को जानकारी प्राप्त हुई होगी कि किन परिस्थितियों में मुझे सरकार का आदेश लागू करने से रोका गया और मैं किस प्रकार उलझ गया।

२. सरकार के अधिकारियों की खुले आम अवमानना और अपमान कर उनका आदेश नहीं माना गया। सभी के सभी नगरजन योजनापूर्वक अवगणना और अनादर पर उतर आये। जनसामान्य सरकार के आदेश का प्रतिरोध करने के लिए निश्चयपूर्वक इकट्ठा हुआ और अपनी मांग का स्वीकार करवाने पर तुली भीड की गति से आंदोलित हो रहा था। वे समूह में कोलकता जाने के धमकी दे रहे थे, उनके ही जैसे अन्य नगरों के लोगों को भी साथ ले जाने का कह रहे थे और ओर अगर उनकी धमकी का परिणाम नहीं मिला तो उसे कृतिरूप देने का भी उनका संकल्प था।

३. लोगों को जैसे जैसे लगने लगा कि कोलकता जाने से कुछ नहीं होगा, धमकी को कृतिरूप देने की योजना बनाने लगे। उन्होंने निश्चित किया कि प्रत्येक घर से या तो मुखिया स्वयं जाए अथवा उसके प्रतिनिधि को भेजे अथवा फिर अन्य जो कोई उसके स्थान पर जानेवाला हो उसका खर्च अपनी हैसियत के अनुसार वहन करे।

४. धार्मिक नेताओं ने लोगों के अंधविश्वास और पूर्वाग्रहों को बढाने हेतु अपना प्रभाव जमाने और इस निर्णय को समर्थन देने के लिये सब कुछ कर लिया परन्तु उनके सभी प्रपंच असफल हो गए। बात जब मुद्दे पर आई तब बहुत कम लोग जाने के लिए तैयार हुए क्यों कि रास्ते में विघ्न थे। दूसरे उस योजना में योगदान देने के लिये भी वे तैयार नहीं थे क्यों कि वे समझ गए थे कि उनका उद्देश्य कभी पूरा होनेवाला नहीं था।

५. ऐसी हताशा कि स्थिति से उन लोगों में काफी उलझन निर्माण हुई और अंतमें वे अधिकारियों को दूसरा आवेदन देने के लिए नए सिरे से तैयार हुए। उन्होंने ऐसा एक आवेदन प्रान्तीय न्यायालय के न्यायाधीश को दिया। (आवेदन का अनुवाद संलग्न कर रहा हूँ) उन्हें आशा थी कि न्यायालय के हस्तक्षेप से उनके पक्ष में कोई हल निकलेगा।

६. इस आवेदन को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिए जाने से उनकी कठिनाई बढ गई। कुछ समझदार और विचारशील लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। लोगों को लगने लगा कि अब वे ऐसी मुश्किल में फंसे हैं कि उससे सम्मान पूर्वक उबरना मुश्किल होगा। वे समझ चुके थे कि सरकार अब ऐसी अनुचित लडाई या दंगा फसाद या भीड के सामने झुकेगी नहीं। परन्तु अपने अपराध को जानते हुए जो सजा मिलेगी उससे भयभीत और जिसे लेकर वे विरोध करने के लिये जमा हुए थे उस उद्देश्य को छोडने से जो बदनामी होगी उसके भय के कारण वे एक साथ रहने के लिये विवश थे।

७. इस प्रकार के अनुकूल वातावरण में सैयद अकबर अलीखान नामक एक संनिष्ठ बुजुर्ग सरकारी सेवक की उत्साहपूर्ण मेहनत और मि.ब्रुक और महाराजा अमृतराव के बीच के सम्पर्कसूत्र मौलवी अब्दुल कादिरखान के सहयोग से भीड की योजना असफल बन गई और उनकी उलझन अधिक गहरी हुई। अंतमें लोग उलझन और अनिश्चय से ग्रस्त होकर मानने लगे कि इनकी पूरी कार्यवाही को जाननेवाली सरकार से उनके उद्देश्य की पूर्ति होना तो दूर, उन्हें भयंकर दण्ड मिलेगा।

८. ऐसी धारणाओं और तर्कों के परिणाम स्वरूप वे आदेश मान लेने का मन बनाने लगे। उन्होंने मुझे २३ तारीख को कहलवाया कि यदि मैं स्वयं उन्हें समझाऊँ तो वे सब कुछ छोड कर बिखर जाने की इच्छा रखते हैं। परन्तु सरकारी अधिकारियों के साथ उनका पूर्व में जो अवांछित व्यवहार रहा था उसे देखते हुए मुझे उनसे मिलना उचित नहीं लगा और मैंने उनका प्रस्ताव मान्य नहीं किया। उसके स्थान पर सैयद अकबर अली खान ने एक योजना प्रस्तुत की जिसकी सफलता निश्चित लगती थी। मुझे उसके अनुरूप तत्काल कार्यवाही करने का अवसर भी मिल गया।

९. मि. ब्रुक मेरा पत्र मिलते ही मुख्यालय में वापस पहुंच गए थे और मुझे सहायता करने लगे थे। उन्होंने अपना पूरा प्रभाव लगाकर स्थानिक अग्रणियों को बिगडी स्थिति को दबा देने के लिए काम पर लगा दिया। बनारस के राजा अपने गांव के निवास से नगर में वापस लौटे और वे लोगों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक बनने के लिये प्रेरित करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए। दुराचरण इसी प्रकार से बना रहा तो लोगों को किस प्रकार के संकटों का सामना करना पडेगा यह भी वे कुशलता पूर्वक समझा सके।

१०. यह सारा मामला उपर्युक्त दो व्यक्ति - सैयद अकबर अली खान और अब्दुल कादिर खान - की मध्यस्थता से सफलतापूर्वक निपटाया गया। लोगों को

समझाया गया कि राजा माफी प्राप्त करने में मध्यस्थता करेंगे, और स्वयं राजा बाबू शिवनारायण सिंह को मिले खिताब से जोश में आ गए थे और मानते थे कि इस अवसर पर उन्होंने अदा की हुई भूमिका से भारी बहुमान और सरकार का विश्वास जीतने का अवसर मिला है। अतः सब योजना के अनुसार ही हुआ। राजाने अपने गौरव के अनुरूप व्यवहार किया। वे स्यवं अपने गौरव के साथ लोग जहाँ एकत्रित हुए थे वहाँ पहुंच गए। लोगों की भीड ने उन्हें शांति से सुना और अंत में सब अपने घर वापस लौटे। राजाने उनमें से पचासेक अगुआई करनेवालों को खोज कर मेरे समक्ष उनके अपराध कबूल करने के लिए पेश किया। राजा ने स्वयं ही उन्हें उनकी शिकायत के बारे में कह कर उनकी ओर से प्रस्तुति कर सरकार की दुहाई दी।

११. इस प्रकार सम्पूर्ण शांति बहाल हो गई है और विनियम १५, १८१० लागू करने में बाधा नहीं रही। यद्यपि इससे मकानों पर जो कर लग रहा है वह लोगों को अपत्तिजनक लग रहा है। अपने अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में मानने से उनको परावृत्त नहीं किया जा सकता । कर का ऐसा स्वरूप ध्यानमें लेकर लोगों की भावनाओं के विषय में समाहर्ता ने जो समझदारी दिखाई है वह कर निर्धारण में और वसूली में भी दिखाए यह बहुत जरूरी है। उनके गुस्से को कुछ हल्का करने के एक कदम के रूप में मेरा मानना है कि फाटकबंदी का खर्च सरकार के सामान्य खर्च से चुकाने का विकल्प देने के बजाय मकान कर से फाटकबंदी की राशि के बराबर मुक्ति देने से लाभ होगा। यहां के लोग फाटकबंदी के अभ्यस्त हैं और बिना हिचकिचाहट उसे चुका रहे हैं। सरकार अगर यह परिवर्तन करने का विचार करती है तो राजस्व आय तो बढेगी ही, साथ ही लोगों में कृतज्ञता का भाव जगेगा। साथ ही गरीब और धार्मिक बुजुर्गों को मुक्ति की बात आते ही मुझे विश्वास है कि लोग समझदारी दिखायेंगे और सरकार से प्रसन्न होंगे।

१२. अब केवल राजद्रोह की कृति जैसे अपराध में पकडे गए लोगों के विरुद्ध काम चलाने का बिन्दु सोचने को विवश करता है। कोई संदेह नहीं है कि उनमें से बहुतों के कृत्य आत्यन्तिक रूप से आपराधिक थे। अतः अन्यों के लिये उदाहरण रूप बने ऐसे दण्ड के ही पात्र हैं। परन्तु जनमानस इन सभी के साथ होगा। इनमें कई लोगों को तो उत्तेजित अथवा प्रेरित किया होगा यह भी हो सकता है। यदि उनके विरुद्ध मुकद्दमा चलेगा तो आज की असन्तोष की स्थिति को टालना मुश्किल होगा। इसके विपरीत, सार्वजनिक माफी देने की घोषणा से लोगों में सरकार के प्रति आभार की स्थायी भावना का बीज पडेगा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी माफी की बात प्रजा

वात्सल्य का उदाहरण बनेगी। लोगों ने झुकने में विलम्ब किया है इसका उन्हें खेद तो है ही। उपद्रवयुक्त विरोध करने का विचार अब उन्हें चुभ रहा है और अंतमें जिसका अपराध किया है उससे ही माफी प्राप्त करने की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह बात उन्हें व्यथित कर रही है। लोगों के द्वारा सरकार के समर्थन में मेरे मतानुसार पर्याप्त प्रयास हुआ है और यदि उपद्रवी और दंगा निर्माण करनेवाली सभाएँ करने वाले मुख्य अपराधियों का पता चल जाए और उन्हें पहचान लिया जाए तो इतना ही पर्याप्त होगा। इससे इसका पुनरावर्तन नहीं होगा।

१३. मेरा कर्तव्य समझकर मान्यवर को, सैयद अकबर अली खान और मौलवी अब्दुल कादिर खान को उनकी समर्थक भूमिका के लिए उचित सम्मान देने का सुझाव दे रहा हूँ। उन परिस्थितियों में उनकी भूमिका उत्तम और संतोषकारक थी और जनसेवक के लिए प्रेरणादायी थी। मैं यही बात बाबू जमनादास के लिए भी कहूँगा। वे सरकार के आदेशों का जोरशोर से प्रचार करते रहे और लोगों को अधिकारियों की आज्ञा का पालन करने के लिए समझाते रहे।

१४. इस अवसर पर तत्परता और परिश्रमपूर्वक मेरा सहयोग करनेवाले मेरे सहयोगी श्री ग्लीन के सहयोग का सार्वजनिक रूप में स्वीकार किये बिना मैं पत्र पूर्ण नहीं कर सकता।

आपका आज्ञाकारी

बनारस
२८ जनवरी १८११

डब्ल्यू. डब्ल्यू. बर्ड
कार्यवाहक न्यायाधीश

१.क. १८ (ए) आवेदन पर कोर्ट ऑव् अपील एण्ड सर्किट का आदेश

आदेश

कोर्ट ऑव् अपील या कोर्ट ऑव् सर्किट के न्यायाधीशों के अनुसार यह आवेदन संज्ञेय नहीं है। साथ ही यह आवेदन ऐसे लोगों ने प्रस्तुत किये हैं जो (देशके) विनियम के विरोध में दृढतापूर्वक संघ की रचना कर एकत्रित हुए हैं जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। इस आवेदन की शैली और मायना अवमानना युक्त है। यह भी उसे मान्य न करने का एक कारण है।

डब्ल्यू. ए. ब्रुक, वरिष्ठ न्यायाधीश
जे.डी. एरस्कीन, कार्यवाहक तीसरे न्यायाधीश
बनारस डिविझन के कोर्ट ऑव् अपील एण्ड
कोर्ट ऑव् सरकिट के न्यायाधीश

१. क. १९. बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार का पत्र

४-२-१८११

कार्यवाहक न्यायाधीश

बनारस

महोदय,

मुझे गत दिनांक ८, १८, २० और २८ के आपके पत्र और उसके साथ के संलग्नकों की रसीद देने की सूचना मान्यवर गवर्नर जनरल इस काउन्सिल की ओर से मिली है।

२. दि. ८, १८ और २० के पत्रों पर अलग कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

३. गत २८ के पत्र के संदर्भ में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल आपके पत्र की जानकारी से संतुष्ट हैं कि विनियम १५,१८१० की व्यवस्था का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए लोग अपने उद्देश्यों में सफल न होने पर बिखर गए हैं और लोग अधिकारियों के समक्ष झुक गए हैं।

४. ऐसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने जब भी जो कदम उठाया है उसका गवर्नर जनरल इन काउन्सिल अनुमोदन करते हैं।

५. मान्यवर बनारस के राजा ने सार्वजनिक हितमें अपने विश्वास और तत्परता का जो प्रमाण दिया है उसके लिए अत्यधिक संतोष का अनुभव करते हैं। उन्होंने बनारस के लोगों को अनुचित राह पर जाकर राजद्रोह का आचरण कर, सरकारी की सत्ता को चुनौती देकर बदले में संकटग्रस्त होने से बचाने के लिए, सलाहकार की जो भूमिका निभाई है उसकी मान्यवर दखल लेते हैं। मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल राजा साहब को एक पत्र लिखकर भेजनेवाले हैं। उस पत्र के साथ सरकार उनके मूल्यवान व्यवहार से कितना आदरपूर्ण प्रशंसा का भाव रखती है उसके संकेत के रूप में खिलावत भी भेजने वाली है।

७. राजद्रोही और अन्यायपूर्ण आचरण करनेवाले बनारस के लोगों को आम माफी देना मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को उचित नहीं लगता है। उल्टे उनका तो मत ऐसा है कि इस प्रकार का आचरण भविष्य में फिर से न हो इसलिये इन अपराधियों को ऐसा उदाहरण रूप दण्ड देना चाहिये कि और कोई इस प्रकार का आचरण करने का साहस न करे। उनके उपर सीधा सीधा मुकद्दमा चलाना चाहिये।

परन्तु मानयवर का मानना है कि ऐसे मुकद्दमे संख्या में अधिक नहीं होने चाहिये। मान्यवर का यह आशय ध्यान में रखते हुए आप ऐसे लोगों के नाम दें जिनके विरुद्ध आप मुकद्दमा दायर कर सकते हैं, साथ ही इन लोगों के नाम देने के लिये कौन से आधार हैं उसकी भी विस्तृत जानकारी दें।

८. सरकार के गत दिनांक ५ के फाटकबंदी विषयक आदेश में जो सुधार आपने सूचित किए हैं उसके लिए कोई आपत्ति होने की जानकारी या खबर मान्यवर को नहीं है। बोर्ड ऑव् कमिश्नर इस संदर्भ में बनारस के समाहर्ता को लेकर आपके प्रस्ताव के अनुसार करने के लिये जरूरी सूचना देगा अथवा बोर्ड में उसका स्वीकार करने के संबंध में कोई आपत्ति है तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।

९. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने आपके सहायक श्री ग्लीन के कर्तव्यपूर्ण सहयोग की दखल ली है।

१०. बनारस में अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका सामना करने के लिए आपको जो कुछ दायित्व दिये गए, उनको आपने जिस दृढता और समझदारी पूर्वक निभाया है उसके लिए मान्यवर काउन्सिल संतोष के साथ प्रशंसा व्यक्त करते हैं।

आपका आज्ञाकारी
जी. डोडस्वेल
सरकार के सचिव
न्यायतंत्र विभाग

काउन्सिल कक्ष
फरवरी ४,१८१९

१. क. २० कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस का सरकारश्री को पत्र

७-२-१८११

जी. डोड्स्वेल
सरकारश्री के सचिव, न्यायतंत्र विभाग
फोर्ट विलियम

महोदय,

इसके साथ, बनारस के राजा ने उसके प्रजाजनों के नाम से जो आवेदन आपको पहुंचाने के लिए मुझे दिया है वह मैं आपके विचार और आदेश के निमित्त भेज रहा हूँ।

२. यह आवेदन १५, १८१० की व्यवस्था के अनुसार अंतिम प्रयास के रूप में सरकारश्री को भेजा जा रहा है। इस विषय में स्थानिक प्राधिकारियों को किए गए

आवेदन, आवेदकों के बताए अनुसार, नामंजूर किए गये थे। वे मान्यवर के समक्ष प्रस्तुत भी किए गए और आवेदक मान्यवर के निर्णय से पूर्ण रूपसे अवगत भी हैं। उन्हें निर्णय की जानकारी भी हो चुकी है, फिर भी इस समय आवेदन को वापस कर देना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसा करने से शायद असंतोष, रोष और अंततः उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न होगा।

३. अब जब यह समस्त प्रकरण सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, तब आवेदन की जानकारी के संबंध में मैंने अधिक कुछ कहना निरर्थक ही होगा, फिर भी सरकार की जानकारी के लिए और विशेष रूप से मेरे मतानुसार लोगों की भावना के बारे में अवश्य कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे लोग जिस मुद्दे और उसके लिए उठाए गए कदम के संबंध में आपत्ति कर रहे हैं वह कर निर्धारण या उसकी वसूली से संबंधित मुद्दा नहीं है। नगर के लोग तो मानते हैं कि यह तो एक नए प्रकार का परिवर्तन हे। देश और प्रांत के हित में किसी भी सरकार को इस प्रकार का कर लागू करने का अधिकार नहीं है और यदि लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो कर बढ़ता ही जाएगा और फिर तो लोग जिसे अपना समझते हैं उसे भी धीरे धीरे कर के दायरे में सम्मलित कर लिया जाएगा। इसलिए मुझे संदेह है कि ये लोग अपने कदम के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। संभवतः विनियम की व्यवस्था के अंतर्गत जो कर निश्चित किया जाता है उसे स्थापित कर और विनियम में बताया गया है उसके अनुसार मर्यादित हेतु पर ही सीमित रखना घोषित किया जा सके, तो यह लोगों के लिए संतोषप्रद होगा। सामान्य भावना तो कर के विरुद्ध की ही लगती है और लगभग सभी निवासी ऐसे किसी कर के सामने झुकने को तैयार नहीं लगते हैं। फिर भी यह देशहित में उपयोगी होने की बात यदि समझाई जाए तो कदाचित् उसमें सहभागी होने के लिए तैयार हो भी जाए। ऐसी किसी भी वसूली के लिए भले ही वे आदी न हों तो भी तैयार हो जाएँ।

४. मैंने इस आवेदन की सूचनाओं के बारे में कुछ भी कहने से अलग रहना ही पसंद किया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ही यह आवेदन ऊँचे अधिकारियों को किया जाता है और मेरे लिए बिना सरकार का रुख जाने आवेदकों द्वारा आपत्ति की जो बातें लिखी गइ हैं उनके बारे में कुछ कहना या लिखना हस्तक्षेप माना जाएगा। इसी सिद्धांत के अनुसार सरकार ने गत दिनांक ११ के आदेश के अनुरूप निश्चित वर्ग को मुक्ति देने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके बारे में लोगों को बताने से भी मैं दूर रहा हूँ। दूसरी ओर बिना किसी शर्त के सरकार जो निश्चित करती है उसे

प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने की सिद्धता दर्शाई है। जिसमें सूचित स्थिति स्थापित करने योग्य लगती हो, यदि सरकार की ओर से मंजूरी दी जाए त ऐसा विचार करें।

५. अब मुझे मात्र इतना ही कहना है कि आपके द्वारा अंतिम पत्र भेजे जाने के बाद नगरजन शांतिपूर्वक रहेंगे। मुझे लगता है कि उन लोगों ने शांत रहना निश्चित कर लिया है।

आपका आज्ञाकारी

बनारस, डब्ल्यू.डब्ल्यू बर्ड

फरवरी ७, १८११ कार्यकारी न्यायाधीश

१. क. २१. कार्यकारी न्यायाधीश, बनारस को सरकार का पत्र

१६-२-१८११

कार्यकारी न्यायाधीश,

बनारस

महोदय,

मुझे आपके गत दिनांक ७ के पत्र की रसीद देने के लिए मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही बनारस के नगरवासियों का आवेदन भी मिला है।

२. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को लगता है कि आपने सरकार को आवेदन भेजकर आपके स्तर की जवाबदारी के अनुरूप काम किया है। साथ ही मान्यवर काउन्सिल को आपके द्वारा बताई गई स्थिति के संबंध में कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है जिसकी वजह से इस समय कर में सुधार संबंधी कोई बातचीत रोक देनी चाहिये। वे मानते हैं कि विनियम १५, १८१० के अन्तर्गत प्रस्थापित नियम की सीमा में ही बदल विषयक कोई बातचीत या विचार हो सकता है। इस विषय में लोगों को पत्र के उत्तर स्वरूप में बताया भी जा सकता है। फाटक बंदी व्यवस्था विषयक सभी जानकारियाँ तथा धार्मिक नेताओं के करमुक्ति विषयक प्रस्ताव के बारे में समाहर्ता को बोर्ड ऑफ कमिश्नर के निर्देश के रूप में जानकारी दी जाएगी और इस विषय में सरकार ने जो प्रस्ताव किए हैं उससे भी अवगत कराया जाएगा।

३. इससे पूर्व की टिप्पणियों और आदेशों के बाद शायद ही उसमें कुछ जोड़ने के लिये रहेगा। अतः गवर्नर जनरल इन काउन्सिल बनारसवासियों के आवेदन के बारे में कुछ करना उचित नहीं समझते।

इसलिए इसके बाद के कर विषयक किसी भी आवेदन अथवा असंतोष के सन्दर्भ में मान्यवर काउन्सिल का अभिमत निराकरण है ऐसा समझ लिया जाए।

आपका आज्ञाकारी

काउन्सिल कक्ष　　जी. डॉड्स्वेल

जनवरी १६, १८११　　सरकार के सचिव

न्यायतंत्र विभाग

१. क. २२. बनारस के न्यायाधीश का पत्र सरकार के प्रति

२३-२-१८११

जी. डोड्स्वेल एस्क

सरकार श्री के सचिव, न्यायतंत्र विभाग,

फोर्ट विलियम

महोदय,

गत दिनांक १६ को सरकार के कार्यकारी न्यायाधीश द्वारा भेजे गए बनारस वासियों के आवेदन के प्रति आदेश द्वारा मुझे बहुत समर्थन मिला है।

२. आज सबेरे ही बनारस के राजा नगर के कुछ अग्रगण्य लोगों के साथ अपने आवेदन के संबंध में मिलने आए थे और पूर्वोक्त प्रश्न के प्रति आदेश के संबंध में मुझसे कुछ जानना चाहते थे। साथ ही विनियम १५, १८१० के संदर्भ में जो परिवर्तन स्वीकार करने की बात है और फाटकबंदी के बारे में सरकारश्री के गत दिनांक ५ के जो सुझाव आए हैं वे जानने के इच्छुक थे।

३. सरकारश्री के इससे पूर्व के कुछ मुद्दे थे उससे संलग्न प्रचार पत्र के अनुरूप शब्दशः असिस्टेन्ट न्यायाधीश की उपस्थिति में सबको बताया। बाद में इसकी प्रतिलिपि सबकी जानकारी के लिए नगर में प्रकाशित की गई थी। जिसका अंग्रेजी अनुवाद भेज रहा हूँ।

४. जब लोग खुले आम कानूनभंग कर राजद्रोह का आचरण करते थे तब ही पूर्वोक्त नोटिस रोके रखने के कदम से मुझे लोगों को समझाने का अवसर मिला, जिसका विरोध भी कम हुआ और सभीने अपने हित में मुझे सुना, लेकिन यह प्रस्ताव धार्मिक नेताओं और निम्नवर्गीय लोगों के लिये लाभकारी था, और यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया जब लोग सरकार से इस कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए आवेदन दे रहे थे। इन आवेदनों को सर्वथा अलग तरीके से अर्थात् अवमानना अथवा

तिरस्कार के रूप में ही लिये जाने के कारण से तुरंत ही नामंजूर कर दिया गया। यदि आवेदन लेकर उसकी किसी बात या भावना को सुना गया होता तो असंतोष, तिरस्कार अथवा सभी लोक अधिकारियों की आज तक जो अवमानना हुई उसका निवारण करना सरकार के लिए संभव हो सकता था।

५. अब मैं निश्चित अभिप्राय के रूप में तो नहीं किन्तु उनके धार्मिक नेताओं को जो मुक्ति दी गई है उसका लोगों के मन पर जो असर हुआ है उसे देखकर कह सकता हूँ कि लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बहुत संतुष्ट लग रहे थे।

न्यायाधीश कार्यालय, आपका आज्ञाकारी
बनारस एडवर्ड वॉट्सन
फरवरी २३, १८११ न्यायाधीश

१. क. २२ (ए) प्रचार पत्र

मकान कर के संबंध में बनारसवासियों का महाराजा उदित नारायण सिंह द्वारा कार्यकारी न्यायाधीश डब्ल्यू. डब्ल्यू बर्ड को दिया गया आवेदनपत्र दिनांक ७ फरवरी को गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को एक पत्र द्वारा दिया गया। इस आवेदन पर सरकार का आदेश जारी हुआ है कि गवर्नर जनरल इन काउन्सिल बनारसवासियों का आवेदन मान्य नहीं कर सकते हैं। इस लिए सभी को इस प्रकार कर चुकाना होगा।

विनियम १५, १८१० की धारा ६ के खंड १ के अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि धार्मिक भवनों को कर से मुक्ति रहेगी। इस व्यवस्था को भविष्य के विनियम में विस्तृत रूप से समाविष्ट किया जाएगा। तब तक गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की इच्छा है कि विनियम की इस व्यवस्था से बडी संख्या में लोगों को मुक्ति का लाभ मिलता है इसकी ओर ध्यान दिया जाए और इस से पूर्व की धाराओं का उचित रूप से पालन कराया जाए। इस संबंध में समाहर्ता के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार किया जाए जिसमें सरकार के वर्तमान आदेश के अनुरूप करमुक्ति के पात्र धार्मिक भवनों की जानकारी का समावेश किया गया हो। इस जानकारी के आधार पर विनियम के भविष्य के संस्करण में जानकारी दी जा सकती है।

दूसरा सरकार का यह इरादा नहीं है कि निचले स्तर के लोगों को आवास कर के लिए निशाना बनाया जाए क्यों कि उनकी आय कर चुकाने के लिये पर्याप्त नहीं होती।

तीसरा, दिनांक ५ जनवरी, १८११ के प्रस्ताव में निश्चित किया गया है कि

बनारस के निवासियों को फाटकबंदी, चौकीदार और उसके मरम्मत आदि खर्च में बहुत अधिक रकम चुकानी पड़ती थी, उसमें से मुक्ति दी जाए और उस खर्च को सार्वजनिक फंड से भरपाई किया जाए। इस विषय में प्रस्ताव पारित होते ही उसकी जानकारी उस मास की दिनांक १३ के प्रचार पत्र में दी गई थी। बाद में सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव आया कि फाटकबंदी से सम्बन्धित खर्च सार्वजनिक फंड से चुकाने के स्थान पर, मकान के किराए के निर्धारण में मकानमालिक, मकानधारक को किराया निर्धारण के समय जो बाद मिलता है और वे मोहल्ले कर के माध्यम से अपने हिस्से में आने वाली रकम चुकाते रहे हैं, उस मकान को कर मुक्ति दी जाए। इससे लोगों में संतोष और प्रसन्नता व्याप्त होगी। इसके उत्तर में सरकारी आदेश यह आया कि फाटकबंदी विषयक ५ जनवरी के आदेश में इस विषय में अगर कुछ सुधार करना है तो उस विषय में कहीं से आपत्ति आई है ऐसा सरकार के ध्यान में नही आया है। इस संबंध में इस के पूर्व में आवेदनों आए हुए मानने या कोई आपत्ति उपस्थित की गई हो तो उसकी रिपोर्ट भेजने के लिये, बोर्ड ऑफ कमिश्नर समाहर्ता को बताएगा।

इसके बाद दिनांक १६ फरवरी के सरकार के आदेश जिसमें फाटकबंदी के बारे में तथा धार्मिक नेताओं अथवा (भवनों के) तथा अकिंचन गरीब लोगों को कर से मुक्ति देने की व्यवस्था के आदेश थे उसे बोर्ड ऑफ कमिश्नर को भेज दिया है और उससे संबंधित सारी व्यवस्था बोर्ड की सूचना के अनुरूप समाहर्ता करेंगे।

इसलिए शिकायत अथवा असंतोष का कोई कारण नहीं बचता है।

एडवर्ड वॉट्सन
न्यायाधीश

१. क. २३. पूर्व कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

२३-२-१८११

जी. डोड्स्वेल एस्क
सरकार के सचिव, न्यायतंत्र विभाग
फोर्ट विलियम

महोदय,

गत दिनांक १६ का सरकार का आदेश देखकर मैं बहुत व्यथित हुआ कि मान्यवर काउन्सिल ने मेरे द्वारा वर्णित परिस्थिति के संदर्भ में कोई वास्तविक कदम की ओर ध्यान नहीं दिया और प्रवर्तमान परिस्थिति में, कर में किए जाने वाले सुधारों

को घोषित नहीं करने के मेरे निर्णय को मान्य नहीं रखा।

२. मैने गत दिनांक ७ को आप को लिखे पत्र के अनुछेद ४ में जो भाव व्यक्त किये थे वे सर्वथा अनुचित होने की टिप्पणी आते ही मैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में फंस गया हूँ ऐसा लगता है। इस संबंध में इस प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का इच्छुक हूं -

३. गत दिनांक ७ को मेरे द्वारा प्रेषित पत्र का उद्वेश्य केवल इतना ही था कि लोगों को कर में किए गए सुधारों की जानकारी तब तक न दी जाए जब तक सरकार की ओर से उनके आवेदन का उत्तर नहीं आता। इससे लोगों को यह मानने का कारण नहीं मिलेगा कि यह सुधार उनके गैरकानूनी अथवा हो हल्ला पूर्ण प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप नहीं, अपितु वे झुके इसके प्रतिसाद और समर्थन के परिणाम स्वरूप सरकार का उत्तर है। फिर तो एक नीतिविषयक बात ही थी कि घोषणा को सरकार के प्रस्ताव तक या अपील पर अंतिम आदेश आने तक रोके रखना। उक्त आवेदन अत्यन्त शांति और आदर पूर्ण ढंग से किया गया था। इससे सरकार के गत दिनांक ११ के आदेश से और मुझे दिए गए विवेकाधिकार से रोके रखना उचित और आवश्यक लगा ताकि लोग स्थानिक अधिकारियों के प्रति आदरपूर्ण रहें।

४. मुझे लगता है कि मैंने नीतियों और सिद्धातों का आदर करते हुए जो कुछ कार्यवाही की है, उसके संबंध में कोई संदेह नहीं रहेगा, फिर भी कुछ चिंता तो रहती ही है। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा लिए गए निर्णय को व्यापक समर्थन और प्रशंसा मिलेगी लेकिन उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। यद्यपि ऐसी आपात् स्थिति में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने इसे मान्य रख कर मेरा सम्मान किया है।

बनारस, आपका आज्ञाकारी
फरवरी २३, १८११ डब्ल्यू.डब्ल्यू. बर्ड
पूर्व कार्यवाहक न्यायाधीश

१. क. २४. बनारस के न्यायाधीश को सरकार का पत्र

६-३-१८११

न्यायाधीश
सिटी ऑफ बनारस

महोदय,

मुझे आपका गत दिनांक २३ का तथा उसी दिनांक का सहायक न्यायाधीश का पत्र मिलने की रसीद देने की सूचना मिली है।

२. आपके स्वयं के पत्र में बताए गए विषय के संबंध में कोई टिप्पणी या आदेश नहीं है ।

३. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने, मिस्टर बर्ड ने शुभाशयपूर्वक आवास कर के सुधारों की सूचना देना स्थगित रखने के लिए जो कदम सूचित किया था, उसके प्रति पूर्ण संतोष व्यक्त किया है। इस विषय में उन्हें उनके सदाशय और निर्मल भावना संबंधी तनिक भी व्यथा पहुंचाने का इरादा न है और न था। यद्यपि इस संबंध में सरकार की जो भावना है, उस संबंध में अधिक कुछ कहने अथवा स्पष्ट करने की आवश्यकता लगती नहीं है।

काउन्सिल कक्ष आपका आज्ञाकारी
मार्च ६, १८११ जी. डोड्स्वेल

१. क. २५. मकान कर लागू करने के विषय में समाहर्ता की रिपोर्ट

२८-१२-१८११

(सारांश)

प्रारंभ में मैंने मेरे अधिकारियों को सभी मालिक तथा किराएदारों, जिनके मकान का निर्धारण हो चुका है, उसकी विस्तृत जानकारी लाने के लिए कहा। इसके लिए एक नोट भेजा जिसमें प्रत्येक मकान के किराए की दर और निश्चित की गई कर की राशि की जानकारी का पत्रक तैयार करने के लिए कहा। साथ ही एक घोषणा करवाई कि यदि किसी व्यक्ति को किराए की दर अथवा उसमें दर्शाए गए कर के संबंध में कोई विरोघ है तो उसकी जानकारी दी जाए। ऐसा भी विचार किया गया कि उनसे जरूरी पूछताछ कर उसका हल निकालने का प्रयास किया जाए। घोषणा में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए और उसके निवारण के लिए नगर में सप्ताह का एक दिन निश्चित करके बताया गया। किसी भी मकान मालिक अथवा किराएदार ने इसकी ओर न तो कोई ध्यान दिया अथवा न तो किसी ने कोई आवेदन दिया या विरोध किया। अधिकांश लोग चिढ़े हुए थे और चुप रहे और उन्होंने निर्धारकों को अपना काम करने दिया। हाँ, किन्तु वे कर संबंधी जरूरी किसी भी प्रश्न का उत्तर देना टालते रहे। वे इस नियम से खुश नहीं थे यह दर्शाने के लिए ऐसा करते थे। उनकी धारणा थी कि निर्धारक और कार्यकारी अधिकारी सम्पत्ति आदि सब देखकर, समझकर करनिर्धारण करेंगे। सीधा विरोध नहीं कर सके तो सहमत भी नहीं लगे। हां, कुछ टंटा फिसाद करनेवाले लोग कर अधिकारियों का विरोध करते रहे किन्तु अधिकारियों के

विनम्र व्यवहार और जिसे मैंने इस काम का दायित्व दिया था उस मुहम्मद तकी खान की चेतावनी और समझाने से झगड़ा या दंगल होना रोका जा सका और बिना पुलिस की किसी सहायता या दखल के सब कुछ सरलता से सम्पन्न हुआ।

यद्यपि नगर के कुछ रिहायशी इलाकों में कुछ अपवाद रूप घटना तो ऐसी घटी कि सरकार के कुछ कर्मचारी और बाद में अन्य किसी प्रकार से सरकार से सम्बन्धित अथवा तो स्वेच्छा से ही निष्ठा दर्शाने के इच्छुक कुछ लोग अपने मकानों की जानकारी का तैयार किया गया पत्रक और किराए की जानकारी कर निर्धारण के लिए प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए।

इस प्रकार विनियम द्वारा मुक्ति दी गई है अथवा अन्यथा मुक्ति प्राप्त है उनको छोड सभी मकानों की पूर्ण जानकारी तैयार की गई है, यद्यपि उसमें ऐसी बहुत सी इमारतें भी हैं जिनका करनिर्धारण या वसूली करना या नहीं करना इस विषय में सन्देह हो सकता है।

अब, वर्तमान स्थिति देखकर लगता है कि कर वसूल करने के संबंध में हमें अधिक जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने कार्यवाही की उस समय जो समस्याएं आई थीं, उनके रहते सरकार यह लागू कर सकेगी इस विषय में मुझे संदेह है। सरकार को कदाचित् लाभ होगा तो भी वह नहीं के बराबर, और लगभग ५ लाख लोगों का विरोध - जिसे दबाना अत्यन्त दुष्कर है - देख कर इस संदर्भ में मेरा कुछ अलग अभिप्राय देना अपरिहार्य ही है कि, (कर) निर्धारण अथवा निरस्ती की जानकारी एक ओर तो लोग आभारवश हो कर स्वीकार करेंगे तब निर्धारण की प्रक्रिया ऐसे सभी स्थानों पर भी जारी रखी जाए जहाँ आदेश प्राप्त होते ही कोई विरोध अथवा हो-हल्ला नहीं होगा। उसके बारे में नीति विषयक निर्णय करना होगा। अभी तो ऐसा कोई विरोध नहीं है किन्तु मैं अथवा मेरी धारणा के अनुसार न्यायाधीश भी कहने की स्थिति में नहीं हैं कि कर वास्तव में लागू किया जाएगा तब भी ऐसी ही स्थिति रहेगी अथवा नहीं। निर्धारण प्रक्रिया के समय मैंने उन लोगों की मूक नाराजगी का अनुभव किया है उसे देखते हुए कह सकता हूँ कि निर्धारण होने तक शांत रहना उन्होंने निश्चित ही कर लिया था किन्तु इस समय आपसे मैं विवश होकर अनुरोध करता हूँ कि कर वसूली बिना पर्याप्त सैन्य दलों की उपस्थिति के न करें। अभी जितना सैन्य दल है वह पर्याप्त नहीं है।

ख. पटना की घटनाएँ

१. ख. १. पटना के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

महोदय,

पटना शहर के निवासियों में कुछ लोगों की ओर से, विनियम १५, १८१० के प्रावधान के अनुसार जो मकान कर लागू किया जानेवाला है उससे मुक्ति प्राप्त करने के बारे में मुझे प्राप्त १२ आवेदन पत्र को भेज रहा हूँ, जिसे आप मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को विचार तथा उचित आदेश हेतु अग्रेषित करें यही निवेदन है।

पटना, आपका आज्ञाकारी
२ जनवरी, १८११ आर. आर. गार्डिनर
कार्यवाहक न्यायाधीश

१. ख. २ पटना के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार का पत्र

२-१-१८११

महोदय,

मुझे गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने गत दिनांक २ के आपके पत्र की रसीद देने की सूचना दी है, जिसके साथ विनियम, १५, १८१० के अनुसार मकान कर लागू होने के बारे में पटना के निवासियों की ओर से आपको प्राप्त और आप के द्वारा अग्रेषित आवेदन भी मिले हैं।

२. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने, हाल में ही बनारस के निवासियों की ओर से इसी विषय पर प्राप्त आवेदन पर बहुत ही विचारपूर्वक निर्णय दिया है। इसलिए आपको भी सूचित किया जाता है कि विनियम १५, १८१० की व्यवस्था वापस लेना उचित नहीं है। सम्बन्धित प्रान्तों को शहर में इस व्यवस्थाको लागू करने के आदेश भी भेजे जा चुके हैं। इस आधार पर मान्यवर काउन्सिल का कहना है कि आप तथा समाहर्ता मिलकर अपने नगर की इस प्रकार की जानकारी एकत्रित कर शीघ्र ही तैयार रखें। इस विनियम की व्यवस्था क्यों और किस प्रकार अथवा किस समय लोगों को बता दी जाए वह सब आप की विवेकबुद्धि पर छोड़ना उचित लगता है। यद्यपि आपके मार्गदर्शन के लिए मुझे यह बताने की भी सूचना है कि इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करते

समय लोगों में रोष पैदा हो ऐसा कुछ न होने दें, संयम और समझदारी से काम लें ताकि लोग भड़क कर एकत्रित अथवा संगठित होकर, पटना में इस कर को लागू करने में अवरोध पैदा न करें या विरोध न कर बैठें।

बनारस में जब मंत्रणा हुई और उनके विचार के प्रति असहमति और विरोध व्यक्त हुआ तब स्थानिक सभी वर्गों के साथ सौम्यतापूर्वक व्यवहार करते हुए इस व्यवस्था के प्रति आवेदन देने का प्रावधान होने की सांत्वना देकर स्थिति से निपटा गया था।

३. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को विश्वास है कि उपरोक्त आदेश और आपकी विवेकबुद्धि पत्र में उल्लिखित इस विनियम को लागू करने के लिये पर्याप्त रहेगा। अतः अब संभवतः अन्य कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी अथवा सरकारी अधिकारियों को अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी कोई गैरकानूनी अथवा उपद्रवकारी सभा अथवा अन्य किसी षडयन्त्र के परिणाम स्वरूप कोई विरोध की घटना घटती है (बनारस में बहुत घटी हैं) तो मान्यवर चाहते हैं कि ऐसी स्थिति की जानकारी तुरन्त यहां भेजी जाए। साथ ही ऐसी स्थिति में आपको दिये गये अधिकार के तहत बहुत ही सोच विचार कर समझदारी और सावधानी पूर्वक आवश्यकता के अनुरूप उपाय करें। सार्वजनिक शांति बनाए रखें।

काउन्सिल कक्ष
८ जनवरी १८११

आपका आज्ञाकारी
सरकार का सचिव
न्यायतंत्र विभाग

ग. सरन की घटनाएँ

१. ग. १. सरन के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

९-१-१८११

महोदय,

आपको मेरा अनुरोध है कि आप मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को बताएँ कि मकान कर के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अहवाल यह है कि इसे लेकर लोगों में बहुत नाराज़गी है। यहाँ के लोग क्रोधित हो उठे हैं और उन्होंने मुझे आवेदन दिया है, जिसे अनुवाद सहित भेज रहा हूँ।

२. जब समाहर्ता ने निर्धारण कर्मचारियों को भेजा तब इतनी भयानक संकटमय स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें सचेत हो जाना पडा और मेरे लिये सम्भव था वह सब करने के बाद भी सभी दुकानें बंद करा दी गईं। कुछ गंभीर घटना घटने के संकेत प्राप्त होने लगे ।

३. यहाँ सैन्य बल नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी को शोभा न देनेवाला या अपमानजनक कुछ भी नहीं कर सकता था। अंततः मुझे समाहर्ता को कहना पडा कि सरकार की ओर से मुझे आदेश प्राप्त नहीं होता तब तक निर्धारण का कार्य रोक दें।

४. मैं मानता हूँ कि इस स्थिति में, मेरी समझ और विवेक के अनुसार मैंने जो किया है वह आपको मान्य होगा।

आपका आज्ञाकारी

सरन जिला — एच. डगलास

८ जनवरी १८११ — कार्यवाहक न्यायाधीश

१ ग. २. कार्यवाहक न्यायाधीश सरन को सरकार का पत्र

१८-१-१८११

महोदय,

मुझे, मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने आपका गत दिनांक ९ का पत्र तथा साथ ही सरन के निवासियों के मकान कर विषयक आपको दिये गये आवेदन की रसीद देने की सूचना मिली है।

२. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को अब ऐसा लगता है कि विनियम १५, १८१० के प्रावधानों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सरन के निवासियों के मन में ऐसी आशा किंचित् भी न जगने दें कि निश्चित किये गये कर में कोई छूट या मुक्ति मिल पायेगी। यद्यपि प्रावधान किया गया है कि गरीब और भिक्षुक अथवा पुजारी आदि लोगों को मुक्ति दी जाएगी । मुझे आपको इस विषय में बोर्ड ऑव् रेवन्यू को लिखे पत्र की प्रतिलिपि भेजने की भी सूचना है, जो आपने समाहर्ता को देना है, ताकि कर निर्धारण के विषय में उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा ।

३. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को नहीं लगता है कि विशेष रूप से यदि ऊपरि निर्दिष्ट पद्धति से कर लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो सरन के लोग उसका खुला विरोध करेंगे। साथ ही मान्यवर यह भी चाहतें है कि यदि लोग सरकार की सत्ता को चुनौती देते हैं अथवा विरोध दर्शाते हैं या अन्य कोई गैरकानूनी अर्थहीन गतिविधि में उलझते हैं तो समझदारी एवं धैर्य से उन्हें समझाने का प्रयास अवश्य करें, फिर भी वास्तव में ऐसी स्थिति का निर्माण होता है (अथवा सेना को बुलानी पडती है) तो आवश्यकतानुसार दीनापुर से सैन्य सहायता प्राप्त करें, ताकि स्थानीय अधिकारियों को विनियम के अनुसार अपनी कार्यवाही निभाने में सहायता प्राप्त हो।

आपका आज्ञाकारी

काउन्सिल कक्ष जी. डोड्स्वेल

१८ जनवरी १८११ सरकार के सचिव

घ. मुर्शिदाबाद की घटनाएँ

१. घ. १. मुर्शिदाबाद के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

२५-२-१८११

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव,
न्यायतंत्र विभाग
फोर्ट विलियम

महोदय,

मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को सूचना देना मेरा कर्तव्य है कि हाल ही में नियम बनाकर मकान कर वसूल करने के प्रावधान के तहत, वसूली कार्यवाही का प्रारम्भ करते ही नगर में भारी असंतोष फैल गया है। शहर में स्थिति बिगडने के आसार हैं जो चिन्ता का विषय है।

एकत्रित लोगों में अग्रणी व्यापारी इस कर का विरोध करने के स्थान पर अपने घर और दूकान से निकल कर मेरे पास आए थे। उनमें से कुछ लोगों ने योजना के अनुसार किया भी परन्तु मुझे खुशी है कि मैं उन्हें अपने अपने स्थान पर वापस लौटने के लिए समझा सका हूँ।

इसके बाद इस विषय पर मुझे प्राप्त आवेदन मैं आपको भेज रहा हूँ। उनमें एक पर्शियन में है अतः उसका अनुवाद भी भेज रहा हूँ। ये मुझे गत दिनांक २१ को मिले। ये आवेदन नगरवासियों की भावना का आभास देनेवाले हैं। बंगाली में लिखे आवेदन पर जीनगंज और उसके आसपास के लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। उसमें लिखी विषयवस्तु एक ही प्रकार की होने के कारण अनुवाद नहीं भेजा है।

अचानक ही शहर में अनाज के भाव बढ़ जाने से आश्चर्य लगा, किन्तु तत्काल कोई कारण नहीं मिला। अतः कारण जानने के लिए मैंने अग्रणी महाजनों को बुलाया। उनका कहना था कि टाउन ड्यूटी और मकान कर की संभावना के कारण शहर में अनाज के आने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उन्होंने पर्शियन में लिखा आवेदन आप तक पहुंचाने की प्रार्थना की।

इस आवेदन में प्रयुक्त शब्द उचित नहीं लगे इस लिये मैंने भेजना उचित नहीं समझा। मैंने उन्हें बताया कि टाउनड्यूटी तो पिछले आठ महीनों से लागू है, और

मकान कर जो अभी लागू नहीं हुआ है उसे अनाज के भाव वृद्धि का कारण नहीं बनाया जा सकता। इस विषय में मुझे अनेकों शिकायतें मिली थीं अतः मेरे अधिकार के अनुसार और समाहर्ता और कस्टम तथा महसूल विभाग को साथ रख कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही करूंगा, ऐसा उन लोगों को बताया है।

आवश्यकता पडने पर तुरन्त बुला लेने का अनुरोध कर उन्होंने विदा ली। इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाएँ इस की चर्चा वे मुझसे करना चाहते थे। कल बडी संख्या में लोगोंने मेरे पास आकर विगत दिन पर्शियन भाषा में दिया हुआ आवेदन बंगाली भाषा में दिया। वे चाहते थे कि मैं उसे शीघ्र ही आप के पास भेज दूं। उनकी नगर छोडकर जानेकी तैयारी मैंने देखी इसलिये आवेदन की भाषा आपत्तिजनक होने पर भी उसे में आपके पास भेजना मेरा कर्तव्य समझता हूं। मेरे इस अनुकूल व्यवहार के बदले में वे जो मैदान में और खेतो में आ गये थे वहां से अपने अपने घरों में जाना उन्होंने मान्य किया और अनाज के भाव कम करने के लिये सहमत हुए।

मुझे लगता है कि मकान कर के कारण जो असंतोष फैला है वह खूब गहरा और व्यापक है और प्रत्येक वर्ग के लोगों में फैला हुआ लगता है। यह असंतोष रोष की ज्वाला बन जाए उससे पूर्व आपकी ओर से पर्याप्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

आपका आज्ञाकारी

मुर्शिदाबाद — आर. दर्नर

२५ फरवरी १८११ — कार्यवाहक न्यायाधीश

१. घ. १ (अ) मुर्शिदाबाद शहर के निवासियों का आवेदन

२९-२-१८११

(सारांश)

ईश्वर की कृपा से एक अंग्रेज सज्जन जानता है कि दुनिया के किसी भी राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया नहीं है। (क्योंकि) सर्वशक्तिमान अपने सृजनों को यातना से बचाता रहता है... विगत कुछ वर्षों में हमारे दुर्भाग्य से हम पर आक्रमण और अत्याचार हो रहे हैं। एक तो सतत महामारी के कारण शहर के लोग मर रहे हैं और संभवतः आधे लोग ही बचें हैं। दूसरा टाउनड्यूटी और कस्टम के कर इतने अधिक हैं कि सौ रूपए कीमत की सम्पत्ति दो सौ रूपए के भाव से खरीदनी पड़ती है। कर का दर दुगुना और संभवतः चार गुना हो गया है और यदि कोई अपनी सम्पत्ति शहर से दूर आसपास के प्रदेश में ले जाना चाहे तो उस पर और कर चुकाए बिना नहीं ले

जा सकता। साथ ही मकान कर और दूकान कर एक नए अत्याचार स्वरूप आ पडा है। वास्तव में सरकार का यह आदेश वज्राघात ही है...

१. घ. २. कार्यवाहक न्यायाधीश, मुर्शिदाबाद को सरकार का पत्र

२-३-१८११

कार्यवाहक न्यायाधीश, मुर्शिदाबाद

महोदय,

मुझे मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की ओर से गत दिनांक २५ का आपका पत्र तथा उसके साथ संलग्न कागजात की रसीद देने की सूचना मिली है।

२. गत दिनांक ११ जनवरी को गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने बहुत प्रसन्नता के साथ मकान कर वसूली विषयक नियमों में थोड़ा बदल करते हुए अनेक धार्मिक नेताओं और गरीब वर्ग के लोगों को राहत देने की व्यवस्था करने की घोषणा की है। मान्यवर के ये आदेश मुर्शिदाबाद के समाहर्ता को भी भेज दिए गए हैं, साथ ही अन्य समाहर्ताओं को भी भेजे हैं, फिर भी आपके तत्काल उपयोग और जानकारी के लिए बोर्ड को लिखे गए इस विषय से सम्बन्धित मेरे पत्र की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूँ।

३. उपरोक्त सुधार को छोड और किसी भी प्रकार के सुधार अथवा छूट विनियम १५, १८१० में स्वीकार नहीं किए गए, ऐसा गवर्नर जनरल की ओर से स्पष्ट कहा जाता है। केवल सरकार की एक मात्र भावना आपको अब समझ लेना है कि विनियम के शेष प्रावधान के क्रियान्वयन की क्या दिशा रहेगी।

४. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मुर्शिदाबाद के लोग इस कर के प्रावधान का विरोध करने का प्रयास चालू रखेंगे। विशेषकर इसे लागू करने की व्यवस्था और उसकी पाबंदी की जो सूचना दी जा जुकी है उसके चलते तो नहीं ही करेंगे। इसके साथ सरकार की ऐसी भी इच्छा है कि आप तथा निजामात के सुपरिन्टेन्डेन्ट दोनों मिलकर अत्यधिक विनम्रता और सावधानीपूर्वक प्रयास करें और लोगों को अर्थहीन और गैरकानूनी प्रकार के कृत्य करने से रोकें। ऐसा करने में आप सरकारी अधिकारी की हैसियत को कोई आंच न आने दें अथवा शहर की शांति भंग न होने दें। फिर भी नगरवासी अपनी धारणा से भी विरुद्ध व्यवहार कर समाहर्ता द्वारा भेजे गए कर निर्धारण कर्मचारियों का विरोध करते हैं अथवा उनको दिया गया दायित्व निभाने में किसी सहायता की आवश्यकता पडती है तो आप

बहरामपुर के ऑफिसर कमान्डिंग को आवश्यक सहायता भेजने के लिए संदेश भेजकर सरकार के आदेश और विनियम को लागू करने की कार्यवाही कर सकते हैं।

आपका आज्ञाकारी

काउन्सिल कक्ष
२ मार्च १८११

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव,
न्यायतंत्र विभाग

च. भागलपुर की घटनाएं

१. च. १. बोर्ड ऑफ रेवन्यू का हिज़ एक्सलन्सी, लेफ़्ट. जनरल ज्यॉर्ज हेबट, वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल फोर्ट विलियम को पत्र

९-१०-१८११

मान्यवर महोदय,

आप महोदय को भागलपुर के समाहर्ता की ओरसे प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि आपके आदेश हेतु अविलम्ब पहुंचा रहे हैं, जिसमें जिला न्यायाधीशने मकान कर वसूली का काम (मुर्शिदाबाद शहर में अथवा अन्य किसी शरहमें मकान कर वसूल किया जाय तब तक) इस जिले में स्थगित करने का आदेश दिया है।

२. न्यायाधीश साहब का यह आदेश विनियम के अनुरूप तो नहीं ही है लेकिन निषेधाज्ञा जैसा भी है और नासमझ भी लगता है। प्रवर्तमान नियम के सन्दर्भ में न्यायाधीश को कर वसूलने के कार्य पर नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है और प्रवर्तमान स्थित में इस बात में उन्हें किसी विशेष कारण से हस्तक्षेप करने की बाध्यता भी नहीं लगती है। उनके इस आदेश से तो हमारा मानना है कि भागलपुर और अन्य शहर के निवासियों के बीच कोई अवांछित सांठगांठ अथवा एकता स्थापित हो सकती है।

आपका आज्ञाकारी

रेवन्यू बोर्ड — जी. डोड्स्वेल

९ अक्टूबर १८११ — सी. बुलर

१. च. २. सर हेमिल्टन, समाहर्ता, भागलपुर का रिचार्ड रॉक, एस्क, प्रेसिडेन्ट और मेम्बर ऑव् बोर्ड ऑव् रेवन्यू, फोर्ट विलियम को पत्र

२-१०-१८११

श्रीमान्

आपके सेक्रेटरी के दिनांक १४ अगस्त के पत्र में निहित आदेश का पत्र मुझे गत दिनांक १८ को मिला, जिसके अनुरूप मैंने एक अधिसूचना (नकल साथ है) प्रकाशित कर, सबको बता दिया है कि मकान कर की वसूली का कार्य बहुत ही जल्दी अर्थात् कि बंगाली वर्ष के पहले ही दिन से शुरू किया जानेवाला है। इस अधिसूचना

की एक प्रतिलिपि जिला न्यायाधीश को भी भेजी है। यद्यपि बाद में त्योहारों की छुट्टी के संबंध में स्थानिक लोगों की इच्छा ध्यान में रखकर वसूली का कार्य दशहरे के त्योहार पूरे होने तक स्थगित किया है।

२. परसों ३० सितम्बर और सोमवार होने से, कर वसूली का काम शुरू करना था, किन्तु तहसीलदार के आते ही सभी ने दूकाने और घर बंद कर दिये। कल सरकारी अधिकारी कुछ प्रगति नहीं कर सके और उसी शाम मैं जब मेरे केरेज में निकला तब कुछ हज़ार लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े दिखाई दिए, यद्यपि ये लोक किसी भी प्रकार के उत्पात अथवा उधम नही मचाते थे, किन्तु अपनी परिस्थिति का वर्णन कर जोर शोर से कर भरने के संबंध में अपनी असमर्थता दर्शा रहे थे।

३. आज दोपहर के बाद मुझे न्यायाधीश का एक आदेश (प्रतिलिपि के साथ) मिला, जिसमें उन्होंने तहसीलदार को कर निर्धारण का पत्रक भेजने की सूचना दी थी। मैंने उनकी प्रार्थना के अनुरूप किया है। उसके बाद बहुत सी बेमतलब की बातों के बाद उन्होंने जिस सिद्धांत के अनुसार काम करने का विचार किया उसके अनुसार बहुत से लोगों को समझाकर उनकी दूकानें खोलने को कहा। इस संबंधमें जो कुछ किया उसके विषय में एक पत्र अंग्रेजी में मुझे भेजा है जो इसके साथ संलग्न है।

४. यह जो कार्यवाही की गई वही मेरे इस पत्र का आधार है और मुझे आपके बोर्ड के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। विनियम १५, १८१० के अनुरूप निर्धारण किया है और बोर्ड के दिनांक १४ अगस्त के आदेश के अनुसार कर वसूलना शुरू भी कर दिया है। जब कि इसके विपरीत न्यायाधीश मुझे उसे छोड़ देने अथवा कम से कम दूसरे जिलों में ऐसा हुआ है या नहीं इसकी निश्चितता तक वसूली रोकने को कहता है। मेरी जानकारी में कोई भी विनियम मुझे सरकार के विनियम के विरुद्ध अथवा उससे अलग कार्यवाही करने का अधिकार नहीं देता। मैंने दूसरे जिलों के अधिकारियों के साथ इस बारे में पत्राचार द्वारा जानकारी प्राप्त की है। उनका भी मानना है कि न्यायाधीश को यह काम रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस समय मैं दुविधा में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। मुझे प्रतिकार विषयक कोई जानकारी नहीं है। मेरे तहसीलदार (जिसका आवेदन इसके साथ है) का रिपोर्ट है कि कुछ लोगों ने कर चुकाने के लिए मना किया परन्तु मैंने विनियम १५, १८१० की धारा १३ में वर्णित कार्यवाही उनको समझाई। फिर अभी तक किसी से विरोध होने की सूचना नहीं है, न सम्भावना है। अब यदि लोगों को इकट्ठा होकर उपद्रव निर्माण कर विरोध दर्शाने अथवा सरकार के आदेशों को कुछ समय के लिए लागू करने से

रोकने का अवसर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि परिणाम विपरीत होगा । मेरे विचार में न्यायाधीश को यह विनियम लागू होने देना चाहिए था। मेरे अभिप्राय की प्रतीक्षा कर कानून न माननेवालों के लिए निर्धारित दण्ड देना शुरू किया जाए या नहीं उसका विचार और उसके परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। ऐसा करने के बजाय क्यों कि कुछ उच्छृंखल लोग इकट्ठे हो गये हैं इसलिये प्रथम चरण में ही इसके विरुद्ध कार्यवाही करना सरकार की सत्ता के मूल में आघात करने के समान है। और उनके पत्र में जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया है उसका अनुसरण अन्य न्यायाधीश भी करेंगे तो मुझे पूछेने दें, कि कौन से जिले में कब कर वसूली शुरू होगी।

जिला भागलपुर — आपका आज्ञाकारी
समाहर्ता की कचहरी — एफ हेमिल्टन
२ अक्टूबर १८११ — समाहर्ता

१. च. २. न्यायाधीश का समाहर्ता, भागलपुर को पत्र

२-१०-१८११

समाहर्ता, भागलपुर,

महोदय,

आपको इसके साथ मकान कर वसूल करने की प्रक्रिया का विवरण पत्र भेज रहा हूँ जिसे मेरे मतानुसार कुछ दिन के लिए स्थगित करने की जरूरत है।

नगर के सभी लोग दूकान आदि बंद कर हल्ला मचाते हुए एकत्रित हुए। लोगों ने मुझे बताया कि मुर्शिदाबाद और आसपास के अन्य जिलों में ऐसा कर अभी वसूला नहीं है, किन्तु जैसे ही यह निश्चित हो जाएगा कि मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों में वसूली शुरू हो गई है, वे लोग भी कर भरने को तैयार हैं।

इसलिए नगर में शांति बनी रहे उस हेतु से इसके साथ का ऑर्डर मेरी जवाबदेही के साथ आपको भेज रहा हूँ।

जिला भागलपुर फौजदारी अदालत — आपका आज्ञाकारी
२ अक्टूबर १८११ — जे. सेनफर्ड

१. च. ३. न्यायाधीश, भागलपुर का सरकार को पत्र

३-१०-१८११

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव,
न्यायतंत्र विभाग, फोर्ट विलियम

महोदय,

कल मकान कर वसूली के विषय की प्रक्रिया के संबंध में समाहर्ता को मैंने जो पत्र भेजा है उसकी प्रतिलिपि आपको भेजना आवश्यक समझता हूँ। यद्यपि ऐसा करने का मेरा अधिकार है फिर भी ऐसा करने के पीछे जो उद्देश्य रहा है वह आपकी जानकारी और विचार के लिए रखना चाहता हूँ। आशा है इसके लिए सरकार मेरी निन्दा तो नहीं ही करेगी।

२. परसों जब मैं भागलपुर शहर में निकला तब मैंने देखा कि सभी दूकानें बन्द थीं और हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर हो हल्ला मचा रहे थे, गलियों में घूम कर उचित करने की मांग कर रहे थे। मैंने पूछा तब पता चला कि वे समाहर्ता के अधिकारियों द्वारा मकान कर वसूलने के कारण ऐसा व्यवहार कर रहे थे।

३. अंततः कल सुबह मैंने कई अग्रणियों को बुलाकर उन्हें समझाया कि उनका यह व्यवहार कितना गलत था और सरकार के आदेशों का इस प्रकार विरोध करना कितना निरर्थक था। उन लोगों ने एक आवाज़ में बताया कि सब घरबार और शहर छोड़ देंगे। किन्तु जिस के विषय में वे कुछ भी नहीं समझते हैं ऐसा कर स्वैच्छिक रूप से नहीं भरेंगे । उनके मतानुसार इस जिलेमें (जो इस डिवीज़न का सबसे छोटा जिला है) जब तक मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों में वसूली शुरू न हो तब तक कर वसूला जाना तो भारी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उससे विशेषाधिकार छिनता हुआ ही लगेगा यद्यपि मुर्शिदाबाद जिले में कर वसूली शुरू होते ही वे कर भरने के लिए तैयार होंगे।

इस स्थिति में जेल के कैदी भी लगभग दो दिन से अन्न त्याग कर बैठे हैं। इससे मुझे लगा कि मैंने जो कदम उठाया वह उठाना जरूरी था। उसके विकल्प में बल का प्रयोग संभवतः स्थिति को अधिक बिगाड़ देता। मैं फिर एक बार आशा व्यक्त करता हूँ कि मेरा यह कदम (आपको) निंदा या आलोचना के योग्य नहीं लगेगा।

जिला भागलपुर — आपका आज्ञाकारी
फ़ौजदारी अदालत — जे. सेनफर्ड, न्यायाधीश
३ अक्टूबर १८११

१. च. ४. बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू को सरकार का पत्र

११-१०-१८११

टिप्पणी : न्यायतंत्र विभाग की आज की भागलपुर की मकान कर संबंधी कार्यवाही का पठन किया जाए। सचिव को गत दिनांक ११ के दिन निम्नानुसार पत्र लिखने की सूचना मिली है।

बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू

श्रीमान्,

मुझे मान्यवर हिज़ एक्सलेन्सी वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल ने आपके गत दिनांक ४ के पत्र की रसीद देने की सूचना दी और भागलपुर के न्यायाधीश की ओर से मकान कर विषयक पत्र की प्रतिलिपि आप सब की जानकारी के लिए भेजने की सूचना मिली है।

आपका आज्ञाकारी

फोर्ट विलियम — जी. डोड्स्वेल

११ अक्टूबर १८११ — सरकार के सचिव

महसूल विभाग

१. च. ५. न्यायाधीश भागलपुर को सरकार का पत्र

११-१०-१८११

न्यायाधीश, भागलपुर

मुझे आपका गत दिनांक ३ का पत्र तथा उससे संलग्न पत्रों की रसीद देने की सूचना मिली है तथा हिज़ एक्स. एन्ड वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल मकान कर वसूल करने के विषय पर आपने समाहर्ता को जो आदेश दिया उसे सर्वथा अमान्य करते हैं। मान्यवर को इस से भी अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि कहीं भी कोई हो हल्ला हो या सरकारी अधिकारी का कोई विरोध हो इसके बारे में सरकार ने जो कोई अनुदेश अथवा व्यवस्था दी है वह बनारस, पटना और अन्य दूसरे न्यायाधीशों को दी गई व्यवस्था जैसी ही है (अलग कैसे हो सकती है ?) आप यह जानते ही होगें (तो) फिर आपने उसकी निहित भावना से विपरीत कैसे सोचा ? सरकार को यह कदम सर्वथा अविवेकपूर्ण लगता है। इससे तो भागलपुर, मुर्शिदाबाद और पटना के लोगों में उत्तेजना बढ जाएगी।

२. इसलिए मान्यवर वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल की इच्छा है कि यह पत्र मिलते ही आप समाहर्ता को लिखित रूप में भेजा हुआ आदेश, सबको जानकारी हो जाए इस प्रकार वापस खींच लें।

३. मान्यवर ऐसा भी चाहते हैं कि मकान कर वसूल करने से संबंधित समाहर्ता को अधिकार दिये गए हैं उसके अनुरूप दायित्व निभाने में आप उनकी सम्पूर्ण सहायता करें और समर्थन देते रहें।

काउन्सिल कक्ष — आपका आज्ञाकारी
११ अक्टूबर १८११ — जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव

प्रति रवाना : रेवन्यू बोर्ड को, उनके इस ८ अप्रैल के रेवन्यू कार्यवाही के संदर्भ के उत्तर में, उनकी जानकारी के लिए।

१. च. ६. समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र

२१-१०-१८११
सोमवार रात्रि में
समय १०.३०

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव,
फोर्ट विलियम,

मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि मकान कर वसूल करने की कार्यवाही हाथ में लेने पर कल शाम मुझ पर भारी हमला हुआ। इंट, पत्थर और फेंकी जा सकने वाली सभी वस्तुएं मेरे (सिर) ऊपर फेंकी गईं।

२. मुझे मुंह और सिर पर घाव लगे हैं और यदि मैं मि. ग्लास के मकान में भाग नहीं गया होता तो मुझे बचानेवाला कोई भी नहीं था।

मुझे लगता है मैंने तो मेरा कर्तव्य ही निभाया है और निभाता ही रहूँगा। किन्तु (अब) अन्य किसी प्रकार से मेरी जिन्दगी बलि चढ़ जाएगी।

आपको बताना जरूरी है कि आज २ बजे मैंने न्यायाधीश को सरकारी वकील के माध्यम से जानकारी दी कि कुछ लोग (जिनके नाम आवेदन में दिए हुए हैं) मकान कर चुकाने अथवा उनकी सम्पत्ति जप्त करने देने से इन्कार कर रहे हैं। यद्यपि कुछ इसके लिए तैयार हुए किन्तु ऐसे लोगों को जबर्दस्ती भी काबू में रखना जरूरी था। मेरा आवेदन जो मैंने किसी घटना अथवा उपद्रव रोकने के उद्देश्य से किया था, उस पर ध्यान देने के स्थान पर उन्होंने मुझे सायंकाल ५ बजे मौखिक उत्तर दे दिया कि

वे दूसरे दिन जांच कराएंगे। आज शाम को ही गड़बड़ हो गई। यद्यपि इसमें कुछ भी नया नहीं था, पिछले तीन चार दिन से लोगों की भीड़ वहीं उमड आती है और शराब या मिठाई लेकर शोरशराबा करती है। क्या उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिये ? आश्चर्य तो तब हुआ जब सामान्य रूप से इन स्थानों पर पुलिस कर्मचारी चक्कर लगाते हैं किन्तु घटना की उस शाम कोई आया नहीं। मैं गम्भीर रूप से घायल हूँ। संभव होगा तो मैं सम्पूर्ण जानकारी कल भेज दूंगा। मैं एक महत्त्वपूर्ण बात बताना भूल गया कि उस शाम मेरे केरेज में लेफ्ट. न्यूजन्ट मेरे साथ ही थे।

आपका आज्ञाकारी

२१ अक्टूबर १८११ एफ हेमिल्टन, समाहर्ता

यह पत्र मिलेगा तब न्यूजन्ट कोलकता में ही होंगे।

१. च. ७. समाहर्ता, भागलपुर का सरकार को पत्र

२२-१०-१८११

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव, द्रुतगामी
फोर्ट विलियम

महोदय,

मैंने कल रात आपको द्रुतगामी पत्र लिखा है। यह मैं आपको नाव में भेज रहा हूँ ताकि आपको शीघ्र मिल जाए, क्योंकि यहाँ जो गड़बड़ी उत्पन्न हुई है वह अब गम्भीर रूप धारण कर रही है। अभी तक भीड़ बिखरी नहीं है।

आपका आज्ञाकारी

२२ अक्टूबर १८११ एफ हेमिल्टन, समाहर्ता

१. च. ८ समाहर्ता, भागलपुर का सरकार को पत्र

जी. डोड्स्वेल २३-१०-१८११
सरकार के सचिव,
फोर्ट विलियम

महोदय,

मैंने आपको परसों रात एक एक्सप्रेस पत्र लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि नाव से भेजी है। उसमें मकान कर के विरोध में और विशेष रूप से मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में लिखा था। मैं जब यह पत्र नाव में भेज रहा था तब न्यायाधीश शाहजंगी में सेना के साथ भीड़ के सामने थे। कल रात न्यायाधीश निवृत्त हुए और कमान्डिंग ऑफिसर उनकी पलटन के साथ वापस लौट गए। यद्यपि उसका अधिक कुछ असर नहीं हुआ फिर भी मैंने कल न्यायाधीश को तत्काल लिखने (नं. १) का प्रयास किया, जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। संभवतः इसलिए कि वे सेना के साथ भीड़ जिस दिशा में गई होगी उस तरफ़ गए हों। मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। इसलिए मैंने आज सुबह फिर से लिखने (नं. २) का विचार किया। उसका मुझे जवाब (न. ३) मिला और साथ ही पर्शियन में लिखे (४,५,६) संलग्न पत्र भी मिले। इस संबंध में मेरा जवाब (७ अ,इ) जोड़ रहा हूँ। न्यायाधीश के पत्र (नं. ३) की विषयवस्तु, उसकी जो घोषणा अभी अभी मिली है उससे भिन्न ही है। उसमें वे स्पष्ट करते हैं कि अब वे विनियम को लागू करने का जो अधिकार रखते हैं उसका कल से प्रयोग नहीं करेंगे, अतः सब ठीक हो जाएगा। इस स्थिति में मुझे सरकार के आदेश को लागू करने के लिए क्या करना क्या नहीं करना इस संबंध में बहुत दुविधा का अनुभव हो रहा है। इस स्थिति में मैं मेरी ओर से कोई छूट या ढील नहीं दूंगा जिससे प्रवर्तमान परिस्थिति को बढावा मिले, किन्तु इस समय मुझे न्यायाधीश की ओर से जिस प्रकार के समर्थन और सहायता की आवश्यकता है उस संदर्भ में मैं हताश हूँ। अतः सरकार की ओर से कोई निर्णयात्मक आदेश मिले इसकी अत्यधिक आवश्यकता लगती है।

समाहर्ता ऑफिस आपका आज्ञाकारी
जिला भागलपुर एफ. हेमिल्टन, समाहर्ता
२३ अक्टूबर, १८११
एक्स्प्रेस

१. च. ८ (अ) भागलपुर के समाहर्ता का न्यायाधीश को पत्र

२३-१०-१८११

जे. सेनफर्ड एस्क.
न्यायाधीश, भागलपुर

महोदय,

गत दिनांक के पत्र के संदर्भ में मैं आपको यह बताने की प्रार्थना कर रहा हूँ कि विनियम १५, १८१० संबंधी मकान कर वसूल करने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाने का विचार किया है।

मैंने मेरे प्रस्ताव में यह कर भरने की मनाही करनेवालों के नाम दर्शाए हैं। अतः विनियम १५, १८१० के खण्ड १२ की धारा २ अनुसार शेष कर वसूल करने के लिए पुलिस बल की सहायता की जा सकती है। आज जब हो हल्ला मचाते लोग एकत्रित नहीं हुए तब मेरे मतानुसार, यह विनियम लागू करने के लिये उचित वातावरण है। अतः बाकीदारों की सम्पत्ति जब्ती में लेने का कदम उठाने में आप क्या सहायता कर सकते हैं यह शाम तक मुझे बताएं।

भागलपुर - समाहर्ता ऑफिस आपका आज्ञाकारी
२३ अक्टूबर, १८११ आर. हेमिल्टन, समाहर्ता

मैंने तहसीलदार और नायब समाहर्ता को आपके पास भेजा है, जिनके साथ आपके पुलिस अधिकारी जा सकेंगे।

(साढ़े बारह बजे) एफ. हेमिल्टन

१. च. ८ (आ) न्यायाधीश भागलपुर को समाहर्ता का पत्र

जे. सेनफर्ड एस्क. २३-१०-१८११
जिला न्यायाधीश, भागलपुर

महोदय,

आज प्रातः के मेरे पत्र का लिखित उत्तर देने की आपसे प्रार्थना करने की अनुमति चाहता हूँ, जो मुझे व्यक्तिगत परेशानी हुई इस संबंध में थी। इस बारे में दोषियों को बंदी बनाने के लिए सरकारी वकील ने कार्यवाही शुरू की है।

आपका आज्ञाकारी
जिला भागलपुर एफ. हेमिल्टन
समाहर्ता ऑफिस समाहर्ता

१. च. ८ (इ) समाहर्ता भागलपुर को न्यायाधीश का पत्र

२३-१०-१८११

सर एफ. हेमिल्टन
समाहर्ता, भागलपुर

महोदय,

आपको पता ही होगा कि अभी मेरा समग्र ध्यान शांति बनाए रखने पर केन्द्रित है। पूर्वोक्त विनियम लागू करने के बारे में मेरे मतानुसार मुझे कोई ठोस विचार मिल जाएगा तो तुरन्त ही आपको बताऊँगा।

इस बीच मेरे नज़ीर की रिपोर्ट तथा उस पर मेरे आदेश की प्रतिलिपि तथा इस समय जो विज्ञप्ति देनी है उसकी भी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। कल जो अधि सूचना निकली है उसकी प्रतिलिपि आपके पास है ही।

आपको बताने की अनुमति चाहता हूँ कि विनियम ७, १७८८ की धारा १० और ११ लागू करना सेना की मदद के बिना केवल मेरे पुलिस कर्मचारियों का काम नहीं। इसलिए पर्याप्त सेना की टुकड़ी आए और मुझे मुक्त रूप से काम करने देने की स्थिति बने तब तक मुझे लगता है कि बल प्रयोग करना टालना चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपको उचित समय पर बता दूँगा।

भागलपुर — आपका आज्ञाकारी
२३ अक्टूबर १८११ — जे. सेनफर्ड, न्यायाधीश

१. च ८. (ई) न्यायाधीश भागलपुर को समाहर्ता का पत्र

२३-१०-१८११

जे. सेनफर्ड
जिला मजिस्ट्रट, भागलपुर

महोदय,

मुझे अभी ही आपका आज का पत्र मिला।

२. यदि सेना की सहायता की आवश्यकता होती तो मुझे लगता है कि आप यह विनियम लागू करने के लिए सीधा ही कदम उठाते, क्योंकि उस समय सेना की टुकड़ी वहीं पर थी। मेरे मतानुसार तो लगता है कि बाकीदारों पर जप्ती लाने के लिए इससे अधिक अच्छा अवसर नहीं हो सकता, क्यों कि लोग भी बहुत कम हो गए थे

और अधिकारियों के समर्थन में प्रभावक प्रयास हुआ होता तो भीड़ द्वारा हो हल्ला या मारकाट होने की संभावना नहीं के बराबर थी। मैं आपके पत्र की प्रतिलिपि, अविलंब प्रेसीडेन्ट को भेज देने का विचार कर रहा हूँ।

समाहर्ता ऑफ़िस आपका आज्ञाकारी
२३ अक्टूबर १८११ एफ हेमिल्टन, समाहर्ता

१. च. ९. भागलपुर के समाहर्ता का सरकार को पत्र

२३-१०-१८११

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव,
फोर्ट विलियम

महोदय,

मैंने आज ८ बजे आपको पत्र भेजा। बाद में तुरन्त ही न्यायाधीश को बताकर सैन्य बल मेजर लिटल ज्हॉन के संरक्षण में सेना साधु के मकान पर पहुँची, जो दोषी है और वही आज की स्थिति भड़काने वाला भी है, उसके पास से मकान कर के रूपमें ली जाने वाली राशि लेने पहुंचा। न्यायाधीश के मतानुसार केवल पुलिस बल से ही यह विनियम लागू करना संभव नही था।

२. विनियम १५, १८१० के खंड १२ की धारा २ तथा विनियम ७, १७८८ की धारा १० के अनुरूप सेना को साधु के मकान का बाहर का दरवाजा बलपूर्वक खोलना पड़ा जिससे उसकी सम्पत्ति जब्त की जा सके। इसके बाद उसका बैलेन्स का पत्रक बनाया गया और फिर हम वहाँ से वापस लौटे।

३. न्यायाधीश को घर में अनेक हथियार मिले, जिसके आधार पर सरकार को उसे जब्त करने के लिए कहा जा सकता है।

आपका आज्ञाकारी
जिला भागलपुर एफ. हेमिल्टन
समाहर्ता ऑफ़िस समाहर्ता
रात्रि ८ बजे
२३ अक्टूबर १८११

१. च. १०. समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र

२४-१०-१८११

जी. डोड्स्वेल एस्क.
सरकार के सचिव

महोदय,

कल रात का मेरा एक्स्प्रेस पत्र (आपको सेना की सहायता से कर वसूली की जानकारी देनेवाला) था। यह आदमी भागलपुर का धनाढ्य व्यक्ति और नेता था। आगे समाचार यह है कि भागलपुर के अनेक अन्य लोग भी कर भरना टाल रहे थे। इसलिए मैंने न्यायाधीश और सेना की सहायता टुकडी को काम पूरा करने के लिए कहा और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम अभी आधे तक ही पहुंचे थे कि सूचना मिली कि पूरी राशि किसी भी प्रकार के विरोध या अवरोध के बिना अग्रणियों ने भर दी थी। शेष लोग विशेष रूप से निचले वर्ग के लोग तो अनुमान से भी जल्दी से पैसा भर रहे थे। वे तो सुबह से ही पैसा भरने के लिए आ जाते हैं। यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि सभी दूकानें खुल गई हैं और अब भीड़ जमा नहीं हो रही है । इस प्रकार कल रात के परिवर्तन से समग्र स्थिति बदल गई है।

भागलपुर — आपका आज्ञाकारी
रात्रि ८-०० — एफ. हेमिल्टन
२४ अक्टूबर १८११ — समाहर्ता

१. च. ११. न्यायाधीश, भागलपुर का सरकार को पत्र

२४-१०-१८११

जी. डोड्स्वेल एस्क.
सरकार के सचिव, न्यायतंत्र विभाग
फोर्ट विलियम

महोदय,

आपको मैंने दिनांक २२ रात्रि को देर में एक्स्प्रेस पत्र लिखा वह दिनभर की मेरी भागदौड और थकावट में जल्दबाजी में लिखा हुआ पत्र था। उस पत्र में बहुत सी घटनाओं के संबंध में उल्लेख करना बाकी रह गया था, जिसे अब बताने की मैं आपसे अनुमति लूँगा।

२. आपके दिनांक ११ के पत्र में अनुच्छेद २ तथा ३ का जो आदेश था, उसे लोगों को बताने के लिए मैंने क्या किया यह बताऊंगा। फिर हिल हाउस की जो बैठक मैंने बुलाई और समाहर्ता पर जो हमला हुआ और जिस स्थिति में डॉ. ग्लास के घर में भाग आए उसके बाद रात में जो व्यवस्था की गई उसकी जानकारी भी दूँगा। उसके बाद दिनांक २२ की सुबह शांति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम और फिर भीड़ को बिखेरने के लिए और विशेष रूप से व्यवस्था करने के बाद भी दंगे न हों इस हेतु उपयोग में लाए गए तौरतरीकों की विस्तृत सूचना दूंगा ।

३. आपके पत्र द्वारा मुझे प्राप्त सूचना के बाद मैंने तत्काल ढोल पिटवाकर ढिंढोरा प्रसिद्ध किया था और फिर मैंने मेरा आदेश वापस लेने के लिए की हुई कार्यवाही की सूचना समाहर्ता को दी।

४. दोपहर लगभग ४ बजे (दिनांक २१) मुझे सरकारी वकील द्वारा १६ देनदारों को जेल में डालने की एक दरखास्त मिली। उसमें देनदारों के नाम हाशिए में बताए गए थे। मेरे मतानुसार इस कदम से लोग हिल हाउस पर एकत्रित हो गए। उग्रता बढी और अन्त में समाहर्ता पर हमला हुआ।

५. इस समय कोतवाल की लापरवाही से मैं बहुत ही नाख़ुश हूँ, यद्यपि उन्होंने कभी नहीं माना कि मेरे आदेश तनिक कठोर और तत्काल पालन करने के लिए थे अथवा तो उस समय वहाँ कोई पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित नहीं था और मैं उस समय कुछ देर के लिए डॉ. ग्लास के घर पर था इस कारण से मुझे ऐसा लगा हो। डॉ. ग्लास के घर के आसपास पूर्व पत्र में बताए अनुसार लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। यद्यपि यह भीड़ बारबार चेतावनी देने के बाद बिखर गई थी और उस के बाद तो समग्र शहर लगभग इतना शांत हो गया था कि सैन्य सहायता को, एक ट्रूप को जेल के लिए रोक कर वापस भेजना पड़ा। फिर मैंने मेरे असिस्टेन्ट यूविंग को कोतवाली भेजा, जहाँ उन्हें सावधानी के रूप में रातभर रुकना था।

६. उस मध्यरात्रि में मुझे मि. यूविंग ने रिपोर्ट भेजा कि कोतवाल वहाँ नहीं है। २२ की सुबह मैंने एकत्र होकर हो-हल्ला मचाने अथवा उत्पात करनेवाले लोगों को रोकने का कदम उठाया।

७. मैंने एक ढिंढोरा घोषित किया जिसकी प्रतिलिपि इसके साथ है और एक प्रस्ताव (समाहर्ता ने भेजे हुए प्रस्ताव में जिनका नाम था) उन्हें बताते हुए भेजा कि जो मेरे मतानुसार दंगे फसाद में संलग्न थे। मैंने कोतवाल को निलंबित किया, जो पूरी रात कोतवाली में अनुपस्थित रह कर नशे में चूर स्थिति में सुबह ४ बजे अपने चबूतरे

से वापस आया था। मैंने सभी हथियार और लाठी डंडा जब्त किया और इस संदर्भ में किसीने विरोध करने पर, कार्यवाही के लिए एक छोटे दल को सुबह से हिल हाउस पर तैनात किया।

८. यद्यपि लोग सुबह इकट्ठे तो हुए किन्तु वहाँ सेना देख कर शान्त रहे और शाहजंगी की ओर मुड़े। उसी समय मैंने मेरे असिस्टेन्ट को पुलिस अधिकारियों के साथ लोगों को बिखेरने के लिए वहाँ भेजा था। यद्यपि इतने से काम न चलने से मैं हिल हाउस पहुंचा और शाहजंगी पर एकत्रित लोगों को बिखेरने के लिए अधिक ट्रूप भेजा। वहाँ मैंने कुछ समय रुककर उन लोगों के आने की प्रतीक्षा की। लगभग आठ हजार लोग वहाँ आ गए, उनके हाथ में हथियार जैसा कुछ नहीं था। इन लोगों के अग्रणी भीड़ के बीच होने से तत्काल उन लोगों को पकड़ना संभव नहीं था। तब बताया गया कि वे वहाँ पर किसी अन्त्येष्टि के लिए एकत्रित हुए थे। फिर उन्हें बार बार चेतावनी दिये जाने पर कि अधिक समय इकट्ठा रहेंगे तो गोली चलाई जाएगी, वे बिखर गए। फिर उन्होंने मुझे एक आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की जिसके लिए मैंने मकान कर वसूलना रोका नहीं जाएगा इस शर्त पर अनुमति दी। यह आवेदन उन्हें मुझे पूर्ण सम्मान के साथ कोर्ट में देना होगा यह भी बताया। सब चले गए फिर भी उसमें से तीन लोग रुके। कुछ बुनकर और कारीगर के अतिरिक्त वृद्ध महिला और बालक भी रुके। मैंने उनमें से कुछ के साथ बात की। उसमें उन्होंने बताया कि यदि वे लोग चले जाएंगे तो जो रुके हैं वे उन पर गुस्सा होंगे। मैंने उन्हें ऐसा नहीं होने देने का आश्वासन देते ही वे वहाँ से चले गए और अपने अपने घर वापस लौट गए।

९. अब यह स्थान बिल्कुल शांत लग रहा था इसलिए मैंने ट्रूपों को विदा किया क्योंकि उन लोगों को भी कुछ आराम अथवा नाश्ता पानी की जरुरत थी। लोग अब इकट्ठा नहीं होंगे, ऐसा विचार कर मैंने सावधानी के लिए पिछली रात जो व्यवस्था की थी वही करके, मैं वापस घर आया और आकर २२ तारीख का पत्र लिखा।

१०. रात में थोडी भेजामारी हुई थी, फिर भी समाहर्ता का प्रस्ताव ध्यान में रखकर मैंने मेजर लिटल ज्हॉन को पत्र (क्र. ६) लिखा और उसके उत्तर के रूप में मुझे पत्र (क्र. ७, ८) मिला। दूसरे दिन सुबह मैं शहर में गया और सब शांत देखा। वापस आकर मैंने मेजर लिटल को पत्र लिखा (नं. ९)। उसके बाद अनुमानतः अगले दिन जैसे ही बहुत से ढिंढोरे पिटवाये। मैंने कोतवाल तथा अन्य पुलिस के लोगों को, लोग भीड़ न करें, इस हेतु तैनात किया। लगा कि शराब की बहुत सी दूकानें अगले दिन खुली थीं। मैंने उसके लिए मनाही की थी। मैंने समाहर्ता को फिर से उन्हें बंद

कराने का आदेश दिया। सवेरे शाहजुंगी के पास कुछ लोग इकट्ठे हुए, किन्तु कोतवाल और उनके लोगों ने उन्हें भगा दिया। दोपहर होने तक मुझे कोई आवेदन नहीं मिला। और अगली शाम की अपेक्षा कुछ कम संख्या में लोग एकत्र हुए। अतः मैंने मि. यूविंग को संदेश भेजकर उन्हें यथा संभव बिखेरने के लिए कहा। यद्यपि इससे काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे सेना के रूप मैं कदम उठाने लायक कोई नेता भीड़ में नहीं था। एक ओर जब्ती चालू रखने की मेरी योजना थी जिसके कारण लोगों का उपद्रव बंद हो जाएगा ऐसी धारणा थी। मैंने जब्ती करने का विचार किया। इसके लिए शाम को चार बजे मैं समाहर्ता को साथ लेकर गया। (संलग्न पत्र में इसका उलेख है) ट्रूपों को नगर में थोड़ी थोड़ी दूर पर तैनात किया। विनियम ७, १७९९ के दूसरे अनुच्छेद और १५, १८१० के खण्ड १२ के अनुसार जब्त करने वाले सबसे बड़े देनदार लश्करी साहु के घर पर टूट पड़े। वहाँ से लगभग रुपया ४२.५ की जब्ती की गई। इस जब्ती की सामग्री तत्काल वापस दे दी गई क्योंकि देनदार का नौकर आकर पैसा दे गया। घर में मिले हथियार सुरक्षित रख दिए गए। घर में महिलाओं को छोड कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था। अतः मैंने सोचा कि कुछ लोग कहीं छिपे होने चाहिए। इस कदम का असर ऐसा हुआ कि पूरी भीड़ बिखर गई। उनमें से कोई वहाँ आता नहीं लगा और शाहजुंगी के बाकी सब लोग मकान कर भरने के लिए तैयार हुए।

जिला भागलपुर — आपका आज्ञाकारी

फौजदारी अदालत — जे. सेनफोर्ड

२४ अक्टूबर १८११ — न्यायाधीश

नोट : १ . मैंने समाहर्ता पर हमला करने वाले की खबर देने वाले को ५००/- रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है, जिसका उल्लेख मेरे इस पत्र में किया गया है।

२. मैं मानता हूँ कि पर्शियन पत्रों का भाषान्तर न भेजने के बारे में समय का अभाव ही प्रमुख कारण है, जिसे मान्यवर नज़रअंदाज करेंगे।

१. च. ११ (अ) मेजर लिटल ज्हॉन का न्यायाधीश को पत्र

२३-१०-१८११

जे. सेनफर्ड एस्क.
न्यायाधीश, भागलपुर

महोदय,

आपके आज के पत्र के संदर्भ में मैंने बताया है कि हिल रेंजर्स की सहायता की १६० जितने अलग अलग जवानों की चार कम्पनियां नगर के रक्षण के लिए उपलब्ध हैं और वे आज जो भीड़ थी, उसे बिखेरने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि भीड़ बड़ी थी, लेकिन १६ जितने दंगलखोरों को काबू करने के लिए पर्याप्त थी। परन्तु यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भीड के पास शस्त्र नहीं थे। अगर वे भाग कर नगर से शस्त्र लेकर आते तो अपने सैनिक इन विद्रोहियों को परास्त करने में सक्षम नहीं थी। उस भीड को बिखेरना सरल नहीं था। अपने सैनिक ड्यूटी की निरन्तरता से, खाना न मिलने से परेशान हो उठते।

यहाँ के स्थानीय कोर्ट के अधिकारी इस दंगलखोरी की योजना के संबंध में ठीक तरह से आपको जानकारी दे सकते हैं। अतः आवश्यक उपाय तुरन्त किये जा सकते हैं। जब भीड़ के अग्रणी चले गए, तब शेष महिलाओं और बालकों में सैन्य के गुस्से का डर नहीं दिखाई देता था। वे देख लेने के मूड में थे। परन्तु मेरा विचार है कि अग्रणी वहाँ उपस्थित न हों तब बलप्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि उन्हें पकड़ लेने से मामला शांत होगा, तो ऐसा करने में विलंब नहीं करना चाहिए।

यदि आप कल शाम आवेदन करनेवालों से मिलने की इच्छा रखते हैं तो मेरे विचार से जरूरी रक्षण व्यवस्था बनाए रखें किन्तु भीड़ साथ या सामने न आए तो बहुत अच्छा होगा। उन लोगों का आवेदन तभी लें जब आप उस विषय में कुछ कर सकते हैं। मैं पूरे दल को छोटे छोटे जत्थों में बांट देने के मत का नहीं हूँ। क्योंकि यूरोपीय अधिकारियों की सहायता मिलने की सम्भावना नहीं है। और मैंने जान लिया है कि हिलमेन पहाडी सैनिक हिन्दुस्तानियों के साथ इस स्थिति में काम करने के आदी नहीं है।

इतनी जानकारी देने के बाद मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे यदि दलों के साथ

कोतवाली पहुंचना है तो कितने बजे वहाँ पहुंचना है इसका समय बताने की कृपा करें।

सुबह ९ बजे, आपका आज्ञाकारी
२३ अक्टूबर १८११ पी. लिटल ज्हॉन,
कमाडिंग हिलरेन्जर

१. च. ११(आ) भागलपुर के न्यायाधीश का अन्य न्यायाधीशों को पत्र

२३-१०-१८११

न्यायाधीश
पास पड़ोस के जिले

महोदय,

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको जिस पद्धति से उचित लगे उस पद्धति से आपके जिलों से १० या उससे अधिक लोगों को भागलपुर की ओर किसी भी प्रकार के शस्त्र के साथ आने से रोकने के लिए प्रयास करें।

२. मेरी इस प्रार्थना का कारण यह है कि कुछ दिन पूर्व लोग भीड़ में एकत्र होकर मकान कर भरने के विरोध में उपद्रव मचाने में लगे थे। अतः मेरा मानना है कि ऐसी भीड़ के अग्रणी दूसरे जिलों से भी लोगों को इकट्ठा करने का संभवतः प्रयास करेंगे।

३. मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस समय वहाँ स्थानिक लोगों के बीच किसी रहस्यमय गतिविधि या संचार की जानकारी मिलने पर मुझे अवश्य सूचित करें।

जिला भागलपुर आपका आज्ञाकारी
फौजदारी अदालत जे. सेनफर्ड
२३ अक्टूबर १८११ न्यायाधीश

१. च. १२. न्यायाधीश भागलपुर का सरकार को पत्र

२४-१०-१८११

जी. डोड्स्वेल एस्क.
सरकार के सचिव, न्यायतंत्र विभाग,
फोर्ट विलियम

महोदय,

आज मैंने जब आज के दिनांक का मेरा रिपोर्ट पूरा किया तब मुझे लगा कि

मकान कर वसूल करने के लिए विरोध लगभग समाप्त होने को है। लगभग ९ बजे मुझे समाहर्ता का एक संदेश (संलग्न पत्र - १) मिला, जिसमें मुझे तुरंत ही सहायता भेजने के लिए बताया गया था।

२. लगभग चार बजे मैं और समाहर्ता सेना सहित देनदारों के घर की ओर दौड़ पडे, किन्तु हमारे पहुंचने से पूर्व ही बहुत से लोगों ने कर चुका दिया था। अतः मैंने कमान्डिंग ऑफ़िसर को ट्रुप रोक देने के लिए कहा और कोतवाल को समाहर्ता के साथ भेजकर शेष लोगों से कर वसूलने की व्यवस्था की।

३. कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने के बाद कर की पूरी राशी आ गई और मैंने कमान्डिंग ऑफ़िसर को ट्रुप के साथ वापस लौटने के लिए कह दिया।

४. आनन्द की बात यह है कि नगर की अधिकांश दूकानें अब खुल गई हैं, अतः मुझे नहीं लगता कि अब कोई उपद्रव होगा।

जिला भागलपुर
फौजदारी अदालत,
सायंकाल ७-००
२४ अक्टूबर १८११

आपका आज्ञाकारी
जे. सेनफर्ड
न्यायाधीश

१. च. १३. समाहर्ता, भागलपुर का सरकार को पत्र

२५-१०-१८११

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव
फोर्ट विलियम

महोदय,

मुझे इस बात का संतोष है कि कर वसूली बिना किसी भी विरोध या आक्षेप के की गई। लोग तत्परता से धन चुकाते हैं और दूकान कारोबार भी खुल रहे हैं।

समाहर्ता ऑफ़िस
भागलपुर
सायंकाल ६-००
२५ अक्टूबर १८११

आपका आज्ञाकारी
फ्रैड्रिक हेमिल्टन
समाहर्ता

१. च. १४. समाहर्ता, भागलपुर का सरकार को पत्र

२६-१०-१८१०

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव,
फोर्ट विलियम

महोदय,

मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मकान कर वसूल करने में अब कोई रुकावट नहीं आती। तहसीलदार का रिपोर्ट भेज रहा हूँ जो इस बात का प्रमाण है।

समाहर्ता ऑफ़िस — आपका
भागलपुर — फ्रैड्रिक हेमिल्टन
२६ अक्टूबर, १८११ — समाहर्ता

१. च. १५. समाहर्ता, भागलपुर का ता. २१–१०–१८१० का रिपोर्ट जिसमें उन पर हमले होने का उल्लेख है – उस पर सरकार का प्रस्ताव

२६-१०-१८११

वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल इससे पूर्व के पत्र की जानकारी पर विचार कर बताते हैं कि गत दिनांक ११ को भागलपुर के न्यायाधीश ने मकान कर वसूल करना रुकवाया उस घटना को उन्होंने अवांछित माना है। वास्तव में देखा जाए तो न्यायाधीश की ओर से समाहर्ता को कर वसूल करने में आवश्यक मदद और समर्थन मिलना चाहिए था किन्तु ऐसा न करके उसने, सार्वजनिक सेवा के प्रति अशोभनीय व्यवहार किया है। वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल को विश्वास है कि यदि पत्र मिलते ही न्यायाधीश ने शांति बनाए रखने के आवश्यक उपाय किए होते और समाहर्ता ने स्थानिक अधिकारियों का सहयोग किया होता और अधिकारियों को मकान कर वसूल करने के संबंध में सौंपी गई ड्यूटि अदा करने में सहायता की होती, तो भागलपुर के लोग पत्र में बताए अनुसार समाहर्ता, उनके अधिकारी अथवा सरकार का ऐसा अपमान करने का साहस नहीं करते।

उपर्युक्त जानकारी के अनुसार वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल को मि. सेनफर्ड को भागलपुर के न्यायाधीश के पद पर से निलंबित करने की अनिवार्यता लगी

है। उनके उस स्थान के पद का कार्यभार सम्हालने के लिए मि. एच. शेक्सपियर को नियुक्त करने का निश्चय किया है। अन्य आदेश होने तक वे (मि. शेक्सपियर) भागलपुर के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।

अतः यह आदेश दिया जाता है कि मि. सेनफर्ड, मि. शेक्सपियर के आते ही अपने पद का कार्यभार सौंप दें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सेनफर्ड यह जान लें कि वे अपने पूर्वोक्त आचरण के बारे में जो कुछ भी स्थिति उत्पन्न हुई है उसका बयान देना चाहें तो अवश्य दें, परन्तु उनके साथ कार्यवाहक न्यायाधीश और समाहर्ता की संयुक्त कैफियत भी भेजनी होगी, जिससे वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल समग्र रूप से विचार कर निर्णय कर सकें कि उन्हें न्यायाधीश न्यायाधीश जैसे दायित्वपूर्ण पद पर वापस लिया जाए या नहीं।

आगे आदेश यह भी है कि मि. शेक्सपियर पूर्व में अधिसूचित विनियमों को ध्यान में रखते हुए उनके पालन में सर्तक रहेंगे, क्योंकि उसमें हुई असावधानी के परिणामस्वरूप ही तो उन्हें अभी डेप्यूटेशन पर आने का अवसर मिला है। इस विषय में अर्थात् समाहर्ता द्वारा निर्धारित किया गया कर जो बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू ने भी मान्य रखा है उसे लागू करने में वांछित भूमिका निभानी है।

यह भी आदेश है कि उनके विभाग की ओर से कमान्डर इन चीफ़ को भेजी जाने वाली कार्यवाही की सूचना के बारे में, हिज़ एक्सेलेन्सी की इच्छा है कि उन्हें बताया जाए कि भागलपुरमें, उपलब्ध हिलरेन्जर ट्रूपों के अतिरिक लश्करी दलों की आवश्यकता रहेगी या नहीं। इस विषय में समाहर्ता तथा पुलिस अधिकारियों के अभिप्राय को महत्त्व देकर, सार्वजनिक सेवा के हित में निश्चित किया जाए। आवश्यक लगता है तो जरूरी आदेश प्राप्त करें।

यह भी आदेश है कि उपर्युक्त आदेश से बोर्ड ऑव् रेवन्यू और भागलपुर के समाहर्ता को अवगत किया जाय।

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव
न्यायतंत्र विभाग

१. च. १६ भागलपुर के समाहर्ता को सरकार का पत्र

२९-१०-१८११

समाहर्ता, भागलपुर

महोदय,

मान्यवर वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल ने आपके नीचे दर्शाए पत्रों और संलग्न पत्रों के मिलने की सूचना देने के लिए सूचित किया है। एक पत्र दिनांक २१ का, दो पत्र दिनांक २३ और एक पत्र दिनांक २४ का प्राप्त हुआ है।

२. मान्यवर को इस विषय में अत्यधिक संतोष हुआ है कि अंततः भागलपुर जिले में सरकारी आधिपत्य पुनः स्थापित हो गया और कर वसूल करने की व्यवस्था लागू हो गई।

३. ऊपरि वर्णित स्थिति में यह जरूरी लगता है कि मि. यूविंग, मि. सेनफर्ड से कार्यभार सम्हाल लें और अन्य आदेश आने तक न्यायाधीश के रूप में पदभार वहन करें। इस विषय में मि. यूविंग को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि आपकी जानकारी के लिए भेजी जा रही है।

४. अभी जो सामान्य स्थिति सर्जित हुई है इस दौरान कार्यक्षेत्र में कर्तव्य निभाया, सरकार के हित में जो कर दिखाया, उसके लिए, वाइस प्रेडिडेन्ट इन काउन्सिल प्रशंसापूर्वक संतोष व्यक्त करते हैं।

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव
न्यायतंत्र विभाग

काउन्सिल कक्ष
२४ अक्टूबर १८११

आदेश है कि मि. शेक्सपियर को बताया जाए कि भागलपुर के समाहर्ता और न्यायाधीश की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि भागलपुर में सरकारी हुकूमत पुनः स्थापित हो गई है और मकान कर चुकाना शुरू हो गया है। वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल गत २६ के उन्हें भागलपुर के न्यायाधीश और न्यायाधीश के रूप में डेप्यूट करने वाले आदेश को रद करते हैं।

१. च. १७. भागलपुर के न्यायाधीश का सरकार को पत्र

३१-१०-१८१०

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव
न्यायतंत्र विभाग, फोर्ट विलियम,

महोदय,

आपको जिला समाहर्ता के रिपोर्ट मिलते ही सरकार का जो आदेश प्राप्त हुआ है उससे मुझे अत्यधिक खेद, लज्जा और हताशा का अनुभव हुआ है। क्योंकि रिपोर्ट में भागलपुर के निवासियों की ओर से, मकान कर चुकाने के संबंध में विरोध के कारण उनके स्वयं को तथा सरकार के अधिकारियों को खतरा होने की आशंका व्यक्त की गई थी।

२. यह वृत्तांत स्पष्टरूप से ऐसी स्थिति में लिखा गया प्रतीत होता है कि जब समाहर्ता स्वयं ऐसी मनोदशा में हों या जब सरकार स्वयं अथवा उसके उच्च अधिकारी भी रोष और अपमान का भोग बनते हुए अनुभव करते हों। ऐसे वातावरण में समाहर्ता का बहुत अधिक रोष में होना और काम लेते समय किसी भी अधिकारी की स्थिति ऐसी होना स्वाभाविक है। मैं इस समय सरकार की नाराज़गी से तनिक विपरीत कहने का आत्मविश्वास रखता हूँ। सरकार संपूर्ण न्याय से उन हकीकतों पर विचार करेंगे, कि उस परिस्थिति में मेरी कार्यवाही उस दृष्टि से सम्पूर्ण अनुभोदन के पात्र थी उसके लिए मुझे दोषी मानना अथवा (मेरे स्थान पर) मि. शेक्सपियर को रखने का सरकार का आदेश अनुचित ही होगा।

३. मेरे और समाहर्ता द्वारा भेजे गए अलग अलग रिपोर्ट में भी इन्हीं हकीकतों का बयान होगा कि जिससे निरपराध दोषी माना जाएगा ऐसा मेरा विश्वास है।

४. समाहर्ता पर हमला होने से पहले मैंने लश्कर की मदद किन कारणों से नहीं लीं, उस विषय में मैं मेरे गत दिनांक २२ और २४ के पत्र में बता चुका हूँ। मैं ने धैर्य से काम लिया, मदद मांगने में जल्दबाजी नहीं की, उसे समर्थन देना या न देना इस विषय में तो सरकार ही अपनी विवेकबुद्धि से निश्चित कर सकते हैं। हो सकता है कि विलंब के सन्दर्भ में मेरी समझदारी पर किसी को शंका हो, किन्तु उस स्थिति में जो कदम मैंने उठाया उस तरह किसी ने भी लिया होता या नहीं। फिर सरकार जो उद्देश्य पूरा करना चाहती है उसके लिए मुझे जो तरीका उचित लगा वही तो मैंने

किया, जिसके संबंध में मैं कृतनिश्चयी था। समाहर्ता पर जब हमला हुआ तब उनके साथ कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का नहीं होना तो कोतवाल की लापरवाही और जानबूझ कर किए गए दुर्व्यवहार का उदाहरण है। उसे मैंने तत्काल ही निलंबित किया, इस संबंध में सरकार को मैंने रिपोर्ट भी किया है।

५. समाहर्ता पर हुए हमले के बाद मैंने जो कदम उठाया उसके लिए मेरी प्रशंसा होगी ऐसा मुझे लगता था। अन्य कोई भी श्रेष्ठ न्यायाधीश भी, मैंने जो कदम उठाया उससे अधिक कुछ करने में समर्थ नहीं ही होता। सभी हकीकतों पर ध्यान देंगे तो यह बात समझ में आ जाएगी। मैं यहां याद दिलाता हूँ कि लोगों को बिखेर दिया गया, षडयंत्र तोड़ दिया गया और कर वसूली अत्यधिक शांत और सरल तरीके से, बिना किसी भी जानहानि के सम्पन्न की गई थी। यह उपद्रव या विद्रोह शुरू होने के मात्र तीन ही दिन में पूरी की जा सकी है। मैं इन तथ्यों से विपरीत, अत्यन्त संतोष और गर्व के साथ कहूँगा कि लोकसेवा निभाते हुए मैंने सभी प्रतिकूलताओं के बीच मेरे पद को गौरवान्वित करनेवाले उत्साह और शक्ति के साथ कर्तव्य निभाया है। संभवतः यह मुझे सफलता का ताज पहनायेगा या नहीं यह विचार मैंने नहीं किया है। खैर, फिर भी में सरकार की निष्कपट कृपा अथवा अनुग्रह को शिरोधार्य करता हूँ।

६. मैं यह लिखते समय अत्यन्त उत्तेजना का अनुभव करता हूँ और आशा करता हूँ कि मुझे मेरी इस भावना से पूरी सहानुभूति का लाभ मिलेगा जब मेरा सार्वजनिक चरित्र प्रतिष्ठा और नौकरी के भविष्य पर असर पडनेवाला है।

भागलपुर — आपका आज्ञाकारी
रात्रि साढ़े आठ — जे. सेनफर्ड
३१ अक्टूबर १८११ — न्यायाधीश

१. च. १८. न्यायाधीश, भागलपुर का सरकार को पत्र

५-११-१८११

(सारांश)

मेरे बचाव में मुझे अब अत्यन्त जरूरी लगता है कि मेरी समझ से अब समाहर्ता के प्रति किसी भी प्रकार की नर्मी बरतना निरर्थक है। जिसने मेरे प्रति और खास कर सरकार को भेजे रिपोर्ट में अत्यन्त घटिया अभिप्राय दर्शाया है। ऐसा उसने मेरे साथ किये पत्राचार में भी किया। (शायद मैं यह बात पहले कहता किन्तु मैंने

कागज़ पर कुछ भी लाना उचित नहीं माना क्यों कि जब तक ऐसा करना अनिवार्य न हो जाए तब तक अनुचित समझ कर टालता ही रहा। किन्तु मुझे लगता है ऐसा करना उचित था । पहले, समाहर्ता ने अपने दि. २१ के पत्र में सरकार को बताया है कि वे कर वसूल करने गए तब उन पर हमला हुआ। वे सच्चाइ छिपा रहे हैं। दूसरा, मुझे यह मानने का भी पर्याप्त कारण मिला है कि (ऐसा ही अभिप्राय एक स्थानीय गृहस्थ का है) यदि उन्होंने भीड़ को कोड़े मार कर उत्तेजित न किया होता तो उन पर हमला न हुआ होता। यद्यपि मुझे इस तथ्य में गहरे उतरना अत्यधिक एकांगी होना लगता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बार की जेल डिलिवरी के समय इस विषय में जांच करने हेतु सर्किट के किसी जज को भेजेगी। तब सरकार को निष्पक्ष बयान मिलने के बाद कोई संदेह नहीं रहेगा।

१. च. १९. पूर्व न्यायाधीश और न्यायाधीश को सरकार का पत्र

१२-११-१८११

जे. सेनफोर्ड एस्क.
पूर्व न्यायाधीश और न्यायाधीश
भागलपुर

मुझे मान्यवर वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल की ओर से आपका गत दिनांक ३१ और ५ के पत्रों के मिलने की सूचना देने की सूचना मिली है। साथ ही समाहर्ता पर हुए हमले के लिए पकड़े गए व्यक्ति जिसने मि. यूविंग की बग्गी रोकी थी और जिसका कबूलात नामा आपके पत्र में उल्लिखित है उसकी जाँच करने की आपकी सूचना स्वीकृत हुई है।

२. आपने बताया है कि कर वसूली करने हेतु जाते समय समाहर्ता पर हमला हुआ है इसमें समाहर्ता ने तथ्य छिपाया है। इसमें मुझे भी बताया गया है कि हमला उनके कर वसूली के कारण नहीं हुआ है। उस समय वे स्वाभाविक रूप से ही उस ड्यूटी पर थे। अतः समाहर्ता का यह बयान सच लगता है। फिर आप यह भी जानते ही होंगे कि समाहर्ता का मात्र यह भी कहना नहीं था कि उनपर यह हमला कर वसूली के कारण ही हुआ। मान्यवर ऐसा मानते हैं कि आप दिए हुए बयान से कथन की त्रुटियाँ पकड़ कर बचने का मार्ग खोज रहे हैं। यह बयान अत्यधिक शीघ्रता में और अतिशीघ्र भेजने की होड़ में शायद त्रुटिपूर्ण या थोड़ा सत्य से कुछ परे लगा होगा।

३. आपने जो स्पष्टीकरण भेजा है उसके संबंध में सरकार का अंतिम निर्णय अब बाद में बताया जाएगा।

आपका आज्ञाकारी

काउन्सिल कक्ष एन. बी. एड् मोन्स्टन

१२ नवम्बर १८११ सरकार के मुख्य सचिव

१. च. २० कार्यवाहक न्यायाधीश भागलपुर का सरकार को पत्र

६-११-१८११

(सारांश)

२. मुझे आशा है कि मेरा विनम्र अभिप्राय जो मैं भेज रहा हूँ, उसे केवल मेरी धारणा नहीं मानेंगे। अर्थात् समाहर्ता पर हमला न्यायाधीश के किसी कदम के संदर्भ में या फिर मकान कर की वसूली के कारण नहीं था। वह समग्र रूप से अनहोनी घटना के समान था। मेरा तो यह भी अभिप्राय है कि उसे एक भीड़ का कृत्य नहीं माना जा सकता अपितु कुछ निम्न जाति के लोगों का नशे की हालत में किया गया कृत्य था।

३. इसके आधार रूप न्यायाधीश को मैंने जो रिपोर्ट भेजी थी उसकी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ, जिसमें किसी एक व्यक्ति ने मेरा घोड़ा रोक रखा था उसका ही उल्लेख है, किन्तु इससे वहाँ जो अपमानजनक स्थिति बनी थी उसका विस्तृत चित्र अवश्य मिल सकेगा।

आपका आज्ञाकारी

यूविंग, कार्यकारी न्यायाधीश

१. च. २० (ए) जे यूविंग का न्यायाधीश भागलपुर को पत्र

२२-१०-१८११

जे. सेनफर्ड एस्क

न्यायाधीश, भागलपुर

महोदय,

फज़ल अली की जिस स्थिति में गिरफ्तारी की गई थी, उसे मैं आपको लिखित बताना जरूरी समझता हूँ। यद्यपि मौखिक रूप से मैं बता चुका हूँ।

कल शाम मैं जब मि. क्रे क्राफ्ट के साथ मेरी बग्गी में जा रहा था तब मैंने हिल हाउस के नीचे कई हजार लोगों को सादे वेश में भीड़ में इकट्ठा होते देखा । हम वहाँ

से बेरोक निकल गए । वापस लौटते समय पागल और शराब पीया हुआ लगनेवाला एक मनुष्य घोड़े पर चढ़ आया। किन्तु वह थोड़ा चूक गया। बग्गी की शाफ्ट पर चढ गया और फिर बग्गी के पायदान को खींच कर उठते हुए गिर पड़ा। साईस ने मेरे कहने से उसे पकड़ लिया। मि. क्रे क्राफ्ट बाहर कूद पडे और उस मनुष्य का हाथ पीछे बांध दिया। हम इस में व्यस्त थे तब बडी भीड़ हमारे आस पास जमा हो गई, लेकिन उसने हमें रोका नहीं। कुछ देर बाद कुछ पीकर आए लोग बकवास करने लगे और उसे छोड़ने के लिए कहने लगे। सर फ्रे. हेमिल्टन (अपने वाहनमे) वहाँ आ पहुंचे और उसमें से उतर कर अपने घोड़े से हमारे आसपास एकत्र लोगों को बिखेरने लगे। उसके बाद मि. हेमिल्टन सवार होकर शहर के पश्चिम की ओर जाने के लिए निकल गए। फिर भीड़ का ध्यान उनकी ओर ही रहा। इधर मैं मेरे लोगों के साथ कैदी को कोतवाली ले जा रहा था। उसे अकेला छोड़ना उचित न था।

जि. भागलपुर — आपका आज्ञाकारी
फौजदारी अदालत — जे. यूविंग
२२ अक्टूबर १८११ (नकल) — सहायक

१. च. २० (बी) कार्यकारी न्यायाधीश के पत्र पर सरकार का निर्णय

१९-११-१८११

टिप्पणी

बोर्ड ऐसा मानता है कि भागलपुर में उपद्रव की घटना के लिए जांच के आदेश दिए जा चुके हैं तब आपके उक्त पत्र के संदर्भ में अभी कोई अन्य आदेश जरूरी नहीं लगता।

१. च. २१ न्यायाधीश भागलपुर को सरकार का पत्र

१९-११-१८११

प्रस्ताव : (समाहर्ता तथा कार्यकारी न्यायाधीश, जे. यूविंग के आरोप और प्रत्यारोप रूपी ढेर सारे पत्र व्यवहार को ध्यान में रखने के बाद)

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल मि. सेनफर्ड चाहें तो भागलपुर के न्यायाधीश और न्यायाधीश के पद का चार्ज वे सस्पेन्ड हुए उस दिन से सम्हाल लें ऐसा बताते हुए आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि उस पद पर उन्हें स्थायी तौर पर फिर से रखने के लिए निर्णय लेने के संबंध में अधिकार सरकार के पास अबाधित रहेगा।

यह भी आदेश है कि उपर्युक्त प्रस्ताव की बातें मि. यूविंग तथा समाहर्ता, भागलपुर को बताएँ। यह भी आदेश है कि सचिव न्यायाधीश और न्यायाधीश भागलपुर को निम्मानुसार पत्र लिखें।

१. च. २१ (अ) न्यायाधीश भागलपुर को सरकार का पत्र

१९-११-१८११

जे. सेनफोड एस्क.
न्यायाधीश तथा न्यायाधीश
भागलपुर

महोदय,

सरकार को समाहर्ता भागलपुर की ओर से उन्हें कार्यवाहक न्यायाधीश की ओर से प्राप्त, समाहर्ता के एक खलासी गोपालदास के सामने आरोप में हुई जांच की अनुवादित नकल मिलते ही जिस प्रकरण में मकानकर वसूल करते समय किसी लश्करी साहू की सम्पत्ति जप्ती में लेने और इसके लिए जब्ती द्वारा कर वसूल करने की कार्यवाही और साक्षी जैसी बातों में मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा गया है कि समाहर्ता को अपने नौकर की ओर से जो कुछ अन्याय संबंधी ऊपर कोर्ट में विनियम प्रक्रिया का मुद्दा उठाया गया है, उस संबंध में न्यायिक कार्यवाही करेंगे।

दूसरे मुद्दे पर बताना है कि कार्यवाहक न्यायाधीश ने, समाहर्ता ने मकान कर वसूल करने में शीघ्रता का कार्य करने का आक्षेप करने का कृत्य किया है। यह गलत और आपत्तिजनक है। इस प्रकार की जांच करना उनके पद के कार्य क्षेत्र से बाहर का कार्य माना जाएगा। इससे तो नगर में जो कुछ भी उपद्रव दबा दिया गया है उसे पुनः अवसर प्राप्त हो जाएगा।

आपका आज्ञाकारी
एन. बी. एडमोन्स्टन
सरकार के मुख्य सचिव

काउन्सिल कक्ष
१९ नवबर १८११

१. च. २२. समाहर्ता, भागलपुर का सरकार को पत्र

२३-१२-१८११

जी. डोड्स्वेल एस्क.
सरकार के सचिव
फोर्ट विलियम

महोदय

मैं आपको गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को यह बताने की प्रार्थना करता हूँ कि मकानकर वसूली करते समय मुझे किसी भी प्रकार का विरोध या अवरोध नहीं हुआ।

भागलपुर, समाहर्ता ऑफ़िस — आपका आज्ञाकारी
२३ डिसम्बर १८११ — एफ. हेमिल्टन
सोमवार, सायंकाल, ६-०० — समाहर्ता

१. च. २३ समाहर्ता भागलपुर को सरकार का पत्र

१९-१-१८१२

समाहर्ता, भागलपुर

महोदय,

मुझे गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की ओर से आपके गत दिनांक २३ के पत्र की प्राप्ति की सूचना देने के लिए कहा गया है।

भागलपुर में शांति स्थापित होने की जानकारी के साथ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल का फरमान है कि मकान कर विषयक इसके बाद की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू के माध्यम से भेजते रहेंगे।

आपका आज्ञाकारी
काउन्सिल कक्ष — जी. डोड्स्वेल
१० जनवरी १८११ — सरकार के सचिव

१. च. २४. भागलपुर के समाहर्ता का सरकार को पत्र

१९-२-१८१२

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव
न्यायतंत्र विभाग,
फोर्ट विलियम

महोदय

मुझे पता चला है कि न्यायाधीश, भागलपुर ने उनके दिनांक ५ नवम्बर के पत्र में सरकार को ऐसा बताया है कि ता. २१ अक्टूबर की शाम को मैंने भीड़ पर कोड़े बरसा कर उत्तेजित किया। उन्होंने ऐसा सीधा आक्षेप किया है।

२. इस बात की सच्चाई, मेरी भागलपुर में उपस्थिति या अनुपस्थिति से सिद्ध अथवा प्रभावित नहीं होती और शायद यह हकीकत सिद्ध हो कि मैं किसी व्यक्ति को दंगा या अनाचार करने से रोकता हूँ लेकिन किसी भी स्थिति में न्यायाधीश के पद को नीचा दिखाने क लिए तो कभी नहीं। पिछले चार पांच दिन से लोगों की भीड़ एकत्रित होती रही इस कारण मैंने ऐसा किया। इससे इस विषय में मैं दृढ़तापूर्वक इन्कार के साथ प्रार्थना करता हूँ कि इस मुद्दे पर पूरी जाँच होनी चाहिए। यही प्रार्थना है कि उपद्रवी भीड़ के स्थान पर दूसरा कोई प्रमाण हो। इसमें किसका हित सिद्ध हो रहा है जिससे मुझे दोषी पुरवार किया जा रहा है। फिर न्यायाधीश स्वयं तो वहाँ थे नहीं।

३. उन लोगों ने मेरी हत्या की होती तो और मुद्दा हो सकता था, किन्तु यहाँ इस जांच में तो सरकार की साख का मुद्दा महत्त्वपूर्ण है। भीड़, कर का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई थी, जो कुछ दिनों से वसूल किया जा रहा था। अर्थात् २१ अक्टूबर से पूर्व ही कुछ स्थानों पर शराब, मिठाई, पंडे, पुरोहितों, पुजारी और इधर-उधर ईंटों का ढेर दिख रहा था। इस समय मैं सर्किट न्यायाधीश के निम्नलिखित मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मि. यूविंग ने बग्गी की लगाम पकड़ ली और आगे जाने से रोका तब ही क्या आक्रमण शुरू नहीं हुआ था ? क्या उनके साथ बैठे सज्जन पर हमला नहीं किया गया ?

४. मेरा निवेदन है कि न्यायाधीश को बुलाकर पूछा जाए के लोग भीड न करें, इस हेतु रोकथाम के उपाय के रूप में उन्होंने क्या कदम उठाया था ? हमले के पहले चार पांच दिन में लोगों की भीड को बिखेरने के लिए उन्होंने क्या किया था ? उसके

बाद १९ अक्टूबर के पत्र के संदर्भ में उन्होंने क्या आदेश दिए जिससे मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने में मदद मिले ?

५. अब जब मैं अभी भागलपुर में उपस्थित नहीं रह सकता हूं और मेरी अनुपस्थिति में सर्किट न्यायाधीश जांच के लिए जा रहे हैं तब मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि उन्हें इस मामले में कोई सूचना जरूरी है तो वे मेजर फ्रेन्कलीन या लिटल ज्हॉन से सम्पर्क करें। वे लोग इस विषय में मेरे जितना ही जानते हैं, जिसके लिए मैंने उन्हें कभी पूछा भी नहीं।

६. पिछले दंगों की अत्यन्त ही सूक्ष्म जांच हो यह मैं उत्सुकता पूर्वक चाहता रहा हूं और मैं अभी भी आशा करता हूँ कि ऐसा होगा ही। और सरकार मुझे ऐसी हलचल की जानकारी देने की कृपा करती तो मैं किसी भी तरह भागलपुर छोड़ता ही नहीं।

७. आज अब जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसका सामान्य मुद्दा मेरे ऊपर हमला है। अतः बार बार कहना चाहता हूँ कि यह बात गौण है। पहली मूल बात और ही थी लेकिन मेरा विलाप तो यही है कि गौण बात में उलझे बिना मूल मुद्दा जो हो चुके दंगों का है, उसे भूलना नहीं चाहिए।

कोलकता आपका आज्ञाकारी
७ फरवरी १८१२ एफ हेमिल्टन, समाहर्ता

१. च. २५. सर्किट जज का सरकार को पत्र

१८-२-१८१२

आदेश दिया जाता है कि सचिव भागलपुर में मुर्शिदाबाद विभाग के सर्किट के दूसरे न्यायाधीश को निम्नानुसार पत्र भेजे।

भागलपुर में मुर्शिदाबाद विभाग के सर्किट के दूसरे न्यायाधीश को

महोदय,

भागलपुर के समाहर्ता के पत्र की नकल आपको भेजने के साथ ही मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल चाहते हैं कि समाहर्ताने जिस स्थिति का वर्णन किया है उसके प्रति आप पूरा ध्यान दें, उनके स्थान पर आपके पास आवेदन लेकर जो प्रतिनिधि समूह आते

हैं उनके साथ भागलपुर में अभी हुए दंगों में जांच की जो प्रक्रिया चल रही है उसको अनुकूल रहकर व्यवहार करें।

आपका आज्ञाकारी

काउन्सिल कक्ष — जी. डोड्स्वेल

१८ फरवरी १८१२ — सरकारश्री के सचिव

न्यायिक विभाग

आदेश है कि इस पत्र की प्रतिलिपि भागलपुर के समाहर्ता को जानकारी हेतु भेजी जाए।

१. च. २६ सरकिट के दूसरे न्यायाधीश का सरकार को पत्र

७-३-१८१२

सारांश

३. विनिमय १५, १८१० के तहत करवसूली के कार्य में यहां के मकानकर के तहसीलदार ने नियमों की अनदेखी की है। उसे सम्भवत: इस सम्बन्ध में शपथ नहीं दी गई है। उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। मकानों की स्थानीय मर्यादा, लोगों की पात्रता अथवा मूल्यमापन के विषय में किसी भी प्रकार का तारतम्य न करते हुए उसने अत्यन्त पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया है। जांच करते समय संयोगवश सामने आई कुछ घटनाओं के आधार पर मेरा यह अभिप्राय बना है; परन्तु जिस विषय पर मुझे अहवाल तैयार करना है उसके साथ इसका सम्बन्ध न होने के कारण मैंने उस ओर बहुत ध्यान नहीं दिया। न तो मैं समाहर्ता को कोई दोष देता हूं। मैं इसका उल्लेख भी नहीं करूंगा। वह तो स्थान पर प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं था अत: इस प्रकार की सेवाओं में उसके जैसे उच्च पदस्थ लोगों के सम्बन्ध में होता ही है उसके अनुरूप स्थानीय लोगों ने उसके साथ छल किया। उसकी जानकारी में भी न होनेवाली अनिष्ट बातें वहां हुई होंगी। मुझे इतना ही कहना है कि अगर कोई अनिष्ट बात हुई भी होगी तो वह इन दंगों के मूल कारणों में से एक होगी, और महत्त्वपूर्ण भी होगी। और मेरे दायित्व का जो स्वरूप है उसके तहत वह कितना ही दु:खदायक होगा तो भी मैं उसकी अनदेखी नहीं करूंगा।

४. सभी प्रकार के लोग जिस विषय में अत्यन्त असन्तुष्ट हैं ऐसे विषय को सरकार भी सन्तुष्ट हो और लोगों की भी सहिष्णुता की सीमा में रहे उस प्रकार से कार्य करना जरा भी सरल नहीं है। न्यायाधीश और समाहर्ता दोनों के लिये यह

कठिन, भयावह और द्वेषपूर्ण स्थिति निर्माण करता है। समाहर्ता को इसलिए कि मकान कर की वसूली में जिसे नियुक्त किया जाता है उसे अनुमान, दुर्व्यवहार और कपट के लिए इतना व्यापक और निर्बन्ध क्षेत्र मिलता है, कि उसे पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के कृत्रिम उपायों से सामान्य प्रसंगों में भी प्रामाणिक और विश्वासयोग्य बनाया नहीं जाता है और फिर भी वह उन पर भर भरोसा करने के लिए विवश होता है। न्यायाधीश को इसलिए कि सरकार की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार और विरोध के परिणामों को अन्यथा करने का उसके पास वास्तव में कोई साधन या उपाय नहीं होता है। पुलीस की सहायता अथवा स्थानीय दलों की अधिक प्रभावी मदद लेने की बात करना सरल है। परन्तु यह समझना चाहिये कि पुलिस अधिकारी अथवा सेना के सिपाही भी अन्य लोगों के समान ही मकानकर के भोग बने हुए होते हैं। कम से कम उनके परिवारजन तो त्रस्त होते ही हैं, और इस कारण से पुलिस के हृदयमें भी इस कार्यवाही के प्रति द्वेष की भावना होती है। न्यायाधीश को आपात्कालीन संकट के समय इन्हीं पुलीस अधिकारियों के निश्चित एवं दमदार सहारे पर निर्भर रहना होता है।

६. गत २१ अक्टूबर की शाम को सर फ्रैडरिक हैमिल्टन के साथ भीड ने निश्चित ही कठोर व्यवहार किया होगा। उनको लगा होगा कि श्री यूविंग भयावह संकट में पड गए हैं इसलिए उनको बचाने के उद्देश्य से वे गुस्से से बेकाबू भीड के बीच अकेले ही घुस गये होंगे और उन्होंने भीड के प्रति आक्रमक व्यवहार भी किया होगा, उसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं फिर भी उनका यह कार्य विवेकबुद्धि नहीं अपितु जल्दबाजी ही मानी जाएगी। क्यों कि वे सुरक्षित बच निकलने की अपेक्षा कैसे कर सकते थे ? यदि चार से पांच हजार अंग्रेज लोगों की भीड को भी बिखरने के लिए वे हाथ में केवल चाबुक लेकर घुस जाते तो वे जीवित नहीं रह पाते। उत्तेजना के वश हुए लोगों का व्यवहार पूरे विश्व में एक जैसा ही होता है। और जहां तक सर हैमिल्टन के रूप में सरकार के अपमान का सवाल है इस देश के लोगों को जितना मैं जानता हूं, उनमें सभ्यता और सुसंस्कृतता है ही नहीं। जिसे वे अत्याचार पूर्ण और कृत्रिम मानते हैं उस स्थिति में जब वे भयभीत और आतंकित हुए हैं तब वे विचारपूर्वक कुछ करेंगे यह तो सम्भव ही नहीं है।

जिला पूर्णिया
७ मार्च, १८१२

आपका आज्ञाकारी
डबल्यू. टी. स्मिथ
सर्किट के दूसरे न्यायाधीश
मुर्शिदाबाद विभाग

१. च. २७. न्यायाधीश, भागलपुर को सरकार का पत्र

१८-४-१८१२

आदेश है कि सचिव, न्यायाधीश भागलपुर को निम्नानुसार पत्र लिखे।

न्यायाधीश, भागलपुर

महोदय,

मुख्य सचिव के गत दिनांक, १२ नवम्बर के पत्र के अनुसार सर्किट के न्यायाधीश, समाहर्ता पर हुए हमले से सम्बन्धित परिस्थिति की जांच करे ऐसी सूचना मिलेगी। जिसने मि. यूविंग की बग्गी रोकी थी और जिसका स्वीकृतिनामा आने की बात आपके पत्र में भी बताई गई है उसकी प्राप्ति की सूचना दी जा रही है और वह अब मान्यवर के समक्ष प्रस्तुत होगी।

२. सर्किट के जिस न्यायाधीश ने, उन्होंने की हुई कार्यवाही की नकल सरकार को प्रस्तुत की है वे सरकार के समक्ष आ रहे हैं और पूरा शोरशराबा एक व्यक्ति द्वारा दंगल का प्रयास करने के साथ ही शुरू हुआ जिसने नशेकी स्थिति में मि. यूविंग की बग्गी रोकी थी। समाहर्ता भीड़ में घुस गये और अपनी गाडी से उतर कर उन्होंने लोगों को हटाने का प्रयास किया। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को अब कोई सन्देह नहीं कि जो प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर स्पष्ट है कि सर फ्रैडरिक उनके उद्देश्य के लिए किए गए प्रयास में अपने कोड़े से कितनों को मार बैठे।

३. इस प्रकार उपर्युक्त घटना (झगड़े का) मूल कारण है और जो उत्तेजना या धांधल हुई इस विषय में समाहर्ता की कार्यवाही के संदर्भ में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल मानते हैं कि सर एफ. हेमिल्टन द्वारा मि. यूविंग की मदद के लिए जो कुछ किया गया वह जरूरी और प्रशंसा के पात्र था। यद्यपि उन्होंने कोड़े का उपयोग किया वह विवेक संगत नहीं था, कुछ आपत्तिजनक ही था।

४. ऊपरि वर्णित आंदोलन के संबंध में समाहर्ता के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का तात्पर्य क्या है यह जानना जरूरी है। उसमें बताया गया है कि कर लागू करने के लिए जाते ही उन पर गम्भीर हमला हुआ था। जब कि सर्किट के न्यायाधीश की रिपोर्ट के अनुसार समाहर्ता को जो चोट लगी वह सच पूछा जाए तो उनकी ड्यूटी करते समय नहीं लगी। यद्यपि वह कर के विरोध में एकत्रित लोगों की ही करतूत थी। इससे घटना को, वे मि. यूविंग की सहायता करने के लिए गए उस समय घटी है ऐसा मानना चाहिए। अतः इस मुद्दे पर सरकार ने जो आदेश दिया है उसेमें सुधार करने की

आवश्यकता है, जिसका संदर्भ, मुख्य सचिव के दिनांक १२ नवम्बर के पत्र में दिया हुआ है।

५. अतः मान्यवर काउन्सिल मानते हैं और बताते हैं कि एक लोक अधिकारी के लिए यह जरूरी था कि, उन्हें प्राप्त पूर्वोक्त पत्र के बारे में समाहर्ता पूछ लेते कि इस प्रकार के पत्र का कितना औचित्य है । जिसे संभवतः भेजने से पूर्व न किया जा सके तो बाद में भी पूछा ही जा सकता है। अतः आप ही, आपको दिये स्पष्टीकरण की बातों के आधार पर कुछ पक्का बयान कर सकते हैं।

आपका आज्ञाकारी

काउन्सिल कक्ष
१८ अप्रैल १८१२

जी. डोड्स्वेल
सरकार के सचिव
न्याय तंत्र विभाग

ऊपर्युक्त पत्र की नकल न्यायाधीश, भागलपुर को दें और यह भी बताएँ कि अभी जिले में जो आंदोलन या अशांति हुई उसके संबंध में सरकार के अंतिम आदेश समाहर्ता, भागलपुर को जानकारी के लिए भेज दें।

४. नीति से पलायन की पद्धति

२.१. जी. डॉड्स्वेल, पूर्व सीनि. मेम्बर बोर्ड ऑफ़ रेवन्यूका सरकार के मुख्य सचिव एन. बी. एड्मॉन्स्टोन को पत्र

(सारांश)

१८-१०-१८१९

११. मकान कर निश्चित करने के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है, इससे लगता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अल्प समय में ही कार्य पूरा हो सकेगा।

१२. पूर्वानुभव से ऐसा लगता है कि कोलकता और आसपास के उपनगरों के अलावा अन्य स्थानों पर कर, सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता। अन्य स्थानों में (विशेष रूप से शहरों में), मैंने जो कुछ सुना है उससे मैं मानता हूँ कि कर के बारे में तीव्र रोष प्रवर्तमान है। अतः यह रोष थमने तक, यह वर्ष बीत जाने देना ही चाहिए।

१३. यदि इस विषय में यह दृष्टिकोण सही मानकर चलें तो २ से ३ लाख रुपये (मेरे अभिप्राय में कर की रकम उससे अधिक नहीं होगी) छोड देना नगर के लोगों के बहुत विशाल समुदाय की भावना को शांत करने के आगे नगण्य है। नहीं तो इससे लोग निकट आकर, सरकार के विरुद्ध संगठित होंगे।

१४. फिर भी कर से होनेवाली आय अभी भी अगर सरकार का उद्देश्य है, तो विनियम १, १८११ की धारा १२ से लोगों के अनेक वर्गों को जो परवाना दिया जाता है उसके लिए कर लगाया जा सकता है ऐसा मेरा सुझाव है। यह कर तो, व्यापार में जुड़ने वाले लोगों के कारण संख्या में कमी आएगी इससे पुलिस सुधार में अवरोध नहीं होगा, उल्टे सहायता होगी क्यों कि अवरोध के स्थान पर मदद मिलेगी कि जिन की जांच के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है उन व्यापारियों की संख्या कम होगी। और यदि इस विनियम की व्यवस्था पश्चिमी प्रांतों में भी लागू की जाए, जो इसके बाद का कदम होगा, तो जो वसूली होगी वह मकान कर से भी अधिक ही होगी।

१५. यदि यह सूचना उचित लगती है तो उस पर अवश्य विचार कर लें कि कोलकता और उसके उपनगरों में मकान कर चालू रखें या नहीं जहाँ कर के प्रति अभी तो आपत्ति नहीं दिखाई देती।

२. २. मुख्य सचिव का बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू के कार्यवाहक प्रमुख आर रौक और सदस्यों को पत्र

२२-१०-१८११

(सारांश)

५. इस अनुच्छेद में जो कहा गया है उस पर और इस संदर्भ में अन्य सभी स्थितियों पर विचार करते हुए, वाइस प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल, विनियम १५, १८१० की व्यवस्था से मकान पर कर लागू करने का उपाय रोक देने के लिए तैयार हुए हैं और इस संदर्भ में वे सूचना देने के लिए भी सहमत हुए हैं कि प्रथम तो जहाँ भी मकान कर का काम पूरा नहीं हुआ है वहाँ इसे रोक दें। जहां भी यह कर लागू हो चुका है उसे रोक दें और अपवादस्वरूप जहाँ भी इस कर के विरोध में हो-हल्ला हुआ हैं वहाँ, मान्यवर की इच्छा है कि इसे रोकने की पुष्टि के लिए आप आवश्यक आदेश प्रकाशित करें जिसमें समाहर्ता, अथवा जिसे यह आदेश दिया गया है उस से रिपोर्ट मंगाएं और वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल को भेज दें, जो कर रोक देने विषयक अंतिम आदेश देंगे। यदि कहीं खुला विरोध नहीं हो रहा लगता है तो मानें कि वहाँ कर की आंशिक अथवा पूरी वसूली करनी है। डॉड्स्वेल ने बताए अनेक कारणों से यह आदेश, कोलकता और उसके उपनगरों में लागू करने का इरादा नहीं है।

एन. बी एड् मॉन्स्टोन

२२ अक्टूबर १८११ मुख्य सचिव

२. ३ फरुख़ाबाद के बोर्ड ऑफ कमिश्नर को मुख्य सचिव का पत्र

२२-१०-१८११

बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स

सज्जनों,

अति आदरणीय वाइस प्रेसिडन्ट इन काउन्सिल ने विनियम १५, १८१० के तहत लगाए गए मकान कर के विषय में उसे शीघ्र निरस्त करने के लिए स्वीकृति दी है। इससे बोर्ड ऑफ रेवन्यू को निर्देश है कि कर निर्धारण की प्रक्रिया जहाँ पूरी नहीं

हुई है वहां उसे स्थगित कर दें और कर वसूली का काम जहां चालू हो गया है वहीं रोक दें, परन्तु जहाँ कर लागू होने के प्रति स्पष्ट विरोध या अशान्ति हुई है वहां आदेश मिलने तक की अवधि के लिए चालू रखें।

२. साथ ही वाइस प्रेसिडन्ट इन काउइन्सल की इच्छा है कि आप बनारस के समाहर्ता को, आवश्यक सूचनाओं के साथ इस संदर्भ की पुष्टि करने और उसके जो परिणाम होते हैं उन्हें वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल की जानकारी हेतु भेजने के लिए लिखें। बनारस सहित बंगाल, बिहार और उड़ीसा के समाहर्तों को यह अभिप्राय मिलने के बाद ही कर स्थगित करने के विषय में आदेश दिया जा सकेगा। कोई विरोध नहीं दिखाई देता है तो कर आंशिक अथवा पूरा वसूल करना चालू रखें।

आपका आज्ञाकारी

फोर्ट विलियम
जी. डॉड्स्वेल

२२ अक्टूबर १८११
सरकार के सचिव

महसूल विभाग

२. ४. बोर्ड ऑफ रेवन्यू को सरकार का पत्र

३-१२-१८११

आदेश है कि सचिव बोर्ड ऑफ रेवन्यू को निम्नानुसार पत्र भेजे।

बोर्ड ऑफ रेवन्यू

सज्जनों,

मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को सूचना प्राप्त हुई है कि समाहर्ता, भागलपुर को इस आशय का आदेश भेजा गया है कि जिले में मकान कर की वसूली रोक दें।

२. दिनांक २२ अक्टूबर के सरकारी आदेश में बताया गया है कि इस अनुच्छेद में बताई गई जानकारी और नगर में प्रवर्तमान स्थिति का विचार कर वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल, विनियम १५, १८१० के तहत निश्चित किए गए मकान कर को शीघ्रतापूर्वक निरस्त करने के लिए राजी हो गए हैं। अतः सूचना दी जाती है कि कर निर्धारण का कार्य जहाँ चल रहा है वहाँ रोक दें और करवसूली हो रही है वहाँ वसूली रोक दें। फिर भी जहाँ भी आदेश मिलने तक कर के विरोध में कोलाहल तथा विरोध हुआ है वहाँ, वसूली चालू रखें।

३. गत २६ अक्टूबर को सरकार की ओर से आपको बताया गया है कि

भागलपुर में इस कर के विरोध में हंगामा हुआ और समाहर्ता को अपमानित करनेवाली घटना घटी है।

४. इसके बाद के मुद्दों से संबंधित जानकारी, कर निरस्त करने का आदेश मिलने से पहले ही मिल गई होगी, जिसमें सूचित अपवाद सहित, जानकारी सचिव कार्यालय से भेजी गई होगी। सहज निष्कर्ष यह है कि समाहर्ता, भागलपुर को आदेश नहीं भेजा जाना चाहिए था। या फिर उनके द्वारा आपको शीघ्र बताया जाना चाहिए था कि उनके कार्यक्षेत्र के जिले में वह लागू नहीं करना है।

५. उपर्युक्त त्रुटि के कारण बहुत उलझनपूर्ण स्थिति निर्माण हुई है। २२ अक्टूबर के आदेश में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने, ऐसे स्थानों में कर निरस्त करने के लिए बताया है जहाँ स्वच्छंद विरोध के कारण आशान्ति पैदा हुई है। जब कि दूसरी ओर समाहर्ता के प्रचार पत्र के अनुसार कर वसूली स्थगित करने के बाद पुनः चालू करना लोगों के मनमें सार्वजनिक रूप से अस्थिरता की छाप छोडेगा। लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है इसलिए सरकार और उसके अधीनस्थ अधिकारियों में अन्तर करने के लिए वे असमर्थ होते हैं।

६. इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मान्यवर लोर्डशीप इन काउन्सिल ने, भागलपुर जिले में कर वसूली स्थगित करने के स्थान पर चालू रखना उचित माना है जो दिनांक २२ अक्टूबर के आदेश से उल्टा होगा। अतः गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की इच्छा है कि आप समाहर्ता, भागलपुर को बता दें कि विनियम १५, १८१० तहत ही कर वसूल करना चालू रखें।

७. उपर्युक्त परिस्थिति से पता चलता है कि भागलपुर के समाहर्ता ने सरकार के कर समाप्त करने के इरादे की लोगों को जानकारी दे दी है, किन्तु यदि उपर्युक्त सूचना भागलपुर को भी हो सके इस प्रकार से तैयार की जाती तो भी काउन्सिल को लगता है कि समाहर्ता को कर स्थगित करनेवाली जानकारी प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं थी। बताया गया है कि प्रथम तो जहाँ भी निर्धारण प्रक्रिया चालू हो वहाँ उसे रोक दें और जहाँ कर वसूल करना शुरू किया गया है वहाँ उल्लिखित अपवाद सहित वसूली रोक दें।

८. इससे स्पष्ट है कि समाहर्ता ने निर्धारण या वसूली का कार्य स्थिति देखकर रोक दिया है और सरकार का आशय सार्वजनिक विज्ञप्ति अथवा अधिसूचना के बिना ही स्पष्ट हुआ है। यदि बाद में इस विषय में पुनर्विचार या कोई सुधार करना उचित लगता है तो १५, १८१० में अन्य किसी विनियम के माध्यम से सुधार कर लिया

जाएगा। फिर तो उसे सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही प्रस्थापित करना होगा।

९. मुझे यह बताने की भी सूचना मिली है कि गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को लगता है कि समाहर्ता को अधिसूचना जारी करने का अवसर कभी आ सकता है। अतः सरकार को लगता है कि अधिसूचना तैयार कराई जाए और अपने बोर्ड के द्वारा सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाए। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की इच्छा है कि सरकार की यह भावना अपने अधीनस्थ समाहर्ताों को बताएँ।

आपका आज्ञाकारी

फोर्ट विलियम — जी. डोड्स्वेल

३ दिसम्बर १८११ — सरकार के सचिव

महसूल विभाग

२. ५. एड्वोकेट जनरल का सरकार को पत्र

८-१-१८१२

जी डोड्स्वेल एस्क
सरकार के सचिव
राजस्व तथा न्यायतंत्र विभाग

महोदय,

मुझे २४ परगना के समाहर्ता मि. थॅकरे को आवेदन देना पडा था, जिसमें कोलकता के मोफ्यूसिल में मान्यवर के जो यूरोपीय प्रजाजन रहते हैं, जिन्होंने विनियम १५, १८१० के तहत निर्धारित मकान कर न भरने के कारण उन का सामान जब्त करने विषयक मेरा अधिकार जानने के लिए मैंने निवेदन किया है।

२. जब हिज़ मेजेस्टी के प्रजाजनों को पूरे हिन्दुस्तान में सिविल अथवा क्रिमिनल किस्सों में सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र में भी नहीं रखा है तब अधिकारियों को अब एक ही सरकार के अधीन रहनेवाले लोगों के विषय में निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब हिज़ मेजेस्टी के यूरोपीय प्रजाजनों को सभी बातों में कोर्ट और विनियम के प्रति जिम्मेवार माना जाता है अथवा जिस राजा ने संसद में मान्यता दे कर जवाबदेही निश्चित की है तब तो उन्हें हिन्दुस्तान के प्रजाजन मानकर उल्टा व्यवहार केसे हो सकता है। अतः मुझे यह समझने में अत्यधिक कष्ट हो रहा है कि प्रस्तावित कर के प्रश्न पर हिज़ मेजेस्टी के प्रजाजनों की सम्पत्ति जब्त की जाए या नहीं ?

३. राजस्व के विषय में यह विवाद हो सकता है कि इस किस्से में मकान कर वसूलने में सख्ती भी की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय में २१ जीईओ ३ सी ७० एस ८ के तहत कोई यूरोपीय दावा दर्ज नहीं कर सकता क्यों कि यह कार्यवाही गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के नियमों के अनुरूप की गई है। परंतु जब कोई ऐसा व्यक्ति हिंसा या हत्या करते हुए पकड़ा जाए और जप्ती की जाए तब कानूनी मुद्दा उठाकर इस विनियम से ऐसा होगा कि नहीं इसकी निश्चितता की जानी चाहिए।

४. इस मुद्दे का महत्त्व देखकर मैंने कम्पनी कस्टोडियन और जूनियर काउन्सिल मि. फरग्युसन और मि. सिम्पसन का परामर्श लेना उचित समझा। इस विषय में उनका अभिप्राय है कि यूरोपीय प्रजा को इस कर वसूली में जब्ती का शिकार नहीं बनाया जा सकता। मेरा फिर भी अत्यन्त गंभीर निजी अभिप्राय है कि भविष्य में इन लोगों पर कर लागू न होने के विषय में विवाद के गम्भीर रूप धारण करने से पहले एक कानून बनाकर हिज़ मेजेस्टी के वारसदारों और प्रजाजनों को उनके मकान के बारे में गिरफ्तारी या कैद को छोडकर अन्यथा जवाबदेह माननेवाला ही कस्टम से संबंधित कानून इन विनियमों के लिए भी करना जरूरी है। ये सारे तथ्य प्रांतीय न्यायालयों और न्यायाधीश के कार्यक्षेत्र में रखे जाएँ और कंपनी, उसके किसी नौकर या अन्य व्यक्ति अथवा उनके अधिकार से या नियम से कर्मचारी या न्यायतंत्र के किसी पद पर कार्यरत व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने अथवा उससे संबंधित उत्तर देने का अवसर उपस्थित होने पर उलझन उत्पन्न न हो। इस स्थिति में उन लोगों के केस की पैरवी अथवा प्रस्तुति सामान्य रूप से हो या फिर इंग्लैन्ड के कानून के अनुरूप हो यह विवाद विनियम रचना की सभी कार्यवाही के विषय में स्पष्ट किया जाए।

भवदीय

८ जनवरी १८१२

एडवर्ड स्ट्रेटल

एड्वोकेट जनरल

२. ६. एड्वोकेट जनरल के अभिप्राय के संबंध में सरकार का बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू को पत्र

२१-१-१८१२

आदेश है कि सेक्रेटरी रेवन्यू बोर्ड को निम्नानुरूप पत्र लिखें।

बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू

सज्जनों,

मुझे मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने एड्वोकेट जनरल के पत्र (अनुच्छेद क्र. १,२,३) का सारांश आपको भेजने के लिए कहा है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर रहनेवाले ब्रिटिश नागरिकों पर मकान कर लागू करने के विषय में कुछ आपत्तियां दर्शाई गई हैं। इस विषय में मान्यवर इच्छा रखते हैं कि आप २४ परगना के समाहर्ता को बता दें कि कोलकता के उपनगरीय इलाकों में मकान कर वसूल करना सार्वत्रिक रूप से रोक दें।

२. गवर्नर जनरल इन काउन्सिल विनियम १५, १८१० की व्यवस्था रद्द करने का प्रस्ताव पारित करने का विचार कर रहें है।

आपका आज्ञाकारी

फोर्ट विलियम — जी. डोड्स्वेल

२१ जनवरी १८१२ — सरकार के सचिव

महसूल विभाग

२. ७ बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू का सरकार को पत्र

२२-१-१८१२

अति आदरणीय,

गिलबर्ट लॉर्ड मिन्टो

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल,

फोर्ट विलियम

माय लॉर्ड,

हम समाहर्ता भागलपुर का प्राप्त पत्र आपको प्रस्तुत करने की अनुमति ले रहे हैं।

हमें जानकारी नहीं है कि उस नगर या स्थान पर कोई यूरोपीय को मकान कर संबंधी उत्पन्न किसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो। उसके बाद के आदेशानुसार

लागू नहीं होने की लोगों को वह पूरी जानकारी है।

रेवन्यू बोर्ड
२२ जनवरी १८१२ सादर

आर. रॉक और अन्य

२. ८ बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू को सरकार का पत्र

२७-१-१८१२

आदेश है कि सचिव बोर्ड आफ रेवन्यू को यह पत्र लिखे।

(सारांश)

आपकी ओर से प्राप्त पत्र में वर्णित स्थिति के संदर्भ में मान्यवर काउन्सिल को लगता है कि समाहर्ता भागलपुर ने उनके जिले में रहनेवाले यूरोपीय प्रजाजनों से मकान कर वसूल नहीं करना चाहिए।

२. ९. विनियम १५,१८१० को समाप्त करते हुए विनियम ७,१८१२ पारित

९-५-१८२२

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल माननीय कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर, रेवन्यू विभाग की ओर से गत सितम्बर ११ के पत्र को ध्यान में रखते हुए निम्नानुरूप विनियम पारित कर विनियम ४१,१७९३ के स्थान पर सन् १८१२ विनियम ७,१८१२ के अनुरूप छापने का आदेश करते हैं।

विनियम १५,१८१० और ४,१८११ को निरस्त करने का गवर्नर जनरल इन काउन्सिल का आदेश ९ मइ १८१२, २८ वैशाख १२१९ बंगाली संवत, १३ वैशाख १२१९ फ़झली संवत, २९ वैशाख १२१९ विलायती संवत, १३ वैशाख १८६९ शक संवत और २६ रबी-इन-सेनी १२२७ हिजरी सन को दिया गया।

जिसमें विनियम १५,१८१० और ४, ८११ में व्यवस्था है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस प्रांतों के अनेक शहर और नगर के मकान पर कर लागू किया जा सकता है, और गवर्नर जनरल इन काउन्सिल वहाँ के निवासियों की सरलता और सुगमता चाहते हैं। वे प्रस्तुत कर से मुक्त करने के लिए निम्नानुरूप नियम पारित कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस प्रांतों में तत्काल लागू करना निश्चित करते हैं।

अतः विनियम १५, १८१० तथा ४, १८११ इसके द्वारा निरस्त हुए हैं।

५. इंग्लैण्ड स्थित संचालक अधिकारियों के साथ पत्राचार

३.१. बंगाल प्रांत से शरणागति स्वीकार किए हुए एवं विजित प्रांतो के विभाग को पत्र

१२-२-१८११

(सारांश)

३९. न्यायतंत्र विभाग के गत दिनांक २४ नवम्बर के पत्र के साथ आपकी नामदार अदालत को विनियम १५, १८१० जिसका शीर्षक 'रेग्यूलेशन फॉर लेविंग टेक्स ऑन हाउसेस इन सर्टन सिटीज़ एण्ड टाउन्स इन द प्रोविन्सिझ ऑव् बंगाल, बिहार, उड़ीसा एण्ड बनारस' (बंगाल, बिहार उड़ीसा और बनारस प्रांतों के कुछ शहरों और नगरों में कुछ घरों पर कर लादने संबंधी विनियम) था वह भेजा है।

४०. अत्यन्त चिन्ता के साथ आप मान्यवर को विदित हो कि विनियम की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम अत्यन्त असंतोष और प्रतिकार उत्पन्न करने वाले सिद्ध हुए हैं और बनारस के स्थानिक अधिकारियों के प्रति रोष और प्रतिकार की भावना भडक उठी है।

४१. इस विषय में स्थानिक अधिकारी के साथ किए गए पत्राचार की नकल अलग से भेजी जा रही है। इन पत्रों को ज्यूडिशियल विभाग में दर्ज किया गया है। लेकिन हमें लगता है कि इस समय केवल सार्वजनिक राजस्व सुधार की योजना करने के लिए आपके पास भेजा जाए।

४२. इस विषय पर कार्यवाहक न्यायाधीश का गत दिनांक २५, दिसम्बर का प्रथम पत्र ही है, जिसमें उन्होंने बताया है कि, 'लोग बहुत ही हल्ला मचा रहे हैं, दूकानें बंद कर दी गई हैं। उनके दैनिक व्यवसाय ठप हैं और उनकी मांग के बारे में मेरे द्वारा किसी निश्चित कदम की मांग के साथ बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। मुझे सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आता तब तक समाहर्ता को निर्धारण कार्य रोक देने के लिए समझा रहे हैं। उसके बाद के कार्यवाहक न्यायाधीश के पत्र का कथन

लगभग समान ही है। यद्यपि लोग हिंसा का आचरण नहीं करते हैं। वे स्थानीय अधिकारियों को सुन भी रहे हैं । अंत में पहली बार सरकार को कर के संबंध में झुकना पड़ा है । क्यों कि लोग काम से (ख़ास कर मजदूरी से) दूर रहने लगे और दृढ़ होकर विशाल संख्या में साथ निकलकर उलझन बढा रहे थे। स्पष्ट था कि बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और जिस आशय से वे ऐसा कर रहे थे तब शहर में शांति या सुरक्षा रह नहीं सकती । अतः यह अनिवार्य लगता था कि लोगों की भीड़ को बिखेरने के लिए शीघ्र ही कदम उठाए जाएँ और यथा संभव धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए और अनिवार्य होने पर ही देश के सैन्य बल की मदद लें।

४३. विनियम के बारे में (कार्यवाहक न्यायाधीश को हमारे गत दिनांक ५ के आदेश में दर्शाए अनुसार) प्रमुख शहरों अथवा नगरों में, विनियम १५, १८१० अनुसार लागू किया गया मकान कर वापस लेने के लिए कोई उचित कारण हमें नहीं लगा। इससे हमें लगता है कि कोलाहल या दंगे के कारण से कर की बलि देना उचित नहीं। यह कर निरस्त करना कोई सामान्य नीति का विषय नही लगता।

४४. यद्यपि पर्याप्त विचार के बाद हमें ऐसा लगता है कि किसी न्यायोचित कारण से विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए कि जिनकी जीवनशैली ऐसी है कि यह कर लागू होने से प्रभावित होती है, इस विचार से कर की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन अथवा सुधार की गुंजाइश है। अतः हमने निश्चित किया है कि बनारस के लोग, जो चौकीदार के लिए और फाटक मरम्मत के लिए अपना योगदान देते ही हैं उन्हें इस कर से मुक्ति दें - ऐसी वसूली बनारस को छोड और कही नहीं होती। इसके अतिरिक्ति धार्मिक भवन ही नहीं अपितु धार्मिक कार्यों - पूजा पाठ - करानेवाले पुरोहित और धार्मिक अग्रणी अथवा सूत्रधार माने जाने वाले लोग जिस मकान में रहते हों उन सभी को कर से मुक्ति दें, और साथ ही बहुत ही गरीब लोगों को भी छूट का लाभ दें। अतः हमें आशा है कि आगे वर्णित आदेश से बनारस के निवासी, उन्हें प्राप्त मुक्ति से संतुष्ट होंगे और अब बाद में राजद्रोह की गतिविधियों को छोड़ कर अधिकारियों के उचित आदेश को मानेंगे।

४६. इस प्रकार बनारस में गैरकानूनी ढंग से एकत्रित लोगों की भीड के गठबंधन को बिखेर दिया गया। अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार काम चलाया जाएगा। इसके साथ कर प्रस्ताव में जो कुछ सुधार करना आवश्यकता लगता है उस विषय में बोर्ड ऑव् रेवन्यू के साथ विचारविमर्श से कार्य किया जाएगा। परन्तु लोगों के लिए कोई नये कर के विषय में क्या स्थिति है इसका ठीक से मूल्यांकन किए बिना

स्थिति संबंधी रिपोर्ट देना बंद नहीं करेगे। क्योंकि लोगों में नागरिक, घरेलू तथा धार्मिक बातें एक दूसरे से इतनी जुडी हुई होती हैं कि वे स्थापित पद्धति में किसी भी बदल या सुधार के प्रति अत्यन्त संवेदनशील होते हैं।

४७. इस भावना के साथ, जब हमने आपकी ओर से प्राप्त सूचना के अनुसार सार्वजनिक स्रोतों में वृद्धि के विषय में विचार करना शुरू किया तब हम इस बात से बहुत ही प्रभावित हुए थे। बिना किसी प्रकार के विरोध अथवा असंतोष के लोगों पर कर थोपना सरकार के सद्भाग्य के बिना संभव नहीं होता है। किन्तु मकान कर मेरे मत से किसी प्रकार का रोष अथवा असंतोष करनेवाला नहीं लगता। क्योंकि ऐसा कर कोलकता जैसे शहर में पहले ही लागू है। दूसरा, ऐसा कर पूर्व की स्थानीय सरकार में नहीं था ऐसा भी नहीं है।

४८. यह भी नही लगता कि कर की राशि बहुत ही गरीब अथवा कुछ धार्मिक लोग अथवा अपने जीवन के अंतिम दिन बनारस में बिताने के लिए आए लोगों को छोड और किसी के लिए, अधिक मानी जाएगी।

४९. फिर भी कर के विरोध में हमारी धारणा से परे बड़ी संख्या में लोग संगठित हुए हैं। यह अन्ततोगत्वा सरकार और उसके अधिकारियों के विरोध में ही माना जाएगा। ब्राह्मण, फकीर और अन्य लोग, जनता को उत्तेजित करने में लग गए हैं। लोग स्थानीय अधिकारियों को तिरस्कृत कर रहे हैं। तब सरकार के पास कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए देश की सेना को लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं है।

५०. अंततः लोगों के समझ जाने से, अंतिम सूचित उपाय करने से (अभी तो) बच गए, किन्तु हम जब लोक आन्दोलन की प्रेरणा या कारणों का विचार करते हैं अथवा सेना की प्रत्यक्ष कारवाई के परिणामों का विचार करते हैं तब इसी निष्कर्ष पर आने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि प्रशासन ने कोई भी नया कर लगाने से पूर्व लोगों के मिजाज को सावधानी और बुद्धिमानीपूर्वक पहचान लेना अत्यंत आवश्यक होगा। हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भविष्य में कभी भी विचार करने का अवसर आएगा तो हम ऐसा ही करेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे बाद की सरकार या कर निर्धारण करने वाले अधिकारी भी इस बात की ओर ध्यान देंगे।

३. २. बंगाल से प्राप्त न्यायिक पत्र

२९-१०-१८११

(सारांश)

६२. आप मान्यवर कोर्ट को चिंता के साथ लिख रहे हैं कि विनियम १५, १८१० के तहत मकान कर वसूल करने पर भागलपुर में विरोध और उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

६३. समाहर्ता द्वारा कर निर्धारण करने के बाद बोर्ड ऑव् रेवन्यू ने कर वसूली शुरू करने की सूचनाएँ दी थीं।

६४. विरोध और उपद्रव का संकेत तो तभी मिल गया था जब समाहर्ता ने उसकी ड्यूटी के लिए भेजे अधिकारियों का लोगों के द्वारा विरोध हुआ। ऐसे समय में न्यायाधीश और न्यायाधीश ने बिना पूरा विचार किए ही कलक्ट को कर वसूली रोक देने का आदेश दिया और वह भी इस कारण से कि पटना और मुर्शिदाबाद जैसे शहरों में अभी वसूली शुरू नहीं हुई थी।

६५. न्यायाधीश ने उस आदेश के वापस लिए जाने की बात बताने के साथ समाहर्ता पुनः कर वसूलने की उसकी ड्यूटी के लिए निकले तब लोगों ने उन पर हमला कर, उन्हें जख्मी किया था। हमें प्राप्त गुप्त जानकारी के अनुसार समाहर्ता और उसके साथ के सरकारी लोगों पर हुआ अपमानजनक हमला उपरोक्त अन्यायपूर्ण आदेश के कारण से हुआ था। इस कारण से और जाँच प्रक्रिया में प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए हमने न्यायाधीश और न्यायाधीश को ऐसी सार्वजनिक सेवाओं से दूर रखने योग्य माना। इसके स्थान पर अधिक दृढ़ और तत्पर एक अधिकारी को रखने का निश्चय किया । इस दौरान इसके साथ अलग से भेजे जा रहे पत्राचार के आधार पर आप समझ सकेंगे कि भागलपुर में सरकारी अधिकारियों का नियंत्रण बहाल हो चुका था और कर वसूली का काम उचित रूप से शुरू हो चुका था। इस बीच न्यायाधीश का चार्ज लेने के लिए एक नियामक स्तर के अधिकारी को भेजना उचित लगा था। उसके बाद हमारे लिए न्यायाधीश के व्यवहार विषयक अंतिम आदेश करना ही शेष बचता था। इस विषय में हमें जो कुछ भी सावधानी बरतनी चाहिए और निर्णय में कोई त्रुटी न रहने पाए तथा दृढ़ निर्णय का अभाव न लगने पाए इस प्रकार से शुद्ध भाव से निर्णय लेना ही शेष रहता है।

३. ३. बंगाल से प्राप्त राजस्व विभाग का पत्र

१४-१२-१८११

(सारांश)

१०१. जिस दिन विनियम १५, १८१० के तहत लगाए गए मकान कर को निरस्त करने का विचार किया गया उसी दिन हमारे विभाग के गत दिनांक १२ फरवरी को आपकी जानकारी के लिए भेजे पत्र में बनारस शहर में कर विषयक प्रश्न पर हुए उपद्रव के बारे में भी लिखा था। इस बीच बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू ने जिन नगरों में निर्धारण का काम पूरा हो गया था, ऐसे नगरों की कर से सम्बन्धित रकम विषयक एक विवरण भी भेज दिया था। यह विवरण दर्शाता है कि कोलकता और उसके उपनगरों को छोड सरकार का कर के विषय में कोई आशय नहीं है। वास्तव में निर्धारण के अनुसार कर की कुल राशि केवल ३,००,००० रु. के लगभग होने जा रही है। अन्त में अनुभव यह आता है कि यह उपज कम ही लगती है। अतः जो आर्थिक लाभ होना था। उसकी तुलना में जो असंतोष और उसके कारण उत्तेजना की सभावनाएँ थीं (ऐसा हुआ भी था) उसे सरकार तीन गुना नुकसान के रूप में देखती थी, इसलिए केवल बनारस और भागलपुर में ही नहीं अपितु अनेक स्थानों पर भी ऐसा हो सकता है ऐसा विचार किया गया था। इन सभी तर्कों के निष्कर्ष स्वरूप कर चालू रखना उचित नहीं था। क्योंकि (वह कर) सरकार की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों के विरोध की भावना को दबाकर सरकार का आधिपत्य मान्य करवाने जैसा था। इस विषय में लोगों ने तो बिना शर्त समर्थन किया ही था। उसे ध्यान में ले कर ही हमने तत्काल ही कर समाप्त न कर के रेवन्यू बोर्ड को प्रस्ताव भेजने के बाद भी कोई छूट या लाभ देने की बात भी स्थगित की। इससे विपरीत जहाँ विरोध था वहाँ उनका आदेश होने तक कर वसूलना चालू रहा।

१०२. मकान कर कोलकता शहर में लागू ही था, अतः उसके उपनगरों में छूट देने के संबंधमें हमें कोई पर्याप्त कारण नहीं लगता है। पत्र की प्रारंभिक अनेक बातें काल्पनिक हैं।

३.४. बंगाल से प्राप्त राजस्व विभाग का पत्र

३०-१०-१८१२

(सारांश)

१११. कोलकता शहर के उपनगरों में मकान कर वसूली और उसके वितरण के मुद्दे पर बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू को रिपोर्ट और उससे संबंधित कार्यवाही का विवरण हमारे पत्र के अनुच्छेद १०१, १०२ में वर्णित है। वसूली कुल रु. ५,३०८.५ है जब कि उसका वितरण १६,०४०.६ रु. बताया गया है। सरकार का शुद्ध खर्च १०,७०२.१०।

११२. हमने वसूली योग्य कुछ रकम छोड़ देने का आदेश भी दिया है। इस से संबंधित जानकारी कार्यवाही के रिपोर्ट (२८ मार्च, ४ अप्रैल, ७ मई, १५ जून,) में देखने का अनुरोध है।

३.५. बंगाल से प्राप्त रेवन्यू विभाग का गोपनीय पत्र

१६-९-१८१२

फोर्ट विलियम, बंगाल से हमारे गवर्नर जनरल इन काउन्सिल

१. ६ अक्टूबर, १८१० को पारित प्रस्ताव के अनुसरण में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस प्रांतो में वसूल किए गए मकान कर और इस विषय पर ११ फरवरी तक के आपके समग्र पत्राचार पर विचार किया गया।

२. यह कर फ़ाईनेन्स कमिटी के साथ मिल कर शुरू किया गया लगता है जिसमें कर के विविध माध्यम उनके विचाराधीन थे। इसमें मकानों पर कर का प्रस्ताव सरकार के ध्यान पर लाया गया होगा। वहाँ के निवासियों के लिए यह नई बात नहीं, क्यों कि अलग अलग नाम और कारण से अलग अलग स्थानों पर ऐसा कोई न कोई कर लागू था ही। इससे लोगों के लिए यह कर पूर्वाग्रहयुक्त अथवा अप्रिय लगनेवाला नहीं था। कर वसूली विषयक कानून भी कर निर्धारण के कानून की तरह अर्थात् कोलकता में था उसी प्रकार का ही होने से बोर्ड के लिए विरोध या परेशानी उत्पन्न करनेवाला नहीं है।

३. कमिटी द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार बनारस, पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका, मिर्जापुर, बर्दवान, गया और बंगाल के बड़े नगरों सहित बिहार, बनारस तथा कोलकता के उपनगरों से लगभग तीन लाख रूपए की राशि आने का अनुमान है। साथ ही यह अभिप्राय भी दिया जाता है कि फरूखाबाद, आगरा, अलाहाबाद और

ऊपरी प्रांत के अन्य नगरों में भी ऐसा कर लागू किया जा सकता है। फिर भी आज की स्थिति में उन स्थानों पर कर लागू करना उचित नहीं है ।

४. कर लागू करने से बहुत ही रोषपूर्ण संघर्ष और उपद्रव निर्माण हो गया है। हमें लगता है कि हमें गंभीर और सावध हो जाना जाहिए। केवल नगर ही नहीं तो आसपास के गांवो के लोग भी भारी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। इनमें लगभग प्रत्येक वर्ग के लोग शामिल लगते हैं। दूकाने बंद की गई थीं और धंधे भी ठप थे। शहरमें अनाज के अतिरिक्त कुछ भी मिलता नहीं था। बहुत से लोग कोलकता पहुँचने की सोच रहे थे। न्यायाधीश ने लोगों का रोष शांत करने और सरकार के आदेश आने तक अपने घर तथा धंधे पर वापस लौट जाने के लिए समझाने का प्रयास किया था। किन्तु सब निरर्थक सिद्ध हुआ था। लोकज्वाला अधिक जोर पकड रही थी। इस समय न्यायाधीश ने जनरल मेक्डोनाल्ड को बुलाकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए बता दिया था।

५. हमें लगता है कि यह तो सौभाग्य ही हुआ कि धांदली मचा रहे और जिद से भरे लोगों ने खुली मारकाट या उपद्रव नहीं किया और सेना की सेवाएँ नहीं लेनी पडीं। इसके लिए मेजर जनरल मेक्डोनाल्ड का प्रतिभाव हमें उचित लगता है कि अगर किसी ब्राह्मण तथा धार्मिक नेता का रक्त बहा होता तो परिणाम स्वरुप गम्भीर रूप से स्थिति बिगड गई होती।

६. आप जिन सुधारों को करना जरुरी समझते थे वे हमारे मतानुसार अनावश्यक थे, क्योंकि हमें मिले परामर्श के अनुसार यह कर केवल बनारस से ही नहीं तो जिन शहरों तथा नगरों में लागू किया गया है, वहाँ से समाप्त करने के लिए विचार कर रहे हैं।

७. कमिटी ऑफ फाइनेन्स ने बताए अनुसार वे मानते हैं कि कोलकता शहर के मकान कर के आधार पर उन्हें लगता है कि बंगाल, बिहार, उडीसा और बनारस के बडे शहरों में तथा भविष्य में उपरी प्रांतों के अनेक शहरों में भी कर लागू करने का विचार है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि कोलकता में इस कर के लागू होने से वहाँ के लोगों में किसी भी प्रकार का असंतोष या रोष नहीं दिखाई दिया था।

८. परन्तु १७८९ के रेकार्ड के संदर्भ में तो हमें लगता है कि कोलकता के निवासियों में इस कर के प्रति बहुत असंतोष प्रवर्तमान था। इस संदर्भ में उन्होंने सरकार को आवेदन भी दिया था, जो रिकोर्ड में नहीं है परन्तु जिसे होना चाहिए था।

उसमें क्या था इसकी हमें जानकारी नहीं है, परन्तु कमिश्नर के उस समय के कर्मचारी के पत्र से जाना जा सकता है कि कोलकता निवासी कमिश्नर के घर पर एकत्रित हुए थे। उनमें से कुछ लोगों को बुलाकर पूछने पर उन्होंने बताया था कि वे किसी भी प्रकार का कर भरने के लिए राजी नहीं थे। किसी भी प्रकार के कर लागू होने से असंतोष होगा ही। अधिकांश लोग वहां से शहर की सीमा के बाहर चले गए थे। कोलकता के बाहर आज का उपनगर बस गया है। आप तो इस उपनगर को भी १८१० के कर के अन्तर्गत ले लेना चाहते हैं।

९. कमिटी ने अपने पुराने और नए करों में स्थित महत्त्वपूर्ण दो अन्तरों के संबंध में कुछ निर्देश नहीं दिया है। पहला यह कि कोलकता का कर सरकार की राजस्व आय के लिए नहीं अपितु म्युनिसिपालिटी के लिए ही लिया जाता है, जिसमें मई में कुछ वृद्धि मुहल्लों और उपनगरों की साफ सफाई आदि के लिए निर्धारित की जानेवाली है। इस की लोगों को प्रतीति कराने के लिए सरकार ने एकाउन्टस कमिश्नर को आदेश दिया कि प्रतिमाह उसका हिसाब प्रकाशित करें और लोगों को आश्वासन दें कि बढाई हुई कर की राशि पूरी सावधानी से और न्यायपूर्वक उन हेतुओं के लिए ही उपयोग की जाती है। उसमें एक मुद्दा रहता है कि अनेक प्रश्न भी उठे हैं। दूसरा यह कि कोलकता ब्रिटिश हुकूमत और नियमों के अनुसार प्रशासन के अन्तर्गत है। इसलिए बंगाल के अन्य अनेक स्थानों से वह बहुत अलग है। वहाँ सरकार के सर्वोच्च सत्ताधीश का निवास है। सर्वोच्च सत्ताधीश वहां होने से अनेक यूरोपीय निवासी भी वहाँ हैं। अनेक मकान यूरोपियों के हैं अथवा तो उन्होंने किराए पर लिए हैं। अतः अधिकांश निवासी और सम्पत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सरकार के साथ संकलित है अथवा यूरोपीयों की है। इन सभी लोगों की सम्पत्ति वास्तव में कोलकता में रहनेवालों की मानी जाती है। अतः यूरोपीयों के उदाहरण से तो यह पूरा कर तो कहीं और न जाकर कोलकता में ही रहेगा।

१०. मुतरफा, या व्यावसायिक परवाना जो कि एक समय में सरकार की महत्त्वपूर्ण आमदनी थी वह उस समय के लोर्ड कॉर्न वालिस के समय में समाप्त किया गया था। हम मानते हैं कि वह मकानकर था ही नहीं क्योंकि उस कर को खाना शुमारी (मकान-क्रमांकन) कर कहा जाता था। उस बारे में आपने और कमिटी ने उल्लेख किया है कि उस समय के निवासी मकान पर लगाया हुआ कर भरते थे। इस संबंध में हमारे पास कोई रेकोर्ड नहीं है। उस बारे में हमारी पूछताछ में भी कोई

जानकारी मिल नहीं सकी। कुछ इलाकों में एसा कुछ नगण्य अथवा उस प्रकार का कोई कर होने की बात कही जा रही है जो किसी खास कारण से शुरू किया गया होगा, जिसे बाद में प्रणाली के अनुसार मकान कर के साथ जोड दिया गया हो, परन्तु उस बारे में हमारे पास निश्चित जानकारी न होने से अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता।

११. हमारी न्यायभावना के प्रति अधिकांश स्थानीय लोगों का विश्वास न रहे ऐसा कुछ भी करना हमारे अभिप्राय में अत्यन्त अविवेकपूर्ण है। आपके ११ फरवरी १८११ के पत्र में आपने जो कहा है वह पूर्ण रूप से न्यायसंगत है ऐसा हमें लगता है। आपने लिखा है कि नए कर लगाने से पूर्व चारों ओर से विचार कर लेना चाहिए क्यों कि लोगों की सामाजिक और पारिवारिक रीतिनीति धार्मिक रीतिनीति से जुडी हुई होती है अतः किसी भी प्रकार के बदल या सुधार के प्रति वे अत्यन्त संवेदनशील होते हैं, और आपने ठीक ही कहा है कि किसी भी प्रशासन ने नये कर लगाने से पूर्व लोगों के स्वभाव और मिजाज को अच्छी तरह से जानना चाहिए।

१२. दक्षिण और कर्णाटक (प्रांतों) में इस प्रकार के कर हैं ही लेकिन आपने प्रस्तावित किया है उसके साथ उनका साम्य होते हुए भी अन्तर भी बहुत है। हम जिस प्रकार के कर की बात करते हैं वह (मकान) किराया आधारित नहीं, क्योंकि मकान या दूकान बहुत कम (संख्या में) किराए पर दिए गए हैं। कहीं यह किराया जगह के किराए के रूप में लिया जाता है, तो अन्य कहीं मजदूरों के दिन पर आधारित गणना होती है। वह आयकर जैसा ही लगता है।

१३. चेन्नई में मकान कर विषयक जानकारी २३ जुलाई १८०६ के पत्र में अनुच्छेद ६३-६७ में भेजी है। सामान्य पत्राचार के रूप में ही वह आप तक पहुंची है।

१४. फोर्ट सेन्ट ज्यार्ज की सरकार ने टाउन ड्यूटी लगाई थी। वह लोगों को पीडादायी लगती थी इसलिए उसे समाप्त कर उसके स्थान पर कर लागू किया था। (परन्तु दोनों में बहुत अन्तर है।) किन्तु बाद में अप्रैल १८१० में आपने ही, जीवन आवश्यक वस्तुओं पर टाउन ड्यूटी के नाम से कठोर कर लागू किए और ६ महीने के अंदर ही मकान कर भी लगाया। फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज की सरकार को उससे पूर्व के हमारे पत्र में बताए हुए हमारे अभिप्राय के प्रति आप विशेष ध्यान दें ऐसी हमारी इच्छा है। हमारी धारणा है कि कर का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली कमिटी ऑव् फाईनेन्स या

फिर बोर्ड ऑव् रेवन्यू जो आपके मार्गदर्शन में आवश्यक विनियम बनाती है, उन्होंने हमारा पत्र पढा होगा ऐसा लगता नहीं है। हमें चिन्ता है कि मकान कर का प्रकल्प शुरू करने से पूर्व हमारी निश्चित अनुमति लेने के संबंध में सूचनाओं का पालन नहीं किया गया, जबकि उस कर को लागू करने का निश्चय आपने ही किया होगा। तब आपको यह स्मरण में नहीं रहा। जब किसी नए कर के प्रस्ताव के संबंध में विचार किया जाता है तब यह निश्चित कर लेना जरुरी होता है कि पिछली सरकार ने ऐसा कोई कर लगाया था या नहीं। क्या उसे समाप्त किया गया ? यदि वह समाप्त किया गया तो उसके क्या कारण थे ? क्या उस पर चर्चा हुई थी? वह कितनी लम्बी चली... कारण कि हमें लगता है कि जब भी हिन्दुस्तान में राजस्व आय बढाकर सार्वजनिक स्रोत सुदृढ करने की बात आती है तब नया कर डालने की अपेक्षा चालू कर में सुधार कर के राजस्व आय बढाई जाना अधिक उपयुक्त होता है।

१५. अब जो उपाय करने के लिए विचार दिया जाएगा उसके लिए अभी दो मुद्दे ध्यान में लेना जरुरी है। हम यहाँ आपको स्पष्ट रूप से बता देना उचित मानते हैं जो कि भविष्य में ऐसी ही किसी स्थिति में उपयोगी होंगे। पहला, मकान पर समग्र रूप से ५ प्रतिशत की दर से कर लगाने की अपेक्षा दूकानों पर १० प्रतिशत की दर से कर लगाना। यह तो अत्याचार जैसा माना जाएगा और (लोगों की) नाराजगी को निमन्त्रित करेगा, भले ही बाद में कर का सामान्य दर उचित ही हो। क्योंकि यदि दुकान का धंधा अच्छा चलता है तो उस स्थान का मूल्य अधिक आंककर सरकार मुनाफे के अनुपात में ५ प्रतिशत के दर से अधिक आय प्रात कर सकती है, किन्तु यदि धंधा कमजोर है तो बेची जाने वाली सामग्री के समग्र सौदे पर आधारित कर की आय भी बढाई जानेवाली दर से मिलनेवाले कर की आय जितनी नहीं होगी। फिर समाहर्ता, बनारस ने उनके दिनांक २६ नवम्बर के पत्र में बताया है उसकी अनुसार यदि किराए के हिसाब से प्राप्त और चुकाए गए किराए की जानकारी मिलने पर उनकी अपेक्षा के अनुरूप उनके अधिकारियों को कर की दर निश्चित करने के लिए उन स्थानों का स्वतंत्र सर्वेक्षण करने की या लिखने की जरुरत नहीं रहेगी।

१६. यहाँ हम अपनी एक धारणा का भी उल्लेख कर रहे हैं कि हमने जिन संभावनाओं का विचार किया है वैसा (संभवतः) न भी हो क्योंकि, हमारे महसूल अधिकारी जब लोगों के घर में अत्यन्त सावधानी के साथ जाते हैं, तब भी हिन्दुस्तानी निवासों की एक अलग ही स्थिति होने के कारण से बहुत अप्रिय स्थितियां बनती थीं।

इस बात की ओर आप बहुत ही ध्यान दें।

१७. बनारस के हमारे निम्नलिखित कर्मचारियों की अत्यन्त न्यायपूर्ण, सावधान एवं सतर्क एवं सुदृढ कार्यप्रणाली संतोष प्रदान करनेवाली रही थी।

मि. बर्ड का उल्लेख हम प्रथम कर रहे हैं जिन्होंने उस कार्य में अति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समझदारी, सूझबूझ और पूर्वधारणाओं के लिए हम मेजर जनरल मेक्डोनाल्ड के ऋणी है।

मि. ब्रुक - सर्किट के मुख्य न्यायाधीश

मि. ग्लीन - मि. बर्ड के सहायक

मि. सेलमन - समाहर्ता का भी हम धन्यवाद करते हैं।

१८. हम राजा तथा अन्य सहयोगियों के व्यवहार और प्रभाव के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपने भी उनकी प्रशंसनीय सेवाओं के प्रति जो सम्मान दर्शाया है उससे हम प्रसन्न हुए हैं।

१९. हम इस अवसर पर आपको एक खास सिफारीश के साथ यहाँ के लोगों के पूर्वाग्रह और विचारों के प्रति उचित ध्यान देने के लिए बता रहे हैं और साथ साथ लोर्ड कॉर्न वालिस ने उनके दिनांक ११ जून १७८० के बोर्ड ऑव् रेवन्यू को लिखे पत्र में स्पष्ट बताया है, उस सिद्धान्त पर दृढतापूर्वक लगे रहने का अनुरोध भी करते हैं, जिसमें कहा गया है, 'समय समय पर जरूरी आंतरिक कर लगाना और वसूलना प्राचीनकाल से चली आ रही और सर्वस्वीकृत प्रणाली है अर्थात् सरकार का वह अधिकार है। इस प्रकार का अधिकार पूर्ण रूप से प्रस्थापित कर उससे संबंधित कदम उठाने के लिए वर्ष १७८३ में विनियम ८की उपधारा ८ में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

२०. दिनांक २० मई, १७८८ के हमारे राजस्व पत्र में हमने निम्नानुरूप बताया है :

हम इस मुद्दे पर आपको बताना उचित समझते हैं कि आपके अधीन चल रही कम्पनी के वर्तमान आय के साधनों और व्यय के संबंध में पुनर्विचार करें। बंगाल में राजस्व की अधिकांश आय जमीन से आती है और यह स्थिर आय होने के कारण अन्य किसी भी प्रकार के व्यय का सामना करने के लिए आवश्यक हो तो भी उसमें वृद्धि न करें। जमीन और जमीन से सम्बन्धित सम्पत्ति के मालिकों के लिए इस प्रकार

की व्यवस्था पूरी करना इतना लाभदायी है कि सेना की व्यवस्था करने के बाद बची हुई राशि स्थानीय दल निर्माण करने की जैसे मदों में और हिज मेजेस्टी की कुछ अतिरिक्त रेजिमेन्ट निर्माण करने के लिए सेना के लिए निर्धारित अधिकांश राशि खर्च हो जाती हैं। अब कंपनी पर अतिरिक्त बोज न आए इस प्रकार अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के प्रश्न में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। इससे पूर्व जमीन कर निश्चित करने की जो व्यवस्था थी तब अनेक न्यायिक संगठनों से रुपया प्राप्त करने की जो व्यवस्था की गई थी उस से प्राप्त लगभग ३८ लाख रुपयों से अधिक खर्च व्यक्तिगत अधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे कामों में हो गया। हम मानते हैं कि हमारे प्रांत के लोग अपवाद रूप मानी जानेवाली उन्नति की स्थिति का उपभोग ले रहे हैं। अतः जब देशमें बुद्धिमत्तापूर्ण और हितकारी उपायों से ऐसी स्थिति का निर्माण हो सका है तब आशा कर सकते हैं कि यह स्थिति बनी रहे इसलिए कुछ तो मूल्य चुकाना चाहिए। समृद्धि, न्याय, वाणिज्य और प्रजा का सुख इस व्यवस्था से ही प्राप्त होते हैं। तब प्रांत अथवा देश के समग्र हित के लिए या किसी विकट परिस्थिति के लिए कितना योगदान करना है यह आप ही निश्चित कर सकते हैं। कस्टम और स्टैम्प ड्यूटी तथा मादक पेय का कर या फिर आय बढा कर फंड इकट्ठा करने पर विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य कई राजस्व आय के लिए भी विचार किया जा सकता है। यह करते समय राज्य अथवा प्रांत की स्थिति स्वामित्व मूल बिगड जाए अथवा लोगों को दमन या अत्याचार न लगे उस प्रकार जमीन से सम्बन्धित मूल सिद्धान्तों का उल्लघन न हो इस प्रकार की सावधानी पूर्वक करें। इस प्रकार हम अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हैं।

२१. जमीन के प्रश्न पर स्थायी समाधान और न्यायिक प्रणाली के शुल्क के रूप में हमें राजस्व की बहुत बडी राशि खर्च करनी पडी है। परन्तु इसके परिणाम स्वरूप झगडों के पीछे होनेवाले व्यय की बचत हुई है। और बंगाल और बिहार जैसे प्रान्तों में दीर्घ काल से शान्ति और उन्नति का वातावरण स्थापित हुआ है और दंगे आदि पर होने वाले व्यय का बोझ नहीं रहने से अब हम स्थानीय प्रजा के सहयोग की मांग कर सकेंगे। क्योंकि आज भी बहुत बडा कर्ज अवस्थित है। ऐसे दंगों और झगडों के कारण ही व्यय करना पडा था, जिसकी भरपाई के विषय में मई १७८८ में भेजे गए पत्र में लिखा है। आपने जो स्टेम्प ड्यूटी की व्यवस्था की है वह हमारी राजस्व आय में सुधार के लिए उचित मानी जाएगी। उस विषय में आपके दिनांक ८ अक्टूबर

१८०७ के राजस्व परामर्श पत्र में आपकी सन्तुष्ट परिलक्षित हो रही है। जीते गए जिन प्रांतों में स्टेम्प पेपर जरूरी होने का (कानून) नहीं था। प्रान्तों में व्यक्ति के द्वारा कोरे कागज का उपयोग किए जाने के स्थान पर स्टैम्प युक्त कागज का उपयोग करता है तो उसकी अधिकृतता बढ जाती है। आय होती है यह अतिरिक्त लाभ है।

३.५.१ . बोर्ड का कोर्ट को पत्र

इन्डिया ओफिस
व्हाईट होल
१५ जून १८१२

(सारांश)

मुझे कमिश्नर फॉर अफेर्स ऑव् इन्डिया का निर्देश है कि बंगाल सीक्रेट रेवन्यू ड्राफ्ट २१८ सुधार और बदल के साथ वापस भेज दूँ।

उनमें अधिकांश सुधार बोर्ड ने मौखिक रूप में किए हैं किन्तु कुछ के संदर्भ में स्पष्टीकरण और विस्तार जरूरी है। पहला सुधार अनुच्छेद १८ से २० तथा अनुच्छेद २१ का कुछ अंश निकाल देना है और अन्य चार को बदलना है जिस के परिणाम स्वरूप कोर्ट ने बंगाल सरकार को विचार करने के लिए कहा है कि ‘ड्यूटी का समग्र या अंश पुनः स्थापित हो सकता है’ यह भाग निकल जाएगा। यह ड्यूटी जमीन संबंधी निपटारे करते समय निरस्त कर दी गई थी किन्तु सुधारित सिद्धान्त के आधार पर फिर से लागू की गई। अन्त में बोर्ड देश के आन्तरिक सरकारी कस्टम को पूछता है कि टाउन ड्यूटी और आबकारी रेवन्यू जो वर्तमान में है, क्या वह पुरानी वसूली का एक अंश है अथवा उसकी शाखा ही है ?

३.५.(२)

व्हाईट होल
१४ अक्टूबर१८१२

महोदय,

मुझे कमिश्नर फॉर अफेयर्स ऑव् इन्डिया की ओर से ड्राफ्ट नं. २१८ आपको दिनांक १५ जून के पत्र के साथ भेजा गया था उसे वापस करने के लिए बताया है। बोर्ड चाहता है कि उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए।

आपका आज्ञाकारी
ज्होन बुश

३.५. (३) रामसे का पत्र

मि. रामसे, मि. बुश को उनके गत दिनांक १८ के पत्र के लिए अभिवादन के साथ ड्राफ्ट नं. २१८ वापस भेजते हैं।

३.५.(४) बोर्ड का कोर्ट को पत्र

व्हाईट होल
२० अगस्त, १८१२

महोदय,

मुझे कमिश्नर फोर अफेयर्स ऑव् इन्डिया की ओर से वापस भेजा हुआ ड्राफ्ट नं. २१८ की रसीद देने की सूचना है। और याद दिलाने को कहा है कि १५ जून को उसके साथ भेजा हुआ पत्र वापस नहीं किया गया है।

थोस पर कर्टने

३. ५ (५) कमिश्नर ऑव् इन्डिया का ईस्ट इन्डिया कम्पनी को लिखा बंगाल से प्राप्त दिनांक १६-८-१८१२ का सीक्रेट रेवन्यू डिस्पेच में परिवर्तन संबंधी पत्र

इन्डिया ऑफिस
व्हाईट हॉल,
९ सितम्बर, १८१२

महोदय,

मुझे कमिश्नर फॉर अफेयर्स ऑव् इन्डिया ने बंगाल सीक्रेट रेवन्यू ड्राफ्ट नं. २१८ सुधार और बोर्ड के अंतिम अनुमोदन के साथ वापस भेजने के लिए सूचना दी है। इसमें अनके (सुधार) मौखिक हैं, किन्तु अन्य कुछ में स्पष्टीकरण की विस्तृत जानकारी देना जरूरी है।

पहला महत्त्वपूर्ण सुधार अनुच्छेद क्र. ४-६ और ७ का अंतिम कुछ अंश, अनुच्छेद ८-१०, १२-२४८ र (छूट जाने) के संदर्भ में है। बोर्ड ने बंगाल के रेवन्यू डिस्पेच दिनांक १४ दिसम्बर के क्रमानुसार यह अनुच्छेद छोड दिया है। किन्तु यह ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इंग्लैण्ड में प्राप्त और मकान कर कोलकता शहर और उसके

उपनगरों के अतिरिक्त समग्र रूप से समाप्त करने के सुप्रीम गवर्नमेन्ट के आशय की जानकारी मिली है। इस बोर्ड के अभिप्राय के अनुसार कर लागू करने से बनारस में जो कुछ हुआ उसकी कार्यवाही में गहरे उतरना जरूरी नहीं लगा। जरूरी होता तो इसमें और कई अनुच्छेद जरूरी हो जाते, क्योंकि वे ऐसा ही मानते थे कि कर (महसूल) वसूल किया जा रहा है।

बोर्ड ने अनुच्छेद १६ का अंतिम कुछ भाग भी निकाल दिया है, क्योंकि उसके बाद का अनुच्छेद निकाल कर नया अनुच्छेद शामिल किया है, जो अनुच्छेद १९ और २० से काटे गए भाग से कुछ आगे पीछे करने के बराबर है, जो कर लगाते ही स्थानिक लोगों के प्रतिभाव और पूर्वाग्रह के बारे में उल्लेख करता है।

सेन्ट ज्योंर्ज सरकार द्वारा बताए अनुसार कोर्ट की भावना संबंधी अनुच्छेद १७ के साथ उनके अधीन इलाके में मकान कर से सम्बन्धित अनुच्छेद २१ के प्रारम्भिक भाग का क्रम आगे पीछे होने से कट गया है।

पैरा १८ को छोड देने का बोर्ड का कारण यह है कि (उसमें) बंगाल सरकार को पूछा गया है कि ड्यूटी पूरी या फिर आंशिक रूप से पुनः शुरु की गई है या नहीं, क्या यह वही ड्यूटी है जो उससे पूर्व जमीन के विवाद के निपटारे के रूप में वापस ली गई थी। क्या उसमें से कुछ सुधारित सिद्धान्त प्रतिस्थापित किए गए थे... (इत्यादि जानना चाहता हूँ)। बोर्ड ने इसके लिए सरकार की आन्तरिक कस्टम ड्यूटी, टाउन ड्यूटी और आबकारी राजस्व के बारे में जानकारी मांगी थी। अनुच्छेद का शेष भाग नया कर लगाने से संबंधित था, जिसे परिच्छेद नं. २१ के अंत में जोडा गया है।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने एक और अनुच्छेद क्र. २८ निरस्त करने का विचार किया है, जिससे विदेश में स्थित सरकार, उस विषय में मुक्त रूप से निर्णय ले सके कि फाटकबंदी फिर से शुरु की जाय या नहीं, और उचित लगने पर ऐसा निर्णय ले सके।

बंगाल प्रेसिडेन्सी के अधीन प्रशासन को चलाने में बहुत व्यय होता है जिसके लिए कोर्ट ऑव् डायरेक्टर को अनुच्छेद तैयार करना था, वह सेयर ड्यूटी के कारण से छूट गया था। बोर्ड ड्राफ्ट के अंत में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल का ध्यान आकर्षित करना है कि उसके लिए स्टैंप विनियम लाकर अतिरिक्त राजस्व आय विकसित करने की नीति परिच्छेद में बताए अनुसार अपनाई जा सकती है और पान तथा तम्बाकू पर कर लगाया जा सकता है यह भी याद दिलाया गया। ये शौकिया

वस्तुएँ मानी जाती हैं, अतः उन पर समग्र प्रांत में आवश्यक कानून के साथ कुछ कर लगाने से राजस्व आय के लिए अच्छा स्रोत बनेगा। उस विषय पर बोर्ड फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज की सरकार ने दिनांक २८ फरवरी, १८१२ के रेवन्यू पत्र में जो अभिप्राय दिया है उस विषय में अधिक आत्मविश्वास के साथ अभिप्राय देता है कि ग्राम पट्टेदारी प्रणाली के अन्तर्गत माफी देने की अनिश्चितता का उल्लेख करना आवश्यक लगता था। उनका मानना था कि तत्काल आवश्यकता से प्रेरित होकर माफ की जानेवाली राशि भले कितनी भी हो उसकी तुलना में पान और तम्बाकू की बिक्री के लिए लाइसेन्स की प्रथा पुनः प्रस्थापित करने का अभिप्राय कर्नल मनरो का था यह बताकर उसे वसूलने से ऐसे समय समय पर दी जाने वाली मुक्ति राजस्व आय से अधिक हो सकती है। उन्होंने यथासंभव शीध्रता से उसे पुनः लागू करने का अभिप्राय भी दिया है।

आपका आज्ञाकारी

विनम्र सेवक

डबल्यू रामसे एस्क थोस पर कर्टने

३. ६. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सीक्रेट ड्राफ्ट २१८ से बोर्ड ऑव् कमिश्नर द्वारा काटे गए दो अनुच्छेद

२३-५-१८१२

समग्र विषय पर बहुत विमर्श एवं गंभीर विचार के बाद सब को विश्वास हो गया होगा कि हम मकान कर समाप्त करने की सूचना देना उचित मानते हैं किन्तु संभवतः यह मानकर कि उससे यह भी मान लेने की गलती हो सकती है कि अपनी सरकार अशांति और विद्रोह की स्थिति के सामने झुक गई है, और इससे स्थानीय लोगों को और अधिक छूट मांगने की प्रेरणा मिल सकती है, हम कर विषयक पूरे सिद्धान्त को छोडने की स्थिति में आ सकते हैं। जिन वस्तुओं से स्थायी और अधिक कर मिल सकता है ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने का एक विस्तृत ढांचा बना सकते हैं। यह ढांचा ऐसा हो कि स्थानीय लोगों को अत्याचारी न लगे। हम आशा कर सकते हैं कि आपने जिन बदल के विषय में विचार किया था और जिस मकानकर के विरुद्ध शिकायत दूर करने की योजना कर रहे थे वह मकान कर आपके १२ फरवरी १८११ के पत्र के दिन से ही शांतिपूर्ण रूप में वसूल किया जा रहा है। परन्तु यदि बदल नहीं किए जाते तो यह कर स्थानीय प्रजा में अत्यन्त विपरीत भाव और पूर्वाग्रह निर्माण कर देता। और

भविष्य में अत्यधिक असन्तोष और संघर्ष निर्माण कर देता। अतः आपने यथाशीघ्र उसे वापस लेने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह काम सरकार की सत्ता के साथ बिना समझौता किए करना चाहिए।

इस विचार से ही हमने अधिक स्पष्ट और सीधे आदेश नहीं दिए हैं, क्यों कि हम मानते हैं कि यह किस्सा ऐसा है जहां अधिकारियों का अभिप्राय जानने के बाद उसका क्रियान्वयन भारत के स्थानीय प्रशासन की विवेकबुद्धि और अधिकार पर सौंपना चाहिए।

३.७ बंगाल से प्राप्त गोपनीय रेवन्यू पत्र

२८-२-१८१५

(सारांश)

४. आपके उपर्युक्त पत्र में मान्यवर अदालत दो अलग अलग विचार व्यक्त करना चाहते हैं ऐसा लगता है। एक तो १८१० में शुरू किए गए मकान कर विषयक आपकी भावना दर्ज करना, जो (कर) अभी समाप्त हुआ है। दूसरा सार्वजनिक स्रोतों में सुधार लाने के लिए आपके स्थान पर जो उपाय किए गए उनको सूचित करना।

५. आपके पूर्वोक्त मुद्दे में सरकार के किसी कदम का बचाव करना जरूरी नहीं है, फिर भी आप मान्यवर ने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं इस लिए हम अपने विचार आपके चिन्तन हेतु भेज देंगे।

६. मकान कर, अन्य कर के समान ही एक कर है, अधिक कुछ नहीं। इसलिए इस देश के निवासियों के किसी प्रस्थापित अधिकार का हनन उससे नहीं होता। इससे किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचती, न इससे सार्वजनिक रूप से नुकसान होता है। हाँ, नया कर लागू होने पर कुछ हलचल होती ही है, किन्तु लोगों का अंसतोष किस रूप में प्रकट होगा उसकी पूर्वधारणा अथवा पूर्वानुमान करना संभव नहीं होता है। अथवा (संभवित) रोष की भावना किस सीमा तक व्यक्त होगी यह भी कहा नहीं जा सकता। मकान कर के प्रति जो कुछ घटित हुआ उसका पूर्वानुमान किया नहीं जा सकता था। यह भी कहा जा सकता है कि विविध उपायों के दौरान अनुभव से समझ में आया कि उसके पीछे यह मनोभाव था कि लोगों की अपनी सम्पत्ति सार्वजनिक (राज्यकी) सम्पति में बदल रही है। परन्तु आप मान्यवर घटना

की सूचना से ही निश्चित करने के लिए पर्याप्त समर्थ हैं और न्यायोचित निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। अत हम इस कर निवारण के औचित्य के संबंध में कोई टिप्पणी करने का विचार नहीं करते। इसके विपरीत हम मानते हैं कि कर समझदारीपूर्वक निरस्त किया गया है। यह कर विषयक मूल सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं था अथवा सार्वजनिक हित के सिद्धान्त के कारण से निरस्त नहीं किया गया था। ऐसी जानकारियों पर इस देश में सावधानीपूर्वक विचार करना पडेगा, क्यों कि उससे प्राप्त होनेवाला राजस्व, जो वार्षिक लगभग तीन लाख रुपया अथवा उससे कुछ कम मिलने की धारणा थी, यदि लोगों के इतने रोष के बाद प्राप्त होता वह रद करना उचित लगता है।

अभिलेखों के स्रोत

इण्डिया ऑफिस रेकोर्ड्स (आईओआर)

१. बोर्ड का संग्रह, एक/४/३२३, संग्रह क्र. ७४०७ : अभिलेख १.क.१ से १.क.१९ और ३.१. और २

२. बंगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेणी १३० खण्ड २७ क्र. २ (१७ जनवरी १८११) से १७ (१८ जनवरी १८११) : अभिलेख १ .ख.१ और २, १.ग.१ और २.

३. अभिलेख १.क.२० से १.क.२४ और १.६.१ और १.घ.२ बंगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेमी १३० खण्ड २९ क्र. ३९ (२२ फरवरी १८११), क्र. ६३ (६ मार्च १८११) और क्र. ३ (६ मार्च १८११)

४. अभिलेख १.च.३., १.च.५. से १.च.१२ और १.च.१५ और १६ बंगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेणी १३० खण्ड ३९.क.३ (१५ अक्टूबर १८११ और २९ अक्टूबर १८११)

५. अभिलेख १.च.१३ और १४, १.च.१७ से २१ (अ) बंगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेणी १३० खण्ड ४०, क्र. १३ (१२ नवम्बर १८११) और क्र. १३ (१९ नवम्बर १८११)

६. अभिलेख १.च.२४ और २५ बंगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेणी १३० खण्ड ४५.

७. अभिलेख १.च.२६ और २७, बंगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेणी १३० खण्ड ४८.

८. अभिलेख १.च.१., १.च.२. (अ), १.च.४., २.१. से २.३ बंगाल राजस्व परामर्शन श्रेणी ५५ खण्ड ४४, क्र. ३ (१५ अक्टूबर १८११) और क्र. ६ (२९ अक्टूबर १८११)

९. अभिलेख २.४ बंगाल राजस्व परामर्शन श्रेणी ५५ खण्ड ४५, क्र. ३ (१५ अक्टूबर १८११) और क्र. ६ (२९ अक्टूबर १८११)

१०. अभिलेख १.च.२२ और २३, २.५. से २.८ बंगाल राजस्व परामर्शन श्रेणी ५५ खण्ड ४७, क्र. ४ (१३ जनवरी १८१२) क्र. १ (२१ जनवरी १८१२) और क्र. १३ (२७ जनवरी १८१२)

११. अभिलेख १.क.२५ बंगाल राजस्व परामर्शन श्रेणी ५५ खण्ड ५०, क्र. ३७ (१६ मई १८१२)

१२. अभिलेख २.९ बंगाल नागरिक न्याय परामर्शन श्रेणी १४८ खण्ड ७५, क्र. २४ (९ मई १८१२)

१३. अभिलेख ३.३ एल/ई/३/१७ (१४ दिसम्बर १८११ का बंगाल राजस्व पत्र)

१४. अभिलेख ३.४ एल/ई/३/१८ (३० अक्टूबर १८१२ का बंगाल राजस्व पत्र)

१५. अभिलेख ३.७ एल/ई/३/१९ (२८ फरवरी १८१५ का बंगाल गोपनीय राजस्व पत्र)

१६, अभिलेख ३.५ एल/एफ/४४२ (१६ सितम्बर १८१२ का बंगाल को गोपनीय राजस्व प्रेषण)

१७. अभिलेख ३.५ (१-५), ३.६ एफ/३/२६ (१६ सितम्बर १८१२ के गोपनीय राजस्व पत्र विषयक बोर्ड और कोर्ट का पत्राचार)

* पश्चिम बंगाल अभिलेखागार

पृ. १०१ के आवेदन के सारांश हेतु

बंगाल न्यायिक आपराधिक कार्यवाही : ८ फरवरी १८११ : असल परामर्शन क्र. ६

लेखक परिचय

श्री धर्मपालजी का जन्म सन् १९२२ में उत्तर प्रदेश के मुझफ्फरनगरमें हुआ था। उनकी शिक्षा डी. ए. वी. कालेज, लाहौर में हुई। १९३० में ८ वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार गांधीजी को देखा । उसके एक ही वर्ष बाद सरदार भगतसिंह एवं उनके साथियों को फाँसी दी गई। १९३० में ही वे अपने पिताजी के साथ लाहौर में कोंग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में गये थे। उस समय से लेकर आजन्म वे गांधीभक्त एवं गांधीमार्गी रहे।

१९४० में, १८ वर्ष की आयु में उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। चरखे पर सूत कातना भी शुरू किया। १९४२ में 'भारत छोडो' आन्दोलन में भाग लिया। १९४४ में उनका परिचय मीराबहन के साथ हुआ। उनके साथ मिलकर रुड़की एवं हरिद्वार के बीच सामुदायिक गाँव के निर्माण का प्रयास किया। उस सामुदायिक गाँव का नाम था 'बापूग्राम'। आज भी बापूग्राम अस्तित्व में है। १९४९ में भारत का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में जो शरणार्थी आये उनके पुनर्वसन के कार्य में भी उन्होंने भाग लिया। १९४९ में वे इंग्लैण्ड, इझरायल और अन्य देशों की यात्रा पर गये। इझरायल जाकर वे वहाँ के सामुदायिक ग्राम के प्रयोग को जानना समझना चाहते थे। १९५० में वे भारत वापस आये। १९६४ तक दिल्ली में रहे। इस समयावधि में वे Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVARD) के मन्त्री के रूप में कार्यरत रहे। अवार्ड की संस्थापक अध्यक्षा श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय थीं, परंतु कुछ ही समय में श्री जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष बने और १९७५ तक बने रहे। १९६४-६५ में श्री धर्मपालजी आल इण्डिया पंचायत परिषद के शोध विभाग के निदेशक रहे। १९६६ में लन्दन गये। १९८२ तक लन्दन में रहे। इन अठारह वर्षो में भारत आते जाते रहे। १९८२ से १९८७ सेवाग्राम (वर्धा, महाराष्ट्र) में रहे। उस दौरान चैन्नई आते जाते रहे। १९८७ के बाद फिर लन्दन गये। १९९३ से जीवन के अन्त तक सेवाग्राम, वर्धा में रहे।

१९४९ में उनका विवाह अंग्रेज युवति फिलिस से हुआ। फिलिस लन्दन में,

बापूग्राम में, दिल्ली में, सेवाग्राम में उनके साथ रहीं। १९८६ में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी स्मृति में वाराणसी में मानव सेवा केन्द्र के तत्त्वावधान में बालिकाओं के समग्र विकास का केन्द्र चल रहा है। धर्मपालजी एवं फिलिस के एक पुत्र एवं दो पुत्रियां हैं। पुत्र डेविड लन्दन में व्यवसायी है, पुत्री रोझविता लन्दन में अध्यापक है और दूसरी पुत्री गीता धर्मपाल हाईडलबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी में इतिहास विषय की अध्यापक है।

धर्मपालजी अध्ययनशील थे, चिन्तक थे, बुद्धि प्रामाण्यवादी थे। परिश्रमी शोधकर्ता थे। अभिलेख प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन बारह चौदह घण्टे लिखकर लन्दन तथा भारत के अन्यान्य महानगरों के अभिलेखागारों में बैठकर नकल उतारने का कार्य उन्होंने किया। उस सामग्री का संकलन किया, निष्कर्ष निकाले। १८ वीं एवं १९ वीं शताब्दी के भारत के विषय में अनुसन्धान कर के लेख लिखे, भाषण किये, पुस्तकें लिखीं।

उनका यह अध्ययन, चिन्तन, अनुसन्धान विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के लिये या विद्वता के लिये प्रतिष्ठा, पद या धन प्राप्त करने के लिये नहीं था। भारत की जीवन दृष्टि, जीवन शैली, जीवन कौशल, जीवन रचना का परिचय प्राप्त करने के लिये, भारत को ठीक से समझने के लिये, समृद्ध, सुसंस्कृत भारत को अंग्रेजों ने कैसे तोडा उसकी प्रक्रिया जानने के लिये, भारत कैसे गुलाम बन गया इसका विश्लेषण करने के लिये और अब उस गुलामी से मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढने के लिये यह अध्ययन था। जितना मूल्य अध्ययन का है उससे भी कहीं अधिक मूल्य उसके उद्देश्य का है।

श्री जयप्रकाश नारायण, श्री राम मनोहर लोहिया, श्री कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्री मीराबहन उनके मित्र एवं मार्गदर्शक हैं। गांधीजी उनकी दृष्टि में अवतार पुरुष हैं। वे अन्तर्बाह्य गांधीभक्त हैं, फिर भी जाग्रत एवं विवेकपूर्ण विश्लेषक एवं आलोचक भी हैं। वे गांधीभक्त होने पर भी गांधीवादियों की आलोचना भी कर सकते हैं।

इस ग्रन्थश्रेणी में प्रकाशित पुस्तकें १९७१ से २००३ तक की समयावधि में लिखी गई हैं। विद्वज्ज्गत में उनका यथेष्ट स्वागत हुआ है। उससे व्यापक प्रभाव भी निर्माण हुआ है।

मूल पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अभी वे हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। भारत की अन्यान्य भाषाओं में जब उनका अनुवाद होगा तब बौद्धिक जगत में बडी भारी हलचल पैदा होगी।

२४ अक्टूबर २००६ को सेवाग्राम में ही ८४ वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ।